1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1) आठवीं विधान सभा के प्रथम सत्र का आठवां दिवस (संख्या 7

1] [2

मंगलवार,

दिनांक 26 मार्च, 1985

(प्रथम बैठक)

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान

श्री भैरोंसिंह शेखावत, द्वारा शपथ ग्रहण

श्री अध्यक्ष : शपथ ग्रहण ।

श्री सचिव : श्री भैरोंसिंह शेखावत (105)

सदस्य का नाम	शपथ/प्रतिज्ञान	भाषा जिसमें शपथ ग्रहण की/प्रति ज्ञान किया
श्री भैरोंसिंह शेखावत	शपथ	हिन्दी

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

श्रीमती उजला अरोड़ा ।

तारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर नगर में पेयजल समस्या

24. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर-ग्रामीण),
श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल),
श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल),
श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़):

क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

Page No. 2

(2)

(1) जमवा रामगढ़ के बन्धे में वर्तमान में कितना जल तथा कितनी सिल्ट है? क्या उक्त सिल्ट को निकालकर बन्ध भराव बढ़ाने की कोई योजना है ?

(2) क्या जमवा रामगढ़ बांध, जो कि जयपुर नगर के लिये पेयजल उपलब्ध कराता है, को पेयजल की आवश्यकता की दृष्टि से 5 फीट और ऊंचा करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उस पर कब तक कार्यवाही प्रारम्भ होगी ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि जयपुर शहर की चार दीवारी में रहने वाले नागरिकों को दिन में केवल एक बार ही पेयजल उपलब्ध कराया जाता है, वह भी उचित दबाव (प्रेशर) के अभाव में पहली मंजिल तक भी नहीं पहुंचता है ? यदि हां, तो निर्धारित समयावधि में उचित प्रेशर से कौनसी तिथि से जल उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

(4) क्या विभाग का सम्पूर्ण जयपुर शहर में दोनों समय पूर्ण दबाव के साथ जल वितरण व्यवस्था कराने का विचार है? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या विभाग की जयपुर शहर की विभिन्न कॉलोनीज व क्षेत्रों तथा कच्ची बस्तियों में पानी की समस्या को देखते हुए हैण्ड पम्प, सार्वजनिक नल व कुएं स्थापित करने के लिए कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) हैण्ड पम्प लगाये जाने वाले स्थानों का चयन किस आधार से किया जाता है ?

(7) जयपुर शहर में किन किन स्थानों पर हैण्ड पम्प व सार्वजनिक नल व कूपों की आवश्यकता महसूस की जा रही है ? इन स्थानों पर हैण्ड पम्प कब तक व कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे ?

(8) क्या जयपुर की पेयजल योजना में स्थाई सुधार के लिए बनास योजना पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) रामगढ़ बन्धे में 20 मार्च, 85 को जलस्तर 36 फीट 6 इन्च था। अनुमानतः 15 फीट के स्तर तक सिल्ट है। उक्त सिल्ट को निकालकर बन्ध भराव की क्षमता बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।

(2) जी हां। बांध को ऊंचा उठाकर भराव क्षमता बढ़ाने की योजना पर प्रारंभिक कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

(3) जी हां। नगर की चार दीवारी के भीतर फिलहाल दिन में एक बार ही जल वितरण की व्यवस्था है। कुछ ऊंचे एवं छोर के स्थानों पर कम दबाव से वितरण की शिकायत आती रहती है। इसके निवारण हेतु निरन्तर कार्यवाही की जा रही है।

(4) रामगढ़ बांध में जल आने पर ही नगर के सब भागों में पूर्ववत: दोनों समय जल वितरण व्यवस्था हो पावेगी।

(5) जी हां। विभिन्न क्षेत्रों व बस्तियों में हैण्ड पम्प लगाने की योजना है। 335 हैण्ड पम्प स्वीकृत हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त 70 नये कुए स्वीकृत हो चुके हैं और 20 बन्धे संवारित किये गये हैं।

Page No. 3

(3)

(श्रीमती कमला)

(6) हैण्ड पम्प लगाये जाने वाले स्थानों का चयन तकनीकी आधार पर एवं आवश्यकतानुसार किया है।

(7) जयपुर नगर में हैण्ड पम्प व सूखे कुओं से जल वितरण की व्यवस्था की आवश्यकता मुख्यत: रामगढ़ वितरण क्षेत्र में महसूस की जा रही है। इस क्षेत्र में हैण्ड पम्प लगाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। लगभग 20 खुले कुओं को भी पम्प लगाये जाकर वितरण व्यवस्था से जोड़ दिया गया है।

(8) राज्य सरकार ने सिद्धान्तत: बनास नदी पर बांध बनाने की योजना स्वीकृत कर दी है, जिससे जयपुर व अन्य नगरों के लिए पेयजल की भी सुविधा होगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीया मंत्री महोदया ने यह कहा कि जब रामगढ़ के बन्धे में पानी आ जायेगा तो वितरण की व्यवस्था कर दी जायेगी। मैं समझती हूं कि यह गैर-जिम्मेदारी पूर्ण उत्तर है। पानी की आवश्यकता प्रारम्भिक है। मैं मन्त्री महोदया से पूछना चाहती हूं कि अगस्त में क्या व्यवस्था की है? कुल 20 कुओं को संधारित किया है और कुल 335 हैण्ड पम्प की योजना क्या आप पर्याप्त समझते हैं?

आपने अपने उत्तर के सातवें विन्दु में कहा कि रामगढ़ वितरण क्षेत्र में यह आवश्यकता महसूस की जा रही है। माननीय मन्त्री महोदया रामगढ़ में·······

श्रीमती कमला : रामगढ़ वितरण क्षेत्र अर्थात् जिन क्षेत्रों में लगता है उसको रामगढ़ वितरण क्षेत्र कहते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उस एरिया की क्या व्यवस्था की है? क्या आपने इसके लिए कोई मास्टर प्लान बनाया है कि उस क्षेत्र में कितने कुए संधारित किये जायेंगे, कितने हैण्ड पम्पस् लगाये जायेंगे और कितने नल कूप लगाये जायेंगे? क्या आपने इसके लिए बजट आवंटित किया है? किया है, तो कितना? इसका उत्तर दें। उसमें से कितना यूटिलाइज हो गया है और कितना होना बाकी है?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भाग-3 में यह स्पष्ट किया है कि रामगढ़ बांध के अन्दर पानी का भराव अच्छी तरह से हो जाय। हमने जो व्यवस्था हैण्ड पम्प लगाने, नये कुए संधारित करने, ट्यूबवैल लगाने के लिए सोची है, वह व्यवस्थायें पूर्ण होने पर काफी कुछ सीमा तक हम इस समस्या का निराकरण कर सकेंगे।

दूसरा, आपने पूछा कि कितना प्रावधान किया है? अभी एक करोड़ 2 लाख रुपये का प्रावधान किया है, उसकी स्वीकृति जारी हो चुकी है। उससे 20 कुए संधारित किये जा चुके हैं बाकी कुओं के लिए व्यवस्था की जा रही है। हैन्ड पम्प लगाये जाने शुरू हो गये हैं, 5–7 बस्तियों में काम शुरू भी हो गया है बाकी में कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दे रखे हैं। इसके बाद जो भी कमी रहती है उसके लिए सरकार ने उनसे रिपोर्ट मांगी है, जैसे ही उनका सम्पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेगा, पैसा और स्वीकृत कर दिया जायेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने एक

Page No. 4

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

करोड़ 2 लाख रुपये की स्वीकृति की बात कही है इसमें हैन्ड पम्प पर कितना खर्चा रखा है, नलकूपों पर कितना खर्चा रखा है कुएं संचारित करने के लिए कितना खर्चा होगा । कुल कितना हो जायेगा, यह उत्तर दें ।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, 335 हैन्ड पम्प और 70 कुएं, जिसमें से 35 कुएं चार दीवारी के भीतर हैं और 300 कुएं चार दिवारी के बाहर हैं, उनके लिए एक करोड़ 2 लाख रुपये मन्जूर किये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री भंवरलाल ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदया, आपने यह कहा कि जब कभी आवश्यकता पड़ेगी, मांग आयेगी वहां हैण्ड पम्प लगायेंगे । इसके लिए आपने कोई क्राइटेरिया फिक्स किया है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपकी कोई योजना नहीं है, वह आवश्यकता महसूस करेंगे, मांग करेंगे तो कार्य किया जायेगा ।

श्रीमती कमला : उन्होंने प्लान दिया, प्रस्ताव दिया उसके मुताबिक स्वीकृत हुआ है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है आपको अगस्त में मालूम पड़ गया था कि जयपुर में बरसात की कमी होने के कारण जल संकट रहेगा । मैं आप पर आरोप लगाता हूं कि उस समस्या को लेकर आपने कोई बात नहीं करी । विधान सभा आई है, हम विधान सभा में प्रश्न लाये हैं तब आपकी नींद खुली है और कार्यवाही शुरू की है । विधान सभा का प्रेशर होता है तो पानी प्रेशर से आ जाता है, फिर कम हो जाता है । आपने नलकूप और हैंड पम्प की बात कही है, यह कहां लगायेंगे ? इसके बारे में न तो जन-प्रतिनिधियों से बातचीत की है, न कोई तरीका निकाला है कि हैंड पम्प कहां लगायेंगे । मनमाने तरीके से कहीं भी लगा देंगे तो फिर बाद में दिक्कत होगी और समस्याओं का समाधान नहीं कर पायेंगे । मैं समझता हूं कि कोई न कोई नीति निर्धारित करें । कोई परिस्थिति देखी ? मनचाही बस्तियों में आप लगा रहे हैं । जो बस्तियां विरोध की हैं वहां पर जान बूझकर नहीं लगाया जा रहा है । यह मेरा आरोप है कि राजनीतिक दृष्टि से हैंड पम्प लगाये जा रहे हैं । जो पानी की समस्या है....।

(व्यवधान)

आप कह दें पहले या मैं कह दूं....

मुख्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : आप कह रहे हैं कि लोक चर्चा नहीं की गई है । मैं अपने लेवल पर दो मीटिंग कर चुका हूं । म्युनिसिपैलिटी से जो स्कीम चाही थी वह दे दी गई है । हैंड पम्प लगवाने के बारे में जो उन्होंने मांग की थी उसको मन्जूर कर लिया है । उनको सलेक्ट करने की ही बात नहीं की है बल्कि जहां पर जनता की मांग है वहां पर भी लगाये जायेंगे ।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया है, उसी सिलसिले में बता रही हूं कि हमने विधान सभा सत्र आने पर ही कार्यवाही की हो ऐसी बात नहीं है । निवेदन है कि 20 कुए तो आलरेडी मैन सिस्टम के अन्दर पानी दे रहे हैं, 26ट्यूब-

(श्रीमती कमला)

वैल खोदे जा चुके हैं, जिनको पाइप लाइन से जोड़ा जा रहा है। यह कोई 7 दिन में होने वाली कार्यवाही नहीं है, काफी समय से की जा रही है।

जहां तक नये हैंड पम्प लगाने का सवाल हैं, 12 बस्तियां रामगढ़ वितरण क्षेत्र में आती हैं जहां पर पानी की समस्या है, ऊंचाई के कारण पानी की व्यवस्था नहीं है, प्रेशर से पानी नहीं पहुंच रहा है, उनमें प्राथमिकता से हैंड पम्प लगाये जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता बोल रहे हैं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं भी प्रश्न-कर्त्ता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप सबसे बाद में हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप तो रामगढ़ बांध से ही आते हैं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री भंवरलाल शर्मा : जहां हमेशा समस्या बनी रहती है उन बस्तियों में एक भी हैंड पम्प नहीं लगाया गया है। जो ऊंचे इलाके हैं, किसी स्थान पर हैंड पम्प नहीं लगाया गया है। जैसे मोहननगर में नहीं लगाया गया है, हरिजन बस्ती, ब्रह्म-पुरी में नहीं लगाया गया है। ऐसे अनेक स्थान हैं जहां पर हैंड पम्प नहीं लगाये गये हैं। वहां पर हैंड पम्प नहीं लगाये जाने के कारण वही हैं जो मैं पहले निवेदन कर चुका हूं। मुख्य मन्त्री ने जो कहा कि पहले से मैं व्यवस्था कर रहा हूं, तो आपका जन्म तो हुआ ही 8—10 दिन पहले है।

श्री अध्यक्ष : आपत्ति हो तो बात करके समस्या का समाधान कर लें।

श्री भंवरलाल शर्मा . नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष : और मांगेंगे तो कर देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक प्रश्न और करता हूं। पुराने कुओं में पम्प लगते हैं तो होता यह है कि पानी के आते ही कुए बैठ जाते हैं या फट जाते हैं। जयपुर में इस समस्या का कई बार सामना करना पड़ा हैं। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो जनता वहां से जो पानी निकालती थी उससे भी महरूम हो जाती है। क्या विभाग इस बात की गारन्टी लेता है कि जो कुए बैठ जायेंगे या फट जायेंगे, पम्प के कारण उनको ठीक या मरम्मत करायेगा या ऐसी व्यवस्था करेगा कि वह डेमेज नहीं हों।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूंलाल भारद्वाज। यह भी प्रश्नकर्त्ता हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरे बाद का है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता प्रश्नकर्त्ता के बराबर हैं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मेरे प्रश्न अलग थे, आपके सचिवालय ने इनको मिला दिया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मेरा तो प्रश्न मूल से है, जड़ से है, उनका डाल-पत्ती से है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछ लें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मेरी समस्या तो जल वितरण क्षेत्र है। मेरी समस्या तो बांध है, पानी कहां ऊंचा है या नीचा है यह नहीं है। तो राजनीति की दृष्टि से बात करते हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं मूल की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है, क्या जमवा रामगढ़ बांध रियासत के जमाने में मूलतः सिंचाई के लिये बनाया गया था ? कालान्तर में पानी की कमी की वजह से यह जयपुर शहर को पीने का पानी देने के लिए कन्वर्ट कर दिया गया। हम लोग राजधानी सोचकर चुप रहे। हमारे खेत सूखते रहे। प्रश्न यह है, अव्वल तो वहां बरसात का पानी आया नहीं और जब आया तो विभाग उसको रखने की स्थिति में नहीं था। दो साल पहले पानी आया था तब विभाग उसको इकट्ठा नहीं कर सका था और फाटक खोल देने पड़े थे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : इसमें जो रिसाव चालू हो जाता है, जो 15 साल पहले से हो रहा है, उसको रोकने के लिए क्या राज ने कोई माकूल व्यवस्था की है ?

दूसरी बात यह है, सरकार ने पांच फीट पानी और भरने के लिए बांध को ऊंचा उठाने के लिए वित्तीय प्रावधान भी कर दिया था, उसको दो साल हो गये पर पता नहीं वह पैसा कहां गया। तो एक तो वहां पर पानी का रिसाव होता है, दूसरा उसको ऊंचा नहीं किया जा रहा है। इसमें टेक्नीकल बीमारी यह है कि अधिकारी गैर जिम्मेदार हैं। आपके चीफ इन्जीनियर को तमीज नहीं है कि वह पानी के रिसाव को रोक सके। अगर यह उनके बस की बात नहीं है तो कोई टेक्नीकल आदमी बाहर से लाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : पांच फीट ऊंचा करने का जो प्लान रखा था वह क्रियान्वित क्यों नहीं हो सका ? रिसाव नहीं रुक रहा है तो रिसाव को रोकने के लिये क्या व्यवस्था की है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो रिसाव से संबंधित मामला माननीय सदस्य ने उठाया है, यह समस्या महसूस की गई थी 83 में। पांच फीट उठाने का कार्यक्रम आरम्भ किया गया था लेकिन रिसाव को देखते हुए आशंका पैदा हुई और उसको रोक देना पड़ा था। सेंट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन ने जांच करने के उपरान्त कहा कि रिसाव के कारण इसकी पांच फीट बढ़ोतरी के काम को रोकने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का संकट नहीं है। उसको पांच फीट उठाने का काम हाथ में ले लिया गया है, बजट प्रावधान कर दिया गया है। काम भी शुरू कर दिया है। माननीय सदस्य को आशंका है कि उसको रोका जायेगा।

Page No. 7

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : इसलिये इसको पूरा नहीं भरा गया क्योंकि यह डर या कि रिसाव के कारण यह बांध टूट जायेगा।

श्रीमती कमला : जांच के उपरान्त अब कोई आशंका नहीं रही है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : रिसाव रोकने के लिये....

श्रीमती कमला : 75 लाख रुपये रिसाव रोकने के लिये सैंक्शन कर दिये हैं। इसके साथ ही साथ काम भी शुरू कर दिया है। धन की पूर्ति की गई है। दूसरा, माननीय सदस्य ने कहा कि कुए टूट जाते हैं या फट जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति की सूचना सरकार को भी होगी। मैं समझती हूं, जयपुर में 344 कुए काम कर रहे हैं उनसे लगभग 280 लाख गैलन पानी प्रतिदिन डिसचार्ज कर रहे हैं, 10–5 कुओं में इस तरह की स्थिति आई होगी तो उसका विभाग को पता होगा। जिस कुए को काम में लेना चाहते हैं उसको सही स्थिति में रखना उनके लिये भी उतना ही जरूरी है जितना कि नागरिक गण को चिंता हो सकती है। फिर भी किन्हीं कुओं की आपको जानकारी हो, ऐसी स्थिति में आ रहे हों, देखरेख सही नहीं हो रही हो, तो आप बतायेंगे उसके बारे में व्यवस्था कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): बरसात में रिसाव के कारण इरिगेशन डिपार्टमेंट ने पी. एच. ई. डी. के विरोध के बावजूद पांच फीट पानी निकाल दिया था उसी के कारण पानी का संकट पैदा हुआ है।

श्रीमती कमला : इसकी मेरे पास में विधिवत जानकारी तो नहीं है लेकिन जैसी आपको जानकारी है वैसी मुझे भी है कि ऐसी व्यवस्था की गई।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। बहुत समय हो गया है..

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : एक जानकारी....

श्री अध्यक्ष : आप मिलकर दे दीजिये।

श्री दिग्विजय सिंह : जयपुर से 12 किलोमीटर दूर एक जगह है जहां इतना पानी है कि यदि ट्यूबवेल लगाकर पानी दें तो जमवारामगढ़ को भूल जांय।

श्रीमती कमला : इसकी भी जांच कर लेंगे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्नकर्ता एक प्रश्न पर करीब 20 मिनट हो रहे हैं। दो तीन सवाल हैं जो इम्पार्टेन्ट हैं। प्रश्न काल केवल इसलिये नहीं है कि इसमें कोई स्टेटमेंट आ जाय, जांच हो जाय। माननीय सदस्य, बैठ जांय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ये प्रश्न बड़ा लम्बा है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में पूछ लीजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय मन्त्रीजी यह बतावें कि नदी पर बन्धे में जो गलती थी उसके बारे में क्या हुआ ? शहर की पेयजल योजना ठीक करने के बारे में क्या किया गया ? रामगढ़ से लक्ष्मणडूंगरी तक एक नयी योजना....

(व्यवधान)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

मैं प्रश्न एक साथ बोल देता हूं....

श्री अध्यक्ष : चार पांच एक साथ बोल दीजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जैसा मन्त्री महोदय ने कहा कि रामगढ़ ही वह क्षेत्र..

श्री अध्यक्ष : मन्त्रालय कहें, माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 75 कुएं हैं। उन कुओं से पेय जल देने के बारे में वक्तव्य हो जाता तो उसके बारे में....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न काल है वक्तव्य का समय नहीं है। आप बेकार समय ले रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इनकी योजनाओं के क्या-क्या चरण हैं ?

श्रीमती कमला : इन्होंने जो निश्चित योजनाओं के बारे में पूछा है उसका मेरे पास उत्तर तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री यदुनाथसिंह।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।...

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया कृपया समय न लें। और किसी समय पूछ लीजियेगा। माननीय सदस्य, आप सदन के प्रति भी...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक घण्टे पीने के लिये पानी नहीं है। इस प्रकार की दूसरी व्यवस्था...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था जयपुर शहर में चलने वाली नहीं है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें कृपया। श्री यदुनाथ सिंह।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात..

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया माननीय यदुनाथ सिंह।

चम्बल के पानी का मध्य प्रदेश द्वारा उपयोग

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) कोटा बैराज से नीचे चम्बल में 12 महीने जल की कितनी मात्रा उपलब्ध रहती है ? इसमें से मध्य प्रदेश कितनी मात्रा का उपयोग करता है ?

(2) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने चम्बल के पानी के अतिरिक्त उपयोग से पूर्व राजस्थान सरकार से अनुमति ली है ? यदि नहीं, तो राजस्थान सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

सिंचाई मन्त्री (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : (1) कोटा बैराज के नीचे चम्बल नदी पर प्रस्तावित राईघाट के स्थल पर लगभग 10 वर्षों की पानी की मात्रा का अवलोकन किया गया है जिसके आधार पर

Page No. 9

(सिचाई मन्त्री)

साल के विभिन्न महीनों में निम्न प्रकार पानी की मात्रा आंकी गयी है :—

क्र०सं०	माह का नाम	उपलब्ध पानी की मात्रा	
1.	जनवरी	13	मिलियन क्यू. मी.
2.	फरवरी	–	"
3.	मार्च	37.87	"
4.	अप्रेल	222.26	"
5.	मई	178.95	"
6.	जून	140.73	"
7.	जुलाई	1880.96	"
8.	अगस्त	4326.79	"
9.	सितम्बर	2452.64	"
10.	अक्टूबर	378.33	"
11.	नवम्बर	174.62	"
12.	दिसम्बर	12.35	"

विभाग की जानकारी के अनुसार कोटा बराज के नीचे चम्बल नदी पर मध्य प्रदेश सरकार ने कोई परियोजना नहीं बनायी है एवं मध्य प्रदेश ने इस पानी का उपयोग अभी तक नहीं किया है।

(2) अनुमति लेने व राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न माननीय मन्त्री महोदय से पूछा नहीं उसका तो उत्तर दे दिया लेकिन जो प्रश्न पूछा उसको वह समझ नहीं पाये या मैं समझा नहीं पाया। मैंने यह नहीं पूछा कि कोटा बैराज के नीचे से पानी का उपयोग कर रहा है या नहीं। यह मेरा प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न दूसरा है जिसका उत्तर जान-बूझकर गोल कर रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। मेरा आशय यह है कि क्या चम्बल नदी में से अपने हिस्से के अलावा भी अतिरिक्त पानी का उपयोग मध्य प्रदेश कर रहा है? मध्य प्रदेश लगा-

Page No. 10

(श्री यदुनाथ सिंह)

तार अपनी सीमा में, अपने क्षेत्र में पानी का उपयोग कर रहा है, लगातार ऐसे प्रश्न उठाये जाते रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नम्बर एक के सन्दर्भ में नम्बर दो को पढ़ें। सन्दर्भ में पढ़ें, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : क्या मध्य प्रदेश सरकार ने चम्बल नदी के पानी के अतिरिक्त उपयोग से पूर्व राजस्थान सरकार से अनुमति ली है ? इसी सन्दर्भ में पढ़ा है।

श्री अध्यक्ष : आपने नम्बर एक में पूछा है, कोटा बैराज से नीचे चम्बल में जल की मात्रा कितनी रहती है ?, इसमें से मध्य प्रदेश कितनी मात्रा का उपयोग करता है ? इस सन्दर्भ में आप प्रश्न पूछें।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरे प्रश्न पूछने का आशय यह था कि जितना हमारा हिस्सा है क्या इस जल में कमी होने का कारण चम्बल नदी में नीचे पानी को रोकना नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : यही मैंने कहा है जो आप कह रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरा प्रश्न पूछने का आशय यह है कि हमको पूरा पानी नहीं मिल रहा है उसका कारण वह है जो प्रश्न संख्या 2 में है।

श्री अध्यक्ष : स्पष्ट रूप से बाद में पूछ लीजिए।

श्री यदुनाथ सिंह : अगर मन्त्री महोदय तैयार होकर आये हैं तो जवाब दे दें या फिर प्रश्न को स्थगित कर दें। क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि मध्य प्रदेश जगह-जगह पर हमारे पानी को रोक कर उसका उपयोग कर रहा है? इसलिए हमको राजस्थान में पानी नहीं मिल रहा है, मेरा प्रश्न पूछने का आशय यह था, अध्यक्ष महोदय।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न संख्या 59 का सवाल है, स्पष्ट है कि कोटा बैराज के नीचे,

(व्यवधान)

कृपया सुनने का कष्ट कीजिए। 12 महीने कितनी मात्रा उपलब्ध रहती है ? इसमें से मध्य प्रदेश कितनी मात्रा का उपयोग करता है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय को बोलने दें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : भाग संख्या एक में पूछा तो भाग संख्या दो का भी रेफरेन्स उसके साथ है। मैंने स्पष्ट कर दिया कि हमारे पानी की जो मात्रा है कोटा बैराज के नीचे मध्य प्रदेश की सरकार कुछ नहीं करती, न कर रही है। अलग से कोई प्रश्न आप पूछेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता। माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : अलग से पूछ रहा हूं मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं इसमें

Page No. 11

(श्री अध्यक्ष) :

मजबूर हूं। एक कन्फ्यूजन आपके प्रश्न में भी है इसलिए मेरी मजबूरी है।

नेक्स्ट, श्री जगदीश प्रसाद

(व्यवधान)

26 पुकार लिया है, माननीय संदस्य

राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल

26. श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल "न लाभ न हानि" के आधार पर कार्य कर बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं को सस्ती दर पर पाठ्य पुस्तकें एवं कापियां उपलब्ध कराता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि मण्डल ने भारी मुनाफा कमा कर करीब ढाई करोड़ रुपये की एफ. डी. करा रखी है ? यदि हां, तो एफ. डी. की राशि कितनी है तथा यह राशि कहां से आयी ?

(3) क्या यह भी सच है कि मण्डल एवं पुस्तक वितरण केन्द्रों का हिसाब ठीक ढंग से नहीं रखा जाता है और स्टाफ पर्याप्त होते हुए समय पर हिसाब तैयार नहीं किया जाता जिसके कारण ऑडिट नहीं हो पाया ? यदि हां, तो किस-किस केन्द्र का कौन कौन से वर्ष का ऑडिट किया जाना शेष है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री रामपाल उपाध्याय):

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। पाठ्य पुस्तक मण्डल के बैंक खातों में कुल 164.00 लाख रुपये की राशि जमा है। यह राशि प्रारम्भ में 1.1.74 को राज्य सरकार द्वारा 81.50 लाख रुपये की सम्पत्ति के हस्तान्तरण व इसके पश्चात् राजस्व की बचत, पुस्तकों के मूल्य निर्धारण के कारण मार्जिनल बचत, प्रशासनिक खर्चों की बचत व शास्ति आदि के कारण ग्यारह वर्षों के अन्तराल में संचित हुई है और यही राशि बोर्ड की कार्यशील पूंजी है और इसी से मण्डल का प्रशासनिक व्यय, कागज की खरीद, परिवहन व्यय, मुद्रण व्यय, पुस्तकों की वितरण व भण्डारण व्यवस्था एवं निर्माताओं से चेतक कापियों की खरीद आदि का कार्य किया जाता है।

(3) जी नहीं। जिन-जिन वर्षों का अंकेक्षण किया जाना शेष है उनकी सूची संलग्न है (सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं, क्या यह सच है कि भारत सरकार द्वारा सस्ती दरों पर कागज मण्डल को उपलब्ध कराया जाता है ? सस्ती दर पर जो कागज उपलब्ध हुआ है उस के आधार पर पुस्तकों की जो कीमत निर्धारित की गई, जब जब भी भारत सरकार ने कागज के मूल्य में संशोधन किया, पाठ्य पुस्तक मण्डल ने भी उन पुस्तकों के मूल्य में संशोधन किया ? क्या यह मण्डल की नीति के विरुद्ध नहीं है और कन्ट्रोल एक्ट के खिलाफ नहीं है ? मेरा पहला प्रश्न।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है, क्या मण्डल,

Page No. 12

(12)

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

वाणिज्यिक संस्थान है ? यदि है, तो सन् 1983 के वाणिज्यिक लेखे क्या हैं ?

मेरा तीसरा प्रश्न, क्या यह सही है कि मण्डल ने आयकर में बचत करने के लिये समय पर लेखे तैयार नहीं किये ? यह तीन प्रश्न हैं, इनका जवाब मैं चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सस्ती दर के कागज का प्रश्न है, यह भारत सरकार का नीतिजन्य मामला है उसके आधार पर इस मण्डल को सस्ता कागज मिलता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि सस्ती दर पर मण्डल को कागज मिला, आपके पास कागज का स्टॉक था, भारत सरकार ने कागज की दरें बढ़ा दीं तो सस्ती दर का जो कागज दिया हुआ था उस कागज से जो कापियां, किताबें तैयार की गईं, मण्डल ने उनकी कीमत बढ़ाई है क्या ?

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं अपने जवाब में यही स्पष्ट कर रहा था। मैं यह निवेदन कर रहा हूं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। भारत सरकार ने सात हजार अस्सी रुपये प्रति टन के हिसाब से कागज दिया। मण्डल के द्वारा सात हजार अस्सी रुपये प्रति टन के हिसाब से पुस्तकें बेची जाती हैं। उसके बाद रुपये बढ़ते हैं। आइन्दा साल भारत सरकार मण्डल को देता है तो मण्डल पुराने और वर्तमान हिसाब को ध्यान में रखते हुए कीमत निर्धारित करता है।

वाणिज्यिक संस्थान है, इस सम्बन्ध में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि न लाभ न हानि के आधार पर यह संस्थान कार्य कर रहा है। विद्यार्थियों को अच्छा साहित्य, अच्छी पुस्तकें, कापियां देने के लिए कर रहा है इसलिये यह वाणिज्यिक संस्थान नहीं है।

तीसरा, आपने जो बताया कि आयकर की वजह से खाते कम्प्लीट नहीं हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मण्डल की तरफ से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। सच्चाई यह है कि मण्डल का काम इन दो-तीन वर्षों में ज्यादा बढ़ गया है। हमारे पास अब तक एक लेखा पार्टी थी, अब तीन-चार और लगाकर सारा व्यवस्थित ढंग से इसको करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : मैंने प्रश्न पूछा था उसकी मंशा यह थी कि मण्डल को सस्ती दर पर कागज उपलब्ध होता है, भारत सरकार ने छः महिने बाद कीमतों में वृद्धि कर दी, आपके पास पुराना स्टॉक है, उस स्टॉक में पुस्तकें थीं उनकी कीमत में वृद्धि करके आपने मुनाफा नहीं कमाया है ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने स्पष्ट कहा है कि नयी दर से जो कागज देते हैं उसमें पुरानी दर का कागज मिलाकर दोनों की एक रेट तय कर देते हैं। तो नये भावों की जो दर होनी चाहिए वह उससे कम हो जाती है और पुराने वालों की जो होनी चाहिए उससे थोड़ी बढ़ जाती है। यह साफ है।

Page No. 13

(13)

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : कण्ट्रोल का कागज है, कण्ट्रोल एक्ट के खिलाफ नहीं है क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : मन्त्री महोदय ने बताया कि अंकेक्षण नहीं करवाया गया । 75-76 से सवाई माधोपुर केन्द्र का अंकेक्षण नहीं हुआ, 77-78 से जयपुर का नहीं हुआ, झुन्झुनू का 79-80 से नहीं हुआ । इसी प्रकार 81-82 से पूर्व तक सोलह केन्द्रों का अंकेक्षण नहीं हुआ, 82-83 से सात केन्द्रों का नहीं हुआ है, 83-84 से नौ केन्द्रों का नहीं हुआ । जब आपके पास इतना बड़ा स्टाफ है उसके बावजूद, इन केन्द्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार पत्रों में सुनने के बावजूद पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा इनका अंकेक्षण न करवाया जाना क्या न्यायोचित है ? अंकेक्षण नहीं हुआ, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? भ्रष्टाचार व्याप्त है जिसका आप स्वयं को मानते है। उसको रोकने के लिए आप पाठ्य-पुस्तक मण्डल में क्या करोगे ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने लिखित उत्तर के साथ संलग्न तालिका में स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी है, 1981-82 से पूर्व के कितने बकाया हैं, 1982-83 से पूर्व अंकेक्षण कितनों का बकाया है और 1983-84 के कितने बकाया हैं । आठ हैं । मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय के जरिये अपनी बात स्पष्ट निवेदन कर दी है । निश्चित तौर पर स्पष्ट बात है आपने जैसा बताया कि अंकेक्षण नहीं करवाया इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कारोबार बहुत ज्यादा बढ़ गया इसलिए अंकेक्षण समय पर नहीं हुआ । जैसा मैंने निवेदन किया कि अभी अंकेक्षण के लिए केवल एक ही पार्टी है, अब हमने निर्णय किया है कि चार पार्टियां बना दी जायं । चार पार्टियां बना दी हैं । मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को भी कि 85-86 के वर्ष में अन्तिम रूप से अप-टू-डेट अंकेक्षण हो जायेगा । जितना भी भ्रष्टाचार, अनियमितता या जो भी नाम आप इसको दे दें, जो भी बात होगी उसकी पूरी पूरी जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री भंवरलाल शर्मा : डिपार्टमेंट आपके पास नहीं रहा तो ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

एक माननीय सदस्य : इनके पास ही रहेगा वह तो ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे, उनके पास इस प्रकार की शिकायतें आयी हैं कि जो पुस्तिकायें और कापियां इस मन्डल द्वारा दी जाती हैं उनका भारी मात्रा में ब्लैक होता है, और सही दर पर पुस्तिकायें विद्यार्थियों को मिलती नहीं हैं ? समय पर तो खैर मिलती ही नहीं हैं । क्या ब्लैक हो रहा है और क्या इसकी आपके पास शिकायतें आयी हैं ? उनके बारे में कोई जांच की ? ढाई करोड़ रुपये एफ. डी. अकाउण्ट में जमा हैं..........

श्री रामपाल उपाध्याय : 1.64 करोड़ ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नो प्राफिट नो लॉस के आधार पर काम कर रहा है। यह पैसा कहां से आया ? क्या इस पैसे का सम्बन्ध काले धन से है ?

श्री अध्यक्ष : काले धन का पैसा बैंक में कैसे जमा होगा, माननीय सदस्य।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं माननीय सदस्य महोदय को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यह स्पष्टीकरण करके माननीय सदन की और जनता की भ्रान्ति को मिटाने का प्रयत्न किया है। मैं आपको निवेदन करूं कि जो 1.64 करोड़ रुपया है इसका इस तरह से हिसाब है। हमें राज्य सरकार को 81.20 लाख रुपया देना था उसमें से तीस लाख रुपया दिया है बाकी 51.50 लाख सरकार को देना है। 49.61 लाख रुपया छः पर्सेन्ट ब्याज का सरकार को देय है, वह देना है। उसके बाद 64 लाख रुपया रहता है जो ग्यारह वर्ष में धीरे धीरे संचित किया है। मैं आपको निवेदन करूं, वितरण व्यवस्था के लिए हमारे 44 केन्द्र हैं। छः केन्द्रों से शुरू होकर यह आज 44 पर पहुंचे हैं। इसमें दो तरफ की व्यवस्था है, एक तो जो पुस्तक विक्रेता हैं वह साढ़े बारह पर्सेन्ट कमीशन पर हमारी पुस्तकें, कापियां लेते हैं दूसरा जो स्कूल है, स्कूल की सहकारी समितियां हैं या जो भी हैं वह हमसे पन्द्रह पर्सेन्ट कमीशन पर लेते हैं।

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया उसके सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार को हमको 6 पर्सेन्ट ब्याज देय है इसलिये हमारा पाठ्य पुस्तक मण्डल समय समय पर 6–6 महीने की 8–8 महीने की और 12–12 महीने की बैंक में एफ. डी. कराता है ताकि कुछ पैसा ज्यादा मिल सके। धीरे-धीरे वह पैसा एकत्रित करके इस पवित्र काम में लगाया जाता है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूं कि इसमें कहीं भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं है।

श्री अश्क अली टाक (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न ...

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, भयंकर भ्रष्टाचार है ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। श्री अश्कअली टाक।

श्री अश्कअली टाक : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जुलाई, 1985 में जब नया शिक्षण सत्र प्रारंभ होगा तब किताबों और कापियों की मांग बढ़ेगी उस समय जो कागज का कोटा इस समय हमारे पास उपलब्ध है वह पर्याप्त रहेगा ? जुलाई, 1985 में हमारे विद्यालयों की संख्या बढ़ेगी और कापियों की मांग बढ़ेगी तब क्या कोटा पर्याप्त रहेगा, हम मांग की पूर्ति कर पायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न। नैक्स्ट। श्री दिग्विजय सिंह।

पंचायत समितियों को ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित राशि

27. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन एवं पंचायती राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में समन्वित ग्रामीण विकास

Page No. 15

(19)

(श्री दिग्विजय सिंह) कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1982 से दिसम्बर, 1984 तक कुल कितनी धनराशि पंचायत समितियों को आवंटित की गई है? कृपया समितिवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) इस राशि के उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु क्या व्यवस्था रखी गई है? क्या कोई निर्देश विभाग द्वारा जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कृपया एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) इस राशि को आवंटन करने का क्या आधार, यथा, जनसंख्या, पिछड़ापन या अनुसूचित जाति या जन जाति बहुलता या अन्य क्या क्या रखा गया है?

राज्य मन्त्री, विशिष्ट योजना संगठन एवं पंचायती राज (श्री शीशराम ओला) :

(1) छठी पंचवर्षीय योजना में 5 वर्षों के लिये मोटे रूप से 35 लाख रुपया प्रति पंचायत समिति को आवंटन करने का प्रावधान रखा गया है। यह राशि वर्षवार जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को पूरे जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर हस्तान्तरित की जाती है। वर्ष 1981-82 से 1984 85 (फरवरी, 85) तक वर्षवार जो विभिन्न जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को कुल राशि हस्तान्तरित की गई है, उसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) आवंटित राशि के उपयोग हेतु प्रत्येक जिले का पंचायत समितिवार एक्शन प्लान तैयार किया जाता है जिसमें प्रत्येक पंचायत समिति में लगभग 600 चयनित परिवारों को प्रतिवर्ष लाभान्वित करने हेतु योजना तैयार की जाती है।

(3) छठी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक पंचायत समिति को पांच वर्षों में भारत सरकार के निर्देशानुसार 35 लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान रखा गया है जिससे लगभग 3000 गरीब परिवारों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। योजना बनाते समय यह ध्यान अवश्य रखा जाता है कि लगभग 50 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति/जनजाति के हों।

परिवारों के चयन की जो प्रक्रिया अपनायी जाती है उसके अनुसार उन परिवारों को पहले चुना जाता है जिनकी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय सबसे कम होती है। साथ में, यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि कुल लाभान्वित परिवारों में से 35 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 17 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति के हों। जिले की पंचायत समिति में अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या का भी ध्यान रखा जाता है। उनकी जनसंख्या के प्रतिशत के अनुपात में जिले की पंचायत समिति के लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

श्री अमरचन्द (गंगरार) : अध्यक्ष महोदय, गर्मी बहुत हो रही है।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था करते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है, मैंने पंचायत समितिवार सूची मांगी थी किन्तु जो सूची मुझे उपलब्ध कराई गई, वह जिलेवार है। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा है वह बिलकुल स्पष्ट है। मैंने प्रश्न के भाग–1 में यह

(श्री दिग्विजय सिंह)

पूछा है कि राज्य में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1982 से दिसम्बर, 1984 तक कुल कितनी धनराशि पंचायत समिति को आवंटित की गई है ? कृपया समितिवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आवंटन जिलेवार ही होता है।

श्री दिग्विजय सिंह : पंचायत समितिवार सूची आ सकती है। मैंने सूची जिलेवार नहीं मांगी है।

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रत्येक पंचायत समिति को लगभग 35 लाख रुपये आवंटित होते हैं, 5 वर्षों में। एक जिले में कितनी पंचायत समितियों को कितना आवंटन किया गया, इसमें कोई सूचना नहीं रह गई है, अक्षरों का हेर-फेर रह सकता है, पंचायत समिति करके जिला समिति कर दिया हो। उत्तर स्पष्ट है। एक जिले में कितनी पंचायत समिति है, माननीय सदस्य को मैं पढ़कर सुना देता हूं। अजमेर में 8, अलवर में 14, बांसवाड़ा में 8 बाड़मेर में 8, बीकानेर में 4, भीलवाड़ा में 11, भरतपुर में 9, बिलकुल क्लियर है............

श्री दिग्विजय सिंह : आपने जो सूची पढ़कर सुनाई वह कृपया मुझे दे देते तो ठीक रहता।

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : कितनी धनराशि का आवंटन पंचायत समिति को होता है ?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी मन्त्री महोदय से करना चाहूंगा कि जो राशि आवंटित की गई है उसमें से कितनी राशि का उपयोग हो चुका है ?

श्री शीशराम ओला : जैसा, माननीय सदस्य,, मैंने आपको निवेदन किया यह स्कीम 1978-79 से लागू की गई है, 112 पंचायत समितियों को...............

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, इतनी जानकारी करना चाहता हूं कि फरवरी, 1985 तक जो धनराशि आवंटित की गई है, उसका कितना यूटिलाइजेशन हो चुका है ?

श्री अध्यक्ष : आप यह बता दीजिये कि फरवरी, 1985 तक यूटिलाइजेशन कितना हुआ ?

श्री शीशराम ओला : यह इसमें इन्क्लूड नहीं है।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : यह इसमें शामिल है।

श्री अध्यक्ष : मैंने ना नहीं किया।

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष जी, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि फरवरी, 1985 तक 99.68 लाख का उपयोग हो चुका है।

श्री नत्थीसिंह : कितना ?

श्री अध्यक्ष : 99.68 लाख रुपये।

(व्यवधान)

प्रश्नकर्त्ता। माननीय सदस्य।

श्री दिग्विजयसिंह : प्रापर यूटिलाइ-जेशन हो उसके सम्बन्ध में कब-कब आदेश जारी हुये ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा राम-गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनसंख्या हर पंचायत समिति की अलग अलग है। जयपुर जिले में एक पंचायत समिति की जनसंख्या लगभग 9 लाख है, एक पंचायत समिति की 60-70 हजार है। कई जिलों में ग्राम तौर पर पंचायत समिति की जनसंख्या 50-60 हजार है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जनसंख्या के आधार पर आवंटन राशि का ध्यान नहीं रखा जाता ? जनसंख्या के हिसाब से, माननीय मन्त्री जी, बराबर राशि आवंटित नहीं की जाती है, क्या यह उचित है ? क्या भविष्य में इसमें सुधार किया जायेगा ?

श्री शीशराम ओला : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की शंका का निवारण करूं कि पंचायत समितिवार धन राशि का आवंटन किया गया है। 99.68 लाख रुपया जो व्यय किया गया है यह इसी उद्देश्य से किया गया है कि जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे के हैं उनको इसका लाभ मिले और वह गरीबी की रेखा के ऊपर आ सकें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर नहीं आया ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री दिग्विजय सिंह : मेरा प्रश्न बड़ा स्पष्ट है, मैंने यह जानकारी चाही थी कि क्या इस प्रकार की व्यवस्था रखी गई है, क्या इस प्रकार के निर्देश विभाग को जारी किये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह जानकारी चाहते हैं कि जो धनराशि आवंटित की जाती है उसका प्रापर यूटिलाइजेशन हो, इसके सम्बन्ध में क्या आदेश जारी किये गये हैं ?

श्री शोपत सिंह : क्या इस प्रकार की कोई मशीनरी है ?....

श्री शीशराम ओला : सक्षम मशीनरी है। ठीक से जांच होती है, आडिट होती है, देख रेख होती है। जिन परिवारों का चयन किया जाता है उन सबके पीछे यह आधार होता है कि सबसे कम आय किसकी है। ग्राम सभा की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में 5 परिवारों का चयन होता है। प्रत्येक पंचायत समिति को लाभ दिया जाना चाहिये। पूरे 5 साल में करीब 35 लाख रुपये का केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार प्रावधान रखा जाता है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। क्या जनसंख्या को दृष्टिगत रखकर धनराशि का आवंटन किया जायेगा ? क्या उन्होंने मेरा प्रश्न नहीं सुना। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मन्त्रीजी ने आपका प्रश्न बड़े ध्यान से सुना है लेकिन उनको उत्तर देने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता। कृपया बैठ जायं।

Page No. 18

(18)

श्री शोपत सिंह : आपको प्रश्न देना चाहिए था अगर महत्वपूर्ण था तो ?

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : निर्णय लेते हैं....

श्री शीशराम ओला : आप जोर से बोलें ताकि मैं सुन सकूं ।

श्री नाथूसिंह : तब बजट समाप्त होने लगता है। हमने इस मामले को उठाया था। यहां से पंचायत समिति और बी. डी. ओ. को निर्देश दिये जाते हैं कि कागजात पूरे करके भेजो नहीं तो पैसा लैप्स हो जायेगा। मेरा निवेदन यह है कि साल भर तो पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं होता और अन्त में कागजात बनाये जाते हैं । यही कारण है कि पंचायत समितियों में भ्रष्टाचार हो रहा है। एक एक ऊंट लड्ढा और बैलगाड़ी पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस बार बिकती है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : क्या आपने इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और पैसों का प्रोपर यूटिलाइजेशन हुआ या नहीं, इसके लिए कोई मशीनरी बना रखी है ?

(व्यवधान)

मुख्यमन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति, जिला परिषद और स्टेट लेवल पर कमेटियां बनी हुई हैं इसकी प्रोग्रेस को स्टडी करने के लिए और इस काम का एनेलेसिस करने के लिए। अगर प्रोग्रेस स्लो हो, तो उसको एक्सपेडाइट करने की कोशिश की जाती है। माननीय सदस्य भी इन कमेटियों के मैम्बर हैं।

श्री नाथूसिंह : जिन अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार ने सिफारिश कर दी ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया। माननीय सदस्य। माननीय नेता महोदय।

श्री हरिदेव जोशी : यह राष्ट्रीय प्रश्न है। यदि यह कार्यक्रम असफल होता है, तो राष्ट्रीय विकास का मार्ग भी अवरूद्ध होता है। मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं, अगर कमियां रहती हैं, तो आप पाइन्ट-आउट कीजिये, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जहां कहीं भी गड़बड़ी होगी उसको पूर्ण गम्भीरता से लिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शोपत सिंह : नये सदस्यों को ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाय नहीं तो व्यवधान करते रहेंगे।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं । जैसा कि उन्होंने कहा, आडिट वगैरह होता है और अनियमितताएं पकड़ी जाती हैं। मैं यह जानना चाहूंगा, आडिट तो बाद में होता है, पहले आप गाइड लाइन देते हैं कि किस प्रकार से यूटिलाइजेशन होना चाहिए, मेरा निवेदन है कि आपने कोई गाइड लाइन दी है या नहीं ?

(व्यवधान)

Page No. 19

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

समय का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन।

(व्यवधान)

मैंने दूसरा क्वेश्चन पुकार लिया है। माननीय सदस्य, आप सदन के सीनियर सदस्य रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री जयपाल।

छात्रवृत्ति की राशि

28. **श्री राजकुमार जयपाल** (अजमेर पूर्व): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सन् 1984-85 के लिये छात्रवृत्ति की कितनी रकम अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रदत्त किये जाने का प्रावधान था तथा उसमें से कितनी छात्रवृत्ति 28 फरवरी, 1985 तक वितरित की गई ?

राज्य मन्त्री, समाज कल्याण (श्री छोगाराम बाकोलिया) : अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिये वर्ष 1984-85 में 270.15 लाख का मूल प्रावधान था जिसमें से 250.67 लाख रुपये की राशि का आवंटन वितरण हेतु 28 फरवरी, 1985 तक कर दिया गया था तथा उक्त में से प्राप्त सूचना के अनुसार 1,76,68,991 रुपये की राशि 28 फरवरी, 1985 तक छात्रों को वितरित कर दी गई थी।

श्री शोपत सिंह : बाकी कितनी बची ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। जवाब पूरा आने दीजिये।

श्री राजकुमार जयपाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो प्रावधान रखा गया था उसका टार्गेट अचीव हुआ या नहीं ? दूसरा, क्या अब भी कोई एप्लीकेशन पेंण्डिग हैं ?

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, टारगेट हमने इस वर्ष 270.15 लाख रुपये का रखा था लेकिन रिवाइज्ड एस्टीमेट के अनुसार 439.28 लाख का प्रोविजन इस वर्ष कर दिया गया है। इस टार्गेट को अचीव करने के लिहाज से जो अभी तक इन्फार्मेशन मिली है उसके अनुसार 221 लाख के अगेन्स्ट 170 लाख खर्च कर दिये गये हैं और टार्गेट के मुताबिक पूरा खर्चा हो जायेगा। न केवल टार्गेट के मुताबिक खर्चा होगा बल्कि पूरे 439.28 लाख इस वर्ष छात्रवृत्ति में खर्च करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : आप यह बताइये कि कितना लक्ष्य था और कितनी छात्रवृत्ति दी और कितनी एप्लीकेशन्स पैण्डिग में हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : फाइनल फिगर क्या हैं वह बता दीजिये।

श्री छोगाराम बाकोलिया : फाइनल फिगर, इस वर्ष संशोधित बजट के अनुसार 439.28 लाख का टार्गेट रखा गया है।

(व्यवधान)

यह आपके समझ के बाहर की बात है।

Page No. 20

श्री शोपत सिंह : 84-85 का पूछा है, माननीय मन्त्री महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपकी जो फाइनल स्थिति है, वह बता दीजिये।

एक माननीय सदस्य : कितनी एप्लीकेशन्स पेंडिंग हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं ?

श्री छोगाराम बाकोलिया : फाइनल संशोधित बजट प्रोविजन के अनुसार 439.28 लाख का है।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह तो अगले साल का है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : बजट को खोला जा रहा है।

(व्यवधान)

(12.00 म. प.)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अनुभवी हैं, रिवाइज्ड एस्टीमेट अगले साल के नहीं हो सकते हैं। रिवाइज्ड एस्टीमेट तो चालू साल के ही होंगे। आप अनुभवी हैं. कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, रिवाइज्ड बजट का प्रोविजन इसलिए किया गया था कि एक तो हमारे यहां...

श्री अध्यक्ष : आप तो फिगर बता दीजिये ना।

(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : एक तो हमारे यहां पर छात्रवृत्ति की जो दर है वह हमने चेन्ज की है और छात्रवृत्ति भी....

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय। माननीय सदस्य, नेता महोदय।

मुख्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : क्योंकि वर्ष चालू है और बुकिंग 31 मार्च तक होगी इसलिये फाइनल फिगर अप्रेल में ही बताया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : क्या यह सही है कि रिवाइज्ड बजट एस्टीमेट में जितना एलोकेशन था उसमें से केवल 170 लाख ही खर्च हुआ है 28 फरवरी तक और बाकी एमाउण्ट आपको मार्च में खर्च करना है इसलिये आंकड़े आपके पास अभी उपलब्ध नहीं हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : हो सकता है कि उपलब्ध नहीं हों पर जब एस्टीमेट बढ़ाया गया है तो इसके मायने यह है कि आवश्यकता बढ़ी है और जब आवश्यकता बढ़ी है ..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : अर्ज तो सुन

(श्री हरिदेव जोशी)

लीजिये । जब आवश्यकता बढ़ी है डिपार्टमेंट ने ज्यादा मांग की है। इसके मायने यह है कि पेमेन्ट बाकी हैं । पेमेन्ट बाकी है इसलिये बजट बढ़ाया गया है। इसीलिये 31 मार्च के बाद में ही जो फिगर आयेगा वही अन्तिम फिगर होगा और उसके बाद में ही कुछ कहा जा सकेगा ।

श्री भैरों सिंह शेखावत : अभी राज्य मंत्री महोदय ने जवाब दिया उसके आधार पर 439 लाख खर्च होगा । केवल 170 लाख का खर्चा उन्होंने बताया 28 फरवरी तक। इसका मतलब यह कि मार्च के महिने में ढाई करोड़ रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा, क्या यह सही है ?

श्री हरिदेव जोशी : हो सकता है यह सही हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब यह हुआ कि रिवाइज्ड एस्टीमेट बने उस समय....

श्री हरिदेव जोशी : यह भी पासिबिलिटी है कि वह हो और बुकिंग उसकी नहीं हुई हो। यह भी पासिबिलिटी है कि बुकिंग हो गई है और यहां पर इन्टीमेशन नहीं दी हो। इसलिये 31 मार्च के दिन ही कुछ कहा जा सकेगा कि अन्तिम फिगर क्या हो सकेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नहीं है। आपने जवाब दिया है कि आपने 170 लाख का आवंटन किया है । आवंटन तो बिना खर्च के नहीं होगा ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, आवंटन तो ज्यादा का बताया है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन्होंने यह बताया है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं । आवंटन तो ज्यादा बताया है । आवंटन 2.50 करोड़ बताया है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह मान लीजिये कि आवंटन 2.50 या 2.70 करोड़ बताया । 28 फरवरी को आपका खर्च कितना हुआ उसके तो एकाउण्ट नहीं मिलेंगे यह तो समझ में आता है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से आंकड़े कम्पाइल करते हैं। लेकिन अलाटमेंट कितना है, यह तो रेडिली फिगर्स मिल सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो कुछ रिवाइज्ड बजट है उसके अगेन्स्ट में अलाटमेंट बहुत कम हुआ ।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं, ऐसा नहीं है जो पहले एलोकेशन किया गया था उसके फिगर्स माननीय मन्त्रीजी ने बताये । रिवाइज्ड एस्टीमेट के एलोकेशन बतला दिये। अब एक्सपेण्डीचर के फिगर्स में डिस्प्यूट हो सकता है, डिसबर्समेन्ट के फिगर्स में कोई भी वो हो सकता है मगर फाइनल फिगर तो 31 मार्च के बाद में ही आ सकता है। यह भी है कि कई बार डिसबर्समेंट के फिगर्स आते नहीं हैं, आंकड़े आते नहीं हैं इसलिए यहां पर रिफलैक्ट नहीं करते हैं इसलिये 31 मार्च के बाद में ही यह सही पता हो सकेगा कि जो टोटल अलोकेशन हुआ रिवाइज्ड एस्टीमेट के अनुसार, वह खर्च हुआ अथवा नहीं।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त हो गया। प्रश्न-काल समाप्त हुआ । स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 37 वैरी इम्पोर्टेन्ट है सर, यह प्रश्न पांच डिस्ट्रिक्ट से सम्बन्धित है, आप इसको पोस्टपोन कर दें।

श्री अध्यक्ष : मैं पोस्टपोन नहीं करूंगा। आप लोग एक प्रश्न में बहुत समय ले लेते हैं इसलिये माननीय सदस्यों के प्रश्न नहीं आते हैं। मेरे पास कोई चारा नहीं है। स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर।

एक माननीय सदस्य : नये आये हैं, एक मौका दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आप प्रश्न पूछिये, जरूर मौका मिलेगा। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रश्न के ही सम्बन्ध में एक निवेदन करना है। आज की प्रश्न सूची में केवल चार प्रश्न ही लिये गये हैं। माननीय सदस्य बड़ी मेहनत करके प्रश्न तैयार करते हैं उन सबके उत्तर सदन में मौखिक रूप से नहीं दिये जा सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पालियामेंट में जिस प्रकार की व्यवस्था है उसी प्रकार की व्यवस्था यहां लागू कर दी जाये। जो माननीय सदस्य प्रश्न पूछें उसको दो सप्लीमेंट्री करने का मौका दिया जाय और बाकी तीन से ज्यादा सप्लीमेंट्री नहीं हो। एक प्रश्न पर पांच सप्लीमेंट्री हो। यदि विशेष प्रकार का कोई क्वश्चन आ जाय, उसके ऊपर विशेष जानकारी लेनी हो उसमें आप अनुमति देना चाहें तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाये तो सारे प्रश्न सदन में लिये जा सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में मैं सदन के नेता महोदयों से चर्चा करके अपनी व्यवस्था दूंगा।

श्री हरिदेव जोशी : हां, यह हुई बात। कुछ न कुछ नार्म्स तो तय किये जाने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट–3 देखें।)

अतारांकित प्रश्न

कृषि हेतु विद्युत प्रदाय में अव्यवस्था

16. **श्री अशक अली टाक** (फतेहपुर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कृषि कार्य हेतु ग्रामों में रात्रि को विद्युत प्रदाय की जाती है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार इस नीति में परिवर्तन कर कृषि कार्यों हेतु दिन में विद्युत प्रदाय करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) कृषि कार्यों हेतु ग्रामों में विद्युत तीन ब्लाक्स में उपलब्ध कराई जा रही है– जिनके समय निम्न प्रकार हैं:—

प्रथम ब्लाक–10 पी.एम. से 7.ए.एम.

द्वितीय ब्लाक– 4 ए. एम. से 1 पी.एम

तृतीय ब्लाक– 9 ए. एम. से 6 पी. एम.

(ऊर्जा मन्त्री)

प्रत्येक ग्रामों के समूहों को निश्चित अवधि के पश्चात् प्रत्येक ब्लाक में क्रमवार विद्युत प्रदान की जाती है । अतः क्रमानुसार रात्रि एवं दिन में बिजली दी जाती है । सीमित इन्सटाल्ड कैपेसिटी का पूर्ण रूप से लाभ उठाने के अभिप्राय से यह आवश्यक है कि मशीनों पर 24घण्टे निरंतर लोड बराबर रखा जाये ।

(2) "इन्सटाल्ड कैपेसिटी" एवं विद्युत उपलब्धि में उपयुक्त वृद्धि होने पर ही दिन में निरन्तर विद्युत उपलब्ध कराना सम्भव हो सकेगा ।

पंचायत समिति बाड़मेर के ग्राम गरल का विद्युतीकरण

17. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुढा मालानी) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि पंचायत समिति बाड़मेर के ग्राम गरल को वर्ष 1983-84 में विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है? यदि हां, तो इसको विद्युतीकृत करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक इसको विद्यतिकृत कर दिया जायेगा ?

उत्तर

जी नहीं । ग्राम गरल पंचायत समिति बाड़मेर के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम योजना में सम्मिलित है जिसकी स्वीकृति ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से माह अगस्त, 1984 में प्राप्त हुई है । अतः वर्ष 1983-84 के कार्यक्रम में उक्त ग्राम को सम्मिलित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1984-85 का मूल कार्यक्रम को माह जुलाई, 1984 में प्रसारित किया गया था तब बाड़मेर की योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी । अतः पंचायत समिति बाड़मेर के ग्राम उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किये जा सके । अतिरिक्त वित्तीय साधनों की अपेक्षा में माह फरवरी, 1985 में वर्ष 1984-85 में माह दिसम्बर तक स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामों के विद्युतिकरण का अतिरिक्त कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, जिसमें ग्राम गरल भी सम्मिलित है । परन्तु अतिरिक्त धनराशि के अभाव में ग्राम गरल का विद्युतिकरण वर्ष 1984-85 में किया जाना सम्भव नहीं है ।

वर्ष 1985-86 के कार्यक्रम हेतु वित्तीय प्रावधान व भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण अभी किया जाना है । इसके पूर्व ग्राम गरल के विद्युतिकरण के सम्बन्ध में अभी निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है ।

प्रदेश में हत्यायें, बलात्कार व डकैतियां

18. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रदेश के भिन्न-भिन्न जिलों में 1 अप्रेल, 1982 से 28 फरवरी, 1985 तक कितनी हत्यायें, कितने बलात्कार और कितनी डकैतियां हुई ?

(2) भिन्न-भिन्न अपराधों में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा कितना माल बरामद हुआ ? कुल कितनी सम्पत्ति लूटी गई और कितने व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई ? कृपया जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है ।

(2) सूची संलग्न है ।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें ।)

पंचायत समिति, सराडा के तालाबों की व्यवस्था

20. **श्री भैरूलाल मीणा** (सराड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, सराड़ा के कई तालाबों को सिंचाई विभाग में लिये जाने के प्रस्ताव दिए गए हैं ?

(2) यदि हां, तो कितने और किन किन तालाबों को सिंचाई विभाग ने अपने अधिकार में लेने का निर्णय लिया है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

जिला जयपुर में कुओं का विद्युतीकरण

21. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 एवं 1984–85 में जयपुर जिले में कुओं के विद्युतीकरण के क्या लक्ष्य निर्धारित थे ? कृपया वर्षवार व पंचायत समितिवार निर्धारित लक्ष्य के आंकड़े सदन के पटल पर रखें ।

(2) निर्धारित लक्ष्य के अनुसार जिले की किस-किस पंचायत समिति में कुओं का विद्युतिकरण किया गया ? यदि निर्धारित लक्ष्य से कम या अधिक कुओं का विद्युतिकरण किया गया, तो उसका कारण क्या था ?

कृपया पंचायत समिति एवं वर्षवार विद्युतिकृत कुओं की संख्या का विवरण सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 एवं 1984-85 में जयपुर जिले में कृषि कुओं के उर्जीकरण हेतु लक्ष्य क्रमश: 1389 व 1025 थे । पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट "अ" व "ब" में संलग्न है ।

(2) विभिन्न पंचायत समिति में लक्ष्य एवं प्राप्ति का विवरण उपरोक्त सूचि में दर्शाया गया है। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु यथा सम्भव प्रयास किया जाता है परन्तु स्थानीय कठिनाइयों के कारण सभी निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सम्भव नहीं हो पाती है । इस कारण उपलब्धियां लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हो पाती ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–5 देखें ।)

भीम सागर बान्ध, झालावाड़

22. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) :

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले में बनने वाला भीम सागर बांध बन कर तैयार हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक तैयार हो जाएगा ?

(2) क्या यह सही है कि बांध के साथ साथ नहरों का काम भी शुरू हो गया था ? यदि नहीं, तो नहरें कब तक बनकर तैयार हो जायेंगी ?

(3) क्या यह सही है कि इस वर्ष इस बांध से सिंचाई के लिये पानी छोड़ दिया जाएगा ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। झालावाड़ जिले में भीमसागर बांध अभी तक पूर्ण नहीं हुआ हैं। आशा की जाती है कि शेष कार्य जून, 1987 तक पूरे कर लिये जावेंगे।

(2) जी हां। नहरों का कार्य मार्च, 1988 तक पूरा होने की संभावना है।

(3) इस योजना से वर्ष 1884-85 में लगभग 600 हैक्टर क्षेत्र में सिंचाई की जा चुकी है।

छबड़ा-छीपाबडोद सड़क का निर्माण

24. **श्री प्रताप सिंह** (छबड़ा)
श्री हरीश शर्मा (खानपुर)
श्री जगन्नाथ (मनोहर थाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि छबड़ा-छीपाबड़ोद सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ? यदि नहीं, तो उस पर क्या कार्य बाकी है और कब तक कार्य पूरा करा दिया जायेगा ?

उत्तर

हां।

इस सड़क पर 2 पुल व 6 पुलियाओं का कार्य शेष रहा है। सांतवीं योजना में यदि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि हुई तो इसकी स्वीकृति जारी कराना संभव हो सकेगा।

जोधपुर ग्राम की रिक्त भूमि का ट्रांसफर

25. **श्री नाथूराम** (मेड़ता)
श्री बिरदमल (जोधपुर)
श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर)
श्री नारायणराम बेड़ा (भोपालगढ़) : क्या नगर विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1 क्या यह सत्य है कि सक्षम अधिकारी, नगर संकुलन, जोधपुर ने अपने पत्र क्रमांक/सीलिंग/82/83 दिनांक 1-3-1983 द्वारा सचिव, नगर सुधार न्यास, जोधपुर को सूचित किया है कि वह जोधपुर के खसरा नम्बर 513/1,513/3 एवं 513/10 की भूमि जो अरबन लैण्ड (सीलिंग एण्ड रेग्यूलेशन) एक्ट, 1976 के अन्तर्गत रिक्त भूमि में आती है, का ट्रान्सफर नहीं करें ? यदि हां, तो कृपया उपरोक्त पत्र की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखें।

(श्री नारायण राम बेड़ा)

(2) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त एक्ट एवं सक्षम अधिकारी के आदेश की अवहेलना करते हुए तत्पश्चात् सचिव, नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने उपरोक्त भूमि से संबंधित लगभग 50 एक्सचेन्ज डीड जुलाई, 1983 में जारी किए ?

(3) यदि हां, तो उपरोक्त अवैध एक्स–चेन्ज डीड कब तक निरस्त किए जायेंगे एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। समक्ष अधिकारी, जोध-पुर के पत्र दिनांक 1-3-1983 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) नगर विकास न्यास द्वारा जुलाई, 83 में करीब 45 एक्सचेंज डीड जारी किये थे, पर यह कृत्य एक्ट एवं उपरोक्त आदेश की अवहेलना है या नहीं, अभी यह नहीं कहा जा सकता है, चूंकि मामला न्यायालय में चल रहा है।

(3) न्यायालय से निर्णय होने के पश्चात निर्णय लिया जायेगा।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें।)

प्रदेश में बस और ट्रेन डकैतियां

26. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रेल, 1982 से लेकर 28 फरवरी, 1985 तक प्रदेश में कितनी बसें और ट्रेनें लूटी गईं तथा इस लूट में कितने रुपये का माल गया, कितने लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा व कितने घायल हुए ?

(2) तत्संदर्भ में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया व कितनों का चालान किया गया ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) विवरण संलग्न है।

(2) विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें।)

मालवीयनगर, जयपुर की सड़कों की मरम्मत

27. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी-बाजार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि जयपुर मालवीय नगर आवासन बोर्ड में जो सड़कें बनी हुई हैं वह अत्यधिक दयनीय स्थिति में हैं जिसके कारण वहां के निवासियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

(2) क्या सरकार वहां की सड़कों को ठीक करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर मालवीय नगर आवासन बोर्ड में जो सड़कें बनी हुई हैं वह इस

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

विभाग द्वारा नहीं बनाई गई हैं।

(2) इन सड़कों का रख रखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। ये सड़कें नगर परिषद् द्वारा ही ठीक की जाती हैं।

दस जमा दो शिक्षा प्रणाली

28. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अगले सत्र से प्रदेश में दस जमा दो शिक्षा प्रणाली लागू करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो यह कितने विद्यालयों में प्रारम्भ की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि भिन्न भिन्न प्रदेशों ने यह प्रणाली अपने यहां लागू कर दी है? यदि हां, तो क्या सरकार नहीं समझती कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ जायेगा तथा छात्रों को प्रवेश में कठिनाइयां होंगी?

(3) इस प्रणाली को लागू करने से राज्य सरकार पर कितना वित्तीय भार बढ़ेगा?

उत्तर

(1) राज्य में 10+2 शिक्षा प्रणाली लागू करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कितने विद्यालयों में यह प्रणाली लागू की जाये।

(2) यह सही है कि 10+2 की प्रणाली कई राज्यों ने प्रारम्भ कर दी है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का हित असुरक्षित नहीं है। प्रवेश सम्बन्धी कठिनाइयों के प्रकरण अभी तक राज्य सरकार के सामने नहीं आये हैं।

(3) विद्यालयों की संख्या निर्धारण के बाद ही वित्तीय भार की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

पशु चिकित्सालयों में कृत्रिम गर्भाधान व्यवस्था

29. **श्री प्रताप सिंह** (छबड़ा)
श्री जगन्नाथ (मनोहर थाना)
श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के अधिकांश पशु चिकित्सालयों में कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(2) अब कब तक प्रत्येक चिकित्सालयों में यह व्यवस्था कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) ग्राम आधार योजना केन्द्रों/उपकेन्द्रों के अन्तर्गत 200 स्थानों पर कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था उपलब्ध थी। छठी पंचवर्षीय योजना में 122 चिकित्सालयों एवं 100 पशु स्वास्थ्य केन्द्रों पर यह सुविधा और उपलब्ध करा दी गई है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान सुविधाओं का और विकास किया जावेगा।

नीम खेड़ा प्लान्टेशन में मवेशियों की चराई की व्यवस्था

30. **श्री प्रताप सिंह** (छाबड़ा)

श्री जगन्नाथ (मनोहर थाना) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा के नीम खेड़ा प्लान्टेशन में मवेशियों को नहीं चरने दिया जाता ? यदि हां, तो सरकार मवेशियों की चराई के लिए क्या इन्तजाम कर रही है ?

(2) क्या उक्त प्लान्टेशन के बाबत गांव वालों व वनरक्षकों में आये दिन झगड़े होते रहते हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। नये पौधारोपण की सफलता के लिये पौधारोपण क्षेत्र में मवेशियों के चरने पर रोक होती है तथा जब पौधे भली भांति स्थापित हो जाते हैं अर्थात् जब उन्हें मवेशियों के द्वारा हानि पहुंचाने का डर नहीं रहता तब चराई हेतु खोल दिया जाता है।

नीम खेड़ा प्लान्टेशन का क्षेत्रफल 75 हैक्टर है। इसके अतिरिक्त खुला वन क्षेत्र लगभग 2000 हैक्टर है जिसमें चराई आदि पर कोई रोक नहीं है।

(2) प्लान्टेशन में अवैध रूप से चराई करने वालों के विरुद्ध वन कर्मचारियों द्वारा कानूनी कार्यवाही करने तथा उन्हें चराई से रोकने पर ग्रामवासी यदा कदा लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। पौधारोपण की सुरक्षा वन विभाग का प्रमुख कर्तव्य है जिसके लिए वन कर्मचारियों को अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है।

प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नति

31. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सन् 1983-84 एवं 1984-85 में कितने प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत किया गया ? कृपया सत्रानुसार क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची, पंचायत समितिवार, सदन के पटल पर रखें ?

उत्तर

सन् 1983-84 में 646 व सन् 1984-85 में 1600 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है। क्रमोन्नत विद्यालयों की पंचायत समितिवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थायें

32. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में अनुदानित कितनी शिक्षण संस्थाएं राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर रही हैं ? वर्ष 1983-84 व 1984-85 में इन शिक्षण संस्थाओं को कितनी अनुदान राशि दी गई ?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के संचालन और कार्य प्रणाली को नियन्त्रित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(3) इन शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को पूरा वेतन भुगतान के लिए किस प्रकार निरीक्षण किया जाता है ?

उत्तर

(1) राज्य में निम्न प्रकार से शिक्षण संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है :

निदेशालय प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा

वर्ष	राशि	संस्थाओं की संख्या
1983–84	781–32 लाख	1142
1984–85	680–00 लाख (अनुमानत:)	,,

नोट—मार्च, 85 के अन्त में व्यय का अन्तिमीकरण किया जाता है इसलिये वास्तविक सूचना 31-3-85 के पश्चात ही अंकित की जा सकती है।

निदेशालय कालेज शिक्षा

1983–84	297–77 लाख	46
1984–85	324–59 लाख (अनुमानित)	,,

नोट—मार्च, 85 के अन्त में व्यय का अन्तिमीकरण किया जाता है इसलिए वास्तविक सूचना 31-3-85 के पश्चात ही अंकित की जा सकती है।

निदेशालय संस्कृत शिक्षा

1983–84	55–97 लाख	72
1984–85	46–27 लाख (अनुमानित)	70

नोट:—मार्च, 85 के अन्त में व्यय का अन्तिमीकरण किया जाता है इसलिये वास्तविक सूचना 31–3–85 के पश्चात् ही अंकित की जा सकती है।

योग		
1983-84	1135-06 लाख	1260
1984-85	1050-86 लाख	1258

(2) राजस्थान अनुदान नियम 1963 के नियमों के अन्तर्गत सभी अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के संचालन एवं कार्य प्रणाली को नियन्त्रित करने के प्रावधान हैं। अत: सभी संस्थाओं को इन नियमों की पालना करनी होती है। पालना न करने पर राज्य सरकार इनका अनुदान बन्द / कम करने की कार्यवाही करने में सक्षम है।

राजस्थान अनुदान नियम 1963 के

(श्री शिक्षा मन्त्री)

नियम 4 घ में यह प्रावधान है कि अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को पूरा एवं नियमित वेतन दिया जावे तथा कम वेतन एवं अनियमित वेतन देने पर राज्य सरकार संस्था की प्रबन्धकारिणी को बाध्य कर सकती है कि वे अपने कर्मचारियों को बैंक द्वारा भुगतान करे। राजस्थान अनुदान नियम 1963 के नियम 3 से 6 के अन्तर्गत संस्था के अभिलेखों तथा अन्य निरीक्षण इत्यादि के लिए राज्य सरकार महालेखाकार एवं स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग के अधिकारी अधिकृत हैं जो संस्था के लेखा इत्यादि को नियन्त्रित करते है जिससे नियन्त्रण कार्य समुचित रूप से सम्पादित किया जाता है।

अनुसूचित जनजाति के लोगों की विशेष संस्कृति व जीवन शैली का संरक्षण

33. **श्री अशक अली** (फतेहपुर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अनुसूचित जन जाति के लोगों की विशेष संस्कृति और जीवन शैली की रक्षा के लिए क्या कोई कार्यक्रम प्रवृत्त है ?

(2) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसा कार्यक्रम प्रारम्भ करने का विचार रखती हैं ?

उत्तर

(1) जनजातियों पर शोध कार्य करने तथा उनके विकास संबंधी समस्याओं के अध्ययन के लिये माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर कार्यरत है। संस्थान इनकी विशेष संस्कृति और जीवन शैली के बारे में भी अध्ययन करती है।

संस्थान द्वारा जनजाति संस्कृति के संरक्षण के लिये एक संग्रहालय की स्थापना की गई है तथा इस सम्बन्ध में समय समय पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा भी मीणा, भील आदि जनजातियों की वेश-भूषा, उनके रहन सहन और उनके द्वारा प्रयुक्त वाद्य यन्त्रों को संग्रहालय दीर्घाओं में प्रदर्शित किया जाता है।

जनजाति लोक नृत्यों को प्रोत्साहन देने के लिये आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय स्तर तथा स्थानीय संस्थाओं से भी समन्वय रखती है। इसके अलावा जनजाति के लोक गीतों, भजनों का रिकार्ड कर उनको संग्रहित करने का कार्य भी किया जा रहा है।

राजस्थान संगीत नाटक अकादमी भी कला व संस्कृति के संरक्षण व प्रोत्साहन हेतु गायन-वादन, नृत्य तथा नाट्य शैलियों के कार्यक्रमों का आयोजन करती है जिससे कलाकारों को आर्थिक लाभ भी होता है।

(1) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा भी जनजाति के व्यक्तियों की क्रीड़ाओं से सम्बन्धित प्रशिक्षण शिविर एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।

कार्यक्रम पहले से ही चल रहा है।

भूमि अवाप्ति सम्बन्धी अपीलें

34. **श्री नाथूराम** (मेड़ता)
श्री नारायण राम बेड़ा (भोपालगढ़)
श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या विधि एवं न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि राजकीय अधिवक्ता कार्यालय, जोधपुर ने भूमि अवाप्ति सम्बन्धी 3 अपीलें राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में पेश कीं, जो दिनांक 5-5-1982 को अदम हाजरी में खारिज कर दी गई ?

(3) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त तीनों अपीलों की मालियत लगभग तेरह लाख रुपयों की है ? यदि नहीं, तो कितने की है ?

(3) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त तीनों मामलों में भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर ने अवाप्त की जाने वाली भूमि को राजकीय मानकर उसके उजरदारों की उजरदारी को खारिज कर दिया था एवं जब इन लोगों ने सिविल कोर्ट में इस संबंध में रेफरेन्स किया तब राज्य सरकार की तरफ से कोई उत्तर न प्रस्तुत करने के फलस्वरूप उजरदारों के पक्ष में लगभग तेरह लाख रुपयों की डिक्री पारित कर दी गई ?

(4) यदि हां, तो राज्य कोष को हानि पहुंचाने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध राज्य सरकार कब तक क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा जांच व कार्यवाही की जा रही है।

सीकर नगर में सब्जी मण्डी की व्यवस्था

35. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर नगर में सब्जी विक्रेताओं के लिए सब्जी मण्डी की उचित व्यवस्था नहीं है जिस कारण सब्जी विक्रेताओं को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

(2) क्या सरकार स्टेशन एरिया, जाटिया बाजार और फतेहपुरी गेट पर अलग-अलग तीन सब्जी मण्डियों एवं एक बड़ी केन्द्रीय सब्जी मण्डी बनाने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक सब्जी मण्डियों का निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। एक छोटी सब्जी मण्डी नगर परिषद, सीकर द्वारा सूरजपोल गेट के बाहर बनाई हुई है एवं जाटिया बाजार, फतेहपुरी गेट के पास रिटेल सब्जी मण्डियां बनाया जाना प्रस्तावित है। इनके बन जाने से सब्जी विक्रेताओं की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। कृषि उपज मण्डी समिति सीकर द्वारा भी सब्जी मण्डी के निर्माण की योजना विचाराधीन है।

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

(2) जी हां। उप नगर नियोजक जयपुर द्वारा अनुमोदन होने के पश्चात वित्तीय स्थिति अनुसार निर्माण कार्य करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज जयपुर से मालवीय नगर तक रोड लाइटें

36. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज से मालवीय नगर हाऊसिंग बोर्ड तक रोड लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण प्रतिदिन एक दो दुर्घटनायें होती रहती हैं एवं इन दुर्घटनाओं में कई लोगों को अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क पर रोड लाइटें लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज से मालवीय नगर हाऊसिंग बोर्ड तक रोड लाइटें नहीं लगी हैं।

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण को शीघ्र रोड लाइट की व्यवस्था कराने के आदेश दे दिये गये हैं।

उदयपुर शहर की पाइप लाइन

37. **श्री हरजीराम** (लाडनूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर शहर के विभिन्न मोहल्लों में जल लाइनें नहीं होने के कारण 100 फीट तक मुख्य लाइन से जल कनेक्शन दिये गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन मोहल्लों में जल लाइनों का अभाव है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर शहर में मालदास स्ट्रीट स्थित चपलोत मोहल्ले में भी इसी तरह से मुख्य लाइन से जल कनेक्शन दिये हुये हैं, जिससे उक्त मोहल्ले में जल का प्रेशर तो कम रहता ही है साथ ही जल लाइनों का जाल सा होने के कारण गन्दी नालियों से पानी का बहाव भी रुक गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मोहल्ले में 3 इन्च की लाइन बिछाकर जल सम्बन्ध देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। उदयपुर शहर के लगभग सभी मोहल्लों में पाइप लाइन उपलब्ध है, परन्तु अपवाद के रूप में किसी मोहल्ले में जहां पाइप लाइन तो उपलब्ध है पर उस मोहल्ले की किसी छोटी गली में उपभोक्ता के भवनों से मुख्य पाइप लाइन 100 फुट की दूरी पर स्थित है एवं इन लाइनों से उपभोक्ताओं को जल सम्बन्ध दिये गये हैं। ऐसे मोहल्लों का विवरण निम्न प्रकार से है।

1. सिलावट वाड़ी 2. अलीपुरा 3.

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री)

भुवाणा 4. नागा नगरी, वकील कालोनी, विद्या भवन के पास 6. नागरवाडी 7. मुल्ला तलाई 8. बिच्छु घाटी 9. देलवाड़ा हाउस 10. गणेश कालोनी 11. दण्डपोल के पास मालीवाड़ा 12. चपलोत गली 13. भूत महल 14. धोली बावड़ी की पिल्लु गली 15. नाव घाट के पास बद्रदुजी का दरवाजा 16. मोती चोहट्टा, शिवरती हाऊस 17. आयड़ 18. पहाड़ा 19. माली कालोनी।

(2) जी हां। मुख्य लाइन दूर होने के कारण जल का दबाव कम रहता है, उपभोक्ताओं द्वारा निजी लाइनें, नालियों के ऊपर से ले जाने एवं सफाई कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से सफाई न करने के कारण कभी-कभी नालियों का बहाव अवरुद्ध हो जाता है। विभाग इस मोहल्ले में 3" व्यास की लाइन बिछाने का कार्य आरम्भ कर रहा है। लाइन दो माह में बिछा दी जावेगी। हरबन जी के खुर्रे पर स्थित बावड़ी पर पम्प सेट लगाकर विभाग ने इस मोहल्ले में पानी का दबाव भी बढ़ा दिया है। वर्तमान में इस मोहल्ले में पानी का दबाव 14 पौण्ड प्रति वर्ग इन्च है।

समस्याग्रस्त गांवों को पेयजल सुविधा

38. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितने गांव पेय जल की दृष्टि से समस्याग्रस्त हैं ? इनमें खारे पानी के कितने गांव हैं ?

(2) सन 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84 एवं 1984-85 में क्रमश: कितने गांवों को पेय जल की सुविधा उपलब्ध करवाई गई ?

(3) क्या छठी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर राज्य के समस्त समस्याग्रस्त गांवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि हां, तो उस पर कितना खर्च होगा ?

उत्तर

(1) राज्य में 1971 की जनगणना के अनुसार कुल 24037 ग्राम पेयजल की दृष्टि से समस्याग्रस्त हैं इनमें खारे पानी के 8595 गांव हैं।

(2) सन् 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1981-82, 1982-83 83-84 एवं 1984-85 में क्रमश: 456, 1435, 3028, 3890, 4060, 3516 एवं 2606 (माह फरवरी, 85 तक) गांवों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

(3) जी नहीं। मार्च, 1985 तक कुल 20237 समस्याग्रस्त गांवों में सुविधा दी गयी है तथा 3800 अभी बाकी हैं तथा इन गांवों में कुछ नये समस्याग्रस्त गांवों की सूचना भी आई है।

मालवीय नगर जयपुर में पार्कों का निर्माण

40. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी-बाजार) : क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जयपुर मालवीय नगर हाउसिंग बोर्ड

Page No. 34

(श्री कालीचरण सराफ)

में आवासन मण्डल द्वारा पार्कों के लिए किस-किस सैक्टर में कहां-कहां पर स्थान छोड़े गये हैं ? उन स्थानों पर पार्क बनवाने का कार्य कब तक पूरा करवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निर्मित मालवीय नगर, जयपुर की योजना के सभी सैक्टरों में पार्कों के लिये स्थान छोड़ने का प्रावधान किया गया है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है एवं नक्शे की प्रति संलग्न है।

सैक्टर नम्बर	पार्कों के लिये छोड़े गये स्थानों की संख्या
(1)	तीन
(2)	दो
(3)	छः
(4)	तीन
(5)	तीन
(6)	तीन
(7)	एक
(8)	तीन
(9)	चार
(10)	छः
(11)	तेवीस
(12)	छः
(13)	आठ

हाउसिंग बोर्ड द्वारा पार्क की केवल दीवार बनायी जाती है, जो शीघ्रातिशीघ्र बनाये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

(नक्शे की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

पेयजल सुलभ कराने हेतु विशेष योजना

41. **श्री अशक अली** (फतेहपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार जिन ग्रामों में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है उनमें आगामी पंचवर्षीय योजना में कोई विशेष कार्यक्रम बनाकर पेयजल सुलभ कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

उत्तर

जी हां। सरकार जिन ग्रामों में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है उन सभी गांवों में आगामी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न प्रकार की योजनाओं (क्षेत्रीय, पाइप्ड, पी. एण्ड टी., टी. एस. एस. एवं हैण्ड पम्प) द्वारा पेयजल सुलभ कराने का विचार रखती है।

नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा स्ट्रिप आफ लैण्ड का विक्रय

42. **श्री नाथू राम** (मेड़ता)
श्री बिरद मल (जोधपुर)
श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर)
श्री नारायण राम बेड़ा (भोपालगढ़) :
क्या नगर विकास एवं नगर आयोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने अपनी मीटिंग दिनांक 13-9-1983 में प्रस्ताव संख्या 20 पारित

(श्री नारायण राम बेड़ा)

कर राजस्थान इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट (डिस्पोजल ग्राफ ग्ररबन लैण्ड) रूल्स, 1974 के नियम 23 के ग्रन्तर्गत विक्रय योग्य स्ट्रिप ग्राफ लैण्ड के जोधपुर नगर के लिए बाजार भाव निर्धारित किए हैं ? यदि हां, तो कृपया इस प्रस्ताव की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखें ?

(2) दिनांक 10-6-1981 के पश्चात् नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने उपरोक्त नियम के ग्रन्तर्गत जिन स्ट्रीप ग्राफ लैण्ड का विक्रय किया, उनके संबंध में निम्न सूचनायें ग्रलग-ग्रलग सदन के पटल पर रखें ?

(ग्र) स्ट्रीप क्रेता का नाम व स्ट्रीप का लोकेशन ।

(ग्रा) स्ट्रीप का क्षेत्रफल, विक्रय का भाव एवं न्यास द्वारा लिया गया मूल्य ।

(इ) उपरोक्त दिनांक 13-9-1983 के प्रस्ताव के ग्रनुसार स्ट्रीप के भाव, एवं मूल्य ।

(ई) उपरोक्त दिनांक 13-9-83 के प्रस्ताव में निर्धारित बाजार भाव के लगभग बराबर भाव से न बेच कर बहुत कम भाव से स्ट्रीप को बेचने से हुई न्यास को हानि ।

(3) उपरोक्त स्ट्रीप को उपरोक्त नियम 23 के ग्रनुसार बाजार मूल्य पर न बेच कर, वास्तव में बहुत कम मूल्य पर बेचने से न्यास को जो हानि हुई है, उसकी वसूली सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों से राजस्थान नगर सुधार ग्रधिनियम की धारा 93 (ए) के ग्रन्तर्गत कब तक करली जायगी ? भारतीय दण्ड संहिता के ग्रनुसार उनके विरुद्ध कब क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

(4) उपरोक्त स्ट्रीप ग्राफ लैण्ड के विक्रय के नए नियम कब से लागू हुए हैं ? कृपया उस नियम की प्रतिलिपि एवं उसके ग्रन्तर्गत दी गई स्ट्रीप ग्राफ लैण्ड की सूची मय भाव के सदन के पटल पर रखें ?

उत्तर

(1) जी हां । न्यास प्रस्ताव की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है । परिशिष्ट क, ख व ग ।

(2) दिनांक 10-6-81 के पश्चात् नगर सुधार न्यास जोधपुर द्वारा जिन स्ट्रिप ग्रॉफ लैण्ड का विक्रय किया, उनके संबंध में सूचनायें निम्नानुसार हैं :

सूची सदन के पटल पर रख दी गई है । परिशिष्ट "घ"

सूची सदन के पटल पर रख दी गई है । परिशिष्ट "च"

दिनांक 13-9-83 के प्रस्ताव के ग्रनुसार सन् 1981-82 व 12-9-83 तक दी गयी स्ट्रीप भूमि पर वह मूल्य लागू नहीं किये जा सकते । दिनांक 13-9-83 के पश्चात् दी गयी स्ट्रीप भूमि से सबंधित सूचना सदन के पटल पर रख दी गयी है । परिशिष्ट "घ"

दिनांक 13-9-83 के प्रस्ताव में निर्धारित स्ट्रीप भूमि का मूल्य इससे पूर्व दी गई भूमि पर लागू नहीं किया जा सकता । ग्रत: दि० 10-6-81 के पश्चात् एवं 13-9-83

Page No. 36

(नगर विकास एवं नगर आयोजना मन्त्री)

के पूर्व की भूमि प्रस्ताव सं. 20 द्वारा अनुमोदित दरें लागू कर हानि की गणना करना न्यायोचित नहीं है।

(3) उपरोक्त विवरण के अनुसार न्यास को कोई हानि नहीं हुई है। अत: वसूली संबंधी एवं दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(4) स्ट्रीप ग्राफ लैण्ड के नये नियम दिनांक 24-3-84 से लागू हुए हैं। संबंधित अधिसूचना की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट "ङ"

दिनांक 24-3-84 के बाद जो स्ट्रीप लैण्ड आवंटित हुई है उनकी सूचना परिशिष्ट "घ" में है।

(प्रति एवं सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)।

सालपुरा-छीपा बड़ौद-इकलेरा में बसों की व्यवस्था

43. **श्री प्रताप सिंह** (छबड़ा) :
श्री हरीश (खानपुर) :
श्री जगन्नाथ (मनोहर थाना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि रात्रि शटल ट्रेन पर जिला झालावाड़ में सालपुरा रेलवे स्टेशन पर छीपाबड़ौद, इकलेरा के लिए कोई बस यात्रियों को उपलब्ध नहीं हो पाती है जिस कारण यात्रियों को भारी कठिनाई होती है और रात्रि में पैदल जाने वाले यात्रियों को लूट लिया जाता है ? यदि हां, तो क्या निगम का रात्रि शटल ट्रेन के आगमन के समय में बसों के संचालन की व्यवस्था करने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। कोटा-बारां शटल पर जो 15 अगस्त, 1984 से दमोह तक बढ़ाई गई है, का सालपुरा रेलवे स्टेशन पर मध्य रात्रि 1.00 बजे आगमन होता है, छीपाबड़ौद एवं इकलेरा के लिये कोई बस सेवा उपलब्ध नहीं है।

1 अप्रेल, 1985 से इस रात्रि शटल के यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न प्रकार वाहनें संचालित किया जाना प्रस्तावित है :

क्र. सं. रेल मार्ग	सालपुरा आगमन	निगम वाहन का प्रस्तावित प्रस्थान समय	वाहन का गन्तव्य स्थान
1. कोटा-दमोह	01.00 बजे	01.00 बजे	सालपुरा-छीपा बड़ौद
2. दमोह-कोटा	03.40 बजे	06.00 बजे	सालपुरा-इकलेरा

कोटा-दमोह रात्रि शटल से उतरने वाले यात्रियों को लूटे जाने के बारे में निगम को कोई सूचना नहीं है।

सांगरिया क्षेत्र के अनुसूचित जाति के मोहल्लों में जल व्यवस्था

44. **श्री कृष्ण चन्द्र विश्नोई** (संगरिया) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र सांगरिया के ग्राम ढांवा, मोरजन, जंडवाला, हरीपुरा माखरावाली में जल वितरण किया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि इन ग्रामों के अनुसूचित जाति के मोहल्लों में पाइप लाइन नहीं डाली गई है ?

(3) यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक इन मोहल्लों में लाइन डाल दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। इन सभी ग्रामों में हरिजन बस्तियों में पाइप लाइन योजनाओं में लिये गये प्रावधान के अनुसार योजना निर्माण के समय ही डाली गई है।

(3) शेष हरिजन बस्तियों में बजट उपलब्धि के अनुसार पाइप लाइन डलवादी जावेगी।

नगरपालिकाओं में स्टाफ की भर्ती

45. **श्री जयकिशन तोसावड़ा** (दूदू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य की नगरपालिकाओं में स्टाफ की भर्ती के लिये पूर्व में विज्ञापन जारी किये गये थे ? यदि हां, तो कब कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि विज्ञापनों के तहत प्राप्त हुए आवेदन पत्रों को निरस्त कर दुबारा विज्ञापन जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार दो या तीन बार विज्ञापन-जारी करने से अभ्यर्थियों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है ? प्रत्येक विज्ञापनों से कितनी आय हुई है ?

(4) क्या यह भी सही है कि निर्धारित फार्म्स की कीमत अनु. जाति/अनु. जन जाति के अभ्यर्थियों से भी अन्य वर्ग के अभ्यार्थियों के अनुरूप ही ली गयी है जबकि नियमानुसार, चौथाई राशि ली जानी चाहिए थी ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1970, 1971, 1972, 1975, 1976, 1980 व 1984 में राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा की विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किये गये थे।

(2) जी नहीं। केवल विज्ञापन संख्या 6, वर्ष 1980 जिसमें पांच जिलों की नगरपालिकाओं के लिए विज्ञापन प्रसारित किया गया था, को प्रशासनिक कारणों से निरस्त किया गया था।

(3) जो विज्ञापन जारी किये गये उन पर पंचायत एवं नगरपालिका अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन आयोग द्वारा

(स्वायत्त शासन मन्त्री) :

कार्यवाही की गई। केवल 1980 के विज्ञापनों पर जो आवेदन पत्र प्राप्त हुए, उन पर प्रशासनिक कारणों से कार्यवाही नहीं हुई। अभ्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया गया। केवल आवेदन-पत्र की कीमत ली गई थी। आयोग द्वारा आवेदन-पत्र नगरपरिषद/पालिकाओं के माध्यम से विक्रय कराये गये थे, अभी तक वहां से पूर्ण हिसाब प्राप्त नहीं हुआ है; इसलिए इनसे प्राप्त आय के बारे में कहा जाना अभी संभव नहीं है।

(4) विज्ञापन संख्या 7/84 के अन्तर्गत सभी प्रत्याशियों को आयोग द्वारा आवेदन-पत्र एक निश्चित राशि पर विक्रय किया गया था, कोई शुल्क नहीं लिया गया था। ऐसी छूट शुल्क में दी जाती है। आवेदन-पत्र की कीमत में छूट दिये जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

जोधपुर ग्राम की रिक्त सम्बन्धित भूमि से राजीनामा

46. **श्री नाथूराम** (मेड़ता)
श्री बिरद मल (जोधपुर)
श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर)
श्री नारायण राम बेड़ा (भोपाल गढ़) : क्या नगर विकास एवं नगर आयोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने सक्षम अधिकारी, नगर संकुलन, जोधपुर को जोधपुर ग्राम के खसरा संख्या 513/1, 513/3 व 513/10 से सम्बन्धित एक राजीनामा में नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने उपरोक्त राजीनामा करने वाले व्यक्तियों को 20,000 वर्ग गज के लगभग 45 एक्सचेन्ज डीड जुलाई, 1983 में दिए जिनके प्रथम पैरा में इन व्यक्तियों ने अपने आप को उपरोक्त 91 बीघा भूमि का एब्सोल्युट आनर दर्शाया ?

(2) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त एक्सचेन्ज डीड निष्पादन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत सीलिंग से अधिक आबादी की उपरोक्त प्रथम पैरा की भूमि आती है जिसके लिए उन्हें इस अधिनियम की धारा 6 (1) के अनुसार रिटर्न भरना अनिवार्य था परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया जो दण्डनीय है ?

(3) उपरोक्त अवैध एक्सचेन्ज डीड निरस्त करने एवं दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने के लिए राज्य सरकार ने अब-तक उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) इस भूमि के बारे में न्यायालय में विवाद चल रहा है। न्यायालय के निर्णय होने के पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी।

राजसमन्द सर्किल में तैनात पटवारियों की जबरन सेव मुक्ति

47. **श्री हरजी राम** (लाडनू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No. 39

(श्री हरजीराम)

(1) तहसील राजसमन्द सकिल में तैनात किन-किन पटवारियों को वर्ष 1974 से अब तक किन-किन आरोपों के कारण जबरन सेवा मुक्त किया गया ? कृपया नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जबरन सेवा मुक्त पटवारियों के विरुद्ध लगाये गये मामले न्यायालयों से निर्णीत हो गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन पटवारियों को न्यायालय ने दोषमुक्त माना है ? कृपया नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये जाने के उपरान्त किन-किन पटवारियों को सेवा में अभी तक नहीं लिया गया और किन कारणों से ? अब कब तक उन्हें सेवा में ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील राजसमन्द में वर्ष 1974 से अब तक निम्न पटवारियों को राजस्थान सेवा नियम 244 (2) के तहत 25 वर्ष का सेवाकाल या 50 वर्ष की उम्र पूर्ण करने पर अनिवार्य सेवा निवृत्त किया गया।

1. श्री गोर्धनलाल दायमा

2. श्री देवराज मेहता

(2) उक्त अनिवार्य सेवा निवृत्ति के विरुद्ध न्यायालय में कोई भी मामला दायर नहीं किया गया है।

(3) जब न्यायालय में मामला दायर ही नहीं हुआ तो प्रकरण विचाराधीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

जिला बाड़मेर में स्वीकृत जलदाय योजनायें

48. श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में वर्ष 1984-85 में कौनसी जलदाय योजनाएं (नई अथवा रिवाइज्ड) स्वीकृत की गई तथा प्रत्येक पर कितनी राशि स्वीकृत की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं में किस-किस का कार्य आरंभ कर दिया गया तथा कब तक पूर्ण होने की आशा है ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूची परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें।)

कृषि फार्मों की बिक्री से हानि

49. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार द्वारा तीन कृषि फार्म सूरतगढ़, जैसलमेर, बीकानेर के महाजन में तीन केन्द्रीय कृषि फार्मों की क्या कीमत आंकी गई है ?

(2) क्या इन फार्मों पर केन्द्र सरकार ने कब्जा कर रखा है तथा राज्य सरकार

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

को देय किसी भी प्रकार का धन केन्द्र सरकार द्वारा अब तक नहीं दिया गया है ?

(3) क्या ये कृषि फार्म केन्द्र सरकार को देते समय कोई समझौता या सहमति हुई है ? यदि हां, तो कृपया प्रति सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि बहुत ही कम कीमत पर यह फार्म केन्द्र सरकार को बेचना स्वीकार कर लिये जाने के कारण राज्य को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा सूरतगढ़, सरदारगढ़ एवं जैतसर के केन्द्रीय कृषि फार्मों की कीमत 36 करोड़ रुपये आंकी गई है। महाजन क्षेत्र में कोई केन्द्रीय कृषि फार्म नहीं है।

(2) सूरतगढ़, सरदारगढ़ एवं जैतसर फार्म की केन्द्रीय सरकार को बिक्री करने पर कब्जा दिया जा चुका है। केन्द्र सरकार से उक्त दोनों फार्मों के 36 करोड़ रुपये राज्य सरकार को प्राप्त हो चुके हैं।

(3) जी हां।

विक्रय दस्तावेज (Sale deed) की प्रति संलग्न हैं।

(4) जी नहीं।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें।)

मावली–उदयपुर सड़क पर अवैध निर्माण

50. **श्री हरजी राम** (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मालवी जिला उदयपुर में मावली-उदयपुर रोड़ पर स्थित आराजी नम्बर 1601 में अवैध निर्माण को विध्वंस करने के आदेश दिनांक 14-9-1983 को दिये गये थे ? यदि हां, तो अब तक इस मामले में क्या प्रगति हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि, उक्त अवैध निर्माण को अभी तक विध्वंस नहीं करने के कारण आराजी नं. 1602 पर भी अवैध निर्माण को बढ़ावा मिला है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध से राज्य सरकार कब तक शीघ्र कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, आ. नं. 1601 में अवैध निर्माण को विध्वंस करने के आदेश दिनांक 14-9-83 को दिये गये। इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी श्री मोतीलाल द्वारा जिलाधीश उदयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 19-3-85 को स्वीकार की जाकर तहसीलदार को निर्देश दिये गये कि इस निर्माण को कृषि विकास की श्रेणी में माना जावे तथा प्रीमियम पेनल्टी यदि कोई देय हो तो अपीलार्थी से वसूल की जावे।

(2) जी नहीं।

Page No. 41

(41)

जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था

51. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (किशनपोल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है ? यदि हां, तो नगर परिषद् द्वारा सफाई व्यवस्था के लिए क्या योजना प्रस्तावित है।

(2) नगर परिषद् जयपुर में कुल कितने कमिश्नर, सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं और उन पर वार्षिक कितना व्यय किया जाता है ?

(3) नगर परिषद् के पास सफाई कार्य में काम आने वाली कितनी गाड़ियां हैं और सफाई कर्मचारियों को सफाई कार्य के लिए क्या क्या सामान उपलब्ध कराया जाता है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सर्विस लेन को साफ रखने तथा कूड़ा शीघ्रता से हटाने हेतु और अधिक प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

(2) नगर परिषद, जयपुर में कुल 6 कमिश्नर कार्यरत हैं व 4,832 नियमित सफाई कर्मचारी तथा 1,154 दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। इन पर कुल वार्षिक व्यय 4, 30, 12, 860/-रुपये किया जाता है।

(3) नगर परिषद, जयपुर के पास सफाई कार्य के लिए कुल 62 गाड़ियां हैं व एक मेकेनिकल स्वीप भी लगा हुआ है तथा एक और लिया जा रहा है तथा समय समय पर ट्रैक्टर्स भी किराये पर लेते हैं। सफाई कर्मचारियों को सफाई कार्य के लिए हाथ गाड़ियां, फावड़े, पंजे, नारियल की झाड़ू, पन्नी की झाड़ू गटर की चाबी, टोकरी, परात, बांस की खपच्ची, गटर उण्डा सेट, गैस नाशक फोस्टेड बॉक्स, गटर सफाई मशीन आदि सामान उपलब्ध कराया जाता है।

जयपुर शहर की गटर व सिविर लाइन

52. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर-ग्रामीण) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में प्राधिकरण क्षेत्र व नगर परिषद् क्षेत्र में किन किन स्थानों पर किस किस नाप की गटर लाइनें व सीविर लाइन डाली हुई हैं ? कृपया क्षेत्रों के नाम व उनमें डाली गई सिविर लाइन, गटर लाइन का नाप व कितनी लम्बाई के क्षेत्र में है, का विवरण सदन पटल पर रखें।

(2) क्या जयपुर शहर में जहां छोटी गटर लाइनें डाली हुई हैं वे अधिक दबाव के कारण अक्सर खराब व भरी रहती हैं जिसके परिणाम स्वरूप गन्दगी सड़कों पर बहती रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिन स्थानों पर छोटी गटर लाइन डाली हुई हैं वहां बड़ी गटर लाइन डालने का विचार करती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में डाली गई सीवर लाइनों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) जयपुर शहर के सीवर लाइन कई स्थानों पर कभी कभी चौक हो जाती हैं। उनको नगर परिषद जयपुर एवं जयपुर विकास प्राधीकरण के द्वारा सफाई एवं मरम्मत की जाती हैं। जहां सीवर लाइन छोटी माप की होती है वहां उचित माप की पाइप लाईन डाले जाने के प्रस्ताव पर धन की उलब्धता एवं तकनीकी उपयुक्तता के अनुसार विचार किया जाता है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें।)

पंचायत समिति बस्सी में 132 के. वी. ग्रिड स्टेशन

53. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(2) विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई सही मिले इसके लिये क्या जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी में 132 के.वी.ग्रिड स्टेशन बनाया जाना आवश्यक है ? यदि हां, तो इसके निर्माण में अनावश्यक विलम्ब का क्या कारण है ?

(2) क्या यह भी सही है एस.पी.ए. स्कीम, जो पंचायत समिति बस्सी के लिये स्वीकृत थी उसमें प्रस्तावित 33 के. वी. ए. सब ग्रिड स्टेशन कचौलिया व रामसिंह पुरा नहीं बनाने से विद्युत उपभोक्ताओं को सही वोल्टेज नहीं मिलते ? यदि हां, तो क्या सरकार विद्युत उपभोक्ताओं की समस्या के निराकरण के लिये इस दिशा में पहल करेगी ?

उत्तर

(1) विद्युत व्यवस्था में सुधार एवं भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए पंचायत समिति बस्सी में 132 के. वी. का ग्रिड सब स्टेशन बनाये जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह कार्य सप्तम पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित किया जा रहा है।

(2) पंचायत समिति बस्सी के पश्चिमी भाग की एस.पी.ए. योजना में सम्मिलित गांवों का भार वहन करने हेतु कचौलिया पर 33/11 के.वी. सब स्टेशन का निर्माण प्रस्तावित है। इस क्षेत्र के अभी 6 नये ग्रामों का विद्युतिकरण किया गया है। कचोलिया तथा इसके आसपास के अन्य ग्रामों का विद्युतिकरण अभी किया जाना है। आगामी वर्षों में इस क्षेत्र के अन्य ग्रामों के विद्युत्तिकरण के साथ भार वहन करने हेतु कचौलिया पर 33/11 के. वी. सब स्टेशन का निर्माण कर दिया जावेगा। वर्तमान में सीमित वित्तीय साधनों की उपलब्धि एवं क्षेत्र में भार को देखते हुए कचोलिया पर सब स्टेशन निर्माण करवाया जाना सम्भव नहीं है। रामसिंहपुर पर 33/11 के. वी. सब स्टेशन का निर्माण उक्त योजना में सम्मिलित नहीं है।

बनास नदी से लिफ्ट सिंचाई

54. **श्री नाथूसिंह** (टोडारायसिंह) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील देवली जिला टोंक में बनास नदी के डाबर ग्राम डाबर कलां पंचायत मालेड़ा में क्या सरकार द्वारा लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु कोई सर्वे करवाया गया

Page No. 43

(श्री नाथूसिंह) था ? यदि हां, तो कब ? कृपया सर्वे रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) इस सम्बन्ध में अब तक, क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) सरकार इस योजना को कब तक लागू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

जिला झालावाड़ में पनवाड़ से धुलेट सड़क की मरम्मत

55. **श्री प्रतापसिंह** (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि झालावाड़ में पनवाड़ से धुलेट सड़क जर्जरित अवस्था में होने के कारण यातायात के काबिल नहीं है ? यदि हां, तो इसकी कब तक मरम्मत करा दी जायेगी ?

उत्तर

झालावाड़ जिले में पनवाड़ से धुलेट सड़क कच्ची है। जिसको वर्षा ऋतु के बाद यातायात के काबिल कर दिया गया है। इस सड़क पर यातायात चालू है। यह सड़क खानपुर धुलेट सड़क का ही हिस्सा है। जिसके निर्माण की भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के तहत 35.66 लाख रु. की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है इस स्वीकृति के तहत पूरे 20 कि. मी. लम्बाई में मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा ग्रेवल व मिट्टी तुड़ाई का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। योजना मद में 30 लाख रुपये की एक और स्वीकृति प्राप्त हुई है जिससे इस सड़क का डामरीकरण करवाया जा सकेगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री ग्यारसी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से टौंक जिले के शहरी क्षेत्रों में दुकानों का आवंटन करने में अनियमितता के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरीश शर्मा, सदस्य विधान सभा की ओर से खानपुर तहसील में सीलिंग के अन्तर्गत अधिगृहित भूमि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आवंटन न करने के बारे में।

(3) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नर्सेज एवं ट्रेन्ड नर्सेज की मांगों को सैद्धान्तिक रूप से मान लेने के पश्चात भी मांगें स्वीकार न करने से असन्तोष।

(4) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधानसभा की ओर से उच्च माध्यमिक स्कूल निमालो को वहां के सरपंच द्वारा ताला लगा देने के बारे में।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री किरोड़ी लाल मीणा, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम खेड़ला में 24-3-85 को डकैती के मामले पर कार्यवाही न करने के बारे में।

(6) श्री नवरंग सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से कस्बा नवलगढ़ में एक नीम हकीम द्वारा गलत इन्जेक्शन देने से एक व्यक्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में।

(7) श्री हरलाल सिंह खर्रा, सदस्य विधान सभा की ओर से श्री माधोपुर नगर में जल व पानी की सप्लाई में व्यवधान के सम्बन्ध में।।

(8) सुश्री पुष्पा जैन एवं श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुलिस अधीक्षक, बीकानेर द्वारा अधीनस्थ अधिकारी की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार के बारे में।

(9) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान स्टेट लाटरी के 86 वें ड्रा में अनियमित कार्यवाही के बारे में।

(10) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 7-3-85 को रावत भाटा में पैट्रोल पम्प से सलूम्बर राव द्वारा पेट्रोल भरवाने के बाद पैसे न देने व नौकर पर गोली चलाने के बारे में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है और सूचना प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले में पांच वर्षों का लगान एक मुश्त वसूल किये जाने के बारे में।

इस विषय पर चर्चा हो चुकी है अतः प्रस्ताव पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति भी नहीं होगी।

(2) श्री चम्पालाल बांठिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से पचपदरा के विभिन्न ग्रामों में ओरी व निमोनियां का प्रकोप के बारे में।

इस विषय पर दिनांक 25-3-85 को वक्तव्य हो चुका है अतः प्रस्ताव पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

(1) श्री मानिकचन्द सुराणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर जिले के गांवों में अभावग्रस्त घोषित करने के बावजूद अकाल राहत कार्य न खोलने के बारे में।

(2) श्री बिरदमल सिंघवी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर नगर में पेयजल की सप्लाई बन्द होने के बारे में।

(3) श्री उम्मेदसिंह, श्री गंगाराम चौधरी और श्री अब्दुल हादी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले की जलदाय योजनाओं से ग्रामों को जल प्रदाय न करने के बारे में।

(4) श्री नत्थीसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से कुम्हेर, भरतपुर और डीग तहसील के पूरे तालाब व पोखरों में पानी के अभाव के सम्बन्ध में।

Page No. 45

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री शिवचरण सिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से करौली शहर में पानी का अभाव और ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्ड पम्प खराब होने के बारे में।

(6) श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर तहसील के ग्रामों में पेय जल समस्या और अकाल राहत कार्य शुरू न करने के बारे में।

(7) श्री भगराज चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से आहोर तहसील के कुछ गांवों की जनता और पशुओं को पानी की अपर्याप्त सप्लाई के सम्बन्ध में।

(8) श्री लक्ष्मी नारायण किसान, सदस्य, विधान सभा की ओर से फुलेरा तहसील के कुछ गांवों में पानी का संकट होने के बारे में।

इन स्थगन प्रस्तावों में उल्लेखित विषयों पर दिनांक 27-3-85 को वक्तव्य निर्धारित किया हुआ है। अतः मैं इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को अपने विचार वक्तव्य के समय रखने की अनुमति होगी।

(1) श्री डूंगरराम पंवार, सदस्य, विधान सभा की ओर से, ग्राम टीबी से सांगरिया सड़क पर बने पुल टूट जाने और उसकी मरम्मत न करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री शोपतसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से हनुमानगढ़ नगर परिषद् के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखे जाने के बावजूद भी उन्हें नहीं हटाने के बारे में।

(3) श्री हरिकुमार औदिच्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से खनिज अभियन्ता बून्दी द्वारा ठेकेदार को राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र खरीदने के लिए बाध्य करने के बारे में।

(4) श्री केदारनाथ, श्री शोपत सिंह और श्री रामचन्द्र, सदस्य, विधान सभा की ओर से चार कपड़े के कारखाने बन्द होने से सैंकड़ों मजदूर बेकार होने के सम्बन्ध में।

(5) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से किशनपोल बाजार जयपुर में एक दुकान में आग लग जाने व उसे बुझाने में अत्यधिक विलम्ब के बारे में।

(6) श्री नारायण राम बेड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अकालग्रस्त घोषित गांवों की वसूली स्थगित होने के आदेश देने के बावजूद भी वसूली सख्ती से करने के बारे में।

(7) श्री रघुवर दयाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गोविन्दगढ़ कस्बे में पीने के अयोग्य पानी की सप्लाई और पानी की टंकी के गिरने की आशंका के सम्बन्ध में।

(8) श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से नोखा तहसील में को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा वसूली के बारे में।

(9) श्री अब्दुल अजीज, सदस्य, विधान सभा की ओर से 100 बीघा तक के काश्तकारों को कुओं पर बिजली कनेक्शन देने के बारे में।

ये सभी स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। अतः मैं इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राज्य सरकार से निम्न स्थगन प्रस्तावों के बारे में सूचना प्राप्त हुई है :--

(1) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिरपोई माध्यमिक विद्यालय के क्रमोन्नति के आदेश निरस्त करने से हड़ताल के सम्बन्ध में । राज्य सरकार ने सूचना दी है कि गलती से दो बार दिनांक 28-10-84 व 18-11-84 को क्रमोन्नति के आदेश दिये गये और बजट आवंटन के आदेश भी 16-1-85 व 24-1-85 को दिये गये । 24-1-85 का बजट आवंटन आज भी प्रभावित है और हड़ताल 22-3-85 को समाप्त हो गई तथा विद्यालय खुल गया है ।

(2) श्री रामचन्द्र, सदस्य, विधान सभा की ओर से दीगोद कस्बे में दो सम्प्रदायों के बीच तनाव के बारे में । सरकार ने सूचना दी है कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है और बाजार पूरी तरह खुले हैं । धारा 144 24-3-85 तक ही लागू थी । वरिष्ठ जिलाधिकारी पूर्ण तया सजग हैं व शान्ति कायम रखने हेतु प्रयत्नशील हैं ।

(3) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर नगर में 7-3-85 को पारस नामक लड़के की हत्या के बारे में । राज्य सरकार ने सूचना दी है कि अभियोग धारा 302 के अन्तर्गत 7-3-85 को पंजीबद्ध कर लिया गया है और पुलिस अधीक्षक स्तर पर अनुसन्धान जारी है ।

श्री सी. पी. जोशी का भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है ।

इन स्थगन प्रस्तावों पर प्राप्त उत्तर संतोषप्रद है । अतः मैं इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किये हैं वह कृपया अपने स्थगन प्रस्तावों पर, जैसे मैं नाम पुकारूंगा दो-दो मिनट अपने विचार रखेंगे ।

श्री डूंगर राम :

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव पर 27 की जगह 28 को वक्तव्य दिला दें, 27 को हम होंगे नहीं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय, सदस्य, मेरी मजबूरी है । 27 को वक्तव्य है इसीलिए मैंने आपका स्थगन प्रस्ताव उसके साथ जोड़ दिया ।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिया था....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें, माननीय सदस्य, मैं नाम पुकारूंगा ।

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) : मेरा नाम पुकारा है ।....

श्री शोपत सिंह : पाइंट आफ क्लेरीफिकेशन ।

श्री अध्यक्ष : एक-एक करके ।

श्री शोपत सिंह : अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न कौन से हैं, इसका मापदंड क्या है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री शोपत सिंह : हड़ताल चल रही है, मजदूर हड़ताल पर हैं....।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप उस पर बोलेंगे। मैंने आपका स्थगन प्रस्ताव लिया है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट मेरी सुनिये। बीकानेर के पुलिस अधीक्षक ने अपने अधीनस्थ कर्मचारी की पत्नी के साथ....

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जायें, मैंने व्यवस्था दे दी इस पर।

श्री यदुनाथ सिंह : व्यवस्था यह दी है कि जानकारी के लिए भेजा है। सरकार को पूरी जानकारी है। इस तरह की शर्मनाक घटना हुई है, पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ कर्मचारी की पत्नी के साथ बलात्कार का प्रयास करे, अध्यक्ष महोदय, स्वयं सरकार को सामने आना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कोई जानकारी नहीं आयेगी। इन पुलिस अधीक्षक महोदय के पिछले कारनामे भी ऐसे रहे हैं। आप सरकार को पाबन्द करें। आप सोचें, एक पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ कर्मचारी की पत्नी से बलात्कार का प्रयास करे, अध्यक्ष महोदय, इस पर सरकार की ओर से वक्तव्य आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने स्थगन प्रस्ताव में किसी अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाये हैं उसकी मुझे कोई जानकारी तो प्राप्त करने दीजिए कि असलियत क्या है। उससे पहले निर्णय कैसे होगा।

श्री यदुनाथ सिंह : सरकार को जानकारी हाथ के हाथ देनी चाहिए। पुलिस में बगावत की नौबत आयेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया एक-एक करके बोलें। स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : जहां तक मुझे जानकारी है, राज्य सरकार के पास जानकारी आ चुकी है। जिला मुख्यालय से कलेक्टर ने एक रिपोर्ट जयपुर भेजी है। आपको राज्य सरकार से वक्तव्य दिलाना चाहिए। लोगों में वहां बड़ा असन्तोष है।....

श्री यदुनाथ सिंह : पुलिस का आदमी बलात्कार का प्रयास करे और....

श्री देवीसिंह भाटी : यह गुण्डागर्दी....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन पांव पर है।

श्री रमजान खां (पुष्कर) : मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है उस पर बोलने की इजाजत नहीं दी है। अस्पताल में डाक्टर नहीं हैं, दवाइयां नहीं हैं।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No. 48

(48)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें, नियमों का पालन करें। इस सदन की गरिमा को बनाये रखने की जिम्मेदारी केवल अध्यक्ष की ही नहीं है, माननीय सदस्यों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। मैं माननीय सदस्यों से अपेक्षा करता हूं कि सदन की गरिमा आप बनायें। निश्चित रूप से आप सहयोग करें। माननीय सदस्य, श्री डूंगरराम।

सुश्री पुष्पा जैन : पाइंट आफ इंफार्मेशन।

श्री यदुनाथ सिंह : यह सदन की गरिमा तो हम बनाये रखेंगे। हम मजबूर हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अविलम्बनीय लोक महत्व के मुद्दों पर राज्य सरकार को जानकारी देनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न का महत्व समझकर ही उसे आज अस्वीकार नहीं किया है।

श्री मानिक चन्द सुराना : डायरेक्टर जनरल ने आदेश दिया था कि एस. पी. तत्काल चार्ज देकर जयपुर आ जायें, उसके बावजूद उनको चार्ज देने से रोका गया। इस सम्बन्ध में आज तीन बजे सरकार से वक्तव्य दिलायें।

श्री अध्यक्ष : आप नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन पांव पर है। माननीय सदस्य, आपके प्रश्न के महत्व को देखते हुए मैंने आज अस्वीकार नहीं किया है। मैंने अभी मौका रखा है। उस पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। जो घटना हुई है, जो बात आपने बताई है, जिस प्रकार की घटना आपने बताई है वह निश्चित रूप से निन्दनीय है। लेकिन इस पर निर्णय करने से पूर्व मुझे कुछ जानकारी लेना जरूरी होगा कि इसमें क्या तथ्य हैं, क्या नहीं हैं। तभी मैं निर्णय कर सकता हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : राज्य सरकार की जानकारी में आ गया है। तीन बजे वक्तव्य दिलायें।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री यदुनाथ सिंह : पूरे राज्य के लिए शर्मनाक बात है। इस पर आप वक्तव्य दिलाने की व्यवस्था करें। डायरेक्टर जनरल ने एस. पी. को चार्ज देकर जयपुर रवाना होने के आदेश दे दिये थे यह आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, गृह मंत्री के प्रभाव से उनको रोका गया। जब एस. पी. बलात्कार का प्रयास करेगा तो सिपाही बलात्कार क्यों नहीं करेगा। इस घटना पर आज तीन बजे वक्तव्य दिलवाना चाहिए।

श्री शोपत सिंह : यह बीकानेर में जो कुछ हो रहा है, मिलिट्री के सिपाहियों के द्वारा और एस. पी. द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी की पत्नी के साथ बलात्कार की कोशिश, यह हो क्या रहा है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी हालत के अन्दर हम चुप नहीं रह सकते हैं। यह हालत क्यों हो रही है? आज ही वक्तव्य आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोल चुके हैं, अपनी बात कह चुके हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : पाइंट आफ इन्फार्मेशन ।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : एस. पी. रैंक का आदमी, जिले का अफसर अपने साथी पुलिस अफसर की पत्नी के साथ बलात्कार करने की कोशिश करे और सरकार आज वक्तव्य नहीं दे, सरकार की जानकारी....

सुश्री पुष्पा जैन : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है, 23 तारीख की घटना है, एस. पी. को जयपुर के लिए बुला लिया गया । चार्ज देकर आई. जी. ने बुलाया और स्वयं गृह मंत्री ने आदेश....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

सुश्री पुष्पा जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा शर्मनाक घटना हो नहीं सकती....

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : सरकार अब तक सामने नहीं आये, मेरी समझ में नहीं आता । ऐसी सरकार को फौरन इस्तीफा देना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य,....

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : ऐसी सरकार को फौरन इस्तीफा देना चाहिए । टर्मिनेट करें एस. पी. को ।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : रक्षक ही भक्षक हो जायेगा तो....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : यह लज्जा की बात है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

सुश्री पुष्पा जैन : इतना बता दें कि सरकार आज इस पर बयान देगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, अभी बयान का तो मैंने निर्णय ही नहीं लिया है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। इस प्रश्न पर जो सदन में माननीय सदस्यों को रोष और उत्तेजना है मैं उसको समझ सकता हूं और उसी दृष्टि से मैंने कहा था कि मैंने इसमें जानकारी मांगी है। जिन-जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं वह कृपया मुझ से मेरे चैम्बर में बात कर लें, इस पर क्या व्यवस्था तत्काल हो सकती है उस सम्बन्ध में चर्चा कर लेंगे।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री डूंगरराम।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक एडीशनल एस. पी. अपने एस. पी. के खिलाफ शिकायत करता है और उस एस. पी. को यहां बुलाया जाता है, उस एस. पी. को फौरन गिरफ्तार करना चाहिए....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज....

श्री शोपत सिंह : उस एस. पी. को फौरन गिरफ्तार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री शोपत सिंह : सरकार को क्या पूछना चाहते हो? वह एस. पी. फौरन गिरफ्तार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : उस एडीशनल एस. पी. ने रिपोर्ट लिखाई है।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि मुख्य मंत्री जी को यह पूरी इत्तला है या नहीं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, सदन के नेता महोदय। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सदन में अभी दी गई है उसको मैंने भी सुना है मगर फैक्ट्स को वैरीफाई किये बगैर मैं सदन के सामने कुछ भी कहूं वह ठीक नहीं होगा। जैसा आपने कहा है, मैं भी अधिकारियों को, सम्बन्धित व्यक्तियों को बुला रहा हूं, बुला करके उनसे बात करने पर ही मैं इस सम्बन्ध में कुछ कह सकूंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : कब तक?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : यह बात तो मानने योग्य है नहीं कि मुख्य मंत्रीजी ने सदन में चर्चा होने के कारण यह बात सुनी है। मैं ऐसा समझता हूं, मुख्य मंत्रीजी भी जानते हैं। उस अधिकारी का आपने स्थानान्तरण भी कर दिया था और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बाद में आपने स्टे किया है। मुख्य मंत्रीजी यह भी जानते हैं कि एडीशनल एस. पी., जिसकी पत्नी के साथ यह घटना हुई है, दो दिन से जयपुर में हैं और माननीय मुख्य मंत्री यह भी जानते हैं कि आपको डी. आई. जी. और डी. जी.. दोनों ने रिपोर्ट की है।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य की सूचना में कुछ फर्क है। न तो मुझे डी. जी. ने कोई सूचना दी और न डी. आई. जी. ने दी।

श्री शोपत सिंह : और भी दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसे मसले में डी. जी. आपको डार्क में रखते हैं, ऐसे डी. जी. को आप फौरन निकालिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज....

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, सदन के नेता महोदय को सुनिये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, सदन के नेता महोदय कुछ कहना चाहते हैं। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। मुख्य मन्त्री। आसन पावों पर है, माननीय सदस्य। मुख्य मन्त्रीजी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं। वह यह है कि मैं एक पार्टी का नेता हूं और इस कारण सदन का भी नेता हूं ? उन्हें मुझे भी कम से कम सुनना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह: मुख्य मन्त्री हैं....

श्री हरिदेव जोशी : मुख्य मन्त्री के नाते ही सदन का नेता हूं। तो अध्यक्ष महोदय, जिस गम्भीरता से माननीय सदस्य कहते हैं उसी गम्भीरता से मुझे भी सुनना चाहिए, यह मेरी प्रार्थना है। इसके साथ ही साथ उनके माननीय नेताओं से मेरी प्रार्थना है कि वह अपने सदस्यों से निवेदन करें कि सदन के नेता को उचित सम्मान दें।

अनेक माननीय सदस्य : पूरा सम्मान है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो केवल जनता की भावनाओं को सम्मान दे दें, हम आपको सम्मान दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी माननीय सदस्यों को मिली है वह मुझे भी मिली है। क्योंकि मैं अभी सदन में आया हूं इसलिये मैं दोनों पक्षों की बात नहीं-सुन सका हूं। मुझे जानकारी नहीं है इसलिए ऐसे मसले के ऊपर मैं गवर्नमेंट का स्टेटमेंट दूं, इमीजियेटली कुछ कह दूं वह उचित नहीं होगा। आप समय निर्धारित कर दें। उसके बाद में सारी चीजों को

(श्री हरिदेव जोशी)

समझकर आपके सामने और सदन के सामने आ जाऊंगा।

अनेक माननीय सदस्य : आज ही 3 बजे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे आपत्ति नहीं होगी आज समय निर्धारण करने में, लेकिन आपको स्वयं मालूम है कि आज साढ़े तीन बजे सरकार का जवाब होना है, साढ़े चार बजे वोट आन अकाउन्ट है। इसको देखते हुए अगर माननीय सदस्य अपने भाषणों में और बोलने में कमी करने के लिए तैयार हैं तो समय से पूर्व यह ढाई बजे हो जाये।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे आज सदन में स्टेटमेंट देना है। यहां पर रिप्लाई देना है। माननीय सदस्य इतनी देर से बोल रहे हैं, मैं देख नहीं सका हूं कि क्या क्या पाइन्ट्स हैं। तो मेरा रिप्लाई होगा...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रिप्लाई के बाद में आप जवाब दे दें।

श्री हरिदेव जोशी : रिप्लाई के बाद दे दूंगा लेकिन रिप्लाई के बाद मुझे आधा घंटा तो चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आफिशियल मशीनरी काम कर लेगी इसमें आपको क्या है।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं, मैं आफिशियल मशीनरी पर आधारित नहीं रहना चाहता। इसलिए बेहतर यह होगा कि आज की कार्यवाही पूरी हो जाये और मुझे आधा घंटा मिल जाये उसके बाद मैं इस पर निवेदन कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : आज की कार्यसूची में साढ़े तीन बजे सरकारी रिप्लाई है, साढ़े चार बजे वोट आन अकाउन्ट के ऊपर स्टेटमेंट है। रिप्लाई के और उसके बीच में 15 मिनट का गैप भी देना पड़ेगा क्योंकि उसमें कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है। उस रिप्लाई के बाद स्टेटमेंट आफ अकाउन्ट और वोट आन अकाउन्ट का प्रजेन्टेशन है। उसके बाद माननीय मुख्य मन्त्रीजी इसके ऊपर अपना वक्तव्य दे दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि फेग एण्ड पर आप रख रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं निकाला जाये कि माननीय सदस्य कुछ बात कह नहीं सकें और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाये।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं, मुझे इसमें कहीं वो नहीं है। मुझे तो जो समय चाहिए वह समय दे दीजिए, बस।

श्री अध्यक्ष : आसन पर इतना विश्वास तो होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आसन पर तो विश्वास है।

अनेक माननीय सदस्य : पूर्ण विश्वास है।

श्री अध्यक्ष : श्री डूंगर राम

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैंने नाम पुकार लिया है। श्री डूंगररामजी स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहे हैं। श्री डूंगर राम।

श्री डूंगरराम पंवार (टी बी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम टीबी से संगरिया जाने वाली, पक्की रोड पर बने हुए एन. टी. सी. नहर के पुल को टूटे हुए आज 5 वर्ष हो गये हैं और यात्री गाड़ियों को निकलने के लिए लकड़ी के फंटों का एक टेम्प्रेरी पुल बना रखा है। हर समय ऐसा खतरा बना रहता है कि किसी भी समय वह पुल टूट जायेगा और बहुत बड़ी दुर्घटना हो जायेगी। जैसी कि हैड मसीतांवाली पर 77 में हुई थी। उसके, आगे भी दीवार नहीं थी और इसी तरह की लापरवाही की गई थी, विभाग की ओर से, सरकार की ओर से। उस समय सैंकड़ों लोगों की जानें गई थीं। इस नहर की एक छोटी-सी पुलिया को टूटे हुए पांच वर्ष हो गये हैं लेकिन सम्बन्धित इन्जीनियरों और सरकार की लापरवाही से आज तक नहीं बनी है। दोनों विभागों से पूछने पर जवाब यह मिला है, इरिगेशन डिपार्टमेंट तो यह कहता कि यह पी. डब्ल्यू. डी. वालों का है और पी. डब्ल्यू. डी. के एक्स.ईएन. और ए.ईएन. से पूछा जाता है तो यह कहते हैं कि यह इरिगेशन डिपार्टमेंट वालों का है। अध्यक्ष महोदय, पी. डब्ल्यू. डी. का नहीं है और इरिगेशन डिपार्टमेंट का भी नहीं है तो क्या स्वयं ईश्वर आकर बना गया था इसको। इसमें लापरवाही से सैंकड़ों लोगों की जानें जा सकती हैं। वह पुल किसी भी वक्त टूट सकता है। लकड़ी का पुल बहुत कमजोर है, उसको आप स्वयं देखें, बहुत से लोगों को मौत के घाट उतारने का खतरा बना रहता है। आज तक किसी इन्जीनियर ने इसको नहीं देखा। सरकार के कलेक्टर तक शिकायत गई है, जो सरकार का प्रतिनिधि है, लेकिन किसी ने कोई परवाह नहीं की है।

इसी प्रकार कई जगह सी. ए. डी डिपार्टमेंट के, राजस्थान केनाल में जो पक्के वाटर कोर्स बने हुए हैं वह तकरीबन 50 प्रतिशत टूटे पड़े हुए हैं लेकिन किसानों से उसकी वसूली ली जाती है। मैटीरियल जो है वह 60-50 पर्सेन्ट वेस्ट किया गया है। घटिया किस्म का निर्माण किया गया है जिससे खाले टूट गये हैं इसलिये उनसे सिंचाई नहीं होती है। जहां नहीं टूटे हैं वहां उनमें मिस्टेक है, कहीं से ऊंचे हैं, कहीं से नीचे हैं, इसलिये बराबर पानी नहीं चलता है, सिंचाई भी ढंग से नहीं होती है, लेकिन वसूली की किश्त और ब्याज दर इतनी ऊंची है कि किसान भर नहीं सकते लेकिन यह परवाह नहीं करते कि खाले टूटे पड़े हैं। एक मुरब्बे की लम्बाई में वाटर कोर्स 150 थैला सीमेंट का होता है और बजरी अलग लगती है। मैं जानता हूं कि 150 थैला सीमेंट से बिगर टाइल प्लास्टर कर दिया जाय तो प्लास्टर नहीं टूटेगा लेकिन उन्होंने प्लास्टर भी किया है, टाइल्स भी लगाई है तो भी खाले टूट गये हैं। टाइलें पीली लगाई हैं जिससे खाले टूट गये हैं। फिर जो अर्थ वर्क किया है उसका कम्पलेक्शन नहीं किया। पानी भरते ही खाला बह गया। ब्याज दर क्या है- आप सुनकर ताज्जुब करेंगे। मूल किश्त 500 रुपया ब्याज 5 हजार। मूल किश्त 600 रुपया ब्याज 9 हजार, मूल किश्त 1 हजार और ब्याज 10 हजार। इस प्रकार से किसानों से सी ए डी

(श्री डूंगरराम पंवार)

डिपार्टमेंट की ओर से खाले की वसूली की जा रही है जो कि टूटे पड़े हैं। जिन किसानों ने बोण्ड नहीं भरे और अपना फोटो नहीं दिया....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका स्थगन प्रस्ताव पुलिया से सम्बन्धित है, उसी तक सीमित रखें अपने आपको।

श्री डूंगरराम पंवार : तो आर. एल. डी. सी., भूमि विकास निगम से जबरन ऋण मन्जूर कर खाले बना दिये जायें....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री डूंगरराम पंवार : इसी प्रकार सरकार के इन्जीनियरों की लापरवाही से न खालों की मरम्मत हो रही है न इस पुलिया को बनाया जा रहा है जो एक छोटी सी पुलिया है उस डिस्ट्रीब्यूटरी की वह कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 15 फीट है, 20 फीट से वह ज्यादा बिल्कुल नहीं हो सकती है। दुनियां भर का यह घोटाला कर रहे हैं लेकिन उसकी कोई परवाह कर नहीं रहा है। इसलिए उस पुलिया को जल्दी से जल्दी बनवाया जाये और जिन सम्बन्धित इन्जीनियरों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाये।

जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री शोपत सिंह।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, पहले एक मिनट मुझे सुन लीजिये....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। नाम आयेगा।

श्री ग्यारसी लाल परिड़वाल : सबसे पहले मेरा है, ग्यारसी लाल के नाम से।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको ध्यान नहीं, मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किया है और अस्वीकार करने के बाद आपने यह कहा है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मौका आये, तब बोलिये। अभी जिन माननीय सदस्यों को मौका दिया है उनको बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

कृपया शांत रहें।

श्री दाऊ दयाल जोशी : मैं जानता हूं बाद में बोलने नहीं दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं बताऊंगा नहीं बोलने देने का कारण। माननीय सदस्य।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रस्ताव दिया है। हनुमानगढ़ नगर परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को माना नहीं गया सरकार की तरफ से। बात कर रहा हूं हनुमानगढ़ नगर परिषद की।

: माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर कांग्रेस की नगर परिषद बनी हुई है, कांग्रेस के लोग हैं उसमें। मुझे बड़े अफसोस

(श्री शोपत सिंह)

के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस के नगर परिषद के सदस्यों ने अपने ही चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा। 19 जनवरी को अविश्वास का प्रस्ताव कलेक्टर के सामने पेश किया गया 11 सदस्यों के हस्ताक्षर से कि अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के लिए शीघ्र से शीघ्र मीटिंग बुलाई जाय। मगर दौराने चुनाव कांग्रेस आई के मन्त्री, जो बहुत ही बड़े शक्तिशाली थे, जिनकी केन्द्र और राज्य केन्द्र में बहुत बड़ी धाक थी, चाहते थे चेयरमैन को बचाना इसलिए उन्होंने इस बात की कोशिश की कि इस अविश्वास के प्रस्ताव को टाला जाय। 19 जनवरी को अविश्वास प्रस्ताव दिया गया। उसी वक्त नोटिस देकर इतला की जानी थी और अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहिए था नगर परिषद के अन्दर। हमारे जिलाधीश महोदय ने उन्हें 30 दिन का पूरा टाइम दिया ताकि मेम्बरान को तोड़ा जा सके, उनको सताया जा सके, उनको भ्रष्ट किया जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिरकार जब मेम्बर नहीं टूटे तो आखिरकार 30 दिन के बाद, जो कि मियाद की आवश्यकता है, उन्होंने 19 फरवरी अविश्वास प्रस्ताव रखने के लिए तय की कि उसी रोज वोट डाले जायेंगे। और गंगानगर के ए. डी. एम. को प्रिसाइड करने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव के दिन वहां पर मौजूद रहने की ड्यूटी लगाई गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रशासन में या किसी भी व्यवस्था के अन्दर अगर चुने हुए प्रतिनिधि अविश्वास प्रस्ताव रखते हों वहां पर....

श्री दामोदर आचार्य (नागौर) : I want to raise a point of order. यह मसला हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है। रिट की हुई है और यह वहां विचाराधीन है।

श्री शोपत सिंह : यह भी उसमें शामिल हैं, अध्यक्ष महोदय, यह सरकार को मालूम है।

श्री अध्यक्ष : आप फैक्ट्स जो बताना चाहें बता दें, मैटर सबजुडिस है।

श्री शोपत सिंह : मैं उसमें इन्टरवीन नहीं कर रहा। हाई कोर्ट क्या फैसला देगा, क्या नहीं देगा मगर इस दौरान हाईकोर्ट के फैसले के यह दिक्कत आ रही है। दूसरी बात यह है कि सरकार के अधिकारी मिली भगत करके, उसके साथ साजिश करके उस अविश्वास प्रस्ताव को निरस्त करना चाहते हैं, फेल करना चाहते हैं। 25 सदस्य हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद हनुमानगढ़ में। 17 लोगों ने अविश्वास का प्रस्ताव रखा। उस अविश्वास प्रस्ताव को रखने के बाद वहां के तीन सदस्यों को सस्पेंड किया गया डाईरेक्टर लोकल बाडीज की इमदाद से ताकि अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह हरकत हुई उस वक्त उन मेम्बरान को बताया गया, 19 तारीख को जब अविश्वास प्रस्ताव रखने के लिये गये उस वक्त वहां पर सस्पेन्शन के आर्डर दिये गये। मैं पूछता हूं चाहे हाई कोर्ट में केस चले, कहीं चले, कहीं कोई मर्यादा है, प्रजातंत्र में किन्हीं संस्थाओं में हम कोई मर्यादा रखते हैं? चैयरमैन के खिलाफ दो तिहाई बहुमत हो, मेजोरिटी नहीं हो, 17 सदस्य उनके खिलाफ हों, यह कांग्रेसी हैं, वहां की नगर परिषद कांग्रेस की है, चेयरमैन भी कांग्रेस

(श्री शोपत सिंह)

का है और जिन लोगों ने अविश्वास का प्रस्ताव रखा है....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में ।

श्री शोपत सिंह : उसमें बहुत से लोग कांग्रेस के हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, किस तरह से हाईकोर्ट के अन्दर कागज नहीं भेजे गये । हाई कोर्ट में केस चल रहा है मगर आप लोकल बाडीज के डाइरेक्टर कांग्रेस पार्टी के व्यक्तियों के इन्फलुयेंस से बचाना चाहते है चेयरमैन को । आज तक वहां पर कागज नहीं भेजे गये । वे 17 लोग मौजूद थे, उनको 14 बताया । वहां पर ए० डी० एम० ने उनकी हाजरी लगाई, वह इसके विरोध में है । जो पत्र, रेजोल्युशन दिया उन सब सदस्यों ने मैं उसको पढ़कर सुनाना चाहता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने उसी रोज लिखा है, उसी ए० डी० एम० की प्रजेन्स में, उन्होंने सिगनेचर अटेस्ट भी करवाये उनकी प्रजेन्स में । माननीय अध्यक्ष महोदय, 17 सदस्यों को जब माना नहीं, ए० डी० एम० ने उनकी 14 की प्रजेन्स मानी, 17 की प्रजेन्स नहीं मानी तब एक पत्र दिया उसी समय उनको ।

"श्रीमान अतिरिक्त जिलाधीश, श्री गंगानगर (ख) खण्ड । मान्यवर, प्रार्थीगण हनुमानगढ़ नगर परिषद के नव निर्वाचित सदस्य हैं । हम में से 11 पार्षदों ने परिषद के वर्तमान अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा था, जिस पर विचारार्थ आज नगर परिषद की विशेष बैठक आमन्त्रित है और आप इसकी अध्यक्षता के लिए विधि पूर्वक नियुक्त हैं ।" प्रार्थीगण ने इस प्रस्ताव का समर्थन कर, अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर इसके पक्ष में मतदान किया है परन्तु अविश्वास प्रस्ताव रखे जाने के पश्चात उसे असफल करने के उद्देश्य से पार्षद श्री आतमदेव त्यागी, श्री कृष्ण चन्द्र खड़वासला व डा० प्रेमनारायण, अविश्वास प्रस्ताव पर एक हस्ताक्षरकर्ता का अवैध टरमिनेशन, दुर्भावना व षड़यन्त्र पूर्वक निलम्बित किया गया है तथा सम्बन्धित प्रावधानों का अविवेकपूर्ण अर्थ लगाया जाकर इसकी मत की गणना नहीं की गई है । फलस्वरूप अविश्वास प्रस्ताव को मनमाने व पक्षपात पूर्ण तरीके से असफल घोषित किया गया है । अत: असंवैधानिक, दुर्भाग्यपूर्ण व असंसदीय कृत्य के विरोध स्वरूप हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता पार्षद से एतद् द्वारा अपनी सदस्यता से सामूहिक त्याग पत्र देते हैं । कृपया उचित कार्यवाही फरमाई जावे ।

इन दी प्रजेन्स आफ ए० डी० एम० 17 पार्षदों ने दस्तखत किये, उसके सामने अटेस्टेशन करवाया । इस तरह जबरदस्ती जब कि 17 पार्षद अविश्वास प्रस्ताव के समय मौजूद थे, उनको नहीं माना गया । अब इसकी व्यवस्था क्या है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय, जो भी सम्बन्धित विभाग के है, चाहूंगा कि इस तरह उनको बचाने के लिए इस प्रजातान्त्रिक ढांचे में जो संस्थायें चल रही हैं इनको गन्दा न करें । इसको बचायें, बचाने की कोशिश करें । अगर 17 पार्षदों को इसमें से निकाल दिया जाये तो भी चैयरमेन वही बरकरार रहे, वायस चैयरमेन वही बरकरार रहे । हाई कोर्ट में चले गए, मगर हाईकोर्ट के सामने कोई कागज पेश नहीं करे । न लोकल बाडीज पेश करे, न ए० डी० एम० पेश कर रहा

(श्री शोपत सिंह)

है। यह आपका शासन है, यह आपका प्रजातन्त्र है, यह आपका तरीका है। हनुमानगढ़ के लोगों में इस बात का आक्रोश है। 17 पार्षद एक तरफ और 8 पार्षद एक तरफ, फिर भी चेयरमेन और वाइस चेयरमेन उनकी छाती पर बैठा हुआ है, और सारे के सारे षड्यन्त्र उनको बचाने के लिये करें। करोड़ों रुपये खाये हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय। डेढ़ करोड़ या दो करोड़ का बजट है हनुमानगढ़ म्यूनिसिपैलिटी का, उसका दुरुपयोग किया है। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के चेयरमेन के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव करते हैं, भ्रष्टाचारी चेयरमेन को हटाने के लिए और रक्षा कर रही है हमारी सरकार। हम सोच रहे थे माथुर सरकार के बारे में कि वह तो प्रजातन्त्र के विरुद्ध थी, मगर नये मन्त्री भी मेरे ख्याल से उसी रास्ते पर चल रहे हैं। मैं आपकी मार्फत एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधान मन्त्री की इच्छा है कि हमारी अपनी छवि अच्छी रहे, भ्रष्टाचार को मौका नहीं दिया जाय। उसी बात को मद्दे नजर रखते हुए मैं उम्मीद करूंगा हमारे नये मन्त्रिमण्डल से। सवाल यह है कि भ्रष्टाचार कितना दूर कर सकता हैं। भ्रष्टाचार को मिटाना एक दूर की बात है, लेकिन अपनी छवि को बनाये रखें। वह तो अपने गुनाहों से मरेंगे ही, आप क्यों मरें उनके साथ। मैं इन्हीं शब्दों को कहता हुआ कि हमारे मन्त्रिपरिषद के साथी हैं, जो व्यक्ति हैं, मुख्य मन्त्री जी के पास है यह महकमा, मगर फिर भी आपकी ज्वाइन्ट रेसपोंसिबिलिटी है, इसलिए इस बदनामी को टालने की कोशिश करें और जो भ्रष्ट हैं, जिसके खिलाफ है और जिसके खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये हैं ऐसे नगर परिषद के चेयरमेन और वाइस चेयरमेन को फोरन हटाने की व्यवस्था करें। हाईकोर्ट कर देगी, आप नहीं करेंगे तो हाईकोर्ट तो बख्शने नहीं जा रही है। वह दो तारीखें दे सकती है अगर कागज पेश नहीं करें। हमारे लोकल बाडीज के चेयरमेन हो सकता है दो दिन, चार दिन, दस दिन बचा लें लेकिन 17 पार्षद जब तक हैं यह आपका चेयरमेन किसी सूरत में नहीं बच सकता है, यही मेरा कहना है।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मंडी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव बून्दी जिले में खनिज इन्जीनियर द्वारा प्रमाण-पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स खरीदवा कर ठेकेदारों पर दबाव डालकर, अपने पद का असर डालकर फण्ड इकट्ठा किया जा रहा है, उसके बारे में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रकार की परम्परा सी बन गई है कि चाहे वह खर्च का आइटम हो और चाहे आमदनी का आइटम हो, सरकार को हर बात की सुधि केवल मात्र मार्च के महीने में आती है। यही स्थिति नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई गांव का किसान या व्यक्ति तहसील में रजिस्ट्री के लिये जाय तो पहले उसे इस बात के लिए मजबूर किया जायेगा कि आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स खरीदिये। ठीक इसी प्रकार की स्थिति आपके खनिज विभाग में हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार के एक अधिकारी बून्दी के एक खनिज इन्जीनियर भी हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स का जो लाइसेन्स मिलता है, इसकी जो एजेन्सी मिलती है वह अपने परिवार के लोगों को

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

उसका एजेन्ट बना लेते हैं और खुद अपने प्रभाव से, अपनी कुर्सी के प्रभाव से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स खरीदने के लिए लोगों को मजबूर करते हैं। एक पंथ दो काज, एक तो सरकार को वह टार्गेट ज्यादा बता देते हैं कि हमने इतने लाख के सर्टिफिकेट्स बेचे, इस प्रकार की बात करके सरकार में वाहवाही लेना चाहते हैं, इसके साथ ही साथ अपने परिवार के लोगों को उस एजेन्सी के माध्यम से लाभ भी प्राप्त कराते हैं। इस प्रकार का एक उदाहरण आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है, स्थगन प्रस्ताव के जरिये तो बून्दी के खनिज अभियन्ता ने जैसा कि 24 तारीख के 'जननायक' समाचार पत्र में समाचार आया है, 32 लाख इकट्ठा करने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के लिए अपनी पत्नी के नाम एजेन्सी ले रखी है। वह 32 लाख रुपया जो ठेकेदारों से लेंगे, उसका कमीशन पत्नी के माध्यम से सीधे-सीधे खनिज अभियन्ता की जेब में जायगा। इस प्रकार यह बड़ी अनियमितता और बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि पर्टीक्यूलर यह वहीं का केस नहीं है, और जगह भी ऐसा हो रहा है। इसलिये मैं चाहूंगा, सरकार अपने अधिकारियों को इस बात के आदेश दे, इस बात के लिये पाबन्द करे कि अगर स्वेच्छा से लोग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन सरकारी पद या सरकारी सत्ता का दबाव डालकर मजबूर किया जाय तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो ज्यादतियां हो रही हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदने के माध्यम से जो ज्यादतियां होर ही हैं, सरकार इसको रोके यही मेरा निवेदन है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़ा अफसोस है कि हम लोग अपने स्थगन प्रस्ताव की अहमियत को सदन के मार्फत एप्राइज नहीं कर पाये। आज सारे प्रदेश की कपड़ा मिलों में भयंकर संकट है, 8 मिलें बन्द, दो मिलों में हड़ताल और कम से कम दस हजार मजदूर आज बेकार हैं। मजदूरों के साथ छोटा दूकानदार जुड़ा हुआ है जिसकी जिन्दगी उसका कारोबार ठप्प है। फिर भी सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं। अब आपकी व्यवस्था को मानते हुए केवल टाक-आउट करना है, सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आयेगा और आइन्दा कोई प्रयास भी नहीं होगा। तो मैं इतने ही शब्द कहना चाहता हूं कि ब्यावर की जो कृष्णा मिल है वह सन 1983 से बन्द हो गई। जब लेबर एग्रीमेंट हो गया तो लेबर एग्रीमेंट के बाद बन्द करने का मतलब है कुछ मिस मैनेजमेंट था, इनएफिसियेन्सी थी। फिर भी यह कह कर कि घाटे की स्थिति में है मिल मालिक ने बन्द कर दी। उसमें 1800 मजदूर काम करते थे। दूसरी मिल भीलवाड़ा की है जिसे, मान्यवर, आप भी जानते हैं। भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने अपने इलेक्शन के भाषण में वहां मजदूरों को यह विश्वास दिलाया था कि चुनाव के बाद मिल खुलवा दूंगा, समझौता करवा दूंगा लेकिन आज तक स्थिति वैसी की वैसी ही है। उसमें तीन हजार लेबर काम करते थे। जयपुर की स्पिनिंग मिल की भी विशेष स्थिति रही है, रिलीफ अण्डर टेकिंग एक्ट के तहत लगातार नोटिस देते रहे।

(श्री केदारनाथ)

जब एक नोटिस लेप्स हो गया तो, मान्यवर, उसका फायदा उठाया गया। मान्यवर, यह कभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई इस प्रदेश में कि हमारे लेबर डिपार्टमेंट से नोटिस न दिये जाने के कारण मालिक को यह मौका मिल गया हो। अब भी राज्य सरकार को अपने गवर्नमेंट एडवोकेट को यह डायरेक्शन देनी चाहिए कि लिक्विडेशन की कार्यवाही की सिफारिश कीजिए यहां पर और दोबारा रिलीफ अण्डरटेकिंग एक्ट के तहत इसकी कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए। इसमें कम से कम 2400 मजदूर काम करते थे। चौथी मिल है कपड़े की जिसमें 1400 काम करते थे, वह है गोपाल मिल। माननीय अध्यक्ष जी, आज जो हनुमान गढ़ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल है, इनमें हड़ताल है। 14 मजदूर आज गिरफ्तार हैं, 307 के तहत। गंगानगर कपड़ा मिल में पिछले 22 माह से स्लो डाउन है उसमें 3500 मजदूर काम करते हैं। उन्हें जो मजदूरी, जो वेतन कम मिला कपड़ा मिल वीविंग खाते में तो पेमेण्ट आफ वेजेज एक्ट के तहत कोर्ट में गये, कोर्ट ने फैसला उनके हक में कर दिया मगर मालिक नहीं दे रहा है। इस दौरान दर्जनों मजदूरों को वहां पर सस्पेण्ड कर दिया, इनका डिसमिसल कर दिया। मान्यवर, आप तो जानते हो कि एप्रूवल के लिए केवल कोर्ट से मंजूरी लेनी पड़ती है, किसी को आप सस्पेण्ड करो, डिसमिस करो तो कोर्ट से एप्रूवल लेनी पड़ती है। जबकि पेन्डेन्सी आफ केसेज हो, कोर्ट ने एप्रूवल नहीं दिया हो, फिर भी उनको काम पर नहीं लिया जाता। यह तो 22 माह की वहां स्थिति है। आज सारे राजस्थान में जो संकट पैदा हो गया कपड़ा मिलों में इसको दूर करने के क्या प्रयास किये जायेंगे सरकार की ओर से यह मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। अगर यही स्थिति रही तो बाकी मिलें भी बन्द हो जायेंगी। आज कपड़े की कीमतें तो कम हुई नहीं और 1978 के बाद, मान्यवर, कोई वेतन में बढ़ोत्तरी नहीं हुई। 1980 के एग्रीमेंट के बाद आज तक कोई किसी प्रकार वेतन में बढ़ोत्तरी नहीं हुई, कपड़े की कीमत बढ़ गयी। संकट किस बात का, स्टाक्स है नहीं आज मिलों में और नयी मिल आप खोलने का आदेश देते हो। मान्यवर, इन पिछले तीन सालों में काफी टैक्स रिलीफ भी हुए हैं इनको, कपड़े की कीमत बढ़ गयी, टैक्स रिलीफ फिर भी और मिल गया इनको। फिर भी आज स्थिति यह है कि कपड़ा मिलों की हालत बहुत खराब है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं, आप कम से कम माननीय मुख्य मन्त्री जी, किसी मन्त्री को एन्ट्रस्ट करिये यह काम, वह इस सैशन के बाद एक एक मिल के मालिक और मजदूर यूनियन को बुलाकर प्रयास करे कि किस प्रकार मिल की हालत सुधर सकती है, एग्रीमेन्ट के जरिये से, बैंक से फाइनेन्सेज दिलाने के जरिये से। रिलीफ अण्डर टेकिंग एक्ट के अन्दर, तहत इनको लेने का कोई रास्ता निकालना चाहिए। यही मैं निवेदन आपके मार्फत करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द।

श्री रामचन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान और माननीय सम्बन्धित मन्त्री महोदय का ध्यान जो स्थगन प्रस्ताव हमने प्रस्तुत किया है मिल के बन्द होने के बारे में उस पर मैं चर्चा उठा कर

Page No. 60

(श्री रामचन्द)

आकर्षित करना चाहता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा में जो मेवाड़ टैक्सटाइल मिल है वह करीब एक साल से बन्द है । 3000 श्रमिक वहां बेकार पड़े हुए हैं, लोगों की रोटी के लाले पड़ रहे हैं । इस सदन में तत्कालीन माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने पिछली बार भी आश्वासन दिया था कि हम इस मिल को चालू कर देंगे । रिलीफ अण्डरटेकिंग एक्ट के तहत हम सैन्ट्रल गवर्नमेंण्ट को इस मिल को टेक ओवर करने के लिये लिखेंगे । किन्तु इस आश्वासन के बावजूद कोई प्रगति नहीं हुई है । मिल अभी भी बराबर बन्द है । चुनावों के दिनों में, जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और विधान सभा के चुनाव हो रहे थे, हमारे तत्कालीन मुख्य मन्त्री महोदय ने जगह जगह जाकर आम सभायें की और श्रमिकों को विश्वास दिला करके कि हम बहुत जल्दी इस मिल को चालू करवा देंगे उन्होंने वाहवाही लूटी और भीलवाड़ा नगर से कांग्रेस को जिताकर लाये । आज तत्कालीन मुख्य मन्त्री महोदय अस्वस्थ हैं, हमें स्वयं चिन्ता है हम चाहते हैं वे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें और वहां जाकर के अपने आश्वासन पूरे करावें । लेकिन आज वस्तु-स्थिति यह है कि मिल शायद बहुत अर्से तक नहीं चल पायेगी । सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है लेकिन कल बहुत से लोग, करीब 400 मजदूर आये भीलवाड़ा से और हमारे मुख्य मन्त्री महोदय से भी मिले । मुख्य मन्त्री ने भी वही घिसा पिटा आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्दी उस मिल को चालू कराने के प्रयास करेंगे । लेकिन कुल मिलाकर स्थिति यह है कि आज वहां का मजदूर एक तरह से भूखा मर रहा है और आर्थिक स्थिति पूरे जिले की बड़ी खराब हो रही है, बहुत से व्यापारी लोग वहां पर अपना व्यवसाय बन्द करके बैठे हुए हैं लेकिन सरकार इस सम्बन्ध में बिल्कुल कोई चिन्ता नहीं कर रही है । यह जो मसला है भीलवाड़ा मेवाड़ टैक्सटाइल मिल का वह एक बड़ा अहम मसला है । मैं श्रीमान के माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि इस मिल को चालू कराने का केवल एक मात्र उपाय है और वह यह उपाय है कि इसको सैन्ट्रल गवर्नमेंट टेक ओवर करे रिलीफ अण्डरटेकिंग एक्ट के तहत । इसके अलावा जितने भी प्रयास किये जायें वहां का जो मिल मैनेजमेंट है वह उसे सफल नहीं होने देगा । जो आर्थिक दुर्व्यवस्था उस मिल की है उसे देखते हुए सरकार राज्यसरकार के पास भी सीमित साधन हैं वह इस मिल को चालू नहीं करवा सकेगी । मैं यह अपेक्षा करता हूं कि इस मिल को चालू करने के लिए बहुत जल्दी प्रयास किए जायेंगे । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 24 को रात को 8 बजे किशनपोल बाजार में 138 और 139 नम्बर की दुकान में आग लगी । सवाल यह नहीं कि किस मालिक की दुकान के आग लगी, ऐसी आग आये दिन लगती रहती है । सवाल यह है कि व्यवस्था क्या है हमारे पास आग को बुझाने की और उसके लिये तत्काल प्रभाव से काम करने की । जितना दुकान में माल था वह बचाया नहीं जा सका, सारा माल जलकर ध्वस्त हो गया । क्योंकि टायर की दुकान थी, धुंआ धधक रहा था । जो

Page No. 61

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कर्मचारी थे, फायरमैन थे उनके पास न तो आंख पर लगाने के चश्मे थे, न ही उनके सिर पर हैलमेट थे। ऊपर से पट्टियां चटक रही थीं, धुंए का अम्बार सामने था, पैरों में उनके गम बूट नहीं थे, हाथ में दस्ताने नहीं थे और वेडिंग सूट जो आग में घुस जाने पर पानी में निकलने के लिए पहना जा सकता है, भी उनके पास नहीं था। नागरिक सुरक्षा विभाग की गाड़ियां भी काम कर रही थीं और दमकल जो नगर परिषद की हैं, वह भी काम कर रही थीं लेकिन उनको पानी लाने में इतनी देर हो रही थी जिसकी कोई सीमा नहीं। मैंने कहा यह क्या व्यवस्था है तो कहने लगे कि हाईड्रेन्सस में प्रेशर नहीं है पानी कहां से लायें। घाट गेट का एक हाई टेंकर है और एक में सिविल लाइन से लाया गया पानी, एक गाड़ी में झोटवाड़ा से पानी लाया गया। आग लग रही थी, किशनपोल बाजार में, पानी लेकर गाड़ियों के आने में देर होती रही, उतनी देर में आग धधकती रही। मैं कहना चाहती हूं सरकार को आपके माध्यम से कि इस तरह से जयपुर नगर को जलने के लिए बराबर छोड़ा जा रहा है। कोई व्यवस्था सरकार के पास तत्काल आग बुझाने की नहीं है। एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसका नाम फोम है और कार्बन डाई आक्साइड के जो ड्रम होने चाहिए वह भी इस डिपार्टमेंट के पास नहीं हैं। फिर किस तरह से इस जयपुर नगर को बचाया जा सकता है? 15 मील के एरिया में जयपुर नगर बसा हुआ है, जिसमें 2 लाख लोग कच्ची बस्तियों में रहते हैं, 6 औद्योगिक केन्द्र हैं और आग को केवल बुझाने की व्यवस्था दो जगह है। 11 गाड़ियां दमकल के पास में घाट गेट में हैं जिसमें 6 आउट आफ आर्डर पड़ी हुई हैं। केवल 5 गाड़ियां ठीक हैं जिनमें से भी केवल 3 गाड़ियां वहां पर उपस्थित हुईं। 14 गाड़ियां नागरिक सुरक्षा के पास हैं। नागरिक सुरक्षा केन्द्र की, यह व्यवस्था है कि जब तक कलेक्टर आदेश नहीं दे वहां से गाड़ियां नहीं सरकतीं। वहां से गाड़ियां ज्यादातर गांवों के क्षेत्रों में आग बुझाने के लिए जाती हैं। गाड़ियों की हालत ठीक नहीं। जो आग लग जाने पर कर्मचारी काम करते हैं, नागरिक सुरक्षा केन्द्र में फायर आफिसर ही नहीं है। फायर आफिसर का पद तयशुदा है फिर भी वहां आफिसर नहीं है, पिछले चार साल से फायर आफिसर नहीं है। जो यहां पर दमकल विभाग के फायर आफिसर हैं वह काम करते नहीं हैं। जब प्रश्न पूछे जाते हैं विधान सभा के माध्यम से तो वह कहते हैं हमारी व्यवस्था ठीक है। आग लगी प्रीमियर वैजीटेबल में 7 दिन में आग बुझी, असम फ्लोर मिल में आग लगी 9 दिन में आग बुझी, पांचों मंजिल गिर गयीं, जयपुर फ्लोर मिल में आग लगी 7 दिन तक नहीं बुझायी जा सकी। कच्ची बस्तियों में आग लगती है, गाड़ियां तब पहुंचती हैं, जब आग लगकर सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। कहीं भी देख लीजिए, यहां पर जो सुन्दर इलेक्ट्रिक स्टोर है उसके यहां आग लगी दिवाली के दिन, आग नहीं बुझायी जा सकी। आग बुझे कैसे, रासायनिक पदार्थ नहीं है और जो दमकल में कर्मचारी फायरमैन काम करते हैं उनके पहनने के लिए आवश्यक उपकरण नहीं हैं....

(1.00 म.प.)

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, सरकार को आगाह करना चाहती हूं कि दमकल की व्यवस्था सुचारू रूप से जल्दी सुधारें। जो होज पाइप हैं, वे उतने नहीं हैं कि अगर चौथी मंजिल में आग लगी हो तो वहां तक जा सके। अगर छोटी गलियों में आग लगी हो तो होज पाइप जा नहीं सकते। बम्बई के पेटर्न पर लैडर होनी चाहिए जो चौथी मंजिल तक एक झटके में ऊपर पहुंच जावे। वह नहीं है। जो नागपुर के ट्रेंड यहां पर फायरमैन हैं उनके लिये कोई टैक्निकल ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं। उनकी परेड की व्यवस्था नहीं जो वह सुबह शाम अभ्यास कर सकें। इस तरह से जयपुर की दमकल की व्यवस्था को अव्यवस्थित किया जा रहा है। गाड़ियों की कोई सुविधा नहीं है। कई गाड़ियां पानी लेकर चलती हैं सिविल लाइन से. अध्यक्ष महोदय, वह चलते चलते बीच में खड़ी हो जाती हैं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं संक्षेप में ही कह रही हूं।

यह होम डिपार्टमेंट के अन्तर्गत है, गृह विभाग पर सीधे सीधे पूरी जिम्मेदारी रहती है और इस तरह से मुख्य मन्त्री भी जिम्मेदार रहते हैं लेकिन कोई व्यवस्था नहीं। परसों की लगी हुई आग, 24 तारीख की आग लगी हुई आज तक भी अन्दर की तरफ धधक रही है। कितनी राष्ट्रीय सम्पत्ति स्वाहा हो गई। दुकान मालिक का, मकान का नुकसान तो अलग चीज है लेकिन राष्ट्रीय सम्पत्ति का कितना अपव्यय होता जा रहा है। विभाग के अधिकारी काम नहीं करते और व्यवस्थित रूप से काम नहीं करते, सामान्य उपकरण तक उपलब्ध नहीं कराते और काम में आने वाले पदार्थ उपलब्ध नहीं कराते। इस तरह से सारा जयपुर नगर आज भय से आतंकित है। कब कहां क्या हो जाय कुछ पता नहीं है। इनको चाहिए तो यह कि जयपुर को छः केन्द्रों में बांट कर 285 हाईड्रेण्ट जो बन्द पड़े हैं पिछले चार साल से, जो सड़कों के नीचे दबे पड़े हैं उनको खुलवा देते तो पानी दूर लेने जाना नहीं पड़ता, तात्कालिक रूप में आग बुझ जाती। जो फायरमैन हैं, जो ड्राइवर हैं उन लोगों को व्यवस्थित रूप से अगर समय पर सारे उपकरण उपलब्ध करा दें तो राष्ट्रीय सम्पत्ति का नुकसान नहीं हो, लोगों में भय व्याप्त नहीं हो और लोगों में आशंका व्याप्त नहीं हो। मैं कहना चाहती हूं....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपके माध्यम से कि आप भी इस सरकार को ताड़ना दे करके शीघ्र व्यवस्था करायें। होम डिपार्टमेंट को कहें कि अगर वह नगरपरिषद के माध्यम से इसको नहीं रखना चाहता तो अपने अन्तर्गत रख करके युद्ध स्तर पर इन सेवाओं में सुधार करके इस शहर को जलने से बचाये जयपुर के आसपास के इलाकों को जलने से बचाये। जहां क्लेक्टर के आदेश की आवश्यकता है, वहां पर फायर आफिसर को भी कुछ इस तरह के अधिकार दिए जा सकते हैं कि अगर आवश्यकता हो तो वह तत्काल गाड़ी भेज दे। क्योंकि जब आग लगती है तो एकदम से प्रज्वलित होती है

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

और जितनी देर लगती है उतनी देर में सारा सामान, सारे साधन वह आत्मसात कर लेती है। अध्यक्ष महोदय, यही मेरा आपसे आग्रह है कि इस व्यवस्था में सुधार आप जल्दी से जल्दी आवश्यक रूप से करावें।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : मेरी मजबूरी है, माननीय सदस्य।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव।

श्री अध्यक्ष : आप कैसे बोल रहे हैं अभी। मैंने आपको काल नहीं किया है।

श्री नारायणराम।

श्री अब्दुल अजीज : आपने व्यवस्था दे दी थी कि नियमानुसार बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं क्रम से बुलवाऊंगा। आपका है तो मैं आपको भी बुलवाऊंगा।

श्री नारायणराम।

श्री नारायणराम बेड़ा (भोपालगढ़) : आदरणीय अध्यक्षजी, मेरा स्थगन प्रस्ताव अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में वसूलियां स्थगित करने के सम्बन्ध में था। चुनावों के पूर्व वसूलियाँ कई जगह स्थगित करने की स्थिति में भी थी और धीमी गति से चल रही थीं। जो कुछ लाकर किसान देता था उसको ले लेते थे अन्यथा किसी के घर जाने की और कोई नोटिस या सूचना देने की व्यवस्था नहीं थी। जब तक वोट बटोरने की प्रणाली थी तब तक तो सरकार ने वसूलियां स्थगित रख दीं और ज्योंहि चुनाव समाप्त हुए, 5 तारीख को, सबको नोटिस और कुर्कियों के आदेश हो गए। मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार को यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो अकाल की स्थिति, प्राकृतिक विपदा में किसानों के पास खाने के लिए अनाज नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं और रहने के लिए एक झोंपड़ी नहीं, उनके लिये सिवाय इन तीन चीजों के और आवश्यक है क्या, फिर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, दूसरी तरफ सरकार की सहकारी समितियों द्वारा ऋण की वसूलियां और कुर्कियां की जा रही हैं। एक तरफ गांव का गरीब आदमी मजदूरी के लिए पलायन कर गया है बाहर, पीछे उसकी कोई औरत बुढ़िया जो बैठी है, उसके खाने पीने के बर्तनों को बाहर सरे आम नीलाम किया जा रहा है। सरे आम उसकी बोलियां लगाई जा रही है। यह हालत है गरीब लोगों की। मैं कुछ ऐसे उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मुख्य रूप से उदाहरण है किशनाराम रामपाल मेघवाल, जो आसोद का निवासी है, पर पत्थर रख कर इसे मुर्गा बनाया गया वसूली के लिए और उसका जो सामान था, खाने पीने के बर्तन थे उनको नीलाम करके पैसा वसूल किया गया, यह हालत है। एक तरफ सरकार का उद्देश्य यह होना चाहिए था कि प्राकृतिक विपदा है, पूरी तरह का भेद-भाव भुला करके उनको कुछ राहत पहुंचायें, यह हमारा दायित्व बनता था, मगर इस प्राकृतिक विपदा में राहत पहुंचाने के स्थान पर हम लोग उनको कष्ट देने में सहयोगी हो रहे हैं। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं बाबूलाल रणजीतराम

(श्री नारायणराम बेड़ा)

डाकोत का। हमें मालूम है वहां कुछ नहीं हुआ, इस वक्त बिल्कुल फेमिन है। उसकी भी यही हालत की। उसको मुर्गा बनाया गया। उसको लेकर आए कोआपरेटिव भवन में और पूरा का पूरा रुपया उसी दिन वसूल किया जबकि उस पर किसी प्रकार का ओवर ड्यू नहीं था। हमारे पश्चिमी राजस्थान का किसान अकाल से पीड़ित होने की वजह से आपको कुछ पैसा दे नहीं सकता, बाकी उसकी मंशा कभी भी नहीं है कि वह कभी सहकारिता ऋण को खाये या नहीं चुकाये। उसका रुपया वापस करने का इरादा रहा है। कभी ऐसी हालत नहीं, फिर भी जो अमानवीय तरीके से उनके साथ अन्याय हो रहा है, मैं अध्यक्ष महोदय के मार्फत सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी सहकारी वसूलियां, तकाबी वसूलियां या राजस्व वसूलियां हैं उनको तुरन्त प्रभाव से स्थगित किया जाना चाहिए उनकी वसूलियां अभी रोक दी जानी चाहिए यह मेरी मान्यता है, आपके जरिये से निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवरदयाल।

श्री रघुवरदयाल (रामगढ़) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका स्थगन प्रस्ताव है।

(विराम)

नहीं बोलना चाहें तो कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है बोलना।

श्री रघुवरदयाल : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं अलवर जिले के रामगढ़ रामडुला क्षेत्र से आया हूं। उस क्षेत्र में गोविन्दगढ़ नाम का एक कस्बा है जहां की आबादी अनुमानतः सात हजार की है। वहां पर जो विगत पांच वर्षों से पेयजल दिया जा रहा है वह कैल्शियम की कमी के कारण हड्डी के लिए बड़ा नुकसानदायक है। प्राथमिक रूप से इससे दांत पीले पड़ते हैं। लगातार यदि यह दूषित पानी सप्लाई किया जाता रहे तो आगे चलकर हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होता है और रीढ़ की हड्डी तक को टच करता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस दूषित पानी की तुरन्त सप्लाई रोकी जावे और दूसरा प्रबन्ध किया जावे। दूसरे प्रबन्ध के लिए इसी गोविन्दगढ़ कस्बे के नजदीक कचोटी गांव है जहां बोरिंग हुआ पड़ा है करीब एक डेढ़ साल से और इसके लिए पाइप लाइन भी वहां पर भेज दी गई है किन्तु अफसोस है कि डेढ़ साल के उपरान्त भी आज तक भी वह लाइन चालू नहीं हुई है। इसलिए मेरा राज्य सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस पाइप लाइन को तुरन्त चालू किया जावे जिससे शुद्ध जल मिल सके।

साथ ही पानी की जो टंकी है वह भी गिरने की हालत में है। कहीं ऐसा न हो कि नागौर जैसी दुर्घटना वहां पर भी घटित हो जाय। इसके लिए कई बार मैंने और सरपंच साहब ने उच्चाधिकारियों से सम्पर्क किया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि यह टंकी गिर गई तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, पीने को पानी नहीं मिलेगा और कोई और दुर्घटना भी हो सकती है। अत: मैं आपके माध्यम

(श्री रघुवरदयाल)

से अनुरोध करूंगा कि जो मेरी मांग है वह वाजिब है उस पर तुरन्त कार्यवाही करने के राज्य सरकार को आदेश दें।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

(अनुपस्थित)

श्री अब्दुल अजीज।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : आदरणीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से सदन का और सरकार का एक अहम मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह सरकार और पूरा देश किसानों की मेहनत से जीविका के मामले में आधारित है। बढ़ती हुई देश की आबादी, हमारे प्रान्त की आबादी के कारण खेती की ओर ध्यान देने की जिम्मेदार रहती है। अगर हमने वक्त के साथ-साथ खेती के माध्यम से खाने पीने की चीजों की ठीक से उपज नहीं की तो हमें बहुत बड़े खतरों का सामना करना पड़ेगा। मैंने किसानों को खेत में कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में आपसे निवेदन किया है। मुझे ठीक से ध्यान है कि मुझे आपके माध्यम से सरकार को किस बात से अवगत कराना है लेकिन जो बात मुझे कहनी है उसकी इंपारटेंस, महत्व को देखते हुए यह जरूरी है कि किसानों के प्रति हमारे विचार सही हों ताकि उनके जीने के तरीके में, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। उनके पास जो जमीन है उस जमीन को जोते जाने के लिये उनको सुविधा सरकार दे। वह सुविधा हम केवल कानून के माध्यम से दे सकते हैं। राजस्थान में जो बिजली विद्युत मण्डल के माध्यम से दिये जाने की प्रथा है उसका कानून इस प्रकार का गलत बना हुआ है, अध्यक्षजी, 12 बीघा अगर किसी काश्तकार का खेत है तो विद्युत मण्डल के कर्मचारी उसको कनेक्शन देते हैं और 12 बीघा से बड़ा उसका खेत है तो उसको इन्कार कर देते हैं। अध्यक्षजी, बिजली की मोटर 25 हजार के आस पास आने लगी है, पाइप लाइन लगती है, यह सब जरूरतें पूरी करता है तो 12 बीघा में 50–60 हजार का खर्चा करना पड़ता है बिजली लेने के लिए। उसके बाद इस धन पर ब्याज कितना बढ़ता है। मैं नहीं समझता कि किस प्रकार यह किसान विरोधी नीति बनी है, इसका क्या तात्पर्य है? क्या इसका मकसद सीलिंग से है सरकार का? जमीन का बंटवारा होगा तो आपको तो कनेक्शन देना ही होगा निश्चित तौर पर। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह अवगत कराना चाहता हूं। खेत चाहे बड़ा हो या छोटा, अगर काश्तकार सक्षम है और वह सरकार को दरख्वास्त देता है उसके पास पेयजल की व्यवस्था है तो निश्चित तौर पर उसको पूरी-पूरी मदद करनी चाहिए ऋण देकर और हर तौर तरीके से। पेयजल व्यवस्था और बिजली, जो सिचाई के मामले हैं इसमें विद्युत बोर्ड की बड़ी भारी गलतियां हैं। कई बार क्या होता है वह बताऊंगा तो मैं अपने इस पोइन्ट से अलग हो जाऊंगा। इसलिए मेरा सीधा निवेदन है आपके माध्यम से सरकार से कि विद्युत मण्डल के कर्मचारी, कनेक्शन के मामले में कई प्रकार के भ्रष्टाचार करते हैं, कई प्रकार की रिश्वतें खाकर जिसकी प्रायोरिटी ऊपर है, उसको पीछे कर देते हैं किसी न किसी प्रकार से,

(श्री अब्दुल अजीज)

आपने भई, लाइसेंस के लिए सर्टिफिकेट नहीं दिया। कहीं कोई न कोई त्रुटि निकाल कर काश्तकार को परेशान करने की कार्यवाही करता है। हमारे पास अपने क्षेत्र की सूचनाएं रहती हैं. पूरे राजस्थान में विद्युत मण्डल के बारे में बड़ी भारी शिकायतें रहती हैं। वह राजनैतिक तौर पर नेताओं को, मंत्रियों को खुश करते हैं वह तो अलग बात है। चाहे इलैक्शन का मामला हो या और मामला हो लेकिन जो छोटे काश्तकार हैं या बड़े काश्तकार हैं खेती की समस्या को अगर सुलझाना है तो निश्चित तौर पर हमारी रीति-नीति को ठीक से चलाना पड़ेगा। यह कह कर किसी काश्तकार को ऑफिस से निकालें कि आपके पास छोटी जमीन हो तो हम देंगे, हमारे पास तो यह आदेश है....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री अब्दुज अजीज : मैंने जो बात की, कोई मंत्री यहां बैठे हैं वह इस बात का....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री अब्दुल अजीज : मेरा निवेदन यह है, अध्यक्ष जी, मेरा तो आपके माध्यम से सरकार को इससे अवगत कराना है कि अगर खेत बड़ा हो तो निश्चित तौर पर खेती करने में आर्थिक विपदा आती है उससे वह लड़ सकता है। बड़े खेत को भी दो, छोटे खेत को भी दो, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इंदलिया

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले की नोखा तहसील में कोआपरेटिव बैंक द्वारा जो गरीब लोगों से नाजायज ढंग से वसूलियां की जा रही हैं उनके संबंध में, अध्यक्ष जी, मैं आपके मार्फत राज्य सरकार को बताना चाहता हूं। वहां वसूलियां चुनाव के बाद इस ढंग से शुरू कर दी हैं कि जिन लोगों के पास खाने को अनाज नहीं उनसे गांव देरासर, कुकनिया, बिलनियासर, मुण्डन, दूदास, इन गांवों में पिछले 3-4 दिनों में वसूलियों का रवैया रहा है. अध्यक्ष जी वह बताने से सिर झुकता है। गांव के गरीब हरिजन, किसान मजदूरी करने के लिए बाहर गये हुए हैं, पीछे औरतों के साथ घरों से घुस घुस कर उन्होंने नाजायज ढंग से जो व्यवहार किया उसको बरदाश्त नहीं किया जा सकता। गांव में पीने का पानी नहीं है, दूसरे बेरों से जो 3-4 औरतें पानी लाने के लिए जावें तो कोआपरेटिव बैंक के अधिकारी, लोग, जो वसूली करते हैं, औरतों को रास्ते में रोक लेते हैं। खाने के बर्तन, मांचे, कपड़े ले जाकर वे लोग नीलाम कर देते हैं। इस तरह की कार्यवाही, सौतेला व्यवहार हो रहा तो बड़ी दुर्दशा होगी। अध्यक्ष जी, मैं आपके मार्फत राज्य सरकार को बताना चाहता हूं कि चुनाव के बाद जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिए उन लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। उसी गांव में 15-15 साल से लोग कोआपरेटिव का कर्जा लिए बैठे हैं, उनको वह लोग नहीं छेड़ते हैं लेकिन, जिन गरीब लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिये उन लोगों के साथ इस तरह की ज्यादती

Page No. 67

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार तुरन्त इस तरह की कार्यवाही को रोके। बीकानेर जिले में भयंकर अकाल है, अध्यक्ष जी, अकाल में जो भी वसूलियां हैं चाहे लैण्ड रैवेन्यू हो, तकावी हो उसको तुरन्त प्रभाव से रोकने की चेष्टा करें ताकि वहां का गरीब किसान कहीं जाकर अपना गुजारा कर सके। अध्यक्ष जी, दुख की बात यह भी है जहां न तो फेमिन की मजदूरी हो, न कोई दूसरा जरिया हो वहां लोगों को नाजायज ढंग से परेशान करते हैं। आज वहां के कोआपरेटिव बैंक की गाड़ी है उनके पास और 3-4 ऐसे आदमी लगा रखे हैं जिनसे मैं भी खुद घबराता हूं, जिनके बारे में मैं कह नहीं सकता, जिनके हाथों में बन्दूकें हैं और कोऑपरेटिव बैंक की जीप है, राइफल लिए हुए होते हैं, घरों में आदमी है नहीं, बहिन और बेटियों के साथ जिस तरह की ज्यादती कर रहे हैं वसूली के नाम पर उसको मैं बरदाश्त नहीं कर सकता। मैं आपके मार्फत राज्य सरकार से इतनी बात कह कर मेरी बात को यहीं समाप्त करता हूं।

समितियों का गठन

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के कार्यक्रम में आंशिक संशोधन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के कार्यक्रम में आंशिक संशोधन कर दिया गया है जो इस प्रकार है :—

1. मनोनयन पत्र प्रस्तुत करना—27 मार्च, 85 के म.प. 1.00 बजे तक।

2. मनोनयन पत्रों की जांच—27 मार्च, 85 को म.प. 1.05 बजे से 2.00 बजे तक।

3. मनोनयन वापस लेना—27 मार्च, 85 को म.प. 2.05 बजे से सांय 5.00 बजे तक।

4. मतदान यदि आवश्यक हो—28 मार्च, 85 को म.पू. 11.00 बजे से म.प. 3.00 बजे तक।

5. मतपत्रों की गणना—28 मार्च, 85 को म.प. 3.00 बजे से।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मानिकचन्द सुराना (लूणकरनसर) : अभी नोखा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया, माननीय अकाल सहायता मंत्री सदन में मौजूद हैं, यह जानना आवश्यक है कि जब अकाल घोषित है तो उन्होंने रिकवरी सहकारी समितियों, सहकारी बैंकों की ओर अन्य रिकवरी जो काश्तकारों से की है वह रोकी है या नहीं, उसके आदेश जारी किये हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : कल इन सब बातों पर स्टेटमेंट है, माननीय सदस्य।

श्री मानिकचन्द सुराना : इन सब बातों पर स्टेटमेंट निश्चित रूप से है लेकिन यह जो जानकारी सदस्यों के माध्यम से आ रही है, मैं अकाल सहायता मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, यह प्रश्न सिर्फ नोखा का

(श्री मानिक चन्द सुराना)

नहीं, सिर्फ बीकानेर का नहीं, यह प्रश्न राजस्थान के सभी जिलों का है। जहां आपने अकाल घोषित किया है वहां सारी रिकवरीज सहकारी समितियों की, सहकारी बैंकों की रोकी जाना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय जानकारी दे रहे हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (अकाल राहत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जैसे आपने आदेश दिये, इस संबंध में मुझे स्टेटमेंट देना है, यह सारी चीजें मैं कल अपने स्टेटमेंट के जरिए माननीय सदस्यों को प्रस्तुत करूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के रूल्स हैं, नियमों में प्रावधान है। फिर कल वक्तव्य की क्या बात है। क्या मंत्री जी चाहते हैं– लोगों की पिटाई होती रहे।

श्री मानिकचन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव अकाल के संबंध में है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, विभिन्न पहलुओं को उजागर....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिनके स्थगन प्रस्ताव आये हैं, उन सभी माननीय सदस्यों को मैं कल आज्ञा दूंगा ताकि वे अपने विचार रख सकें।

श्री मानिकचन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, इनके स्टेटमेन्ट से पहले कई मामलों के विभिन्न पहलुओं को उजागर कर भी सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपके स्थगन प्रस्ताव राज्य सरकार के पास जा चुके हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब चाहिए। प्रावधान नहीं है, कोई रूल नहीं है, मंत्री महोदय....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री मानिकचंद सुराना : कुछ समय, अध्यक्ष महोदय, मुझे देने का कष्ट करें ताकि विभिन्न पहलुओं पर मैं कुछ निवेदन करूं। राज्य सरकार का वक्तव्य उसकी पृष्ठ भूमि में तो आये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य व्यवस्थायें आपको मालूम हैं कि क्या तरीका है वक्तव्य का, किस तरह से पूछा जाता है आपको मालूम है। कृपया बैठ जायें।

श्री मानिकचंद सुराना : नहीं, अध्यक्ष महोदय, लोक सभा में जो स्थगन प्रस्ताव....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको मालूम है सभी परम्पराएं यहां की....

(व्यवधान)

आपको मौका मिलेगा, माननीय सदस्य आपको मौका देंगे।

(व्यवधान)

श्री मानिकचंद सुराना : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि स्थगन

(श्री मानिकचन्द सुराना)
प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर मुझे कुछ कहने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको मौका देंगे। जो तरीका है उसी हिसाब से आपको मौका मिलेगा।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : आप आदेश दे दें, वसूलियां रुकवा दें, वक्तव्य कल दे दें....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठें, माननीय सदस्य, सदन का समय नहीं लें।

माननीय श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो स्थगन प्रस्ताव मेरे थे, जिनके राज्य सरकार से आपके पास जवाब आये हैं। पहला तो सिरपोई स्कूल के बारे में शिक्षा मन्त्री महोदय के यहां से जवाब आया है मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इस स्कूल को वापिस प्रारम्भ कर दिया है। किन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके कारण से जो परिणाम हुए हैं उसके बारे में शिक्षा मन्त्री महोदय को कुछ करना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा कि यह घटना राजनैतिक प्रतिशोध की निम्नतम पराकाष्ठा का उदाहरण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि विधान सभा का जो चुनाव हुआ, इस विधान सभा के चुनाव में कांग्रेस की ओर से जो माननीय सदस्य लड़े थे, वह सदन में उपस्थित हैं। विरोधी के रूप में भाजपा के जो केन्डीडेट लड़े थे—श्रीमान पाटीदार जी, श्रीमान् कन्हैयालाल पाटीदार, उन कन्हैयालाल पाटीदार का स्वयं का गांव सिरपोई है, वे मिसरोली गांव के निवासी हैं। कांग्रेस की ओर से जो केन्डीडेट लड़े थे वह माननीय सदस्य हाजिर हैं। एक बात उन्होंने प्रचारित की, चुनाव के समय, ऊपर से यह आया है कि विकास वहीं होगा कांग्रेस की सरकार जहां है और विपक्ष की सरकार अगर बनायेंगे तो विकास सम्भव नहीं। चुनाव चर्चा करते हुए उस सन्दर्भ में उन्होंने बात प्रसारित की। प्रसारित की श्रीमान कन्हैयालाल पाटीदार भाजपा के उम्मीदवार हैं, जो सिरपोई गांव के हैं और जिस गांव के विद्यालय को क्रमोन्नत अक्टूबर, नवम्बर में राज्य सरकार के आदेश के द्वारा कर दिया गया, उस आदेश को निरस्त किया जायेगा, मैंने उस आदेश को निरस्त करवा दिया है। अब सिरपोई में जो क्रमोन्नत विद्यालय हो गया वह अब 8वीं तक रहेगा और उसके बजाय एक दूसरा गांव मिसरोली है उसकी अनुमति मिल गयी है, उसके आदेश प्रसारित हो गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल स्कूल बन्द हुआ है, स्कूल चालू हो गया, उन्होंने अनुमति दी, इतनी सी बात नहीं है। इसके पीछे यह भावना थी कि चुनाव के सन्दर्भ में कन्हैयालाल पाटीदार, जो भाजपा के उम्मीदवार थे, गांव में विद्यालय जो क्रमोन्नत है उसको बन्द करवा दिया है मैंने, देखलो विकास रुक गया है अभी, आगे चलकर क्या स्थिति होगी, इसलिए वोट देना है तो हमको दो, हमको जिताओ जो कांग्रेस के केन्डीडेट के रूप में हैं। उस स्कूल को बन्द करके मिसरोली के स्कूल को प्रारम्भ कर

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

दिया । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं आपके माध्यम से, मैं फैक्ट दे रहा हूं, आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं यह बात सच है कि मन की अवस्था स्कूल के विद्यार्थियों की पिछले डेढ़ महीने से जो हो रही हैं उसकी कल्पना नहीं की जा सकती ।....

एक माननीय सदस्य : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मिसरोली में भी इनके बी. जे. पी के एम. एल. ए. लड़ रहे थे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरी बात समझने की कोशिश करें ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार, माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय इस बात की जानकारी करें । केवल दो आदेश हैं जिनका जिक्र उन्होंने जवाब में कर दिया, इतनी सी बात नहीं है, राजनैतिक प्रतिशोध था । वे चाहते थे कि केन्डीडेट स्वयं मिरपोई गांव के रहने वाले हैं इसलिए वहां का विद्यालय बन्द करने की घोषणा की जाय । यह घोषणा उन्होंने कर दी, इसका परिणाम क्या हुआ इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है । हमारे केन्डीडेट हार गये और वे जीत गये । मैं आपसे वह बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जो डेढ़ महिने के अन्दर वहां के स्कूल के विद्यार्थियों की मनःस्थिति रही हैं, वहां के हैडमास्टर की मनःस्थिति रही है, गांव के लोगों की मनःस्थिति रही है । क्या माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय उन अधिकारियों की जांच करायेंगे जिन अधिकारियों ने ऐसे इस प्रकार के आदेश दिये ? क्या लिख दिया....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य बीच में न बोलें । कृपया बैठें ।

माननीय सदस्य, संक्षेप में ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अगर आप आदेश देखेंगे तो उसमें लिखा है, "इस कार्यालय के द्वारा निम्नलिखित राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये गये थे, निम्नलिखित क्रमांकों के द्वारा पद एवं प्रावधान का आवंटन किया गया था, इन्हें राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया है । अतः तुरन्त प्रभाव से पद एवं प्रावधान वापस लिये जाते हैं ।" मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि डेढ़ महिने उस गांव के लोगों की, उस स्कूल के विद्यार्थियों की, उस स्कूल के हैड मास्टर की क्या अवस्था रही ? क्या राज्य सरकार इस प्रकार की जांच करायेगी कि कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने दोनों आदेशों का हवाला दिया । एक को रिजेक्ट कर दिया और दूसरा वैसा का वैसा ही है । मैं आपके माध्यम से फिर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि यह राजनैतिक प्रतिशोध की भावना से सारा काम किया गया है इसलिए राज्य सरकार को इसकी जांच करवानी चाहिए । फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उस स्कूल को प्रारम्भ करके वहां के स्कूल के विद्यार्थियों की, वहां के जनता की मनःस्थिति को ठीक करने की कोशिश की है ।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा एक स्थगन प्रस्ताव और है, उदयपुर के सम्बन्ध में....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़। आपकी कोई पर्सनल बात तो नहीं है। कृपया स्थान ग्रहण करें। आपकी व्यक्तिगत कोई बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य : जिसका हवाला, माननीय सदस्य...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 7 मार्च, 1985 की घटना है। धुलन्डी का दिन था। नरसिंहपुरा समाज के लोग वहां के बाग में स्नेह सम्मेलन का कार्यक्रम कर रहे थे। स्नेह सम्मेलन करने के पश्चात् जुलूस में बैण्ड बाजों के साथ सारे समाज के लोग बाजार में निकले। 500 लोग उस जुलूस में थे। लड़कियों का ग्रुप अलग नाच रहा था, लड़कों का ग्रुप अलग नाच रहा था। सभी लोग शामिल थे। धुलन्डी का दिन था। एक लड़का लड़कों की टोली से निकल कर लड़कियों की टोली के साथ जाकर नाचने लगा। पारस नाम का व्यक्ति, जो उसी समाज का था, जाकर उसको टोका कि यहां मत नाचो। उसको पकड़ कर वापस लड़कों में ले आया। उस लड़के ने कहा कि मैं तुमको देख लूंगा। देख लूंगा, इतनी ही बात नहीं थी। वह जाकर थोड़ी देर के बाद 5-6 लड़कों को अपने साथ ले आया, साथ लाने के पश्चात् उसने उस लड़के के साथ गाली गलोच की। जैसे ही वह मुड़ा, मुड़ते ही उस लड़के ने इसके सीने में छुरा घोंप दिया। अस्पताल ले जाते जाते बीच में ही उसकी मृत्यु हो गयी। सात मार्च की घटना है, 9 मार्च से आन्दोलन शुरू हो गया, 10 मार्च को उदयपुर बन्द हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने वहां घेरना लगाया। मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, प्रत्युत्तर आपके पास आया है कि जांच जारी है। 500 लोग जुलूस में थे फिर भी किस लड़के ने हत्या की उसका पता नहीं चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दिनेश नाम का दूसरा लड़का था जिसने कहा था कि मैं बता सकता हूं कि किसने मारा है। उस लड़के को पुलिस थाने में बुलाया गया किन्तु जब तक वह जग जाहिर करे, पुलिस को बताये अपनी घटना उसके पहले ही राजनैतिक प्रभाव के कुछ लोग, वे उपस्थित नहीं हैं इसलिए उनके नाम नहीं लेना चाहता किन्तु आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। वे लोग आ गये थे और आकर कहा कि हमको इससे बात करनी है। पुलिस को कोई जानकारी देने से पहले लड़के को वहां से ले आये। आज 26 तारीख हो गयी, 400-500 लोगों के बीच मरने वाले लड़के के हत्यारे का पता नहीं, किसने मारा उसका पता नहीं चल रहा है। दिनेश नाम का लड़का बताना चाहता था पर पता नहीं कौनसा प्रेशर है राज्य सरकार पर और पुलिस के ऊपर कि उस लड़के से अभी तक नाम नहीं पूछा जा रहा है। अभी तक उसके नाम की जानकारी नहीं ली जा रही है। गिरफ्तार तो तब होगा जब उस व्यक्ति का नाम पुलिस जान जायगी कि इस व्यक्ति ने अपने छुरे से

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

हत्या कर दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से कहना चाहता हूं, पुलिस विभाग से कहना चाहता हूं कि तीन आदमियों के नाम मेरे पास हैं, जो उसमें राजनैतिक प्रभाव का उपयोग कर रहे हैं, लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि उसका नाम उजागर न हो। सारे नरसिंहपुर समाज में इस बात की चिन्ता है, रोष है, उदयपुर में चिन्ता है, आन्दोलन चला, बंद हुआ, धरना हुआ, लगातार इस प्रकार की कोशिश चल रही है और सरकार केवल यह जवाब आपके पास भेजती है। मैं आपके माध्यम से और निवेदन करना चाहता हूं कि राजनैतिक प्रभाव के साथ साथ पुलिस के 2 अधिकारी और हैं जो नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार से स्थिति उजागर हो। अगर मंत्री महोदय चाहेंगे तो उनके नाम मैं बताऊंगा। परन्तु वे यहां नहीं हैं मैं इसलिये बताना नहीं चाहता हूं, मैं नियमों के कारण नहीं बताना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजनैतिक दबाव नहीं आये, जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो उनके मित्र हैं, जो उनके मिलने वाले हैं, जो मारने वाले के मित्र हैं, उनके प्रभाव में नहीं आयें इस प्रकार की व्यवस्था तुरन्त करें। इससे पहले कि आन्दोलन आगे बढ़े सरकार को उनको गिरफ्तार करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशी।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्या।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस विषय पर स्थगन प्रस्ताव दिया है उसके संबंध में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यान आकर्षित करने का जो मुद्दा है वह है, यह बात बिलकुल सही है कि वहां पर यह मृत्यु हुयी और 7 तारीख से लगाकर आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुयी। इसके लिये पुलिस के जितने अधिकारी हैं उनकी जितनी भर्त्सना की जाय कम है लेकिन चुनाव परिणाम में कांग्रेस का उम्मीद्वार जीत गया था इसलिये 6 तारीख से उदयपुर के वातावरण को खराब करने का भाजपा ने प्रयास किया है, भाजपा के नेता कर रहे हैं उनकी भी हम भर्त्सना करते हैं।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस घटनाक्रम के पीछे टीनएज डेलिन्क्वेन्सी का कारण है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय ललित चतुर्वेदी का तो इस पर स्थगन प्रस्ताव था। पर आपका....

श्री अध्यक्ष : आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : उसको आपने स्वीकार नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्य बात को सुनने का साहस नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य अपनी बात कहें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बोलो बोलो ।

श्री सी. पी. जोशी : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस घटना के कारण जो गिरफ्तारी नहीं हुयी है उससे उदयपुर नगर की शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति पैदा की जा रही है । हम राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जहां पर डेलिन्क्वेंसी के कारण बच्चे का मर्डर हुआ, जो प्रभावशाली व्यक्ति इसमें इन्वाल्व हैं उनकी परवाह नहीं करके सही आदमी की गिरफ्तारी करनी चाहिए । लेकिन गिरफ्तारी के बारे में 300-400 दूसरे लोगों को पकड़कर हरेस कर रही है पुलिस वह न्याय नहीं कर रही है लेकिन इस पृष्ठभूमि का लाभ उठाकर उदयपुर के राजनैतिक वातावरण को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि इससे उदयपुर के राजनैतिक वातावरण में भारतीय जनता पार्टी हावी नहीं हो सकती है । यह पब्लिक मैनडेट है कि उदयपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का व्यक्ति जीता है । इस घटनाक्रम के पुलिस अधिकारी यदि समय रहते हत्यारे को गिरफ्तार नहीं करती है तो राजनैतिक और असामाजिक तत्वों को खेलने का मौका मिलेगा । इसलिये मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर एक जिस समाज के लोग थे वह उदयपुर का प्रभावशाली समाज है, उदयपुर में उस समाज के काफी लोग हैं जिनके बच्चे उसमें इन्वाल्व्ड थे, जो 400–500 आदमी थे उनके बारे में समाज के लोग जानते हैं उन सब लोगों को कान्फिडेंस में लेकर उनको गिरफ्तार करना है । जो दूसरे आदमी हैं जिनके खिलाफ पुलिस 109 में कार्यवाही कर रही है, ऐसे आदमियों को पुलिस हरेस कर रही है उसको रोका जाय । उसका विरोध दूसरे पक्ष के लोग नहीं करते । विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि इसको राजनैतिक वातावरण में तूल नहीं दें और जो पब्लिक का मैनडेट है उसको स्वीकार करें । हम भी इसकी भर्त्सना करते हैं । हम उसकी भी साथ में भर्त्सना करते हैं । इसकी जांच सी. बी. आई से करायी जाय ।

सुश्री गिरिजा व्यास (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहती हूं....

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री डूंगरराम पंवार : अध्यक्ष महोदय, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती तो पुलिस पर कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं ? क्योंकि पुलिस का मनोबल गिरता है ? पुलिस चाहे बलात्कार करे, पुलिस का मनोबल नहीं गिरना चाहिए ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया ध्यान रखें । आप अपने व्यवहार में सुधार करें ।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं । समाज के तीन-चार बच्चे बच्चियां हैं जो इन्वाल्व्ड हैं, मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार पुलिस के अधिकारियों को इस बारे में डायरेक्शन दे कि जो टीनएज डेलिन्क्वेंसी है उसमें संबंधित पक्ष के बारे में इन्वेस्टीगेट करें जिससे कि वस्तु: स्थिति सामने आ सके । यह डायरेक्शन यहां से दें, यही आपसे निवेदन करना है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र ।

श्री रामचन्द्र जाट (बनेड़ा) : मुझे बहुत खेद है, बहुत अफसोस है, इतने महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने चुप्पी साध ली और सदन को सही जानकारी देने से हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्य मुकर रहे हैं। बीगोद के प्रकरण के संबंध में मैंने काफी समय पहले सदन में स्थगन प्रस्ताव रखा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने बार बार निवेदन किया था आपसे और सरकार से भी आग्रह किया था कि वह अपनी ओर से पूरी जानकारी देकर वक्तव्य दे। आज आपने व्यवस्था दी है कि सरकार ने जो सूचना भेजी है उसके आधार पर राज्य सरकार इस प्रश्न को न तो लोक महत्व का प्रश्न मानती है और न कोई तत्काल उस पर चर्चा की आवश्यकता है। ऐसा सरकार मानती है। मैं इस प्रश्न पर जो विवादास्पद मुद्दे हैं उनको नहीं उठाना चाहता हूं। मैं स्वयं अपनी जिम्मेदारी महसूस करता हूं कि इस प्रश्न को उठाते समय मुझे पूरी सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि यह साम्प्रदायिक सद्भावना का प्रश्न है। फिर भी, इस प्रश्न के परिपेक्ष्य में जो कारण रहे हैं वह मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री रामचन्द्र जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, बीगोद के पास में एक गांव है नदराय, उस गांव के मंदिर की सम्पत्ति को लेकर काफी समय पहले विवाद चला था। पुलिस ने धारा 145 में जाप्ता कार्यवाही करके रिसीवर को अपांइट किया, अटैचमेंट में प्रोपर्टी रही। लेकिन चुनाव में लाभ उठाने के लिये तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री शिवचरण माथुर ने जब लोकसभा के चुनाव परिणाम उनके पक्ष में आये तब इस स्थिति को नाजायज तूल देने के लिये जो रिसीवर की नियुक्ति की थी, अटैचमेंट के आदेश दिये थे, कोर्ट ने, उनकी अवहेलना करते हुए यथास्थिति में परिवर्तन करने का वहां के जिला प्रशासन को आदेश दिया। जिला प्रशासन ने चेतावनी भी दी मुख्य मंत्री को कि जब तक न्यायालय का फैसला न हो जाय कोई परिवर्तन न किया जाय। लेकिन उस सुझाव को अस्वीकार करते हुए उन्होंने जिलाधीश महोदय को, पुलिस को आदेश दिया जिसके कारण वहां पर स्थिति बिगड़ी। उसमें काफी लोग वहां पर गिरफ्तार किये गये, जेलों में गये। आखिर में मुख्य मंत्री को मजबूर हो करके 107 और 157 के केसेज को विथड्रा करना पड़ा, लोगों को छोड़ना पड़ा।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री रामचन्द्र जाट : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्व का है और सरकार टालमटोल करके यहां पर वक्तव्य नहीं देना चाहती है। इसकी गम्भीरता को देखते हुए एक जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, जब सारी स्थिति शान्त हो गई थी, 19-2-82 को शिवरात्रि थी, बीगोद कस्बे में मेला प्रारम्भ हुआ तब सरकार को, जिला प्रशासन को सतर्कता बरतनी चाहिए थी क्योंकि अभी वहां पर स्थिति खराब है आन्दोलन हुआ है, कभी भी साम्प्रदायिक सद्भाव के बिगड़ने की स्थिति आ सकती है। करीब 20 हजार लोग उस मेले में इकट्ठे हुए थे। कोई भी पुलिस की व्यवस्था,

Page No. 75

75

(श्री रामचन्द्र जाट)

उस मेले में किसी तरह की कोई झगड़ा नहीं हो जाय, उस झगड़े को दबाने के लिये वहां पर नहीं थी। बीगोद थाने में उस दिन केवल 5 सिपाही थे, जो बीगोद कस्बे और उसके आसपास के क्षेत्र और उस मेले में तैनात थे। अचानक कुछ खुराफाती लोगों ने कुछ झूठी बात मनगढंत बात कही, उससे लोगों में आवेश और झगड़ा करने की भावना पैदा हो गई। मेले में जो दुकानें थीं लोगों की दूर दूर के लोगों की, जिन्होंने दुकानें वहां लगा रखी थीं, अचानक उन दुकानों को लूटना शुरू किया, सम्पत्ति को आग लगायी गई और लाखों रुपये की सम्पत्ति चन्द मिनटों में स्वाहा हो गई। वहां की पुलिस के जो एस. एच. ओ. थे उन्होंने काफी प्रयत्न किया, झगड़ा शान्त करने के लिये। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूंगा कि वहां के एस. एच. ओ. और पुलिस के जो आदमी वहां मौजूद थे उन्होंने बहुत साहस के साथ जनता को समझाया लेकिन जिस आवेश में....

श्री अध्यक्ष : समय का ध्यान रखें, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र जाट : ....जो कार्य हुआ, गुण्डा तत्व वहां पर सक्रिय हुए और उन्होंने वहां पर सम्पत्ति लूटी, दुकानें नष्ट कीं, आग लगायी। मेरे पास एक सूची है, जिन दुकानदारों और सम्पत्ति धारकों की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है। कुल सौ से अधिक व्यक्तियों की सम्पत्ति का नुकसान हुआ। लाखों रुपये का माल स्वाहा किया गया, लूटा गया। एक आदमी की हत्या की गई। पुलिस ने केस रजिस्टर किया, कुछ गिरफ्तारियां भी हुईं। उसके बाद पुलिस ने जिला प्रशासन के दबाव में आ करके झूठे मुकदमे बनाये और निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वहां पर लोगों पर भारी जुल्म किया, उनको यातनाएं दीं। निर्दोष लोगों को पकड़ा गया और जेल में रखा गया, बिना मजिस्ट्रेट से रिमाण्ड लिये। इस तरह की झूठी कार्यवाही द्वारा लोगों में आतंक फैलाया गया। इसके बाद मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य। मुझे बारबार नहीं कहना पड़े।

श्री रामचन्द्र जाट : जो वहां पर एफ. आई. आर. दर्ज की गई, 6 मुकदमें दर्ज हुए इस सारे वाकिये के दौरान। उन छहों मुकदमों में वहां के प्रशासन ने एक-पक्षीय कार्यवाही की। जिन मुकदमों में पुलिस गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी उनसे तो गिरफ्तारियां कीं और जिन मुकदमों में वहां की कांग्रेस के प्रभावशाली नेता थे उन लोगों को नहीं छुआ, उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि बीगोद के, जो सरपंच हैं कांग्रेस (ई) के, श्री चांदमल जी, वे मुंह लगे हुए थे हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय के, उनके खिलाफ 436 जैसे संगीन अपराध के नामजद मुकदमा दर्ज होते हुए पुलिस ने आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया। उन चांदमल जी के खिलाफ जो पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गयी, एफ. आई. आर दर्ज की गयी उसमें गम्भीर आरोप थे। ऐसे आरोप थे जिनमें उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल में भेजना चाहिये था। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं हुआ....

Page No. 76

(76)

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य, संक्षिप्त करें।

श्री रामचन्द्र जाट : जो स्थिति वहां पर पहले थी उसकी मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जानकारी देना चाहता हूं। धारा 144 लगायी गई, आर. ए. सी. की कंपनी वहां पर तैनात की गई लेकिन फिर भी लोगों में भय व्याप्त था। उसे देखते हुए करीब सौ परिवार गांव से पलायन कर चुके हैं। वहां के जो जिलाधीश महोदय हैं उन्होंने, पता नहीं, दोनों सम्प्रदाय के लोगों को विश्वास में नहीं लिया। एक सम्प्रदाय के लोगों, जो अल्पसंख्यक हैं, को उन्होंने डराया कि आप किसी तरह से समझौता करके चुप चाप बैठ जायं, झगड़े के मामलों को जैसा हम कहें उस तरह से हल होने दो, नहीं तो आप लोगों का जीवन और आप लोगों की सम्पत्ति सुरक्षित नहीं रहेगी। उधर जो बहुसंख्यक समुदाय के लोग थे, उन लोगों को बुला करके डांटा कि आप पर झूठे मुकदमे लगायेंगे, अगर आप लोग हमारा कहना नहीं मानोगे तो हम आपकी जमानत नहीं होने देंगे। वहां जो जिला प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी थे उन्होंने किसी भी तरह से स्थिति को शान्त करने में कहीं सहयोग नहीं दिया। एक महीने तक दुकानें बन्द रहीं। जब मैंने 20 तारीख को स्थगन प्रस्ताव श्रीमान् के यहां प्रस्तुत किया उस दिन तक धारा 144 लगी हुई थी। लोग-बाग शाम से ही अपने घर से नहीं निकलते थे, मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय ने, मुझे खेद है, दुख है, कहते हुए कि वहां चुनाव के दिनों में इस प्रकरण को किसी तरह से सुलझाने के लिये आश्वासन दिया था लेकिन चुनाव परिणाम निकलने के बाद वह जयपुर आकर विराज गये। लोगों ने तार दिया, लोगों का शिष्ट मंडल यहां आ करके उनसे मिला, उनसे निवेदन किया कि आप बीगोद जाकर इस समस्या का निदान करिये लेकिन पता नहीं किस रणनीति में वह मशगूल थे। अखबारों में खबरें छपवा रहे थे कि वे मुख्य मंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल सही है, जो अखबारों में खबर छपी उसके आधार पर यह चर्चा थी कि वे जयपुर में बैठकर अपने मोहरे फिट कर रहे हैं, अपने मनपसंद लोगों को मंत्रि-मंडल में ले रहे हैं। उन्हें फुरसत ही नहीं मिली। मुझे कल यह समाचार मिला कि वहां से निर्वाचित श्री शिवचरण माथुर अस्वस्थ हैं तो मुझे दुख हुआ। मैं कामना करता हूं कि शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करके अपने क्षेत्र में जायं, लोगों को जो आश्वासन दिया था उन्होंने आ करके कि वहां की समस्याओं का निदान करेंगे, वे वहां पर उन समस्याओं को निबटायें।

राज्य सरकार के सामने जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैं सदन के माध्यम से, श्रीमान् यहां कहना चाहता हूं। सबसे बड़ी विफलता यह रही है वहां जिला प्रशासन की कि उन्होंने शिवरात्रि के मेले में पुलिस की व्यवस्था नहीं रखी। क्या कारण था? जिलाधीश महोदय अपने आपको बहुत ही अनुभवी और सक्षम अधिकारी मानते हैं, हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय ने भी उन्हें योग्यता का प्रमाण-पत्र दिया है, लेकिन क्या कारण था कि शिवरात्रि के मेले, जह

(श्री रामचन्द्र जाट)

हजारों लोगों की भीड़ थी, जहां लाखों रुपये की सम्पत्ति और दुकानें लूटी गयी, के समय पुलिस ने व्यवस्था बनाये नहीं रखी ? क्या कारण था कि डी.एस.पी., जो चार मील दूर, मांडलगढ़ में थे, मौके पर नहीं पहुंचे ? क्या कारण था कि हमारी पुलिस के अधिकारी सब सोये रहे और पुलिस की माकूल व्यवस्था नहीं हो सकी जिसके कारण एक व्यक्ति की हत्या की गई, जिसके कारण लाखों रुपये की सम्पत्ति नष्ट की गई ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान् से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो गुण्डा तत्व वहां सक्रिय रहे हैं, जिनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है । उन लोगों, जिसमें प्रमुख वहां के सरपंच श्री चांदमल व्यास हैं को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया जब कि अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकारी दी गयी है कि सारा केस यहां की सी. आई डी., जो पुलिस डिपार्टमेंट की ब्रांच है, तफ्तीश के लिये मंगा लिया है, उस बात को भी काफी समय हो गया है लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई वहां पर माकूल तफ्तीश नहीं की है और जो आदमी सीरियस केसेज में इन्वाल्व हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया गया । माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य ।

श्री रामचन्द्र जाट : मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पास सूची है, सौ गरीब आदमियों की, लाखों रुपये की सम्पत्ति नष्ट की गई है । लेकिन सरकार ने ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए केवल 1.40 लाख रुपये की अनुदान राशि मन्जूर की है । करीबन 10 लाख रुपये का नुकसान हुआ है । अन्य बहुत से लोगों, जो कांग्रेस के समर्थक नहीं हैं, की सम्पत्ति का भी नुकसान हुआ है । वहां पर प्रशासन ने रिपोर्ट दी है लेकिन उन लोगों को कोई भी अनुदान नहीं दिया जा रहा है । राजनैतिक पक्षपात बरता जा रहा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को चाहिये था कि इस विषय पर वक्तव्य देती, पूरी जानकारी इस सदन के सामने रखती । हम सब, जो विपक्ष के लोग हैं, प्रयत्न किया, सरकार का कोई भी आदमी वहां पर नहीं गया । हम विपक्षी लोग वहां पर गये और विपक्ष के लोगों ने वहां के लोगों को बुला करके समझाया । 22 तारीख को हमने वहां पर दुकानें खुलवाई, बाजार खुलवाये । उसी दिन बाजार खुलवाने के तत्काल, दो घंटे बाद शरारती तत्वों ने फिर झगड़ा करने का प्रयत्न किया और वहां पर जानकी देवता के मन्दिर की मूर्ति को तोड़ दिया । फिर भी हमने प्रयास किया कि किसी तरह से शान्ति न बिगड़े । आज हम, श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम कोई इस झगड़े का राजनैतिक लाभ प्राप्त करना नहीं चाहते । हम चाहते हैं कि वहां साम्प्रदायिक सद्भाव बने । हम चाहते हैं कि वहां के लोग, जो मिल जुल करके रहने के लिये तैयार हैं, मिलजुल कर रहें । लेकिन आज कोई भी प्रशासन का आदमी, आपके सत्ता पक्ष का ..

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें । माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें ।

श्री रामचन्द्र जाट : लोगों में विश्वास नहीं पैदा कर रहे हैं । माननीय अध्यक्ष

78

(श्री रामचन्द्र जाट)

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार हम या जो भी वहां के निर्वाचित प्रतिनिधिगण हैं उनसे मिल बैठकर समस्या का निदान करें। सभी दलों के लोगों और सभी सम्प्रदायों के लोगों को बुला कर, बैठाकर शान्ति कमेटी का निर्माण करके वहां पर सामान्य स्थिति लायें, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि इस पर सरकार अपना वक्तव्य दे, सरकार पूरी जानकारी दे। सरकार का कर्तव्य है कि ऐसे नाजुक मसलों पर स्वयं आगे रहकर, स्वयं आगे बढ़कर आवश्यक जानकारी देनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री हेमाराम चौधरी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी निवेदन था....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। मैंने अस्वीकार किया है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अस्वीकार किया है लेकिन मेरे पास तीन चिट्ठियां कल से आज तक आई हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैं इस विषय को दुबारा सदन में उठाने की इजाजत नहीं दे सकता। कृपया स्थान ग्रहण करें, श्री हेमाराम चौधरी।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक रुपये का सात रुपया।

श्री अध्यक्ष : यह कल हो चुकी है। सदन में आ चुकी है यह बात। स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री दाऊदयाल जोशी : पीटा जा रहा है, पुलिस नहीं है ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं व्यवस्था दे चुका हूँ। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दे दी है। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्य, आप अगर हाजिर नहीं थे तो मेरा कोई कसूर नहीं है। आप, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आप ध्यान रखिये। माननीय सदस्य,

श्री हेमाराम चौधरी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
बाड़मेर जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं की प्रगति

श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मन्त्रीजी का ध्यान बाड़मेर जिले की विद्युतीकरण योजनाओं विशेषकर पंचायत समिति धोरी मन्ना और पंचायत समिति सिणधरी की ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति जो बहुत धीमी रही है, की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिला एक सीमान्त, पिछड़ा और रेगिस्तानी जिला है। बाड़मेर जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं राजस्थान के दूसरे जिलों के मुकाबले बाद में स्वीकृत हुई हैं। पंचायत

(श्री हेमाराम चौधरी)

समिति बाड़मेर और शिव की तो इसी वर्ष स्वीकृत हुई है। बाड़मेर जिले की जो योजनायें ग्रामीण विद्युतीकरण की स्वीकृत हुई हैं, इनका कार्य प्रारम्भ हुआ उसके बाद में आज दिन तक विद्युत मण्डल ने अपने विभाग में श्रमिकों की कोई भर्ती नहीं की है। पहले से जो श्रमिक विद्युत विभाग में कार्यरत हैं वह दूसरे जिलों के श्रमिक हैं। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाओं की क्रियान्विति और देखरेख के लिए श्रमिकों की जो जरूरत है उसके अनुसार श्रमिक उपलब्ध नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाओं की क्रियान्विति के लिए श्रमिक नहीं हैं और जो काम चालू हो गया है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसकी मेंटीनेन्स के लिए भी वहां पर श्रमिकों का अभाव है।

(1.55 म. प.)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

कई ऐसी लाइनें हैं जो खराब हो जाती हैं या कहीं पर फाल्ट हो जाता है या किसी प्रकार की खराबी हो जाती। उसको ठीक कराने के लिए विद्युत मण्डल वहां के अधिशाषी अभियन्ता के पास लेवर का अभाव होने के कारण वह खराबी महिनों तक ठीक नहीं हो पाती। सभापति महोदय, इसके कारण हमारे वहां के काश्तकारों को महिनों तक बिजली नहीं मिल पाती है। इससे सिंचाई का लाभ किसानों को सही रूप से नहीं मिल पाता है। समय पर सिंचाई नहीं कर पाने से फसल का भी नुकसान होता है। सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वह पीने के पानी की योजनाओं के सम्बन्ध में होता है। सभापति महोदय, इस समय हमारे ऊर्जा मन्त्री जी के पास जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग भी है, इसलिए मैं उनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जल प्रदाय की जो योजनाएं हैं वह सुचारू रूप से चलें इसके लिए चौबीसों घण्टे विद्युत सप्लाई होनी चाहिये। कहीं पर भी कोई फाल्ट हो जाय या लाइन में खराबी आ जाय या पोल गिर जाय, तार टूट जायं उसको वापस उसी समय तुरन्त तत्काल ठीक किया जाना चाहिये। पर यह ठीक तत्काल नहीं किया जाता है। इसका एक मात्र कारण सबसे बड़ा यह है कि इनके पास स्टाफ की कमी है, श्रमिक इनके पास हैं नहीं। हम हमेशा इनसे सम्पर्क करते हैं, इनके ध्यान में लाते हैं कहीं फाल्ट होता है तो। पोल गिर जाता है, लाइन के तार टूट जाते हैं, आंधी की वजह से। रेगिस्तानी इलाका है, तार लूज हो जाते हैं। इस तरह की कई खराबियां हो जाती हैं तो उनको ठीक करने के लिए इनके ध्यान में लाते हैं तो जवाब यह मिलता है कि हमारे पास आदमियों की कमी है, कहीं दूसरी जगह से भेजेंगे। इस तरह करते करते महीनों निकल जाते हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि वह इस समस्या का शीघ्र कोई न कोई हल निकालें, इसका समाधान करें। इसके सम्बन्ध में विद्युत मण्डल के अध्यक्ष महोदय, दवे साहब से भी कई बार मिला हूं मुख्य अभियन्ता से भी मिला हूं लेकिन इसका आज दिन तक कोई हल नहीं निकला

(श्री हेमाराम चौधरी)

है। उनका जवाब एक ही है, हमारे पास पहले से ही श्रमिक बहुत ज्यादा हैं, हमारे बोर्ड का जो व्यय है, खर्चा है उसमें हम कमी करना चाहते हैं और आप उसको बढ़ाने की बात कहते हो। सभापति महोदय, इसमें किसी तरह से भी अगर कमी की जा सकती है तो वह आप अवश्य करें लेकिन इस कमी के कारण आप हमारे जिले के अन्दर श्रमिक, जो बाहर के जिलों में लगे हुए हैं पहले से, नहीं भेजें। आपके आदेश को मानकर वह आते नहीं। यह पिछले पांच साल से बराबर कोशिश रही है पर कोई कामयाबी मिली नहीं। इसलिए, सभापति महोदय, इसका दूसरा आल्टरनेट यह हो सकता है कि अगर आप हमारे वहां के लोगों की इसमें अतिरिक्त भर्ती करोगे तब तो वह श्रमिक, वहीं रहेंगे और रह कर विद्युत की जो योजनाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलायेंगे। जो भी काम होगा वह तो कम से कम ठीक ढंग से होगा और विद्युत का लाभ मिलेगा। इसलिए आप इसकी तरफ विशेष ध्यान दें। विद्युत विभाग के चेयरमैन साहब से, मुख्य अभियन्ता से या दूसरे जिनसे भी बात करना आवश्यक हो, बात करके बाड़मेर जिले में श्रमिकों की विशेष भर्ती के लिए विशेष तौर से अलग से आप कोई निर्णय लेंगे तब जाकर हमारी जो योजनायें हैं, विशेषकर पीने के पानी की योजना सुचारू रूप से चल पायेंगी। अब गर्मियों का मौसम शुरू होगा। इस मौसम के अन्दर यदि महीनों तक वाटर सप्लाई स्कीम बन्द रहती है तो आप सोच सकते हैं कि पीने के पानी की समस्या कैसा रूप धारण कर लेगी। इसलिए मैं यह विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसकी तरफ विशेष ध्यान दें। जितना काम होना चाहिए, जिस मात्रा में होना चाहिए वह उस मात्रा में श्रमिकों के अभाव में नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय, दूसरा निवेदन मेरा यह करना था कि यह बाड़मेर जिला रेगिस्तानी जिला है। यहां बडे बडे टीबे और धोरे हैं। सड़कों का वहां पर अभाव है। मैंने पंचायत समिति सिणधरी और धोरी मन्ना का मामला उठाया है। पंचायत सिणधरी और धोरी मन्ना के बीच एक लूणी नदी निकलती है। कुछ गांव इसके एक तरफ आये हुए हैं, कुछ गांव दूसरी तरफ आये हुए हैं। बीच में से नदी निकलती है। पोल, एंगल और बिजली का दूसरा जो सामान है उसे एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने के लिए इनके विद्युत मण्डल के पास वहां के अधिशासी अभियन्ता के पास कोई साधन नहीं है। सभापति, महोदय, जब तक इनके पास ट्रक नहीं हो, साधन नहीं हों तब तक पोल ट्रान्सफर नहीं हो सकते, दूसरा कोई भी सामान चाहिए उसको ट्रान्सफर कर नहीं सकते। उसके लिए यह काश्तकारों के ऊपर डालते हैं कि अगर आप लोग अपने साधनों से पोल ले जा सकते हैं, तार ले जा सकते हैं, एंगल्स ले जा सकते हैं तो हम आपके यहां बिजली लगा सकते हैं, आपके गांव में बिजली की लाइन खींच सकते हैं, और अगर आप अपने साधनों से यह नहीं ले जा सकेंगे तो हमारे पास साधन नहीं हैं हम इस काम को करने में असमर्थ हैं। असमर्थता जाहिर करते हैं। सभापति महोदय, जिन

(श्री हेमाराम चौधरी)

लोगों, जिन काश्तकारों के पास ट्रेक्टर हैं, किसी के पास ऊंट-गाडा है या इस तरह का कोई साधन है वह तो फिर भी कोशिश करेगा और ले जा भी पायेगा लेकिन जो काश्तकार शिड्यूल कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स के हैं उनके पास न तो कोई ट्रेक्टर है, न ऊंट गाड़ा है, किसी प्रकार का कोई साधन है नहीं और वह कोई सामान ले जा नहीं पाते हैं जिसके कारण, सभापति महोदय, उनको बिजली कतई नहीं मिल पा रही है। शिड्यूल कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स के पंचायत समिति धोरीमन्ना और सिणधरी के अन्दर कितने कनेक्शन हुए हैं, यह आप मालूम कर लें। मेरी जानकारी के अनुसार तो उनको कनेक्शन मिले ही नहीं हैं क्योंकि उनके पास अपने स्वयं के साधन नहीं हैं। विद्युत मण्डल के पास अपने साधन नहीं जिससे वह उन घरों में पोल ले जावें और उनकी लाइन खींचे।

(2.00 म. प.)

और उनकी लाइन लगाकर, यहां तक कि श्रमिक भी नहीं हैं तो गड्ढे भी उन काश्तकारों को स्वयं को खोदने पड़ते हैं और पोल भी खड़े उनको स्वयं ही करने पड़ते हैं। निर्माण कार्य जो भी किया जाता है उसमें लेबर चार्जेज भी इन्क्लूड कर लिया जाता है। तो फिर इनको अपने श्रमिकों से यह काम कराना चाहिए, सभापति महोदय, जिससे कि जो साधन रहित काश्तकार हैं उनको भी बिजली का लाभ मिल सके। सभापति महोदय, मैं यह आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था।

हमारे वहां पर जितने भी गांव और कुओं का विद्युतीकरण हुआ है वह बहुत ही कम है। इस वर्ष के फेज प्रोग्राम के अन्तर्गत जितने गांवों और कुओं के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है, सभापति महोदय, वह भी अन्य जिलों की तुलना में कम है। वह जिले पहले से बिजली के मामले में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, प्रगति हो चुकी है और हमारा जिला पहले से ही बिजली के मामले में बहुत पीछे है, उसकी तुलना में लक्ष्य कम है। कम होते हुए भी उन लक्ष्यों को प्राप्त करना बहुत कठिन हो गया है। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि आप श्रमिकों की तरफ, साधनों की तरफ और सामग्री की तरफ विशेष ध्यान देंगे तभी जाकर जो यह प्रगति मन्द गति से चल रही है वह द्रुत गति से हो सकेगी। श्रमिक, साधन और सामग्री की बात कहते हैं तो जब तक सामग्री समय पर उपलब्ध नहीं करायेंगे तब तक हमारा काम रुका पड़ा रहेगा। जहां तक सामग्री का सवाल है, जवाब यह हो सकता है कि पूरे राजस्थान में सामग्री की कमी है। सभापति महोदय, हमारे यहां पर सामग्री की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि बहुत ही दूर दूर इलाके हैं और लम्बी-लम्बी लाइन खींचनी पड़ती है। इसलिए उस अनुपात में हमारे यहां सामग्री ज्यादा देंगे तो कुछ काम हो पायेगा वरना दूसरे जिलों की तुलना में एक गांव को इलेक्ट्रिफाई करने के लिए जितनी सामग्री आप देते हैं उसी हिसाब से हमारे यहां देंगे तो हमारी प्रगति बहुत ही धीमी रहेगी। खास करके बड़ी लाइन है भीनमाल-गुढ़ा जो कि 33 के. वी. की लाइन है, उसको पिछले वर्ष भी फेज प्रोग्राम में लिया गया था और इस वर्ष भी फेज प्रोग्राम में रखा गया

(श्री हेमाराम चौधरी)

है । अभी तक वह लाइन पूरी नहीं हो पाई है । विभाग के अधिकारियों ने इसमें बहुत रुचि ली. इसमें दो राय नहीं है । मैं दवे साहब से भी मिला था और विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, श्री गर्ग साहब से भी मिला था, उन्होंने इस बारे में बहुत कोशिश की है जो मैंने बताया है, श्रमिक, साधन और सामग्री का अभाव है इसकी वजह से वह जितनी भी कोशिश करें, वह पूरी नहीं हो पा रही है । इसलिए इसमें विशेष रुचि लेकर इस लाइन को पूरा करायें । इसको पिछले वर्ष भी फेज प्रोग्राम में रखा और इस वर्ष भी है और अगले वर्ष फिर रखेंगे और फिर यह काम वैसे का वैसा ही रह जायेगा । तो काश्तकारों को जो कुओं पर कनेक्शन देते हैं गुडा क्षेत्र के अन्दर, जब तक 33 के. वी. से गुडा को नहीं जोड़ा जायेगा तब तक उनको पूरी पावर नहीं मिल पायेगी । पूरी पावर जब नहीं मिलेगी तो जो काश्तकार हैं उनको बिजली का सही लाभ नहीं मिलेगा । यहां तक कि वहां पर लोगों के अन्दर इस तरह की भावना पैदा होने लग गई है. यह बिजली है. यह समय पर नहीं मिलती है, देर हो जाती है, खराब हो जाती है, इसको ठीक करने वाला नहीं है, पावर ठीक ढंग से नहीं मिलती है । तो इस तरह से लोग नये कनेक्शन लेने में भी घबराहट अनुभव करते हैं, खतरा महसूस करते हैं । इसलिए सभापति महोदय, इसकी तरफ विशेष ध्यान दें ।

धोरीमन्ना से बामणाना दूसरी लाइन इसी वर्ष के फेज प्रोग्राम में 33 के. वी. की रखी है लेकिन उसका एक पोल भी नहीं लगा है, न कोई काम हुआ है पिछले वर्ष वाला काम भी अभी तक नहीं हुआ है ।

श्री सभापति : कृपया संक्षेप में ।

श्री हेमाराम चौधरी : इसके अलावा, सभापति महोदय, जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है यह अपने पैसे विद्युत विभाग को अपने कनेक्शन लेने के लिए, लाइन खींचने के लिए या ग्रिड सब-स्टेशन बनाने के लिए पहले जमा करा देता है । उसके बावजूद काफी लम्बे समय तक, वर्षों तक उसका काम नहीं हो पाता है जिसकी वजह से हमारी पेयजल योजना पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । सभापति महोदय, इस समय तो दोनों ही विभाग हमारे विद्युत मन्त्री जी के पास हैं इसलिए वह इस तरफ ध्यान दें ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (ऊर्जा मन्त्री) : मेरे पास नहीं हैं । गलत फहमी हो रही है आपको ।

श्री हेमाराम चौधरी : जैसे रानी गांव से सनावड़ा रूरल वाटर सप्लाई स्कीम है और सनावड़ा के अन्दर 33 के. वी. का ग्रिड स्टेशन बनाने के लिए पी. एच. ई. डी. द्वारा पैसा आर. एस. ई. बी. को जमा कराए बहुत समय हो गया है लेकिन उसके बाद आज तक कोई प्रोग्रेस किसी प्रकार की नहीं हुई है । वहां पर ग्रिड स्टेशन बनाने और उसके बाद आगे के कई गांवों में लाइन खींचने और कनेक्शन देने के महत्वपूर्ण कार्य हैं । जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का सीधा सम्बन्ध पानी से है और पानी का सीधा सम्बन्ध आम जनता से है और पानी की समस्या जो बाड़मेर जिले में है, ऐसी गम्भीर समस्या और किसी जिले में नहीं है । इस सम्बन्ध

(श्री हेमाराम चौधरी)

में भारत सरकार ने बहुत ज्यादा मदद की है और पैसे दिये हैं, वह पैसे आर. एस. ई. बी. को भी दे दिये। हम समय पर काम नहीं करायेंगे तो हमारे यहां पीने के पानी की समस्या हल नहीं होगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस काम को पूरे राजस्थान में प्राथमिकता देकर पी. एच. ई. डी. ने आपको जो पैसा दिया है उससे सामग्री सबसे पहले जुटायें, साधनों की भी व्यवस्था करें। यह सब करके आप पीने के पानी की समस्या हल करें। अब गर्मी का मौसम आने वाला है और आपने इस तरफ अभी तक बहुत कम ध्यान दिया है, उसके लिए अवश्य ध्यान दें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। अब ध्यान आकर्षण हो गया।

श्री नाथूराम मिर्धा (मेड़ता) : सभापति महोदय, कोई तरीका तो होना चाहिए। इतना लम्बा भाषण मेरे ख्याल से किसी माननीय सदस्य का नहीं हुआ होगा। ध्यान आकर्षण हो गया। He is going on speaking for minutes together. I think there should be some procedure. और इसमें लिखा हुआ है, "ध्यान आकर्षित कर देंगे। लम्बा भाषण दिये ही जा रहे हैं। He is speaking for all at his discretion. There has to be some limit. The valuable time of the House is limited one.

श्री हेमाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो कमियां हैं श्रमिकों की, साधनों की और सामग्री की, इसकी पूर्ति करके हमारे विद्युत के मामले में ध्यान दें।

धन्यवाद।

श्री सभापति : विद्युत मन्त्री, श्री गुलाब सिंह जी शक्तावत अब अपना वक्तव्य देंगे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (ऊर्जा मन्त्री) : सभापति महोदय, वर्ष 1984-85 में बाड़मेर जिले में वार्षिक योजना के अन्तर्गत निर्धारित मूल लक्ष्य 57 ग्रामों एवं 327 कुओं का विद्युतीकरण करना था। इन लक्ष्यों पर पुनर्विचार किया गया एवं जब समस्त राज्य के ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्यों को बढ़ाया गया तब बाड़मेर जिले के लिए भी 69 ग्रामों एवं 495 कुओं के विद्युतीकरण का लक्ष्य निश्चित किया गया। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य प्रारम्भ किया गया एवं ग्रामीण विद्युतीकरण की दो योजनाओं को बाड़मेर जिले के लिये इस वर्ष और स्वीकृत कराया गया। इसके पूर्व ग्रामीण विद्युतीकरण की 13 योजनाओं पर कार्य चल रहा था। इन दो ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाओं की स्वीकृति से अब बाड़मेर जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में ग्रामीण विद्युतीकरण की 15 योजनायें चल रही हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण के बढ़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राजस्थान विद्युत मण्डल द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया लेकिन संसाधनों की कमी व कुछ अन्य कारणों से कुछ कठिनाइयां सामने आई हैं। फिर भी यथासम्भव प्रयास मण्डल द्वारा किया गया है और इसके फलस्वरूप बाड़मेर जिले में फरवरी,

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

1985 के अन्त तक 31 ग्रामों का एवं 257 कुओं का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मार्च, 1985 में करीब 15 ग्रामों एवं 75 कुओं का विद्युतीकरण होने की सम्भावना है। इस प्रकार इस वित्तीय वर्ष में बाड़मेर जिले के लगभग 45 ग्रामों एवं 330 कुओं का विद्युतीकरण हो जायेगा।

बाड़मेर जिला क्षेत्र की दृष्टि से एक बहुत ही बड़ा जिला है और एक गांव से दूसरे गांव के बीच में काफी दूरी है। अतः इस जिले के ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए बहुत लम्बी लाइनों को बिछाना पड़ता है। इसके लिये अधिक व्यय व श्रम की आवश्यकता होती है। जिले में कुशल एवं अर्द्ध कुशल तकनीकी श्रमिकों का अभाव है, हालांकि आवश्यक संख्या में तकनीकी अधिकारी कार्यरत हैं। लेकिन क्योंकि कुशल एवं अर्द्ध कुशल तकनीकी श्रमिकों के मिलने में कठिनाई आती है अतः इस जिले में अधिक कार्य सम्पन्न कराने के लिए ठेके से कार्य करवाया जा रहा है।

उपरोक्त लक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि संसाधनों एवं कठिनाइयों के बावजूद भी बाड़मेर जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्यक्रम कुल मिलाकर संतोषजनक रहा है।

माननीय सदस्य ने यह भी उल्लेख करने का प्रयत्न किया कि वहां के एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर के पास कन्स्ट्रक्शन के बाद जो मेन्टीनेन्स की लाइन है उसके काम को देखने के लिए कोई श्रमिक नहीं है। मैं उनकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं, बाड़मेर जिले में 429 श्रमिक अब भी कार्यरत हैं जो मेन्टीनेन्स की लाइन को देखते हैं। चूंकि कन्स्ट्रक्शन्स के लिए जितने आवश्यक श्रमिक चाहिये वह, जैसा कि मैंने इस बारे में निवेदन किया कि अर्द्ध-कुशल न होने की वजह से ऐसे क्षेत्र का काम हमने ठेके से प्रारम्भ करवाया है। माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि सामान को ट्रान्सपोर्ट करने के लिए वहां पर ट्रकों की व्यवस्था नहीं है इसलिए वहां पर काम समय पर पूरा नहीं होता। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर पांच ट्रकों की व्यवस्था है जिसके द्वारा सामान समय पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

यही नहीं, अब तक बाड़मेर जिले के जो 857 गांव हैं, इन गांवों में से वर्ष 83-84 के अन्त तक हमने 220 गांवों का विद्युतीकरण किया है और इस वर्ष 45 गांवों का विद्युतीकरण पूरा होने पर लगभग 265 गांवों का विद्युतीकरण हो जाएगा, जो लगभग बाड़मेर जिले के कुल गांवों की संख्या को देखते हुए 27 प्रतिशत से भी अधिक आता है। हमारा प्रयास यह रहेगा कि बाड़मेर जिले में जो योजना स्वीकार की गई है, ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना के अन्तर्गत उनपर काम समय पर हो और काम समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जाय, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम सोचें तो बाड़मेर का एक गांव दूसरे गांव से काफी दूरी पर आता है, जिन 31 गांवों का विद्युतीकरण हमने इस वर्ष में किया है, लगभग तीन सौ किलोमीटर लाइन को हमने खींचा है तब 31 गांवों का विद्युतीकरण करना हम सम्भव कर पाये हैं। इस जिले के विद्युतीकरण के लिए जो भी संभव

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

प्रयत्न हैं, वह करने का पूरा प्रयत्न किया गया ।

जहां तक आपने बताया कि वाटर वर्क्स की डिपाजिट राशि जिस काम के लिए जमा कराई गई थी उसका उपयोग नहीं किया गया । इसी तरह से 33 के. वी. लाइन के बारे में आपने उल्लेख किया । मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले के लिए जल-प्रदाय विभाग के द्वारा जो राशि जमा कराई गई है उन स्थानों के लिए जो विद्युतीकरण योजना में शामिल है उन कामों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का मण्डल के द्वारा सरकार प्रयास करेगी ताकि लोगों को समय पर पानी उपलब्ध कराया जा सके । साथ ही जिस क्षेत्र में 33 के. वी. लाइन के लिए जैसा आपने बताया कि प्रावधान किया गया, मेरी जानकारी में अभी नहीं है लेकिन मैं इसकी जानकारी प्राप्त कर उस काम को भी अगर इस साल में प्रावधान में है और उसको शरीक किया गया है तो प्रारम्भ कराने का काम शीघ्र ही पूरा किया जायेगा । यही मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री सभापति : मेरे ख्याल से, माननीय सदस्य, अब कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : सभापति महोदय, मन्त्री-महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उसके बारे में मैं मन्त्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूं कि बाड़मेर की तरह ही बीकानेर जिले में भी इस प्रकार के 12 कनेक्शन दिये गये, 6 महीने से लेकर साल भर के पेण्डिंग हैं और....

(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय सभापति महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव केवल बाड़मेर जिले तक ही सीमित है ।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय सभापति महोदय, उसी सन्दर्भ में निवेदन करना चाहता हूं, पी. एच. ई. डी. को प्राथमिकता देनी चाहिए, साल भर से कनेक्शन पेण्डिंग हैं....

(व्यवधान)

जिसकी वजह से पेयजल की भयंकर संकट की स्थिति बनी हुई है, बीकानेर जिले के अन्दर ।

श्री सभापति : कोई स्पष्टीकरण नहीं कृपया आगे चलें ।

(व्यवधान)

This is not general quiestion. यह प्रस्ताव इस पर नहीं है । कृपया ।

(व्यवधान)

श्री रमजान खां (पुष्कर) : सभापति महोदय, गांवों में बिजली के खम्भे लग रहे हैं,लेकिन बिजली के खम्भे लोगों को खुद उठा कर के ले जाने पड़ते हैं । माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है ।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : यह जरूरी है । मन्त्री महोदय को हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देते हैं तो वह लगता नहीं है, आज यह लग

(श्री देवीसिंह भाटी)

गया है। मन्त्री महोदय की जानकारी में ला रहे हैं कि बीकानेर में 14 ऐसे कनेक्शन हैं जो साल भर से पेण्डिंग हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय सदस्य, ऐसे स्थानों के नाम मुझे बता दें, मैं जो कुछ सम्भव हो सकेगा कार्यवाही करूंगा।

(व्यवधान)

श्री पंकज पंचोली (वेंगू) : इस पर डिबेट अलाउ नहीं की गई है। मेरा निवेदन है रूल 131 जाग्रत, बस इस पर डिबेट अलाउ नहीं की जाये।

श्री रमजान खां : सभापति महोदय, मैं बाड़मेर जिले की ही बात कर रहा हूं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। फयोवर और पालदी जैसे प्रमुख गांवों के अन्दर बिजली के खम्भे....

(व्यवधान)

मन्त्री महोदय ने कहा, 5 ट्रक लगे हुए हैं। हमें पता नहीं है....

श्री पंकज पंचोली : पाइन्ट ऑफ आर्डर। सभापति महोदय, रूल 131 में साफ लिखा हुआ है कि कॉल अटेन्शन मोशन में डिबेट अलाउ नहीं करेंगे। There shall be no debate on such statement at the time it is made.

श्री सभापति : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस हो रही है। माननीय श्री नाथूराम मिर्धा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर। इस सदन की परम्परा रही है कि जो माननीय सदस्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव करते हैं, वक्तव्य मन्त्रीजी का आ जाने के बाद उस वक्तव्य में स्पष्टीकरण के लिए अगर कोई सवाल हो तो वह सवाल किया जा सकता है।

श्री सभापति : उसी विषय का। यह बिल्कुल डिफरेन्ट है। मेरा कहना यह है कि यह कठिन होगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, यह परम्परा रही है। फिर वक्तव्य का क्या मतलब है?

श्रीमती कमला (राजस्व मन्त्री) : उसी क्षेत्र का, उसी विषय का।

श्री सभापति : सम्माननीय नेता बैठे हुए हैं, मैंने नाम बोल दिया है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मुझे कुछ कहना नहीं है, यह परम्परा बन जायेगी यदि इसको रोक देंगे तो। जो परम्परा बनी हुई है सदन की...

श्री सभापति : आसन को कठिनाई होगी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, बिजली विभाग मेरे पास भी रहा है। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, ऐसी बातें उठाई गई हैं, माननीय मन्त्री महोदय ने....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पहले ऐसा सवाल नहीं आया था।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद–विवाद

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सभापति जी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री जोशीजी के द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव, जिस पर चर्चा हो रही है, पर मैं भी मेरे कुछ सुझाव रखना चाहता हूं।

श्री जोशीजी ने अपने भाषण में काफी कुछ आंकड़े देकर इस बात को बताने का प्रयास किया है कि जैसे विधानसभा के चुनावों में और लोकसभा के चुनावों में बीच में जो बहुत थोड़ा अन्तर था उसके बाद कोई परिवर्तन या अन्तर इस सदन में नहीं आया। मैं बहुत ही नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, बहुत ही थोड़े अरसे में लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस आई पार्टी और उसके नेता श्री राजीव गांधी ने अभूतपूर्व कामयाबी हासिल की जो उनके नाना और मां भी हासिल नहीं कर सके। कुल मिलाकर 400 आदमी या उससे भी एक दो ज्यादा लोकसभा के मेम्बर उनके गये थे और उनका बहुत बड़ा बहुमत आज की पार्लियामेंट में है। इससे श्री राजीव गांधी भी बड़े हर्षित हैं। विधान सभा के चुनाव हुए थे, सारे भारतवर्ष के चुनाव के दौरे भी किए और दौरे में कहते थे कि विपक्ष तो बेहोश, मूर्छित है, लड़ने का मजा नहीं आ रहा है। यह आम तौर पर उनका भाषण था। पर मेरे ख्याल से उनको पता लग गया कि मूर्छित और बेहोश विपक्ष भी एक बहुत ही थोड़े अरसे में किस प्रकार इस देश में उठकर खड़ा हुआ है और देश की जनता ने इस बारे में कैसे रिएक्शन किया है, यह आपके और हमारे सामने है। मेरे ख्याल से थोड़ा सबक आपको लेने की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से कर्नाटक का जहां तक सवाल है, आपकी ताकत वहां गिरी है। 24 सीटें लाये आप 28 में से लोकसभा में और वहां पर बहुत कम मात्रा में जीते हैं उसके प्रपोर्शन में। और आन्ध्र प्रदेश में तो पहले ही आप साफ थे और अब भी आप साफ हैं और सिक्किम में तो आप बिल्कुल ही साफ हो गये। वहां तो आपका कोई नाम लेवा भी नहीं, एकाध आदमी जीता है।

एक माननीय सदस्य : दमकिपा का भी नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : है जी और अगर आप सुनें तो ठीक रहेगा, बीच में आप सवाल पूछेंगे तो जवाब तो मैं दे दूंगा पर आपका भी समय जायेगा और मेरा भी समय जायेगा इसलिये सुनते रहो।

इसलिये तीन राज्य तो आपके हाथ से चले गये हैं बाकी राज्यों के बारे में आप सोचें जहां आपकी कुछ शक्ति बढ़ी है, वह एक मध्य प्रदेश है और दूसरा हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा आपकी दूसरे राज्यों में शक्ति घटी है। उसका आप नाप तौल कर लीजिये।

राजस्थान का जहां तक सवाल है मेरे ख्याल से मेरे हिसाब से सरप्लस कान्स्टीट्यूएंसी थीं वो 15-16 कांस्टीट्एंसी थीं जिसमें आप सरप्लस होने पर 23 में से 25 सीट लोकसभा में ले गये और हम हार गये। उन सरप्लस कान्स्टीट्यूएंसीज के हिसाब से तो ज्यादा से ज्यादा हमारी 15-20 सीट आनी चाहिये थीं और आप अगर देखें तो विपक्ष का बहुत बड़ा परफार्मेन्स है उसके हिसाब से।

इसके अलावा महाराष्ट्र में आपकी शक्ति घटी है जहां लोक सभा के चुनाव हुए

(श्री नाथूराम मिर्धा)

थे और उसके साथ साथ यू. पी., बिहार और दूसरे प्रदेशों में भी आपकी शक्ति घटी है। अब यह सभी एक महीने के अन्दर में ही इतना बड़ा परिवर्तन हुआ और आप बहुत जोश खाते है, ऐसी बात तो है नहीं। आपको इन सभी चीजों से सबक लेना चाहिये।

आपको इतना बड़ा बहुमत जनता ने दिया तो उस बात के पीछे एक भूमिका यह थी कि विपक्ष के लोग एक नहीं थे और एक नहीं होने के कारण लोगों का एक सूत्र में नहीं बन्धने के कारण आपने एक नारा दिया था देश को बांधने के लिये, एकता में चलाने के लिये कि विपक्ष सक्षम नहीं है देश को चलाने के लिये और देश की जनता ने उसको स्वीकार किया, एक मुद्दा था यह।

दूसरा मुद्दा यह था कि आपके पास विपुल धन सम्पदा थी। मेरे ख्याल से वैसे तो चुनावों का धन वैसे ही काला धन हो गया है जिसका मुझे अफसोस है। इस बात को बदला जा सके तो अच्छा है और कोई और तरीका ला सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब काले धन में आपका हिस्सा तो बहुत कम होता है उसके मुकाबले।

एक माननीय सदस्य : होता तो है।

श्री नाथूराम मिर्धा : बहुत कम होता है। आपके केन्डीडेट एक एक 60–60 हजार ले के बैठे हैं जो निश्चित तौर से....

(व्यवधान)

भाई अखबारों में लिखा वह कह रहा हूं मैं तो क्या जानूं। आंकड़े दिये थे और अगर किसी को कम मिला तो मुझे तो पता नहीं पर आपके एक एक लोगों के मुकाबले हमारे तो एक भी केन्डीडेट के पास दस बीस हजार भी नहीं था। जहां करोड़ों रुपया खर्च हुआ एक पार्लियामेन्ट्री कान्स्टीट्यूएंसी में, जहां सभी तरह की रजाइयां, कम्बल और साईकिलें, जीपें वगैरह दी गई....

श्रीमती कमला (राजस्व मन्त्री) : यह सभी आधारहीन हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : लोकतन्त्र में नैतिकता में गिरावट आ रही है।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : वह तो विपक्ष के लोग आम तौर से समाज को गलत रास्ते पर डालने के लिये ऐसा कहते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप अपनी बात कह देना जब हरिदेवजी जवाब दें। हरिदेव जी जब बोलें उस वक्त आप भी अपनी बात कह देना, मुझे तो कह लेने दो। और मुझे यह कहना इसलिये जरूरी है....

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : कमला भी बच गई हो।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसलिये मुझे इस बात को कहना, कमला जी, जरूरी हो गया है कि इस देश का नैतिक पतन, जिस तरह से गिरावट हो रही है वह बड़े पैमाने पर हो रही है और जनता भी सीखने को मजबूर हो रही है और आप हमको भी इस बात को सीखने के लिये मजबूर कर रहे हैं।

श्रीमती कमला : मैं बहुत ही सम्मान से, आदरणीय नाथूरामजी, कहना चाहती हूं कि आप कांग्रेस पर लांछन लगा रहे हैं और उसी का नतीजा है कि हम लोग उसको भुगतते आ रहे हैं विपक्ष की तरफ से।

श्री नाथूराम मिर्धा : अब आप को जो भुगतना है वह आप भुगत लेना और जो मुझे भुगतना है उसको मैं भुगत लूंगा और किस तरह उसका फैसला होगा वह जनता फैसला करती है कि कौन ज्यादा भुगतता है या क्या हो रहा है। इसलिये जिस तरह से अनाप शनाप धन सम्पदा का खर्चा आपके द्वारा किया जा रहा है, जो अभी यहां पर माननीय सदस्य रो रहे थे कि एक खम्भा नहीं लगा, दो खम्भे नहीं लगे लेकिन चुनावों के दिनों में मैंने भी देखा है और आपने भी देखा है कि क्या मालूम ताण्डव नृत्य की तरह नाचते हैं आप लोग सड़क बनादो, बिजली लगादो, ट्रैक्टर चला रहे हैं, लारियां चल रही हैं सारे काम जैसे योजना के 20 दिन में ही पूरे करने हैं। यह कोई मैं गलत कह रहा हूं तो आप कहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं कौन से काम हुए हैं, कहां पर नल पड़े हुये हैं क्या हुआ उस समय। क्या आपको सारे विकास के काम उन दिनों में ही सूझते हैं? सारे कानूनी और गैर कानूनी काम आप उस वक्त कर डालते हैं और आप कहते हैं कि आप कहो मत। क्या कहूं, इतनी गलत होती है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से जालौर के इलेक्शन में जिन मन्त्री महोदय ने पार्लियामेन्ट का इलेक्शन लड़ा उन मन्त्री महोदय ने वहां के लोगों को 6 हजार साइकिल बांटी थीं और उन 6 हजार साइकलों पर बैठे हुए लोग कह रहे थे कि कांग्रेस आई को वोट दो, कांग्रेस आई को वोट दो। यह तरीका अगर हम अख्तियार करेंगे तब यह प्रश्न हमारे और आपके सामने होगा। अनाप शनाप धन का खर्चा और योजनाओं के धन का गलत तरीके से चुनाव में उपयोग करना कई जगह पर का शुरु हुआ था, यह सब चीजें आप लोग सिखाते हैं और कहते हैं कि ऐसा मत करो। आप जनता को सिखाते हैं, भ्रष्ट तरीके। मेरा यही निवेदन है कि चुनावों से आपको सबक लेना पड़ेगा, यह चीजें ठीक नहीं हैं। आज देश की नैतिक हालत गिरती चली जा रही है और गिरती चली जायेगी और एक बार गिरावट आई तो फिर उसका रिवाइवल नहीं होगा। एक दफा गिरने के बाद उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, यही सबसे बड़ी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

हमने लोकतन्त्र के जरिये विकास का रास्ता चुना और उसके लिये योजनाएं बनाने लगे। हमने 6 योजनाएं पूरी की हैं। योजनाओं के बारे में मुझे दो शिकायतें हैं। एक तो आपकी योजनाएं जब तय होती हैं तो नेशनल डवलपमेन्ट कौन्सिल में हमारे मुख्य मन्त्री जी बैठते हैं। उसमें इन योजनाओं की दिशा को बदलना पड़ेगा, इनकी प्रायोरिटीज को बदलना पड़ेगा। योजना के आधार पर खर्च किया जाता है। हमारी इन योजनाओं के इम्पलीमेन्टेशन के आधार पर जो अभी अपव्यय होता है, उसमें जो भ्रष्टाचार होता है उसको हमें रोकना पड़ेगा। आज योजनाओं पर जो पैसा खर्च किया गया है उसका आधा पैसा तो मेरे हिसाब में छीजत में चला गया है, चाहे आपके इलेक्ट्रिसिटी के वर्क्स हों, चाहे आपके

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इरिगेशन के वर्क्स हों, चाहे आपके दूसरे वर्क्स हों, उनमें किसी तरह से आधा पैसा तो मुफ्त में ही चला जाता है बंटवारे में। इसलिये इन चीजों को रोकने के लिये राज्य के अपने प्रयास करने पड़ेंगे, केन्द्र को भी अपने प्रयास करने पड़ेंगे। इसके अलावा और भी जो योजनाओं की प्रायोरिटीज हैं उसके अन्दर जो फर्क है उसको ठीक करना पड़ेगा। राजस्थान केनाल 27 वर्षों से चल रही है, और 450 करोड़ रुपये उस पर खर्च हो गये हैं। उसको पूरा करने के लिये। वह देश की सारी भूख को मिटा सकती है। अपने यहां आइल, सीड आइल को जो हम इम्पोर्ट करते हैं, धान को इम्पोर्ट करते हैं, चावल इम्पोर्ट करते हैं, उस केनाल के जरिये सारे देश की भूख को मिटाया जा सकता है। क्योंकि वह स्टेट सेक्टर में है और स्टेट सेक्टर में होने की वजह से उसकी एक सीमा होती है, एक सीमा से ज्यादा पैसा स्टेट प्रोवाइड नहीं कर सकता है, इसलिये वह आज कीड़ी की चाल से चल रही है। 27 सालों से अभी भी हम उस पर हर साल 20–25 करोड़ रुपये प्रोवाइड कर रहे हैं। उसको पूरा करने के लिये 400-500 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। आपने जो लिफ्ट योजनाएं सैंक्शन की हैं उन योजनाओं को पूरा करने के लिये हमारी प्रायोरिटी के तरीके हमें बदलने पड़ेंगे। आज आप एशियाड पर डेढ़ हजार करोड़ रुपये खर्च कर सकते हैं, 500 करोड़ रुपये नान एलाइन कान्फ्रेन्स के लिये खर्च कर दिये। दो सौ करोड़ रुपये कामनवेल्थ पार्लियामेंट्री कान्फ्रेन्स के लिये खर्च कर सकते हैं और 800 करोड़ रुपये आप होटलों की 50 मन्जिली इमारतें खड़ी करने के लिये खर्च कर दें, टेलीविजन पर एक साल में एक हजार करोड़ रुपये खर्च कर सकते हैं और उधर दूसरी ओर लोग भूख से मरते हैं तो इसकी ओर आपको ध्यान देना होगा। प्रायोरिटी के लिये आपकी राज्य सरकार को, राज्य के मुख्य मन्त्री को एन. डी. सी. में इन बातों को उठाना पड़ेगा। यह कौन उठायेगा? इन बातों के लिये आपको प्रायोरिटी को बदलना पड़ेगा, छीजत को बन्द करना पड़ेगा। आज हमारे यहां की आबादी बढ़ती जा रही है और गरीबी और बेकारी भी बढ़ती जा रही है। इन समस्याओं के समाधान के लिये आपके साधन सीमित हैं और आपके साधन तो सीमित रहेंगे ही। लेकिन आपको प्रॉपर यूटिलाईजेशन उन प्रायोरिटीज का करना पड़ेगा। अगर आपने अपनी प्रायोरिटीज को नहीं बदला तो इस देश की जो 400 की सेना लेकर आप पार्लियामेन्ट में बैठे हैं वह इन सारी देश की समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकती है, यह मेरी निश्चित मान्यता है। लोकतन्त्र में योजनाओं के रास्ते के सिवाय दूसरे रास्ते से विकास नहीं हो सकता है, सभी चीजों के अन्दर। राजस्थान केनाल के अलावा राजस्थान में क्या है? अभी चुनावों के दिनों में एक नया नारा दिया था आपने कि ऊपर से लेकर नीचे तक एक कड़ी जोड़ दो सब भाई, एक ही तरह का राज्य कर दो, इससे बड़ा विकास होगा। भई, कड़ी जोड़ देने से विकास होने का प्रश्न नहीं है। अगर कड़ी जोड़ देने के साथ विकास होता तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतने वर्षों तक कांग्रेस जो ऊपर से नीचे तक कड़ियां जोड़ती रही, आज देश का सत्तर फीसदी पानी जो बरसात में बहता है, पहाड़ों से

(श्री नाथूराम मिर्धा)

होता हुआ समुद्र में चला जा रहा है नदियों की मार्फत, आज हमारे कितने झगड़े उलझे पड़े हैं, इस बेसिक पानी से सिंचाई की जा सकती है और विद्युत जेनरेट की जा सकती है, मामले उलझे पड़े हैं तो उन मामलों को कड़ी से कड़ी बांधकर सुलझायें। इन्दिरा गांधी जैसी प्रबल नेता भी यूं ही चली गई तो और दूसरे जो नेता हैं वह क्या करेंगे। आज कई राज्यों में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो कांग्रेस का राज है, कितने झगड़े इन्टर स्टेट के उलझे पड़े हैं, जो नदियों का पानी है उसका बंटवारा नहीं हुआ है। 22 झगड़े पेंडिंग हैं इस राजस्थान के, जो नर्मदा से लिंक हैं, जो झगड़े आपके राजस्थान केनाल के पानी से लिंक हैं, जो आपके गुजरात में कड़ाना और माही से लिंक हैं। 22 झगड़े उलझे पड़े हैं। कौन रोकता है उसको ? करो, केन्द्र आपका है, आपका राज है। हल करो उनको, बताओ तो सही हमने पांच-एक साल में इतने हल कर दिये। कोई काम करने की क्षमता नहीं है। इतनी बड़ी नेता हिन्दुस्तान की थीं, सारे नदी जल विवाद उलझे पड़े हैं। आज उनको फुर्सत नहीं है। क्या राजीव गांधी आज हल कर सकेंगे, मुझे तो शंका है। क्या आपका राज्य कर सकेगा ? और नहीं करेगा तो सिंचाई का पानी और बिजली का पानी नदियों से बहता हुआ समुद्र में जा रहा है, जाता चला जायेगा। आज हम जितने विवादों में उलझे हुए हैं, मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, मैं सब जानता हूं, मुझे इतना टाइम नहीं कि सारी बातों का जिक्र करूं वरना मैं कहना चाहता हूं कि बिजली का जो बेसिक इनपुट है सब चीजें डबल हैं, सेच्यूरेशन में पहुंच गया है।

इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आज राजस्थान में बुलाते हैं, आते हैं, सब पहले रोते आते हैं कि बिजली नहीं है। हम आकर क्या करें, जो हैं उनके पास बिजली नहीं है। इसी तरह की किसान की हालत है। बिजली के अन्दर सरप्लस की बात की जाती है, चार सौ मेगावाट आपके पास पड़ी बताई जाती है, किस काम की है वह पावर ? पता नहीं पावर कब फेल हो जायेगी और चालू हो जायेगी। जो आपकी एटामिक पावर है उसके साथ आपने कई पावर जेनरेशन के थर्मल प्लांट्स बनाये हैं जिसका जिक्र लम्बा-चौड़ा किया, कितने साल में पूरा होगा, कब तक बिजली की कमी को दूर करेंगे ? मेरा एक सुझाव है, नोट कीजिये कमला जी, कुछ ऐसे जेनरेटर्स हैं बाहर के फारेन कंट्रीज में जो 15-20 या 25 मेगावाट की पावर के हैं और आयल से चलते हैं, उनको आप मंगायें। राजस्थान में जो बड़े-बड़े शहर हैं, उनके अन्दर स्टेशन हैं, उनका फौरन जेनरेटिंग होता है, फिटिंग में तीन-चार महीने से ज्यादा नहीं लगता, अगर आपको पावर की कमी दूर करनी है तो आयल जेनरेशन के ऊपर राजस्थान को चलाना पड़ेगा। राजस्थान में पीने के पानी की समस्या को हल ग्राउंड वाटर का उपयोग इंडस्ट्री में आगे बढ़ोत्तरी सिर्फ इस पावर के जेनरेटर इमीजियेट लगाकर बिजली जेनरेट करके की जा सकती है वरना इसका कोई उपाय नहीं है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर पावर जेनरेशन के लिए लिग्नाइट का जिक्र किया है। बरसों से इस बात को कहते आये हैं कि फलाना में आपको इतना लिग्नाइट मिला है, मेड़ता और नागौर में लिग्नाइट काफी निकला है। आपके कपूरड़ा लिग्नाइट प्रोजेक्ट में आज तक क्या हुआ ?

(श्री नाथूराम मिर्धा)

वरसों से मैं सुन रहा हूं, जब मैं यहां था, जिसको आज 15–18 साल हो गये। यहां तक कहा जाता था कि ज्यादा जेनरेट कर रहे हैं। ऐसे कितने दिन चलाये चलेंगे पावर जेनरेशन के प्रोग्राम को, लिग्नाइट के प्रोग्राम को ? सिस्टेमेटिक तरीके से जितना पास करवा सके हैं, लागू कीजिए। बिना पावर जेनरेशन के इरिगेशन नहीं हो सकती है। ग्राउंड वाटर में से तीस प्रतिशत हिन्दुस्तान का पानी सिंचाई के काम आता है जो बड़े-बड़े डैम्स, छोटे-छोटे डैम्स में आता है। सिंचाई के आंकड़ों का जिक्र किया है, मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, वरना मोटी-मोटी बात कहने की भी मुझे फुर्सत नहीं रहेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पावर जेनरेशन बेसिक चीज है। ग्राउंड वाटर पोटेंशियल है इस राजस्थान में, अभी भी कई राज्यों में जबर्दस्त पोटेंशियल है। मैं आपसे कहना चाहता हूं यहां पर, अमरीका में केलिफोर्निया के इलाके में देखा कि 1100 मीटर के पानी को निकालकर सिंचाई की जाती है। यहां पर हम लिफ्ट कैनाल में 200 मीटर की लिफ्ट के बारे में भी चिन्तित हैं। 1100 मीटर ग्राउंड वाटर निकालकर पम्प करके खेती की जा सकती है। इस मुल्क के अन्दर हमें 200 मीटर या फीट तक निकालने में दिक्कत आती है। यह सोचने का प्रश्न है। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, लिग्नाइट के दूसरे रिसोर्सेज पावर प्लांट को सही बताने के लिए और उसको लागू करने के लिए आपको राजस्थान में जोर लगाना पड़ेगा वरना न तो एग्रीकल्चर बढ़ सकता है न इंडस्ट्री आगे बढ़ सकती है। यह नहीं बढ़ेगी तो अन-इम्प्लायमेंट की प्राब्लम साल्व नहीं हो सकती। राजस्थान में बहुत पढ़े-लिखे बेकार, बिना पढ़े लिखे बेकारों को कामकाज में कहीं लगा नहीं सकते। पावर नहीं होगी तो खेती नहीं होगी। आफ्टर आल इन सारी चीजों को हल करने के लिए छोटी-मोटी योजनायें आप छोड़ देते हैं, उससे प्राब्लम साल्व नहीं होने वाली है। इसलिए बिजली के बारे में मेरा आपसे आयल जेनरेटर का सुझाव है। आयल जेनरेशन के बारे में आपको तुरन्त प्रोग्राम बनाकर मुख्य-मुख्य जगहों, इंडस्ट्रियल एरिया में और एग्रीकल्चर एरिया में कुछ स्टेशंस तुरन्त 7–8 महीने में रखवाने चाहिए अगर आप राजस्थान में सर्वाइवल चाहते हैं इकनामिकली।

सिंचाई के बारे में, ग्राउंड वाटर के बारे में दो बात कहना चाहता हूं। ग्राउंड वाटर के अन्दर आपने ट्यूब वैल बनाये हैं एक ट्यूब वैल पहले बत्तीस हजार में बन जाता था, यह आज से दो साल पहले की बात है। अब उसकी रेट इतनी ऊंची कर दी है कि एक ट्यूब वैल किसान बनाये तो एक लाख बीस हजार रुपये लगेंगे। क्या आप सोचते हैं एक लाख बीस हजार लगाकर किसान जो ट्यूब वैल बनायेगा वह रैम्यूनरेटिव हो सकता है, उसकी किश्त, ब्याज चुका सकता है ? मैं चाहता हूं कि चाहे करोड़ों रुपये आपको सब्सिडी देनी पड़े, आपको यह व्यवस्था करनी चाहिए कि ट्यूब वैल चालीस या पचास हजार में बनकर तैयार हो चाहे कितना भी गहरा पानी हो, कम होगा तो आप कम पैसा लें। किसानों को ट्यूब वैल नहीं देंगे तो उनका काम नहीं चलेगा। उसको खोदने के लिए किसानों को जितनी सब्सिडी देनी चाहिए दें। मेरा आपसे अनुग्रह है कि आप किसानों को सस्ता ट्यूब

(श्री नाथूराम मिर्धा)

वैल बनाकर दीजिए ताकि ग्राउंड वाटर का उपयोग सही तरीके से किया जा सके।

मैं कमला जी से निवेदन करना चाहता हूं, राजस्व मंत्री हैं, लैंड एक्वीजिशन का आपका वही पुराना कानून चल रहा है। भारत सरकार ने अभी लैंड एक्वीजिशन कानून में लेटेस्ट संशोधन किया है और वह किया है, किसानों को उसका लाभ मिले, जो जमीन अर्बन एरिया में, कस्बों के पास है उस जमीन के बारे में किसानों को ज्यादा लाभ दिया जाये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप ज्यादा वृद्धि नहीं लगाना चाहें और कम वृद्धि से काम करना चाहते हैं तो पुराने एक्ट को रद्द कर दीजिए और भारत सरकार का नया एक्ट अख्तियार कर लीजिए। इसमें आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा और इससे किसानों को ज्यादा फायदा होगा।

श्री शोपत सिंह : कम खर्च में ज्यादा लाभ होगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : पीने के पानी, सिंचाई के पानी की बात करते हैं। पीने के पानी की बहुत ही दिक्कत है। सारे सदन के लोग, उधर बैठने वाले सदस्य भी पीने के पानी की खास तौर से अकाल के वक्त में, बात करते हैं। तो पीने का पानी और ट्यूब वैल और बिजली यह सब लिंक्ड चीजें हैं। इसलिए इसके बारे में जितना कहा है वह काफी है।

चुनाव के बारे में कई बातें कही हैं। आपने जिक्र किया है कि सहकारी संस्थाओं के चुनाव का प्रोग्राम बनाया था और सहकारी संस्थाओं के चुनाव जल्दी कराना चाहते हैं। हरिदेव भाई साहब सुबह चुनावों की बात कर रहे थे नगर पालिकाओं की। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पंचायत के चुनाव की मियाद लेटेस्ट दिसम्बर तक है। दिसम्बर में कराने की बात कही है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपना टाइम शिड्यूल अभी से तय कर लीजिए ताकि इस बारे में आगे किसी में भी समय बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़े। सहकारी संस्थाओं के चुनाव, पंचायतों के चुनाव, पंचायत समितियों के सारे चुनाव और नगर पालिकाओं के चुनाव....

श्री शोपत सिंह : कृषि उपज मण्डियों के चुनाव....

श्री नाथूराम मिर्धा : और कृषि उपज मण्डियों के चुनाव दिसम्बर के पहले पहले करवाये जायें या दिसम्बर के तुरन्त बाद करवा सकें, ऐसी व्यवस्था आप कर लें। यह मैं समझता हूं, मैं जोर देकर इस बात को कहना चाहता हूं और मेरे ख्याल से हम सब लोग, उधर बैठने वाले सदस्य भी सहमत होंगे, आप सहकारी व्यवस्था को इस मामले में चुस्त कराने की कोशिश करें।

पशुधन के बारे में बातचीत की गई। मैं केवल एक ही आस्पेक्ट को छुऊंगा। वह है भेड़ों का आस्पेक्ट। भेड़ों के लिए अभी जो आपने जिक्र किया इसमें बहुत जबर्दस्त स्कीम शुरू से ही हमने बनाई थी और वह थी ऊन काटकर मार्केटिंग करने तक। एक बड़ी भारी स्कीम थी, वह सारी स्कीम 15 साल में खत्म हो गई। भेड़ों के बारे में क्या किया, सिर्फ उनको दवाई दी और भेड़ों के बारे में आपने कहा कि एम्बूलेंस

(श्री नाथूराम मिर्धा)

मंगाई है। मेरे ख्याल से कितनी भेंडे आप साल में देते हैं ? चारागाहों की भी आपने कुछ व्यवस्था की है। इस योजना पर विशेष तौर से जोर देना चाहता हूं कि एक हजार करोड़ भेड़ें हैं, देश की 44 या 48 प्रतिशत ऊन हम राजस्थान में पैदा करते हैं जो कुछ सुपीरियर टाइप की है, कुछ इनफिरियर टाइप की गलीचा ऊन है। तो ऊन के बारे में मैं केवल रेफरेंस आपको देना चाहता हूं। मेरे पास समय कम है इसलिए मैं ज्यादा इन चीजों के ऊपर नहीं बोलूंगा।

पंचायत समितियों के स्टाफ के बारे में लिखा है हम पंचायत समितियों को संगठित करने के लिए कुछ नये पदों का सृजन करने जा रहे हैं। मेरा आपसे आब्जर्वेशन है कि हमारे इस सारे प्रशासन की व्यवस्था में और पंचायत समितियों में खास तौर से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें पद कम हैं और काम करने वाले हो गये हैं खूब, उनकी तनख्वाह का बजट बहुत ऊंचा हो गया है। काम करने के लिये धन और दूसरी चीजों की व्यवस्था नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन और काम के लिये कोई साधन और धन नहीं है वह बैठे बैठे तनख्वाह लें, यह व्यवस्था बहुत दिनों से बढ़ती जा रही है, ऐसी मेरी फीलिंग है। इसलिये इसके बारे में इतना ही कुल मिलाकर आब्जर्वेशन करना चाहता हूं कि इन खर्चों को घटा कर रचनात्मक कामों के लिये धन बचा कर खर्च किया जाय। एडमिनिस्ट्रेशन के लिये कितना जरूरी है, मेरे ख्याल से बहुत से आदमी, एक्सटेन्शन ऑफिसर्स, जो बिल्कुल बिना काम के बैठे हैं, उन लोगों से क्या वह संगठन नहीं करवाया जा सकता, जो असंगठित लोगों से आप संगठन करवाना चाहते हैं....

श्री शोपतसिंह : बजट से तनख्वाह ज्यादा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : वहा मैं आपसे कह रहा हूं। इसको थोड़ा सा मेरे शब्दों में आब्जर्वेशन कर दिया है।

एक बात मैं जो खासतौर से आपसे निवेदन कर रहा था, अभी आज अजीज भाई ने अपने प्रस्ताव में इस बात का जिक्र किया था कि किसानों के कुओं पर बिजली देने के लिये आपके विभाग ने शायद नियम बना रखा है कि 12 बीघे वाले से नीचे के लोगों को तो कनेक्शन दे दो और 12 बीघा से ऊपर वालों को कनेक्शन मत दो.....

श्री शोपतसिंह : लघु कृषक 5 बीघा वाले....

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरा जो ज्ञान है वह मैं बता रहा हूं 12 बीघे का जिक्र....

श्रीमती कमला : प्रायोरिटी बनाई गई है।

श्री नाथूराम मिर्धा : प्रायोरिटी तो है। पर आगे इम्पलीमेन्ट करने वाले यह कहते हैं कि भाई राज का हुकुम है कि 12 बीघाऊ मोटा आदमी, काश्तकारों ने तो कनेक्शन कोना दां। तो कई लोगों को, बेचारों को कनेक्शन करवाने के लिये अपने खातों को तुड़वाने की कार्यवाही करनी पड़ती है, हजारों रुपया उसमें वेस्ट होता है और झूठी सारी कार्यवाही करनी पड़ती है। तो आज इस कानून को, रूल कह दो, आपके जबानी आदेश हैं या लिखित आदेश हैं या क्या हैं, इसको ठीक कर दीजिये। यह ठीक है कि प्रायोरिटी देने का मतलब क्या होता है भई मोटे-बड़ों को बन्द कर देने का

Page No. 95

(श्री नाथूराम मिर्धा)

मतलब वह सीधा बहाना लेते हैं, खाते तुड़वाने पड़ते हैं और तुड़वा रहे हैं, कई लोगों ने खाते तुड़वाने में अनाप-शनाप पैसा खर्च किया है। इसलिये विशेष मुद्दे जो कुछ लोगों के सामने आये हैं वही मुद्दे आपके सामने रख रहा हूं।

आपकी पानी की योजना है। खासतौर से पाइप लाइन की जो योजना है इसमें मैं आपसे जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि पाइप लाइन से टेल एण्ड के गांव में तो पानी पहुंचता ही नहीं। इन योजनाओं से तो पशुधन को पानी पिलाने के लिये पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं, कमला जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक रोज मैं इसरोल गांव में बैठा हुआ था, गांव की बात कर रहा था। मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे कुओं में पानी तो बहुत है ? तो उन्होंने कहा कि साहब पानी तो बहुत है। तो फिर मैंने कहा कि क्या कष्ट है ? कहा कि साहब 100 पखाल पानी मिलता है रोज इसलिये कि दो घन्टे चलता है डीजल का इन्जन, उससे ज्यादा चलता नहीं। 3-4 दिन 4 घन्टे चला तो आध घन्टा, 15 मिनट हर रोज का काटेंगे। तो मितव्ययता आपने इतनी की कि पीने के पानी के लिए तो 2 घन्टे तक डीजल इन्जन जेनरेटर नहीं चलेगा। दूसरी बात मैं कहता हूं, गांव में कहते हैं कि "विठोरा तो उडता जावे पहि की लेखा लेवे।" तो बड़ी मोटी चीजें तो कई हो रही हैं लेकिन बेचारे गांव वाले को 100 पखाल पानी नहीं जहां पर कि आपकी योजना बन गई है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पाइप लाइन की स्कीम लास्ट टेल एण्ड के गांव तक पानी नहीं पहुंची है। इसके बाद में जहां पर पानी इस तरह जनरेटर्स से निकलता है वहां पर डीजल कुछ तो खा जाते हैं लोग और कुछ वह चलाते नहीं, और थोड़ा बहुत चलता है। इस वाटर सप्लाई स्कीम की ओर विशेष तौर से इस अकाल के वक्त में आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। सब गांवों में इन योजनाओं को पुनः देखा जाय।

पर्यावरण की दृष्टि से प्रधान मन्त्रीजी ने बड़ी जोरदार बात कही है, आपको याद होगी। पर्यावरण की दृष्टि से गंगा के वाटर को शुद्ध कर देंगे। और भाई 50-60 बसे हुए जो शहर हैं जिनका मेला गंगा में पड़ता है कहां डाइवर्शन करेंगे। कितने करोड़ रुपये खर्च होंगे गंगा का वाटर शुद्ध करने में ? गंगा को शुद्ध करने की बात आप कर रहे हैं, मेरे बालोतरा के अन्दर कुछ फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, पाली के अन्दर कुछ फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, राजस्थान में चम्बल के पास इण्डस्ट्रीज हैं, उनका एफ्ल्युएन्ट किधर डिस्चार्ज होता है और कितनी गन्दगी पैदा कर रही हैं, किसान की जमीन का, कुओं का कितना नुकसान हो रहा है ? कमलाजी वह गंगा को शुद्ध करने की बात करें तो आप कम से कम मेरे पाली जिले की नदी में गिरने वाले गन्दे पानी से जो कुए बिगड़ रहे हैं उनको रोकें, बालोतरा वाले को रोकें कुछ तो करें पर्यावरण की दृष्टि से। आज वह इतनी बड़ी बात सोच रहे हैं तो आप छोटी बात तो सोचें इस मामले के अन्दर।

जहां तक आपने हॉस्पिटल का जिक्र किया है, ऐसे हमारे सैटेलाइट हास्पिटल हैं। ऐसे सैटेलाइट हास्पिटल, अस्पताल के लिए, रामदेव सिंह जी साहब, हमारा मेड़ता भी एनटाइल्ड है, तीसरी श्रेणी का हॉस्पिटल है, तो एक आध सैटेलाइट हॉस्पि-

(श्री नाथूराम मिर्धा)

टल हमारे इधर भी हो जाय, कुछ विचार कर लीजिये इसके ऊपर।

बी. एड. डिग्री कालेज के लिए कहा गया है। शिक्षा मन्त्रीजी यहां बैठे हुए हैं, बड़ायली बहुत अच्छा इन्स्टीटूयूशन है, एक बी. एड. मैं 4 साल से मांग रहा हूं। उधर बहुत कम है, जोधपुर में सिर्फ एक बी. एड. कालेज है वह भी नाइट कालेज है। तो जब आप दूसरी जगह दे रहे हैं तो हमारे इलाके में भी दिया जाय। इस ओर विशेष ध्यान देने की कृपा करें।

श्री शोपत सिंह : आदमी तो भले हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं रोडवेज के राष्ट्रीयकरण के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। 34 पर्सेन्ट रोडवेज का राष्ट्रीयकरण तो कर दिया है और अब 40 पर्सेन्ट राष्ट्रीयकरण करने का टार्गेट रख रहे हैं। इसलिए मेरा इतना निवेदन है कि 34 पर्सेन्ट आपने एक तरफा ही एक तरफा नेशनलाइजेशन किया है। कुछ इलाके ऐसे हैं, जो नेशनलाइजेशन से बिल्कुल वंचित हैं। खासतौर से उदयपुर इलाके को तो पूरा अछूता छोड़ रखा है, अपनी मोटरें चलाओ और खाओ, इसलिए छोड़ा हुआ है, नेशनलाइजेशन नहीं हुआ। इसलिए मेरा विशेष तौर से आपसे निवेदन है कि राष्ट्रीयकरण अब के उन इलाकों में किया जाय, 40 पर्सेन्ट तक पहुंचाने के लिए जहां पर अब तक राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है। वह विशेष तौर से परिवहन मन्त्रीजी से मेरा निवेदन है कि उन इलाकों को छुआ जाय जिनमें राष्ट्रीयकरण का नामोनिशान तक नहीं है। बहुत कम पर्सेन्टेज है, उन इलाकों को छूने की बहुत जरूरत है।

मैं नगर पालिकाओं का और यू. आई. टी. का थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं। विरोध की नगर पालिकाओं के लिए आपका दृष्टिकोण जैसा उदार और न्यायप्रिय होना चाहिए वैसा नहीं है। मैं खास तौर से मेड़ता की नगर पालिका का जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने 3-4 योजनायें बनाकर भेजीं। कुछ प्लाट्स बेचे, कुछ 500-600 ऐसे प्लाट्स बन जायं, कुछ रिसोर्सेज मिलें जिससे मेड़ता का डवलपमेंट हो। मगर उधर कोई भाई ऐसा वहां आया कि उन्होंने सारी योजनायें बन्द करवा दीं। मैं चाहता हूं वैलफेयर की जो योजनायें हों, मेहरबानी करके उनमें तो पार्टी का दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। उन योजनाओं के ऊपर सारी चीजों के ऊपर पैरवी करनी चाहिये।

यू. आई. टी. के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। हमारी जोधपुर यू. आई. टी. और गंगानगर के यू. आई टी मेरे ख्याल से सब एग्री करेंगे उधर बैठे लोग भी, में किस तरह का खेल हो रहा है। अनाप शनाप शिकायतें हैं। जोधपुर यू. आई. टी. के मेम्बर तो शायद एम. एल. ए. बन गए हैं अब तो उनको हटा कर और किसी आदमी को चार्ज दिलावें। मेरा आपसे निवेदन है कि जोधपुर की यू. आई. टी. के सम्बन्ध में विशेष तौर से बहुत शिकायतें हैं। अब इसके मेम्बर एम. एल. ए. साहब बन गये हैं, उनको हटा दीजिए और किसी आदमी को नियुक्त कीजिये। गंगानगर के यू. आई. टी के मेम्बर एम. एल. ए. भी नहीं है। यू. आई. टी. को तो उनसे छुड़वाया जाय जो मशहूर हैं। मेरे ख्याल से वैसे आप

(श्री नाथूराम मिर्धा)

ज्यादा जानते हैं मेरी तो सुनी सुनाई बातें हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, राजीव गांधी कहते हैं कि भ्रष्टाचार बन्द करेंगे, शुद्ध करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को। आप भी उनको मानने वाले लोग हैं, फिर इन कामों को करने में आपको क्या दिक्कत है?

इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इन सारी चीजों के ऊपर आप गौर फर्मायें। मैंने कुछ थोड़े से सुझाव दिए हैं वैसे ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और भी भाई बोलने वाले हैं, कुछ बातें आपसे कही हैं, विशेष तौर से स्पेसिफिक प्वाइन्ट्स, उन पर ध्यान देवें और यदि जवाब दे सकते हैं तो देवें नहीं तो कार्यवाही तो जरूर की जावे।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमान प्रभाकर।

श्री हनुमान प्रभाकर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, मैं नाथद्वारा क्षेत्र से आये हुए विधायक माननीय श्री सी. पी. जोशी द्वारा प्रस्तुत और आपके द्वारा समर्थित धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में अपनी बात कहने के लिए आपके सामने हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं सोच रहा था कि क्या कहूं और क्या नहीं कहूं पर अभी हमारे माननीय विधायक श्री नाथूराम मिर्धा ने कुछ बिन्दु मुझे दे दिये, करीब करीब यही बिन्दु इनके पूर्ववर्ती जो माननीय विधायक बोले हैं उनके द्वारा उठाये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज लोक सभा चुनावों और विधान सभा चुनावों के अन्तर को लेकर, और चुनावों में दबाव, भय और आतंक की बातों को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लोकतन्त्र की रक्षा के नाम पर काफी बातें कही। प्रश्न यह है कि जो बातें कहने वाले हैं उनकी जो राजनैतिक विचारधारा है और जो उनकी राजनैतिक दिल हैं, वे लोकतन्त्रीय चुनावों की दृष्टि से किस तरह के वातावरण और किस तरह की अपेक्षा यहां की जनता से रखते हैं यह हमें सोचने और समझने की आवश्यकता है।

(2.50 म.प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदया, इस देश का दुर्भाग्य था कि इस देश की ही नहीं, विश्व की नेता श्रीमती गांधी आज हमारे बीच में नहीं हैं। वह किन कारण से नहीं हैं, इस विषय में विस्तार से नहीं जाना चाहता। उसके बाद हमारे युवा नेता राजीव गांधी इस देश के प्रधान मंत्री बने। विपक्षी दलों ने यह सोचा था कि शायद उनके पक्ष में अच्छा होगा, एक नया नया खिलाड़ी आया है, पता नहीं इस देश को किधर ले जायगा और क्या राजनैतिक रंग लायगा परन्तु उस युवा नेतृत्व ने इस देश को और देश के जो कांग्रेस विरोधी राजनैतिक दल हैं उनको इस बात को दिखा दिया कि उनका नेतृत्व, उनका मार्ग दर्शन निश्चित रूप से इस देश को अखण्ड और एक बना कर रखेगा और इस देश को आगे ले जायेगा विकास की ओर, यह बात उसने दिखा दी। यदि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और जनतंत्र में विश्वास करते हैं, तो लोक सभा चुनावों में एक अभूतपूर्व सफलता जो मिली है कांग्रेस

Page No. 98

(श्री हनुमान प्रभाकर)

को इस बात का सबूत है। यदि हमें लोकतंत्र में विश्वास है हमें जनतंत्र में विश्वास है तो लोकतंत्र में वर्डिक्ट हम मान कर चलेंगे, हमें सर झुकाकर उसको स्वीकार करना होगा। हमारी ऐसी हालत नहीं है। आज जनता ने जो वर्डिक्ट दिया है उसको स्वीकार करने की हमारी क्षमता नहीं है, हमारी हिम्मत नहीं है तो क्षमा करना हम केवल लोकतंत्र की बातें करते हैं, जनतंत्र की बातें करते हैं....

श्री देवीसिंह भाटी : टेलीविजन नहीं आता तो यह सत्ता नहीं आती।

श्री हनुमान प्रभाकर : सुनिये। मिर्धा साहब बोल रहे थे मैंने बीच में कुछ नहीं कहा। आपको अवसर आये आप बोल लें....

श्री देवीसिंह भाटी : मैं नेता नहीं हूं।

श्री सभापति : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री हनुमान प्रभाकर : सभापति महोदया, यह कहा गया कि लोक सभा के बाद विधान सभा चुनाव में शक्ति हमारी घटी। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि इन चुनावों में भ्रष्टाचार रहा, चुनावों में भय रहा, चुनावों में आतंक का वातावरण बनाया गया। सभापति महोदया, जनता पार्टी के राज के समय बनेड़ा के उप चुनाव की बात कर मैं पूछना चाहता हूं, आतंक का वातावरण बनेड़ा के चुनाव में था या इन चुनावों में था, यह सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं....

श्री रामचंद्र जाट (बनेड़ा) : वहां धीरेन्द्रसिंह जी का कितना आतंक था आपको मालूम नहीं है।

श्री हनुमान प्रभाकर : सभापति महोदया, ऐसा भय और आतंक चुनावों के वातावरण में जो बनाना जानते हैं जनता के अन्दर, दबाव के द्वारा वोट लेना जानते हैं, ऐसे चेहरे जब यह कहते हैं इन चुनावों में भ्रष्टाचार हुआ, ऐसा वातावरण बनाया गया। मैं समझता हूं यह एक निरा धोखा है, मैं इसको स्वीकार करके नहीं चलना चाहता।

इसके साथ साथ एक बात और कही गई कुछ धनराशि इन चुनावों के अन्दर लगाने की, उसको काला धन का नाम देकर, हमारे बुजुर्ग माननीय सदस्य हैं उन्होंने इसका जिक्र भी किया। सभापति महोदया, मैं तो नहीं समझता कि जिस व्यक्ति, जिन्हें सन् 52 से तो मैं जानता हूं और सन 77 तक मैं जानता हूं, कांग्रेस के झण्डे के नीचे यह सब काम किया वह यह कहे कि उन योजनाओं के द्वारा हम आगे नहीं ले गये, काले धन के द्वारा हम चुनाव लड़े और दूसरा पता नहीं क्या क्या किया जब वे सत्ता में थे, कांग्रेस बहुत अच्छी थी, कांग्रेस की नीतियां बहुत अच्छी थीं, कांग्रेस के कार्यक्रम बहुत अच्छे थे। मेरा दुर्भाग्य है, सभापति महोदया, आज जिस तरह से स्वस्थ शरीर के लिये आवश्यक है, पांच तत्व समान रूप से स्वस्थ हों उसी तरह से राजनैतिक दलों के लिये आवश्यक है कि हमारे जो मूल सिद्धांत हैं, मूल जो कार्यक्रम हैं वे भी स्वस्थ रहें, केवल दल बदल के कारण यदि बदलाव होता है तो यह नहीं होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि अब तक जो कुछ हमने किया उसको देखने की कोशिश न करें या उसके उत्तर दायित्व को स्वीकार करके न चलें। शायद मुझे कहना चाहिये या नहीं कहना चाहिए पर कह रहा हूं कि जब

(श्री हनुमान प्रभाकर)

1977 में लोकसभा के चुनाव हुए थे 24 सदस्य जनता पार्टी के चुनकर आये थे। पता नहीं, मैं सही नाम तो कह दूं, नाथूराम जी मिर्धा चुनकर जहां कांग्रेस की ओर से केवल एक आये थे उस समय के नेता महोदय ने कहा था चाहें तो प्रमाण में अखबार का आज भी दे सकता हूं कि जातिवाद की बारातों में एक आदमी तो साथ चलता ही है। आज उन लोगों, जिनकी नीतियों के साथ आपका तालमेल नहीं बैठता, के साथ बैठकर यदि आप राजनैतिक बात करें, देश को आगे ले जाने की बात करें तो मैं यह समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण होगा लोकतंत्र के लिये। सभापति जी, आज....

श्री देवी सिंह भाटी : कांग्रेस के दो टुकड़े हो गये थे।

श्री हनुमान प्रभाकर : मैं आ रहा हूं, सब पर आ रहा हूं, आप तैयार रहिये, मैं सब पर आ रहा हूं।

कांग्रेस के दो टुकड़े हुए थे 1969 में भी और कांग्रेस के दो टुकड़े हुए 1-1-78 को भी परन्तु सत्ता हथियाने के लिये नहीं हुए, कार्यक्रमों और नीतियों के कारण हुए। उस आधार पर हमने तो झण्डा नहीं बदला, हमने हमारा नाम नहीं बदला, परन्तु मुझे याद है कि 1952 से चुनाव लड़ने वाले राजनैतिक दलों ने अपने झण्डे बदले, अपने नाम बदले। यह क्या राजनीति का एक स्वस्थ रूप है ? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं। यह राजनीति का एक स्वस्थ रूप नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने एक सवाल पूछा था, कांग्रेस के डिवीजन का तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का डिवीजन हुआ लेकिन कांग्रेस का डिवीजन हुआ 1969 के अन्दर इस बात, प्रश्न पर, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर, सत्ता हथियाने के लिये नहीं, जनता को भ्रमित करने के लिये नहीं। आप जो कुछ खेल खेल रहे हैं, वह जनता को भ्रमित करके सत्ता को हथियाने के लिये खेल रहे हैं। मैं समझता हूं यह खेल इस देश की जनता को स्वीकार नहीं होगा। यह मैं दावे के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : गाय बछड़ा, बैल....

श्री सभापति : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री हनुमान प्रभाकर : सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, यह सब बातें हुई। इन चुनावों के दौरान हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह तो एक नहीं हुए, नहीं तो इधर बैठते। आज इस सदन में कई वृद्ध विरोधी सदस्य हैं जिनकी हम इज्जत करते हैं, जिन्होंने इस देश का, इस प्रान्त का मार्गदर्शन किया है, वे जानते हैं राजस्थान की स्थिति को। 1952 में कांग्रेस और विरोधी दलों की क्या स्थिति थी ? 80,80 चुनकर आये थे। 1962 में क्या हुआ, 1967 में क्या हुआ था 1977 में क्या हुआ था। आज यह जो दलीलें देना चाहते हैं कि इस राजस्थान में लोकसभा के चुनावों के समय के बाद मतों का जो अन्तर आया है वह राजीव जी के प्रति नाराजगी है या राजीव जी में विश्वास नहीं है। दलील यह दी जाती है कि एक युवा है उसका राजनीति से क्या लेना देना है। सभापति

(श्री हनुमान प्रभाकर)

महोदया, इसी सदन के सदस्य के रूप में मोहनलाल सुखाडिया ने 38 साल की अवस्था में सदन के नेता के रूप में शपथ ली थी उस समय आप लोगों को नहीं हुआ कि यह युवा....

एक माननीय सदस्य : वह आत्मा आपको रो रही है।

श्री समापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री हनुमान प्रभाकर : मुझे रो रहे हैं या आपको रो रहे हैं, यह तो समय बतायेगा। आपको यह मालूम नहीं।

तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि 38 साल की अवस्था में मोहनलाल सुखाडिया ने इस सदन के नेता के रूप में शपथ ली थी और आज आप युवा नेता की आलोचना करने वाले लोग हैं उनके नेतृत्व में काम करते थे, उनके नेतृत्व में विश्वास प्रकट करते थे। इसके साथ एक सवाल और पूछना चाहता हूं, आज जो हमारे बुजुर्ग सदस्यों में युवा के नाम पर चिढ़ पैदा हो गई है, मैं पूछना चाहता हूं जब वे राजनीति में आये थे, जब बड़े बड़े पद संभाल रहे थे तब उनकी अवस्था क्या थी, जरा सोचें जो मौजूद हैं एक तिहाई पुराने रह गये, इनमें जन संख्या युवा की आ गई है, नई पीढ़ी आ गई है इसलिये हमारे युवा नेता राजीव जी युवा शक्ति को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। युवा शक्ति को आगे लाने का प्रयत्न करते हैं तो खतरा उन लोगों को है जिनके पीछे युवा शक्ति नहीं है....

एक माननीय सदस्य : आपके पीछे क्या है....

श्री समापति : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री हनुमान प्रभाकर : समापति महोदया, मैं आपसे कह रहा था, मुझे मालूम था, कुछ बातें बुरी लगेंगी।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अब राहुल गांधी को बना दो।

श्री हनुमान प्रभाकर : मैं आ रहा हूं आप बोलें नहीं। आप लोगों ने कई बातें कही हैं।

यहां पर कहा गया कि केन्द्र के दबाव से राजस्थान के हितों को नहीं बेचा जायेगा। जहां तक मूल तथ्यों का सवाल है मुझे उसमें एतराज नहीं है, बात सही है, हम राजस्थान की दृष्टि से सोचते हैं, राजस्थान के हितों की हमें रक्षा करनी चाहिये। जैसे माननीय सदस्य मिर्धा साहब ने कुछ जल योजनाओं का, नदी घाटी योजना का विवरण दिया। वास्तव में ऐसा प्रश्न है जिन प्रश्नों पर सदन में एक राय से विचार करना चाहिये। पर दुर्भाग्य यह है कि आज हर प्रश्न को राजनैतिक दृष्टिकोण से देखने की कुछ परम्परा बनती जा रही है। सभापति महोदया, यह दृष्टिकोण हमारा बदल जाये, वह दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता देख लें यदि राजनैतिक सत्ता में बैठना चाहते हैं। सत्ता में जो नहीं हैं वे हर चीज इंगित करना चाहते हैं राजनैतिक दृष्टिकोण से।

(3·00 म.प.)

(श्री हनुमान प्रभाकर)

यदि वे अपना राजनैतिक दृष्टिकोण बदल लें और सारी समस्याओं के लिये साथ बैठकर चर्चा करें तो मैं समझता हूं कांग्रेस को भी कहीं कोई आपत्ति जैसी बात नहीं होगी....

(व्यवधान)

इसके साथ मुझे अफसोस हुआ, सभापति महोदया, ये ही तो एक माननीय सदस्य हैं, जिनकी मैं इज्जत करता हूं, बहुत पुराने हैं। उन्होंने कहा, राजीव जी केवल पायलेट थे वे इस देश को क्या बचा पायेंगे, कहां आगे ले जायेंगे। सभापति महोदया, जब पायलेट एक हवाई जहाज को चलाता है, तो उसके पीछे कई यात्री बैठे होते हैं। उसकी चिन्ता केवल एक ही होती है कि इस विमान को सुरक्षित उतार दूं। यदि कहीं उसमें खराबी आती है तो वह कोशिश करता है, अपनी जान को जोखिम में डाल करके भी यात्रियों को बचाता है। तो मैं आज नहीं समझता हूं और निश्चित रूप से यह कहता हूं कि राजीव जी इस देश के एक ऐसे पायलेट हैं, देश के सामने जो चुनौतियां है, जो संकट हैं उन चुनौतियों और संकट से इस देश को आगे ले जायेंगे। कोई शक्ति उनको नहीं रोक सकती है, कोई ताल मेल उनको नहीं रोक सकता है। आज मिर्धा साहब बात कह रहे थे, मैं उनको ले जाना चाहता हूं 1967 में जब एक चौगुटे का निर्माण हुआ था। उस चौगुटे का विरोध शायद आप ही तो कर रहे थे। उस चौगुटे का विरोध उनका शायद इस आधार पर था और आज क्या कहा है कि हम इस तरह के समझौते समर्थन नहीं करते जो समझौता लोकतन्त्र के आधार पर नहीं, जो और बातों के आधार पर नहीं, नीतियों के आधार पर नहीं, कोई कार्यक्रमों के आधार पर नहीं, केवल मात्र राजनैतिक सत्ता में आने के लिये समझौता किया जा रहा है। आज क्या परिस्थितियां ऐसी हो गई जिनको मेहरबानी करके आप समर्थन देना चाहते हैं। सन् 1967 में, सभापति महोदया, मुझे याद है शायद 9 व 10 राज्यों में विरोधी दल आया था। क्या कारण थे जिसकी वजह से वे सत्ता को नहीं चला पाये और टूट टूट कर बिखर गये? क्या वे कारण आज समाप्त हो गये हैं? मैं कहना चाहता हूं, कारण समाप्त नहीं हुए हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कि प्रतिक्रियावादी ताकतों और साम्प्रदायिक ताकतों और राजनैतिक विचारधारा वाद से जुड़ी हुई जो शक्तियां हैं, वे जो शक्तियां हैं, उनका लाभ उठाना चाहते हैं। और जिस दिन वे ऐसी स्थिति में आ जायेंगी कि उनको पी जायं तो निश्चित रूप से पी जायेंगी। इस कारण फिर से साम्प्रदायिक ताकतों का उदय करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा खतरा है उन लोगों के सामने जो जिस तरह की शक्तियों के साथ बैठ करके, ताल मेल बैठा करके देश को आगे चलाना चाहते हैं।

सभापति महोदया, इसके साथ और एक बात कहना चाहता हूं आज हम जिन हालातों पर चल रहे हैं, इन हालातों को भी समझने की आवश्यकता है। आज निश्चित रूप से देश में बेरोजगारी बढ़ी है, देश में आज कई ऐसी बातें होने लगी हैं जिनको पूरा करना आवश्यक है। मैं तो कहता हूं, सभापति महोदया, आज देश में विकास की भूख तो जगी है, आज इस

(श्री हनुमान प्रभाकर)

विकास को हमें पूरा करना होगा। हम सरकार में बैठे हैं परन्तु एक बात माननी पड़ेगी आज विपक्ष के सामने कहने के अलावा, कुछ नहीं है। वे जो चाहें कह सकते हैं परन्तु हमें तो करना होगा। हम वहीं कहेंगे जो कर सकते हैं, क्योंकि आखिर में हमारे ऊपर उत्तरदायित्व है हम उत्तरदायित्व से मुकर नहीं सकते हैं, सभापति महोदया। जिन छोटी बातों का जिक्र मैं यहां करना चाहता था, उनका जिक्र मैं केवल इसलिये करना चाहता था कि कुछ राजनैतिक पृष्ठभूमि का जो विश्लेषण किया गया है, वह विश्लेषण मुझे थोड़ा सा अखरा, खास तौर से उन नेताओं के मुख से अखरा जिनका जीवन हमेशा प्रगतिशील ताकतों के समर्थन में रहा है। आज उन्हीं के मुख से कुछ ऐसी बातें निकलीं जिनसे प्रतिक्रियावादी शक्तियों को ताकत मिले तो मन में अफसोस होता है। यही आपसे कहने के लिये सदन के बीच में उपस्थित हुआ हूं।

सभापति महोदया, कानून व्यवस्था के प्रश्न पर यहां बहुत कुछ कहा गया है। सही बात है, आज राजा मानसिंह हमारे बीच में नहीं रहे, इसका जितना अफसोस उनको है, उतना अफसोस शायद हम लोगों को भी है परन्तु आज राजा मानसिंह की हत्या का उल्लेख न होने के प्रश्न को लेकर यहां कुछ कहा गया। मैंने भाषण पढ़ा, इससे पहले एक हत्या और हुई थी श्रीमती इन्दिरा गांधी की उसका उल्लेख भी इस भाषण में नहीं है। मैं समझता हूं ईमानदारी होती आज ...

(व्यवधान)

सुनिये, सदन में प्रस्ताव लाये गये हैं, सदन की एक परम्परा है कि जो महान विभूतियां हमारे बीच में से उठ जायं, उनके लिये हम सदन में शोक प्रस्ताव लाते हैं। राजा मानसिंह जी को भी हमारे नेता महोदय ने भाव भरे शब्दों में श्रद्धांजलि दी है और श्रीमती इन्दिरा गांधी को भी दी है। वह अध्याय अब समाप्त होना चाहिये था।

आपने कहा, विरोधी दल के जो हमारे सदस्य हैं वे सारे देश को राजनैतिक दृष्टिकोण से आंकने लगे हैं। यहां तक कहा, सभापति महोदया, मुझे अफसोस है कि श्रीमती इन्दिरा गान्धी की मौत हम लोगों के लिये वरदान है। ये हम कांग्रेस के लोग थे जो उसको सुनकर चुप करके बैठे रहे। आखिर में श्रीमती इन्दिरा गान्धी की हत्या हमारे लिये वरदान है....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप इस तरह की बातें करके अपने आपको सन्तुष्ट कर सकते हैं। मैं आपसे....

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रभाकर : आप बैठिये....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : इन्दिरा गान्धी की हत्या करने वाले....

(व्यवधान)

Page No. 103

103

श्री हनुमान प्रभाकर : सभापति महोदया, श्रीमती इन्दिरा गान्धी की हत्या करने वाली वे शक्तियां हैं जो प्रतिक्रियावादी शक्तियां थीं और जो अमेरिका के इशारे पर कुछ पैदा करना चाहती थीं और उस शक्ति का समर्थन करने वाले....

(व्यवधान)

यह मैं आपसे कहना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप क्या कह रहे थे। आपने अपने प्रधान मंत्री की हत्या करा दी....

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रभाकर : आप बोले तो माननीय सदस्य, मैं नहीं बोला....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : राजा मानसिंह की हत्या करा दी, आप बोलने लायक नहीं हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री हनुमान प्रभाकर : मैं मेरी ओर से कोई बात नहीं कहूंगा....

(व्यवधान)

यह सब चलेगा, मुझे मालूम है।

श्री सभापति : आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री हनुमान प्रभाकर : मैं कह रहा था, श्रीमती इन्दिरा गान्धी की हत्या को इन्होंने इस सदन में हमारे लिये वरदान बताया। आप अन्दाज लगा लें कि विरोधी दलों के सोचने का तरीका जो है, वह कहां तक चला गया। वरदान की बात कह रहा हूं मैं, श्रीमती इन्दिरा गान्धी की बात कह रहा हूं मैं। तो आज ये सब बातें इस देश में हो रही हैं। इन सब बातों के बावजूद मैं इतना ही कह सकता हूं कि राजनैतिक दृष्टिकोण में हम लोग नैतिकता के आधार पर चलना चाहते हैं। अभी माननीय सदस्य, नाथूराम जी मिर्धा ने कुछ बातें कहीं, नैतिकता के आधार पर चलने का आधार वही हो सकता है जो राजनैतिक सिद्धान्तों, नीतियों, कार्यक्रमों पर चले। हम इतना कह सकते हैं, हमारे जो इधर बैठने वाले माननीय सदस्य हैं वे अखिल भारतीय कांग्रेस के द्वारा दी हुई नीतियों, कार्यक्रमों, सिद्धान्तों पर चलने वाले हैं और उन्हीं नीतियों, कार्यक्रमों और सिद्धान्तों के लिये हम अपना जीवन दे सकते हैं, जीवन देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, मैं इतना कह सकता हूं....

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : गलत बात कह रहे हैं।

(व्यवधान)

आपको याद हो शायद मालवा के अन्दर यह कहा जाता है कि....

(व्यवधान)

Page No. 104

(104)

श्री समापति : माननीय सदस्य । आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।....

श्री हनुमान प्रभाकर : वेश्याओं को वेश्या ही नजर आती है दाऊदयाल जी....

(व्यवधान)

वेश्याओं की डेफिनेशन आफ निकालिये.... ।

श्री दाऊ दयाल जोशी : आप क्या हैं, सारा उदयपुर जानता है ।

श्री हनुमान प्रभाकर : माननीय सभापति महोदया, इन्होंने वेश्या शब्द का प्रयोग किया है, विथड्रा करवाइये, तब कार्यवाही चलेगी ।

एक माननीय सदस्य : इन्होंने वेश्या शब्द का प्रयोग किया है, कार्यवाही से निकालिये ।

श्री नाथूसिंह : कहावत बताई है यह तो....

(व्यवधान)

श्री समापति : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री हनुमान प्रभाकर : इन्होंने वेश्या शब्द का प्रयोग किया है । फैसला कर दें, उधर माननीय सभापति जी बैठी है, वे फैसला कर दें ।

एक माननीय सदस्य : कहावत है वह तो....

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) : माननीय समापति महोदय, ये वेश्या शब्द आया है....

श्री हनुमान प्रभाकर : इन्होंने यूज किया है या नहीं....

श्री यदुनाथ सिंह : संस्कृत पढ़े हुए हैं या नहीं ?

श्री हनुमान प्रभाकर : संस्कृत आपसे ज्यादा पढ़ा हुआ हूं ।

श्री समापति : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री शिवराम शर्मा : आप नहीं कह सकते ऐसी बात । **वेश्यावृति** शब्द के बारे में आपने क्या निर्णय दिया है ?

श्री नाथूसिंह : यह **वेश्या** शब्द अनपार्लियामेन्ट्री नहीं है । मुझे बतायें किस आधार पर है ?

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रभाकर : इसके आगे शब्द हैं मेरे पास अगर यह अनपार्लियामेन्ट्री नहीं है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, उसको कन्टेन्ट्स में देखा जाना चाहिए कि उन्होंने मुहावरे के रूप में कहा है या किसी को इंगित करके कहा है ।

एक माननीय सदस्य : वह तो एक मुहावरा था, सब मुहावरे का रूप है ।

श्री शिवराम शर्मा : वेश्या शब्द को असंसदीय समझते हैं ।

Page No. 105

श्री सभापति : आर्डर आर्डर । माननीय सदस्य ।

श्री दाऊदयाल जोशी : वेश्या आपको कहा है, आप तो पुल्लिंग हैं । स्त्रीलिंग होते तो सही था ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : बिल्कुल ऐसा ही मुहावरा है जैसे 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली । ऐसा मुहावरा है ।

श्री शिवराम शर्मा : माननीय सभापति महोदय, इस पर निर्णय दीजिए, उन्होंने मुहावरे के रूप में काम लिया है या और किसी में लिया है ।

श्री हनुमान प्रभाकर : उन्होंने मुहावरे में काम में लिया है तो मैं भी मुहावरे में ही लूं ।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपके लिंग को मैं अच्छी तरह जानता हूं । आप पुल्लिंग हो, मैं अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बीच की बात कहता तो मैं उसे कटवा देता । माननीय सभापति महोदया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री जयकिशन तोसावड़ा (दूदू) : पाइन्ट आफ आर्डर, माननीय सभापति महोदया ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, Matter has been cleared. Sit down । नो पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री जयकिशन तोसावड़ा पाइन्ट आफ आर्डर, माननीय सभापति महोदया । मेरा निवेदन यह है, माननीय सभापति महोदया, वह मुहावरा जो असंसदीय यदि है तो उसको अवश्य एक्सपंज करने की आज्ञा फरमायें ।

श्री सभापति : आप तो अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री महेन्द्र शास्त्री (मुण्डावर) : नृप नीति, आप जिस राजनीति की बात करते हैं उसको वारांग नहीं कहा गया है । वारांगीय नयी नीति उसके अन्दर देखिये । जैसे **वेश्या** का चरित्र होता है जैसा चरित्र वैसे चरित्र की बात है ।

श्री हनुमान प्रभाकर : आपने स्वीकृति ले ली है ? सभापति महोदय से आप पहले पूछिये ।

श्री सभापति : आप कन्क्लूड नहीं करें। आप कन्टीन्यू करें ।

श्री हनुमान प्रभाकर : एक ऐसी परम्परा बना रहे हैं । माननीय सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं ।

तो अब राज्यपाल ने अपने भाषण में जो कुछ बिन्दु उठाये हैं और जिनका जिक्र कुछ और माननीय सदस्यों ने भी किया है उनमें से कुछ बिन्दुओं पर मैं अपनी बात कहना चाहूंगा । जहां सहकारिता के चुनावों का सवाल है और कृषि उपज मण्डियों के चुनाव का सवाल, नगरपालिकाओं के चुनाव का सवाल है वह समय पर होने चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर इसके साथ, सभापति महोदय, मेरा सुझाव है, चुनाव की व्यवस्था हम करें उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जिन पर राज्य सरकार को विचार करना होगा । जैसे सहकारिता में

(श्री हनुमान प्रभाकर)

महिलाओं के प्रतिनिधित्व का आज तक कोई भी कहीं भी उल्लेख नहीं है। मैं मानकर चलता हूं कि सहकारी संस्थाओं के अन्दर महिलाओं का अनिवार्य कोअप्शन किया जाना चाहिए, अगर हमने अनिवार्य रूप से कोप्शन नहीं किया तो सहकारिता का जो मूल आधार है वह समाप्त होता है। इसलिए चुनाव की प्रक्रिया आप प्रारम्भ करें उसके पहले महिलाओं के कोप्शन की बात आप करें।

इसके साथ साथ कुछ चुनावों की और दिक्कतें हैं। नाथूरामजी मुझसे ज्यादा जानते होंगे। एक भूमि विकास बैंक है उसमें 30 हजार मेम्बर हो जाते हैं, 40 हजार मेम्बर हो जाते हैं उनको आप मतदान के लिए भूमि विकास बैंक के स्थान पर लायेंगे तो फिर काले धन का प्रश्न पैदा होगा, फिर पैसे का प्रश्न पैदा होगा। तो जो मतदाता एक एक भूमि विकास बैंक में 30-30, 40-40 हजार बन गये हैं उनके मतदान की कुछ ऐसी व्यवस्था करने का आगे से हमें संशोधन करना होगा जिसकी वजह से मतदान कई स्थानों पर बिखरे हुए रूप में हो सके। आज यह दिक्कत भूमि विकास और दूसरे जो बैंक हैं उनके चुनावों में भी है। तो हम चुनाव की घोषणा करें उससे पहले हमें अधिकतम दूरी पर कहां तक जाना होगा उसको देखना होगा, साथ साथ महिलाओं के सहवरण का प्रश्न भी हमें देख करके चलना होगा....

श्री समापति : अब कन्क्लूड करें, माननीय सदस्य।

श्री हनुमान प्रभाकर : इसके बाद दूसरा जो पंचायती राज का प्रश्न है, उसको और अधिकार देने का प्रश्न है, मैं समझता हूं बीकानेर में जो पंचायती राज सम्मेलन हुआ था उस समय कुछ घोषणायें की गई थीं, कुछ उस समय पूरी कर दी गयीं, कुछ पर शायद विचार हो। मैं मानकर चलता हूं कि सहकारिता के सम्बन्ध में व पंचायती राज के सम्बन्ध में हमें महीने दो महीने में कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि हम इसमें क्या संशोधन करना चाहते हैं, इन दोनों संस्थानों को हम किस प्रकार मजबूत कर सकते हैं आर्थिक दृष्टि से और सभी दृष्टियों से, उस पर बैठ करके एक चर्चा हो जाय. एक साथ जो कानूनों में परिवर्तन करना हो वह हम कानूनों में परिवर्तन कर दें और दिसम्बर जनवरी तक हम चुनावों के मामले को हाथ में ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा। आज जिस रूप में कानून बने हुए हैं उसी रूप में यदि चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी तो सहकारिता के क्षेत्र में और पंचायती राज क्षेत्र में, जो उपलब्धियां हमें प्राप्त करनी हैं वह उपलब्धियां हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे, मेरा ऐसा निवेदन है।

श्री समापति : समाप्त करें।

श्री हनुमान प्रभाकर : हां कर रहा हूं साहब।

इसके साथ साथ शिक्षा की दृष्टि से राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कुछ बातें कहीं। मैं मानकर चलता हूं कि शिक्षा की दृष्टि से पिछले पांच वर्ष में जितनी उपलब्धियां रही है मैं समझता हूं, इतनी उपलब्धियां कभी भी किसी पांच साल में नहीं रहीं। आज....

(श्री हनुमान प्रभाकर)

(व्यवधान)

हां मुझे मालुम है, परन्तु इस शिक्षा की पद्धति पर हमें पुनर्विचार करना होगा। हमारे देश के युवा प्रधान मन्त्री ने भी शिक्षा पद्धति के सम्बन्ध में चिंता व्यक्त की है आज हम विस्तार की ओर तो जा रहे हैं पर शिक्षा में गुणात्मकता की ओर हमें देखने की जरूरत है। अध्यापकों की कमी, स्कूल भवनों की कमी, पाठ्य सामग्री की कमी या कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो निश्चित रूप से गांवों की जनता के मन को उद्वेलित करते हैं। मैं समझता हूं कि जब बजट बनाकर राज्य सरकार वापस आये उस समय इन सारे प्रश्नों पर भी ध्यान रखे। हमने शिक्षा के विस्तार के कार्यक्रमों को तो काफी अपनाया पर इसको और मजबूत आधार हम कैसे दें, इस दृष्टि से भी हम विचार करें तो ज्यादा अच्छी एक बात होगी।

इसके साथ साथ सड़क मार्गों के राष्ट्रीयकरण की बात भी कही। माननीय नाथूरामजी मिर्धा ने उदयपुर डिवीजन की ओर भी एक इशारा किया। सड़कों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, राष्ट्रीयकरण हमारी नीति है परन्तु राष्ट्रीयकरण आम जनता के लिए एक परेशानी का कारण नहीं हो जाय, इसे हमें देखकर के चलना होगा। आज कई तरह की कठिनाइयां राष्ट्रीयकरण के बाद आ रही हैं जो जनता को भुगतनी पड़ रही हैं।

मैं सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ जो सी पी. जोशी, माननीय सदस्य सी. पी. जोशी ने और माननीय सदस्य तिवारी जी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए फिर से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा एक राजनीतिक दल है जो इस देश को हमेशा नेतृत्व देता रहा है। हमारे पास एक कार्यक्रम है, हमारे पास एक सिद्धान्त है और हमारे पास में युवा नेता है जो इस देश को आगे बढ़ाना चाहता है उसके नेतृत्व में हम इस प्रान्त को आगे ले जाने में प्रयत्नशील रहेंगे। इसी विश्वास के साथ धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

धन्यवाद।

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : हनुमान चालीसा बहुत पढ़ी है हरी मदद करे आपकी।

श्री दाऊदयाल जोशी : गुड परफोर्मेन्स रहा।

श्री हनुमान प्रभाकर : आपका फूल मुरझा गया, पुष्पा जी, आप भूली नहीं होंगी मेरे समय को। दिये का तेल समाप्त हो गया था। फूल मुरझा गया था। उनको कहिये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया।

श्री रघुवर दयाल (रामगढ़) : महामहिम राज्यपाल का

श्री सभापति : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, बैठे बैठे बातें नहीं।

श्री रघुवर दयाल : जो 20 तारीख को अभिभाषण सदन की मेज पर प्रस्तुत किया और श्री जोशी जी ने इसका अनुमो-

(श्री रघुवर दयाल)

दन किया उसके परिपेक्ष्य में, मैं अपने इलाके को देखता हूं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो सदन के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक समझता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूं, इस विधान सभा क्षेत्र के नजदीक हरियाणा लगता है, हरियाणा बिल्कुल हमारे बोर्डर से सटा हुआ है. हरियाणा का प्रत्येक गांव, हरियाणा का प्रत्येक देहात, प्रत्येक गांव बिजली से जगमगाता है और सड़कों से जुड़ा हुआ है, वहां का प्रत्येक किसान अपने कुएं से सिंचाई, अपने खेतों की सिंचाई बिजली से करता है जबकि हमारे राजस्थान का किसान, जो मेहनत में किसी तरह से भी कम नहीं है, आज बिजली की तरफ देखता है, सड़कों की तरफ झांकता है लेकिन उसे इस सम्बन्ध में कुछ भी कोई सेवा प्राप्त नहीं होती। इसके उपरान्त भी, सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर दूं हरियाणा के किसान के मुकाबले हमारे राजस्थान के किसान को जब वह बीज खरीदता है, वह खाद खरीदता है अथवा पेस्टीसाइड्स खरीदता है अथवा ट्रैक्टर खरीदता है, ट्रैक्टर के लिए ट्राली खरीदता है, अन्य उपकरण बिजली के खरीदता है, मोटर डीजल पम्प सैट खरीदता है तो एक खाद के कट्टे पर 30 रुपये अधिक देने पड़ते हैं, ट्रैक्टर पर 3000 रुपये अधिक देने पड़ते हैं, ट्राली पर एक हजार रुपये अधिक देने पड़ते हैं और पेस्टीसाइड्स पर 4 पर्सेन्ट अधिक देना पड़ता है।

महोदय, जब उसकी कृषि की उपज बाजार में आती है तो उसको हमारे राजस्थान के किसान के मुकाबले जो दाम मिलते हैं वह करीब करीब एक से मिलते हैं। मैं नहीं समझ पाता कि हमारे किसानों के साथ, हमारे राजस्थान के किसानों के साथ जबकि हम उसको प्रोत्साहन देना चाहते हैं कि कृषक अपनी पैदावार बढ़ाए, फिर इस प्रकार की लूट खसोट क्यों? मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि यदि हम किसान को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, यदि हम किसान को खुशहाल देखना चाहते हैं और यदि हम देखना चाहते हैं कि हमारा किसान अधिकतम पैदावार दे तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसान की पैदावार पर जो सेल्स टैक्स अधिक लगा हुआ है, जो हरियाणा के किसान के मुकाबले अधिक है, गुजरात के किसान के मुकाबले अधिक है। उस पर गौर करें जिससे हमारा किसान भी इस बात के लिए प्रोत्साहित हो कि वह अपने अनाज की पैदावार बढ़ाये और अन्य राज्यों में उपज का, पैदावार का जो पैसा मिलता है उसमें उसको किसी प्रकार की कमी नहीं रहे।

दूसरी बात, मैं पीने के पानी की आवश्यकता पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पीने के पानी के सम्बन्ध में, मैं आपसे निवेदन करूं, बहुत कुछ कहा गया है लेकिन मेरे इलाके में इस सम्बन्ध में कोई भी काम नहीं हुआ है। सन् 1979 से एक छोटी जल, पेयजल योजना छोटे-छोटे गांवों के लिए थी, जिनका मैं आपको नाम बता दूं, बडोत, नांगला, तलेटा, गुआ चौकी, उनके लिए सन् 1979 में एक जलदाय योजना स्वीकृत हुई थी, किन्तु उसके अन्तर्गत आज तक भी इन गांवों को शुद्ध जल पेय के लिए प्राप्त नहीं हो सका है।

(श्री रघुवर दयाल)

जहां तक बिजली की समस्या का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, बिजली की सप्लाई जिस प्रकार से होती है उससे आप सभी लोग, मेरे साथी लोग परिचित हैं। आज देहातों में बिजली के लिए जिस प्रकार की त्राहि-त्राहि मची हुई है, जिस प्रकार वहां दोहरी नीति बिजली सप्लाई के सम्बन्ध में की जाती है। मैं आपसे निवेदन करूं कि छोटे–छोटे उद्योग देहाती क्षेत्रों में लगे हुए हैं, जब बिजली की कटौती होती है उस समय वह कटौती उन पर लागू होती है और जब देहाती क्षेत्रों को सिंचाई के लिए बिजली दी जाती है और औद्योगिक क्षेत्रों की कटौती होती है तो वह कटौती भी उन पर लागू होती है। इस प्रकार से मैं आपसे निवेदन करूं कि देहात में जो छोटे मोटे उद्योग लगे हुए हैं जिन पर राज्य सरकार और बैंकों का पैसा लगा हुआ है वह बिल्कुल मृतप्रायः है क्योंकि बिजली की दोनों कटौतियों से उनको प्रभावित होना पड़ता है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर देहातों को आप प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो इस प्रकार की जो कटौती उन पर लागू की गई है उससे उनको मुक्त किया जावे और देहातों को बिजली फ्री रूप में सिंचाई के समय दी जावे वहीं उद्योगों को भी पूरी तरह से दी जावे।

सड़कों की कमी, सड़कों के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं, सड़क के निर्माण के नाम पर जगह जगह पर रोड़ियां, कचरा और केवल मिट्टी डाल दी गई है। सन् 1971 से बनने वाली सड़क, जो बलवन्ता से साडौली तक जाती है, आज तक अधूरी पड़ी हुई है, पूरी नहीं हो पाई है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो सड़कों के सम्बन्ध में बताया गया है, उसमें कमी का एक नमूना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आज वहां के लोग, जो वहां के निवासी हैं, दूर दराज के साडौली क्षेत्र के लोग अपनी बहिन बेटियों की शादी, लड़कियों की शादी करने के लिए वहां से दूर, जहां पर सड़कों का आवागमन है आकर करते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है आपसे कि सड़कों की जो योजना आप बनायें, सड़क बनाने का जो काम आप शुरू करें, मेहरबानी करके इस सड़क का काम हाथ में लें, उसके उपरांत अन्य सड़कों का काम पूरा करें तो इस प्रकार की अव्यवस्था, इस प्रकार आवागमन में जो बाधा उत्पन्न होती है वह निश्चित रूप से दूर हो जाएगी।

अब मैं आपसे निवेदन करूं कि स्व–रोजगार योजना के अन्तर्गत बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की बात इस अभिभाषण में उठाई गई है। यह युवा वर्ष है, जो युवक बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको निश्चित रूप से रोजगार दिया जाना आवश्यक है। लेकिन मैं आपको निवेदन करूं कि इस स्व–रोजगार योजना के अन्तर्गत आई. आर. डी. पी. के माध्यम से जो ऋण युवकों को मंजूर होता है, कई बैंक उनमें इतनी मनमानी करती हैं कि वे बेचारे युवक इधर से उधर भटके डोलते हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। इस संबन्ध में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बैंकों की जो मनमानी है उस पर पूरी तौर पर रोक लगाई जावे और जिस भावना से स्व–रोजगार योजना के अन्तर्गत

(श्री रघुवरदयाल)

(3–25 म. प.)

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पद सीन)

इन बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की बात है वह पूरी तरह से इस प्रकार अमल में लाई जावे जिससे बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सके।

अब मैं आपको लॉ एण्ड आॅर्डर की बात के सम्बन्ध में निवेदन करूं कि बहुत कुछ इस सम्बन्ध में बात हो चुकी है और बहुत कुछ वक्ता इस सम्बन्ध में बता चुके हैं। मैं निवेदन करूं कि रामगढ़ क्षेत्र में मेरे विचार से जितने भी चोरियों के मामले दर्ज हुए हैं उसमें टेन पर्सेन्ट भी ट्रेस आउट नहीं हो पाये।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रघुवरदयाल : कोटपूतली काण्ड के सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करूं कि जब इस सम्बन्ध में रामगढ़ में, नौगांवा में प्रदर्शन हुए उस समय जिस तरह का व्यवहार पुलिस का रहा, हमारे रामगढ़ में एक आदमी की मौत हुई और वह मौत पुलिस की बन्दूक से हुई। उसके उपरांत भी उस मौत का सारा जिम्मा पांच आदमियों पर डाल कर उनका चालान नाजायज तौर से किया गया। मैं आपको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं कि इस प्रकार से लॉ एण्ड आर्डर की बात यहां पर है।

शिक्षा नीति के सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करूं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री रघुवरदयाल : शिक्षा के सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करूं कि पंचायत समितियों के माध्यम से आज जो स्कूल चलाये जा रहे हैं, प्राथमिक शालायें, उनके हालात की क्योंकि मैं सरपंच रहा हूं इसलिए मेरी जानकारी है....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री रघुवरदयाल : आज प्रत्येक टीचर अपने पर इस प्रकार की तलवार लटके हुए देखता है, उसका ट्रांसफर पता नहीं कब कहां हो जाय और किस प्रकार उसको परेशान होना पड़े। यह हालत आज वहां की है। एक बात और आपसे निवेदन करूं कि चुनावों के दिनों में शाखा दर शाखायें स्कूलों की खोली गई और एक एक मास्टर वहां पर लगाए गए लेकिन एक बहुत ही अफसोस के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद वह शाखायें स्कूलों में समाप्त कर दी गई। इस प्रकार शिक्षा के साथ व्यवहार पंचायत समितियों के माध्यम से हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रघुवरदयाल : यही कहते हुए निवेदन कर रहा हूं कि जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है उसे निश्चित रूप से अमान्य करार दिया जाना चाहिए।

जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : माननीय नत्थीसिंह, आप मूव करेंगे।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा राम-गढ़) : चार मिनट का समय है, मुझे भी बोलने दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय नत्थीसिंहजी, आप प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : मूव करके बोलूंगा भी थोड़ा सा।

श्री अध्यक्ष : आपकी पार्टी का समय समाप्त हो चुका है।

श्री नत्थीसिंह : पार्टी का सवाल नहीं है, पहले का रखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : तो आपको पहले मूव करना चाहिए था।

श्री नत्थीसिंह : बहुत कम समय लूंगा।

श्री अध्यक्ष : पहले मूव कर देना था।

श्री नत्थीसिंह : बहुत कम समय लूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रस्ताव में संशोधन है वह निम्न प्रकार है :

"अभिभाषण में 21 फरवरी, 1985, को चुनाव प्रचार करते हुये डीग में वरिष्ठतम विधायक राजा मानसिंह की उच्च स्तरीय षड़यन्त्र के अन्तर्गत पुलिस द्वारा की गई निर्मम एवं जघन्य हत्या का उल्लेख तक नहीं है। अतः उनके अभिभाषण पर हमें अत्यन्त क्षोभ है।"

अध्यक्ष महोदय, अभी एक भूतपूर्व मन्त्री, माननीय सदस्य प्रभाकर साहब जब बोल रहे थे और यह कह रहे थे कि इस अभिभाषण में माननीय इन्दिरा गांधीजी की हत्या का जिक्र तक नहीं है तो हम लोग क्यों चिंतित हैं कि राजा मानसिंहजी की हत्या का इसमें जिक्र होना चाहिए था।....

श्री हनुमान प्रभाकर : मैंने यह नहीं कहा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नत्थीसिंह : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य भूल गये इस बात को, स्वर्गीय इन्दिराजी की हत्या का दायित्व शायद राजस्थान की सरकार पर डालना चाहते हैं, लेकिन राजा मानसिंहजी की हत्या का दायित्व इस सरकार पर है। यह अभिभाषण इस सरकार का अभिभाषण है जो राज्यपालजी ने दिया है। इसलिए इसमें उसका उल्लेख नहीं होना निश्चित रूप से क्षोभकारक चीज है। इसमें जिक्र है इन्दिराजी की हत्या का, उसके पश्चात् की परिस्थितियों का।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नत्थीसिंह : मैं कहना चाहता हूं कि यह जो आतंकवाद की स्थितियां बन रही हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आसन की ओर मुखातिब हों।

श्री नत्थीसिंह : जो सरकारी आतंकवाद चल रहा है उस पर अगर हम लगाम नहीं लगायेंगे, चाहे डीग में हो, चाहे वह कोटपूतली में हो और चाहे वह भरतपुर के ही घना में हो, जहां छः छः आदमी मार दिए गए, इस आतंकवाद को समाप्त नहीं करोगे तो जनतन्त्र नहीं रहेगा। चिंता इस बात की है कि जनतन्त्र कैसे बचेगा। क्यों अशांति होती है। आपने जो अभी यहां चुनाव की बात कही है, मैं अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सरकार को कहना चाहता हूं कि यह निरंकुशता सरकारी अधिकारियों में आई कैसे इतनी भारी ? इसी विधान सभा के द्वारा, इसी सदन के द्वारा विकेन्द्रीकरण की योजना बनाई गई थी। स्वर्गीय प्रधान मन्त्री जवाहरलालजी नेहरू ने नागौर में दीपक जलाकर उद्घाटन किया था लेकिन धीरे धीरे विकेन्द्रीयकरण की सारी प्रक्रिया खत्म होकर, सारी व्यवस्था खत्म होकर केन्द्रीयकरण शक्तियों का कर दिया गया और नौकरशाही को इतने अधिकार दे दिए गए हैं कि वह निरंकुश बन गई है। आज चाहे पंचायत समितियां हों, चाहे सहकारी समितियां हों, चाहे आज आपकी म्यूनिसिपैलिटियां हों, चाहे आपकी कृषि उपज मण्डी समितियां हों....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री नत्थीसिंह : अब की बार तो एक और गजब हुआ, जिले दो बन गये, जिला परिषद भंग हो गई तो वहां सी प्रशासक लगाने की पद्धति चल गई। प्रशासक लगा दिया, चुनाव कराना भूल गए और सरकारी हाकिमों के हाथ में या मर्जीदानों के हाथ में सारे अधिकार सौंप दिए गए और यही जनतांत्रिक प्रणाली पर कुठाराघात है और यही सरकारी अधिकारियों के दिमाग को खराब करने की पद्धति है।

अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मुझे कहना होगा, मुझे संकोच होता है, शर्म आती है जब एक सरकारी अधिकारी उद्घाटन करता है और सत्तारूढ़ पार्टी का एक एम. एल. ए. और एम. पी. वहां उनके गुणगान करता है फोलोअर्स की तरह। यह कितनी बुरी व्यवस्था इस देश में हो गई है। यह निरंकुशता की पराकाष्ठा है इस पर आप कण्ट्रोल कीजिये।

इसके साथ साथ आज जो हमारे देश में इस तरह से अराजकता बढ़ रही है....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री नत्थीसिंह : बहुत संक्षेप में कह रहा हूं।

आज नौजवानों की बात कहते हो, नौजवान बेरोजगार हैं। अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष बता रहे हैं और इधर एक नौजवान माननीय सदस्य ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा है लेकिन मैं कहता हूं, हम रोजगार देने के लिये क्या कर रहे हैं ? जो कर रहे हैं वह तो ऐसे है जैसे जले तवे पर पानी की एक बूंद। इससे कुछ होने वाला नहीं है। हम तो पुराने जमाने के हैं, अध्यक्ष महोदय, आपने भी कोई 15-20 साल पहले एक सिनेमा देखा होगा, मैंने देखा था तब उसमें एक गीत सुना था, उसकी एक पंक्ति मुझे याद है, एश करलो दोस्तो कॉलिज की दीवारों में, कल से देखे जाओगे सबके सब बेकारों में। 15 वर्ष से स्थिति वही है, कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए मैं आपकी

(श्री नत्थीसिंह)

मार्फत इस सदन से और सरकार से अर्ज करना चाहता हूं, मैंने राज्य सभा में प्रस्ताव रखा था, वह प्रस्ताव यह रखा था कि हमारे संविधान के जो मूलभूत अधिकार हैं उनमें संशोधन किया जाय, सम्पत्ति का अधिकार हटाया जाय और काम का अधिकार हमारे संविधान में शामिल किया जाय तभी बेरोजगारी की समस्या मिटेगी। उस समय की तत्कालीन प्रधानमन्त्री, इन्दिराजी ने अपने जवाब में कहा था कि मैं सिद्धांततः तो इसे स्वीकार करती हूं। उनका राज चला गया उसके बाद जनता पार्टी आई। उसने अपने घोषणा पत्र में इसको रखा इन शब्दों में कि सम्पत्ति का अधिकार हटे और काम का अधिकार आये। लेकिन मुझे दुःख है, मौका आया तो उसने सम्पत्ति का अधिकार तो हटाया लेकिन काम का अधिकार आज तक संविधान के मूलभूत अधिकारों में शामिल नहीं किया गया। मैं चाहूंगा कि इस सदन द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा हम दबाव डालें संसद पर, भारत सरकार पर कि संविधान में यह संशोधन हो और काम का अधिकार मूलभूत अधिकार में शामिल किया जाय। हमारी योजना की प्राथमिकतायें बदलेंगी तभी हमारे देश से बेरोजगारी की स्थिति मिट सकती है, उसके पहले नहीं। यहां आपकी राज्य सरकार से मैं मांग करता हूं, जैसे महाराष्ट्र में और दूसरी राज्य सरकारों ने कुछ कदम उठाए हैं, आप भी उठाइये, बेरोजगारी का भत्ता देने का उन्होंने कदम उठाया है। आप क्या कहते हैं? सड़क बनाने के लिए भर्ती कर रहे हैं, कुछ कर्जा दिला रहे हैं। जिसको रोजगार हम नहीं दे सकते उसको बेरोजगारी भत्ता जरूर देंगे, ऐसी हमारी योजना बननी चाहिए तभी हमारी प्राथमिकतायें बदलेंगी।

जहां तक कृषि और दूसरी चीजों का ताल्लुक है, मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, आज न कृषि को पानी है और न बिजली है। जो उत्पादक हैं, न उनके भावों का कोई करा-धरा है। पिछली बार 151 और अबकी बार 157। पिछली बार खरीद का कोई इंतजाम हमारे जिले में नहीं था। आज भी क्या होगा, क्या नहीं होगा। मैं कहता हूं, हमारी मांग है, कृषि मूल्य आयोग मत बैठाइए। कृषि में लागत क्या लगती है उसके लिये आयोग बने। लागत के आधार पर हमारे कारखानों की चीजों के दाम, खेती की चीजों के दाम तय हों। समता मूल्य प्रणाली इस देश में आये तभी इस देश में निश्चित रूप से न्याय आप कर पायेंगे, इससे पहले नहीं कर पायेंगे। इसलिए मैं आपसे आज अर्ज कर देना चाहता हूं कि आज बेरोजगारी मिटेगी कैसे। हम केवल खेती की बात करते हैं और खेतों को पानी नहीं। आज गंगा-जमुना के पानी की बात आप अर्से से करते चले आ रहे हैं, मैं कहता हूं, मुख्य मंत्री महोदय, क्या हुआ, हमारे ओखला बान्ध में हमारा हिस्सा अब तक कैसे तय नहीं हुआ? आज हमारी गुड़गांव केनाल है, भरतपुर फीडर है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नत्थी सिंह : पानी उनमें आता नहीं। हमारा गंगा के पानी में हिस्सा हो। बाढ़ तो हम पर आती है, बाढ़ से तो हम प्रभावित होते हैं लेकिन सिचाई के लिए

(श्री नत्थी सिंह)

पानी क्यों नहीं मिलता। कहते हैं, देहली का बांध नहीं बना, उससे नुकसान हो जायेगा। गंगा के बेसिन में पानी नहीं है। यह बात गलत है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री नत्थीसिंह : मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं।

यह बात गलत है। अब भी स्थिति यह है कि चाहे गंगा-जमुना का सवाल हो, चाहे पंजाब की नदियों का सवाल हो, हमारी सरकार इतनी अक्षम हो गई है कि भारत सरकार के सामने अपने अधिकारों को मनवा नहीं सकती। आठ वर्ष के लिए वर्तमान मुख्य मंत्री छुट्टी पर चले गये थे, मुझे आशा है, अबकी बार आप हिम्मत से काम लेंगे और हमारे जो अधिकार हैं उनको मनवा कर रहेंगे। कोई बात नहीं है, नाम कर जाओ यहां पर कि ऐसे मुख्य मंत्री भी आये जो हिम्मत के साथ लड़े। सदा रहने वाले नहीं हो।

एक बात याद दिलाना चाहता हूं आपके मार्फत कि हमारे यहां पर बड़ी बाढ़ आया करती है, बाढ़ से 72 में, 79 में, 75 में भारी नुकसान हुआ लेकिन किसानों को बाढ़ का कोई मुआवजा नहीं देते हैं और किसानों से आबियाना हर साल वसूल करते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा, जब मुख्य मंत्री आप थे उस वक्त भरतपुर आप गये थे और आपके बाद में एक मुख्यमंत्री और रहे बीच में, भरतपुर के वह अध्यक्ष थे सभा के, मैंने प्रस्ताव रखा था और आपने कहा था आबियाने के संबंध में कि हम रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन का आयोग स्थापित करते हैं। आयोग स्थापित किया आपने? मदान साहब आयुक्त थे। उन्होंने जांच की, रिपोर्ट दे दी। आठ साल हो गये, अभी तक रिपोर्ट पर अमल नहीं हुआ। उन्होंने कहा यह गलत है, बाढ़ का आबियाना नहीं लिया जाना चाहिए। आज भी मेरे जिले में कुर्की हो रही है इस बात की। बाढ़ से तबाही हुई, बाढ़ से तबाही के बावजूद किसानों की कुर्कियां की जा रही हैं। मैं समझता हूं आप काफी अन्तराल के बाद आये हैं तो आप निश्चित रूप से इस ओर ध्यान देंगे।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। बात हो गई पूरी आपकी।

श्री नत्थीसिंह : अभी नहीं हुई। बात तो बहुत है लेकिन आपकी आज्ञा मैं मानूंगा। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि पंचायत राज संस्थाओं के संबंध में बड़ी बात इसमें कही गई है। माननीय सदस्य बोल रहे थे तो कह रहे थे बीकानेर में हमने घोषणाएं कीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है बीकानेर में जो घोषणाएं की गईं उनकी तो अभी तक कोई क्रियान्विति हुई नहीं, कोई अधिकार मिले नहीं। हां वहां पर हमारे पुराने लोकप्रिय मुख्यमंत्री आपके व्यवहार से, आपकी परिस्थिति से जरूर हमेशा के लिए चले गये, स्वर्ग सिधार गये। आपके उसी कमरे में वह थे। उन्होंने यह विकेन्द्रीयकरण की योजना बनाई और आज तक पूरा नहीं कर दिये वायदों को किसी वायदे को

(श्री नत्थीसिंह)

निभा नहीं पाये। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप शहरी सम्पत्ति पर सीमा लगाने की बात करते क्यों नहीं? कतराते क्यों हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नत्थीसिंह : सिर्फ एक बात।

गांवों में तो सिंचाई की सुविधा नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क बनती नहीं है, बेरोजगारी मिटती नहीं है, फसल के दाम मिलते नहीं हैं और पुलिस का उत्पीड़न कम नहीं होता है। चीनी, मिट्टी का तेल मुहैया नहीं है फिर भी आप 20 सूत्री कार्यक्रम की बात करते हैं कि हमने यह कर दिया, वह कर दिया। आप निश्चित रूप से पूरी की पूरी योजना का खाका बदलिए। देश में मूलभूत परिवर्तन जब तक आयेगा नहीं, श्रम करने वालों को श्रम का पूरा पूरा लाभ मिलेगा नहीं, बिचौलिये लोग सारी कमाई का लाभ उठाते रहेंगे तब तक देश की तरक्की होगी नहीं, इसलिए इसको आप बदलिए। नये सिरे से योजना शुरू कीजिये और राजस्थान को सरसब्ज इलाका बनाने के लिए कारगर, प्रभावी कदम उठाइए।

आपकी आज्ञा से इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : राज्य सरकार की ओर से अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर। माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इन दिनों में काफी सुझाव दिये उन सुझावों का मैं स्वागत करता हूं। वैसे मूल रूप में जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया है उसका समर्थन करने के लिए जो संशोधन प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रजातंत्र की एक परिपाटी है जिसमें राज्यपाल महोदय राज्य सरकार की एक्टिविटी, कार्य, उसकी सफलताओं और असफलताओं का लेखा जोखा सदन के समक्ष रखते हैं और यह सदन उसके प्रति अपना समर्थन प्रकट करता है। मैं उन व्यक्तियों में से हूं, जो यह मानते हैं कि लोकतंत्र के मायने बहुमत प्राप्त करना ही नहीं बल्कि लोकतंत्र के मायने एक लोकतांत्रिक जीवन प्रणाली जीना है। इसलिए मैं स्वागत करता हूं माननीय सदस्यों के सुझावों का जो इन दिनों में उन्होंने दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे लिए शायद यह संभव नहीं होगा कि हर माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं अथवा जो भी कहा है उसके पक्ष और विपक्ष में कुछ कहूं। मगर मैं एक निवेदन करना चाहता हूं; वह यह है कि आज जो केन्द्र में सरकार है कांग्रेस की, वह और राज्य में जो सरकार है वह, एक अमुक प्रकार के सिद्धान्तों और विचारों, आम जनता का मत लेकर के केन्द्र में और राज्य में आई है। यह स्पष्ट है कि राजस्थान की जनता ने और भारत की जनता ने कांग्रेस को, इन दोनों सरकारों को चुना है। उसके कार्यक्रमों को समर्थन दिया है। इसलिए हमारा यह आब्लीगेशन है कि जिस मेनीफेस्टो को लेकर हमने चुनाव लड़ा, जिस कार्यक्रम के आधार पर हम यहां जीत

116

(श्री हरिदेव जोशी)

कर आये उस कार्यक्रम को हम यहां पर पूरा करेंगे। एक सामाजिक और आर्थिक दृष्टि-कोण है हमारा जिसे हम इस सदन में पिछले वर्षों में आपके समक्ष रखने आये हैं, एक फिलॉसफी है, एक सोशल और इकॉनामिक प्रोग्राम है। जिसमें समाज का पिछड़ा हुआ वर्ग ऊपर उठे, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिले, इक्वल अपार्चुनिटी मिले और उस अपार्चुनिटी के आधार पर हम एक नये प्रकार के समाज की रचना कर सकें। यह इस सरकार का उद्देश्य है। उसमें अध्यक्ष महोदय, हमें जहां इस सदन में इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों का सहयोग चाहिए, उतना ही सहयोग उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों का भी चाहिए। मेरा यह निरन्तर प्रयत्न होगा कि विरोध पक्ष से वाइटल इश्यूज के ऊपर सलाह-मशविरा हो, चर्चा हो, विचार-विमर्श हो और जो सलाह वे देते हैं उसकी स्प्रिट इस मन्शा से मैं लूं कि इन्होंने एक साथी के रूप में हमें सलाह दी है। निर्विरोध पक्ष, विरोध करने वाले, आलोचना करने के रूप में नहीं बल्कि समान साथी के रूप में लेता हूं, इस भावना से उनकी बातें लेता हूं कि वे समान भागीदार हैं, इक्वल पार्टीज हैं। मैं सरकार अथवा सरकारी पार्टी को इस रूप में नहीं लेता कि शासन करने वाली पार्टी है और विरोधी पक्ष को इस रूप में नहीं लेता कि आलोचना करने वाली पार्टी है। इसलिए मैं जो चीजें यहां पर कहना चाहता हूं उसको उसी स्प्रिट में लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने सामाजिक उत्थान के बारे में कई बातें कही हैं और जो कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार ने, राज्य सरकार ने हाथ में लिया है उसके बारे में भी कई बातें कही हैं। प्रशासन के बारे में बहुत बातें कही हैं। इस प्रशासन से आपको शिकायत हो यह बात नहीं है, प्रशासन से मुझे भी शिकायत है। मगर एक बात को मूल रूप में हमें ध्यान में रखना है, वह यह है कि गेहूं की ढेरी में एक मुट्ठी भर अगर हम उठाते हैं तो हम एक प्रकार से नमूना लेते हैं उस ढेरी का, जो हमारे हाथ में आती है। आज प्रशासन में जो लोग हैं वह हम, आप सब लोगों में से एक हैं, इस भारत के समाज के लोग हैं। वे हमारे जैसे अच्छे और हमारे जैसे ही बुरे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे ही मैंने मुख्य मंत्री का पद सम्भाला, मैंने सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारियों की एक मीटिंग ली। उस मीटिंग में मैंने कहा कि मैं उस प्रशासन को अच्छा समझता हूं जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। जिस प्रशासन के अन्दर संवेदनशीलता नहीं हो वह प्रशासन कभी भी समाज के उत्थान के लिए उपयुक्त इम्प्लीमेन्ट के रूप में काम में नहीं लाया जा सकता। इसलिए हमारा एक पैक्ट होना चाहिए, मिलजुल कर हम समाज के अन्दर परिवर्तन लावें। मगर साथ ही साथ मैं यह समझता हूं कि जब तक प्रशासनिक स्थिति सुधरती नहीं है, अधिकारी रेस्पोंसिव नहीं होते हैं, संवेदनशील नहीं होते हैं तब तक हम किसी भी कार्यक्रम या जो हमारी भावनाएं हैं उन सब को अच्छी तरह से पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा यह प्रयत्न होगा इस दिशा के अन्दर कि वे उचित मापदण्ड के अनुसार साबित होवें। लोगों में आलस मिटे, काम चोरी मिटे, कर्त्तव्यहीनता मिटे और समाज के प्रति संवेदनशील बनें,

(श्री हरिदेव जोशी)

यह मुख्य शर्तें हैं एक अच्छी गवर्नमेंट की। मेरा आप सबसे यह निवेदन है कि इस प्रयत्न के अन्दर आप भागीदार बनिये, जहां भी कमी देखेंगे हम सब मिल कर आपस में उसको दूर करने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इन पिछले वर्षों में पंचवर्षीय योजनाओं के जरिये एक प्रकार से विकास का काम शुरू हुआ है। मगर जो कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना में आई. आर. डी. पी., एन आर. ई. पी., आर. एल. ई. जी. पी के मार्फत हाथ में लिया गया है अथवा शुरू किया गया है उसका एक निश्चित दृष्टिकोण है, वह दृष्टिकोण है समाज के पिछड़े हुए वर्ग को ऊंचा उठाना, छोटे तबके को ऊंचा उठाना जिसे हम हैव नाट्स कहते हैं। समाज के अन्दर इस प्रकार का तबका जो पिछड़ा हुआ है, दबा हुआ है, गिरा हुआ है, मजलूम है, धरती के ऊपर पड़ा हुआ है, धरती के ऊपर पड़ा हुआ आदमी जब तक ऊंचा नहीं उठता है, आप कितनी भी भौतिक उन्नति कर लीजिये देश ऊंचा नहीं उठेगा। इसलिए इस प्रकार की योजनाओं का, विशेष कर 20 सूत्री कार्यक्रम की योजनाओं का तात्पर्य यह है कि उनके जरिये समाज के अन्दर एक नयी प्रकार की चेतना पैदा की जाय और गिरे हुए आदमी को ऊंचा उठाया जाय। मैं यह मानने वालों में से हूं कि सामाजिक तरक्की ब्यूरोक्रेसी के आधार पर नहीं की जा सकती, उसके अन्दर सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग होना ही चाहिए, राजनैतिक विचारों का सहयोग होना ही चाहिए। जब तक पोलिटिकल फिलासफी और कार्यकर्त्ता इसके अन्दर अपने आपको इन्वाल्व नहीं करते तब तक यह कार्यक्रम अपना वांछित फल नहीं पा सकेगा, यह भी मेरी दृढ़ धारणा है। इसलिए इस कार्यक्रम को लागू करने के पहले, लांच करते समय हर लेवल के ऊपर चुने हुए प्रतिनिधि को इसमें इनवाल्व किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, आज भी चर्चा आयी थी और उसमें मैंने कहा था कि जो फण्ड स्टेट से अलाट किये जाते हैं वह जिला परिषद को अलाट किये जाते हैं जिला परिषद अपनी मीटिंग के अन्दर उस सारे फण्ड को नीचे तक पहुंचाता है। जो माननीय सदस्य जिला परिषद के मेम्बर्स हैं और सभी चुने हुए प्रतिनिधि, एम.एल.ए. उसके सदस्य हैं वे वहां बैठते हैं। अगर वह दिलचस्पी लें तो यह सहायता समाज के पिछड़े हुए वर्ग की कर सकते हैं। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि आप जिला परिषद् की दूसरी किसी मीटिंग में सम्मिलित हों अथवा नहीं हों मगर इस कार्यक्रम के सिलसिले में जो भी मीटिंग होवें, उस मीटिंग में आप जरूर भाग लीजिये, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं ताकि आप इसके अन्दर भागीदार बन सकें। मेरे मन में यह है कि हम सभी अपने आपको इन चीजों के अन्दर इन्वाल्व करें और एक नये समाज का निर्माण करें, जो एक प्रोग्राम लांच किया गया है वह सक्सेसफुल हो। मैं यह मानता हूं कि अगर यह कार्यक्रम सफल नहीं होता तो किसी भी स्थिति के अन्दर इसके वांछित परिणाम निकलेंगे नहीं। 20 सूत्री कार्यक्रम, हम समझते हैं, एक नयी दिशा देने वाला है। मगर 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्दर जो कमियां हैं उन कमियों को ही देखें और उसमें सुधार लाने की कोशिश नहीं करें, उदाहरण के तौर पर किसी बेरोजगार को रोजगार देने के लिए अमुक

(श्री हरिदेव जोशी)

प्रकार की ट्रेनिंग देकर उसको काम पर लगाया गया, अगर उस पैसे का उपयोग सही ढंग से होता है तो परिणाम एक प्रकार का आता है, उस पैसे का उपयोग सही रूप में नहीं होता है तो निश्चित रूप से योजना सफल नहीं होगी। योजना सफल हो रही है अथवा नहीं हो रही है यह काम आप किस के ऊपर छोड़ना चाहते हैं, मैं इसे आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूं मैं इसे राज्य कर्मचारियों के ऊपर नहीं छोड़ना चाहता। प्रत्येक स्तर के ऊपर चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं जिनको आम जनता ने, आम मतदाता ने चुन कर भेजा है उनको यहां पर बैठाया है। चाहे वह पंचायत समिति में हों, चाहे जिला परिषद में हों अथवा राज्य स्तर की कमेटी में हों, वह वहां पर बैठे हैं। मैं यह आशा करता हूं कि आपके एक्टिव स्टाफ से, आपके एक्टिव कोआपरेशन से कार्यक्रम सफल होगा। ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसी मेरी धारणा, मेरी मान्यता है।

अध्यक्ष महोदय, राज्य स्तर के ऊपर इस प्रकार की कमेटी बनायी गई है कि यह कार्यक्रम प्रभावी हो सकेगा अथवा नहीं और इसने समाज के अन्दर कोई असर पैदा किया अथवा नहीं, फील्ड में इसका इम्पेक्ट है अथवा नहीं। इसको अधिक सही ढंग से देखने के लिए इसमें मैं संशोधन करना चाहता हूं। इस संशोधन के लिए मैंने माननीय विरोधी दल के कुछ नेताओं को अभी सदन के स्थगित होने के तुरन्त बाद में आमंत्रण दिया है। मैं उनसे विचार-विमर्श करूंगा। उसमें कांग्रेस पार्टी की ओर से भी लोग होंगे, विरोध पक्ष के लोग भी होंगे, हम चर्चा करेंगे कि हम किस तरह से और कैसे इसको सक्सेसफुल बना सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे आज की जो स्थिति है उसको समझने की कोशिश करें। लॉ एण्ड ऑर्डर के बारे में बहुत बातें कही गई हैं। समाज के अन्दर जो विकास हुआ है उत्पादन हुआ है उसके बारे में भी चर्चा की गई है। मैं बहुत आंकड़ों के अन्दर नहीं जाना चाहता। आंकड़ों का जंजाल जो है वह अपने ढंग का है मगर फिर भी, चूंकि आज बजट पेश किया जायेगा और उसके ऊपर चर्चा करने का अवसर मिलेगा इसलिए मैं उस आस्पेक्ट को एक तरफ छोड़ देता हूं जो एक या दो दिन में हम इन सबकी चर्चा करेंगे। मगर क्या हम यह मानते हैं कि राजस्थान आगे नहीं बढ़ा है? क्या है शिक्षा की स्थिति, क्या बिजली के उत्पादन की स्थिति है, क्या है सिंचाई की स्थिति, क्या है स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति यह सही है कि राजस्थान आज भी पिछड़े राज्यों में से एक है मगर यह भी एक तथ्य है कि राजस्थान में स्थिति जब राजस्थान बना था तब थी आज उससे ऊपर है। एक समय था जब राजस्थान के अन्दर 100 से कम कुओं के ऊपर बिजली थी, आज हजारों पर है। एक समय था जब किसी राज्य के हैड क्वाटर पर और किसी एक जगह पर शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था थी आज गांव गांव में शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था है। यह बात सही है कि आज लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उन आकांक्षाओं की पूर्ति करना उतना आसान नहीं है। मैं तो जून महीने में बजट प्रपोजल्स लेकर आऊंगा उस समय आपकी जो

(श्री हरिदेव जोशी)

आकांक्षाएं हैं उनके अनुरूप आप सहयोग देंगे और उसको देखने की कोशिश करूंगा। आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप आगे आयें और इस राजस्थान को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें। एक रचनात्मक, एक कन्स्ट्रक्टिव रूप में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : इसका मतलब यह है कि आप भारी टैक्स लगायेंगे?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरिदेव जोशी : आपका सहयोग मुझे चाहिये। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप नेगेटिव अप्रोच को छोड़िये। राजस्थान का कोई विकास नहीं हुआ है, राजस्थान में कहीं कुछ काम नहीं हुआ उसको फील न करके इसको देखने की कोशिश करें कि राजस्थान जब बना था तब क्या था अथवा यह सोचने की कोशिश कीजिये कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त में राजस्थान क्या था और छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में राजस्थान क्या है। मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान में अपनी हैसियत के अनुसार प्रयत्न किया गया है। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर, योजना के अन्दर हम यह कह सकते हैं और गौरव प्राप्त कर सकते हैं कि राजस्थान हिन्दुस्तान के राज्यों में आज भी नम्बर एक पर है। इसलिये चाहे हम कितने भी अपनी मंजिल से दूर हों मगर फिर भी मैं कह सकता हूं कि इन वर्षों में जो प्रयत्न किये हैं वे सराहनीय हैं, प्रशंसनीय हैं।

अध्यक्ष महोदय 1980-81 के अन्दर लगभग साढ़े पांच लाख फेमिलीज को लाभ मिला, आई.आर.डी.पी. में 1984-85 में 1 लाख 39 हजार फेमिलीज को लाभ मिला। इस प्रकार 6 लाख 92 हजार अर्थात यह समझिये कि 7 लाख फेमिलीज जिनको नीचे के स्तर से गरीबी की रेखा से ऊपर उठाकर लाये हैं। छोटा मगर एक प्रयत्न किया जा रहा है जिसके जरिये हम कह सकते हैं कि राजस्थान आगे बढ़ रहा है।

प्रधान मन्त्री ने एन.आर.ई. का जो प्रोग्राम लांच किया है उसके अन्दर लगभग 3 लाख से ऊपर लोगों को रोजगार दिया गया है। जब आप यह कह सकते हैं कि 3 लाख को क्यों दिया, ज्यादा को क्यों नहीं दिया है? नहीं दिया, हमारी हैसियत नहीं ज्यादा देने की, अथवा यह है कि हमारी आर्थिक स्थिति नहीं है कि हम दूसरों को काट कर वह कर सकें।

आज जो बिजली की बाबत में कहा गया है, बिजली की कमी है, किसान को बिजली कम मिल पाती है, उद्योगों को बिजली कम मिल पाती है, उससे मैं सहमत हूं। मैं यह डिफाइन करने के लिए नहीं आया हूं कि हमारे पास बिजली है और बिजली इतनी सरप्लस है कि सबको देने के बाद फिर भी बिजली बचती है। इसका एक कारण है, ऐतिहासिक कारण है, एटोमिक पावर प्रोजेक्ट की पहली यूनिट आम तौर पर सिक रही, जो थर्मल प्लांट पहले आ जाना चाहिए था वह देर से आया। मगर विकास की गति को रोका नहीं जा सकता है चाहे आप गवर्नमेंट में थे तब भी, हम गवर्नमेंट में हैं तब भी। जो प्रेशर है बिजली के

(श्री हरिदेव जोशी)

लिये उसकी रेसिस्ट करना किसी भी गवर्नमेंट के लिये सम्भव नहीं है । इसलिये एक्सपान्शन तो होता गया, जैनरेशन कम हुआ उसका परिणाम है आज कि हम को कभी इधर से बिजली काटनी पड़ती है, कभी उधर से बिजली काटनी पड़ती है और कभी शट डाउन करना पड़ता है । मगर राज्य सरकार का यह दायित्व है कि राजस्थान में बिजली की जो योजना हाथ में है उनको जल्दी से जल्दी पूरी करें और बिजली के द्वारा जो आज काम है, इससे खेती को नुकसान पहुंचता है अथवा उद्योगों को नुकसान पहुंचता है, वह न पहुंचे । राज्य सरकार जागृत है और वह जानती है कि बिजली नहीं तो औद्योगीकरण नहीं, बिजली नहीं तो खेती नहीं और खेती और औद्योगीकरण नहीं है तो राजस्थान के पिछड़ेपन को हरगिज नहीं मिटाया जा सकता है । इसलिए इन सारी समस्याओं के प्रति सरकार जागरूक है । मगर कोई जादू का डण्डा नहीं है जिसके आधार पर कुछ काम कर सकें । जो प्रोग्रेस पिछले वर्षों में हुयी है, आप कह सकते हैं कि धीमी है मगर निश्चित रूप से वह आगे बढ़ाने वाली है । मैं ऐसा समझता हूं कि आने वाले वर्षों में जो योजनायें हाथ में ली जा रही हैं उनके आधार पर मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज जो स्थितियां बिजली के बारे में हैं, वह नहीं रहेगी ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में सुधार के बाबत कुछ बात कही थी । उस सिलसिले में कुछ कदम उठाये गये हैं ।

श्री नत्थी सिंह : बिजली के बारे में बोल दिये, जैनरेशन पर आ गये । उन्होंने कहा था, तुरन्त 4–6 महिनों में जिस काम को किया जा सकता है, वह है आयल जैनरेशन । जिसके सैल कन्ट्री में नहीं बनते हैं बाहर से मंगवाकर कुछ तुरन्त किया जा सकता है ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं आ रहा हूं बात यह है कि मैं शुरू से शुरू कर रहा हूं और आपका भाषण आखिरी में हुआ है । जिस सीरियल आर्डर में मैंने कागज जमाए हैं उन कागजों का उपयोग उसी ढंग से करने की कोशिश करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में ट्रेडीशनल पावर के बारे में विभाग का निर्णय हुआ है और जितनी एनर्जी जिस किसी तरीके से भी काम में ले सकते हैं, हमको उपलब्ध हो सकती है उसको उपलब्ध करने की हम कोशिश कर रहे हैं । इसमें नागौर जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं वह आ भी जाते हैं, सौर एनर्जी भी आ जाती है, दूसरी चीजें भी आ जाती हैं । जितने भी हमारे वित्तीय साधन हैं, सब का उपयोग करके राजस्थान सरकार बिजली के काम को एक बार एट पार ले आने के प्रयत्न में है ताकि हमारा पिछड़ापन एक बार दूर किया जा सके, यह हमारी भावना है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके बीच में बोलने से विषयान्तर हो गया । मैंने कहा था, मेरा यह प्रयत्न है कि जो अधिकारी काम के ऊपर लगे हुए हैं वह तहेदिल से काम करें, समय के ऊपर काम करें । इसके लिए एक नया मानीटरिंग सिस्टम इवाल्व किया गया है जिसमें एक स्पेशल आफिसर को नियुक्त किया गया है । वह आर्डर जो

(श्री हरिदेव जोशी)

है; मेरा तात्पर्य उस सारे में यह है कि राज्य कर्मचारी चाहे सेक्रेटेरिएट में हो, चाहे कहीं हो, समय पर आवें, कुर्सी पर ठीक समय पर आकर बैठ जायं । मेरा तात्पर्य यह है कि उनके कार्य का डिस्पोजल....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस पर तो तालियां बजाओ ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री हरिदेव जोशी : उनके कार्यों का डिस्पोजल सही हो । फाइल पड़ी न रहे और इस काम को देखें कि जल्दी से जल्दी फैसला करें । मैं निश्चित रूप से यह चाहता हूं कि फाइल को निकलवाने के लिए एक आदमी को एक कमरे से दूसरे कमरे में फाइल के पीछे नहीं जाना पड़े, फाइल निकालने के लिये मिनिस्टर को सिफारिश नहीं करनी पड़े, फाइल निकालने के लिये मिनिस्टर को आज्ञा नहीं देनी पड़े । वह आटोमेटिकली चले । इसके लिये एक स्पेशल आफिसर श्री आनन्दी लाल रूंगटा को अपाइंट किया है, चार दिन पहले ही । शुरूआत सचिवालय से की है कि 10 बजे सारे सेक्रेटेरिएट के आफिसर अपने आफिस के अन्दर आकर बैठ जाय । मैं कोशिश करूंगा कि फाइलें समय पर निकलें । मैं यह कोशिश करूंगा कि वे निष्पक्ष रूप से काम करें । और अगर कहीं किसी प्रकार की ढिलाई है तो उनके सुझाव के आधार पर एक्शन लिया जायेगा । उसके लिये चीफ सैकेटरी के बाद में जो सबसे सीनियर आफिसर हैं उनको अपाइंट किया है ताकि वे किसी भी दफ्तर में जाकर इस काम की जांच कर सकें कि सभी लोग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ।

"That punctuality is observed by all officers and staff in coming to offices and remaining at work after lunch hours.

"That during the office hours, quickest possible disposal of work is done in a meaningful fashion at all the levels of the employees of the Secretariat.

"That there is no unnecessary piling of work and the papers move faster.

"That there is no loitering or chit-chatting in the offices of the Secretariat and staff are engaged in meaningful and productive work without disturbances.

"That right atmosphere is obtained in the Secretariat which is condutive to the discipline and productivity."

(4.00 म. प.)

ये आर्डर है ।

श्री नत्थी सिंह : राज्य के सारे आर्डर्स हिन्दी में होने लगे हैं । वह क्यों अंग्रेजी में....

श्री शोपत सिंह : सेक्रेटेरियट के बाहर भी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जगन्नाथ जी पहाड़िया के समय में इस प्रकार का कोई सिस्टम था क्या ?

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : मैं मेरी बात कर रहा हूं, आप और बात करेंगे, पहाड़िया जी अपनी बात करते थे, शिवचरणजी अपनी बात करेंगे। आपसे मैं आपकी बात पूछूं क्या ?

इसकी जरूरत नहीं है। मैं अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नयी बात नहीं है। हर चीफ मिनिस्टर आता है और इस तरह के आर्डर इश्यू करता है।

श्री हरिदेव जोशी : आपने किये थे क्या ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री शोपत सिंह : 10 बजे से पहले ही आ जाते थे जनता पार्टी में।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधान मन्त्री राजीव गांधी ने प्रशासन को भी एक नयी दिशा देने की कोशिश की है। उन्होंने चाहा है कि प्रशासन का नवीनीकरण हो और डिस्पोजल विवक हो उसमें कम्प्यूटराइजेशन, और जितना क्विक डिस्पोजल हो सकता है वह करने की कोशिश की जाय। प्रदेश के अन्दर हम हैं, राजस्थान में भी इस दिशा के अन्दर मेरा यह प्रयत्न होगा कि इन सब चीजों का जितना भी हम लाभ उठा सकते हैं अनुभव के आधार पर उसका लाभ हम उठावें।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर लाॅ एण्ड आॅर्डर के बारे में बात की गयी। कोई भी बात मैं यहां पर आंकड़ों के आधार पर नहीं रखना चाहता। वह एक सिस्टम है अपनी बात को अच्छा साबित करने का कि अमुक साल में बरगलरी के इतने केसेज हुए थे उसके कंपेरिजन में इस साल में इतने कम हुए इसलिये लाॅ एण्ड आॅर्डर अच्छा है। मैं ऐसा मानता हूं कि ब्यूरोक्रेसी और समाज मिल करके आज की सामाजिक स्थितियों का निर्माण करते हैं। चाहे आज बलात्कार हो, चोरी हो, मर्डर हो अथवा थानों के अन्दर अव्यवस्था हो, गोलीकांड हो, ये सारी की सारी चीजें हम सब पर रिफ्लेक्ट करती हैं। एक दुर्घटना होती है तो वह दुर्भाग्यपूर्ण है, यह मानकर मैं चलता हूं। किसी भी एक दुर्घटना को लेकर हम गौरव अनुभव नहीं कर सकते कि पिछले साल 5 हुई इस साल एक हुई। हमारा प्रयत्न यह होगा कि एक भी दुर्घटना न हो, एक भी दुराचरण न हो, ऐसी स्थिति लायी जाय जिससे कम से कम जिसको कि अच्छी चीज कहा जा सकता है, आदर्श चीज कहा जा सकता है, उसको एचीव करने की कोशिश करें। इस दिशा के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, जितने पिछले दिनों में जुडिशियल इंक्वायरीज के आॅर्डर्स हुए हैं उन सबको एक्सपिडाइट करके जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देने के आदेश मैंने दे दिये हैं। अपने स्तर पर मैं यह प्रयत्न कर रहा हूं कि इनकी

(श्री हरिदेव जोशी)

जल्दी रिपोर्ट्स आ जायं। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर जुडिशियल इन्क्वारी की रिपोर्ट्स समय के ऊपर नहीं आती हैं तथा उसका जो एक असर पैदा होना चाहिये वह असर पैदा नहीं होगा तो लोग ये समझेंगे कि एक प्रकार का दारू मिक्सचर पिलाने की कोशिश की गयी है, जुडिशियल इन्कवायरी द्वारा। इसलिये मैं बहुत सिंसियरली हाउस से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपनी ओर से ये प्रयत्न कर रहे हैं कि जितनी भी जुडिशियल इन्क्वायरी हों, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, जो भी नामीनेट किया गया है उनके सबके रिजल्ट जल्दी से जल्दी आवें इसलिये व्यक्तिगत स्तर के ऊपर भी जो प्रयत्न मैं कर सकता हूं उसको करने की कोशिश मैं करूंगा। मुझे ऐसा कहा गया है कि एकाध दो जगहों में जो सहयोग दूसरी पार्टी से मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि उसी प्रकार का सहयोग हमको मिले। अध्यक्ष महोदय

श्री अमरचन्द (गंगरार) : समय की सीमा का निर्धारण करने का कष्ट करेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरी ओर से मैंने कर दिया है। मगर आपको यहां नहीं कहना चाहता।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : मेरी ओर से मैंने कर दिया है मगर यहां पर उसको नहीं कहना चाहता।

श्री यदुनाथ सिंह : औरत विक्री के मामले में....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, नोट कर लें। मुख्य मंत्री जी के बयान के बाद आप चाहे कुछ पूछ सकेंगे। बीच में व्यवधान नहीं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से माननीय सदस्यों से इस बात में सहमत हूं कि जो विशिष्ट योजनायें हैं, राज्य स्तर की, मैंने एक दो दिन पहले भी कहा था जैसे डेजर्ट डवलपमेंट की बात है, राजस्थान राज्य अकेला अपने आधार के ऊपर उस विकास को नहीं कर सकता। उसमें भारत सरकार मदद करे तो हमारा विकास जल्दी हो सकता है वरना ये इसी प्रकार से चलता रहेगा। हमारी यह कोशिश है, राजस्थान केनाल, डेजर्ट डवलपमेंट और कुछ दूसरे प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं अगर हम उनको सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर केन्द्रीय योजनाओं के तहत लावें, ला सकें तो हमारा प्रांत बड़ा हो जायेगा और हमारे विकास के अन्दर सहायता मिलेगी। मैं माननीय सदस्यों से भी जो वांछित सहयोग लेने की इसमें जरूरत होगी उसको लेने की कोशिश करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, जो कमेटी जिला स्तर पर अथवा पंचायत स्तर पर बनी हुई हैं, जिसमें ग्रीवांसेज की कमेटी है, पब्लिक ग्रीवांसेज कमेटी है मेरी यह कोशिश होगी कि उनको रीवाइटेलाइज और रीएक्टिवाइज किया जाय ताकि आम आदमी की शिकायत को जिला स्तर पर ही दूर किया जाय। निश्चित रूप से मैं इस राय का हूं कि राज्य स्तर के ऊपर शिकायत ले करके वही आते हैं जिनका जिला स्तर के ऊपर

(श्री हरिदेव जोशी)

निराकरण नहीं होता है। जिला स्तर पर यदि उनकी शिकायतों का निराकरण हो जाता है तो राज्य स्तर के ऊपर लोग नहीं आयेंगे। मगर हमारा भी कुछ फ्यूडल स्टेट रहा है। लोगों की एक भावना रही है कि हम उच्च स्तर के ऊपर जायें और वहां जा करके अपने ग्रीवांसेज को दूर करवायें। मगर मेरी यह कोशिश है कि नीचे के स्तर की कमेटी को फिर से पुनर्गठित किया जाय जिसमें माननीय सदस्य भी हों, अधिकारी भी हों और पुनर्गठित करके ऐसी कोशिश की जाय कि जो छोटी-मोटी शिकायतें हों उन छोटी-मोटी शिकायतों का वहीं पर ही निस्तारण हो जाय।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कुछ आंकड़ों के जरिये यह कहने की कोशिश की है, उन आंकड़ों को डिस्प्यूट किया गया है कि वे आंकड़े सही हैं अथवा नहीं हैं। मैं उन आंकड़ों के उसमें नहीं जाना चाहता मगर मैं कहना चाहता हूं, यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य एक ऐसे समाज की रचना करना है जिस समाज के अन्दर हम समता ला सकें, यह कोशिश कर सकें कि समाज के नीचे के तबके को ऊंचा उठा सकें। इसमें अगर आपका सहयोग मुझे मिलेगा तो मैं अधिक अच्छे ढंग से इस चीज को कह सकूंगा और कर सकूंगा।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने छोटे-मोटे ग्रीवांसेज अपने अपने इलाके के बारे में कहे हैं। मैं उनकी विगत में तो नहीं जाना चाहता मगर कुछ बातें कहूंगा। मैं स्पष्टीकरण जरूर करना चाहता हूं। सिखों और हिन्दुओं के राजस्थान में रिलेशनशिप के बारे में बात कही गयी। मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान की अवस्थिति ही ऐसी जगह पर है जो पंजाब से मिलती हुई है। पंजाब के पड़ौस में उत्तर प्रदेश है, पंजाब के पड़ौस में हरियाणा है, पंजाब के पड़ौस में दिल्ली है, पंजाब के पड़ौस में राजस्थान है। माननीय सदस्य जानते हैं कि किस प्रकार का प्रयत्न करके उस सारे असर से राजस्थान को बचाने की कोशिश की है। उसकी विगत में जाने से कोई अर्थ नहीं है। आज क्योंकि सारी चीजें भूतकाल की हो गयी हैं। मगर मैं यह जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में यह कोशिश कर रहे हैं कि सभी जातियों और सभी समाजों के अन्दर आपस में मेलजोल रहे, सभी जातियों और सभी धर्मों के अन्दर एक ऐसी भावना रहे कि राजस्थान वह प्रदेश है जिस प्रदेश के अन्दर हम अपने आपको सुरक्षित महसूस करते हैं, विशेष करके मायनोरिटीज, जो रिलीजिअन्स और लिंग्विस्टिक मायनोरिटीज है वे राजस्थान में अपने आपको सुरक्षित महसूस करें। यह हमारा परम कर्तव्य है कि ऐसा वातावरण बनायें। इसके लिए मैं माननीय सदस्यों से सहयोग चाहता हूं कि वे जब अपनी आलोचनायें या समालोचना करें तब उन परिस्थितियों को भी देखें, आज से 5 वर्ष पहले के क्राइम्स को भी देखें। संसार का कोई देश, कोई प्रान्त ऐसा नहीं है जहां क्राइम बड़े नहीं हों। उस कम्पेरिजन में राजस्थान में स्थिति क्या है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : ज्यादा बढ़े हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं आपसे सहमत नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : इसलिए सहमत नहीं हूं, आप जहां रहते हैं उसके पड़ौस की पोजीजन क्या है, आपकी स्थिति क्या है और आज राजस्थान के दूसरे हिस्सों में स्थिति क्या है। इसलिए इन कम्पेरिजन टू अदर स्टेट्स राजस्थान अधिक शांतिपूर्ण और लॉ एण्ड ऑर्डर की दृष्टि से इसका अधिक अच्छा स्थान है, ऐसा मैं मानता हूं। मगर इसके मायने यह नहीं है कि जो छुटपुट घटनायें हुई हैं चाहे वह हिन्दू-मुस्लिम झगड़ों के कारण से हुई हों, दूसरे प्रकार के आपसी झगड़ों के कारण हुई हों, वह अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। इन सारी चीजों को रोकने की कोशिश करने की जरूरत है। परपज मेरा आपसे निवेदन करने का यह है कि अगर हम लोग इसको एक एंगल से देखें, समाज के अन्दर विकृति आती है उसका अगर हम कहीं कोई तात्कालिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं तो वह प्रवृति अच्छी नहीं होगी, यह राजस्थान को खराब करेगी और राजस्थान की आने वाली भावी पीढ़ी को भी खराब करेगी। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आप इसके अन्दर सहयोग करें।

अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि यह तो हत्या वर्ष है आदि आदि।

श्री शोपत सिंह : और भी कुछ कहा था।

एक माननीय सदस्य : बलात्कार का वर्ष।

श्री हरिदेव जोशी : आदि आदि, इसलिए मैं बोलता हूं कि रिपीट नहीं करना पड़े।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसका अन्त करो, भाई।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, बहुत बातें चुनाव के दरम्यान हुई घटनाओं की बाबत कही गयीं। चुनाव अकेली कांग्रेस पार्टी लड़ती है? चुनाव में अगर कुछ किया है अथवा कुछ हुआ है तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप कोई भी स्पेसिफिक बात मेरे सामने लाइये। निष्पक्ष उसकी जांच करवाकर, चाहे किसी पक्ष का कोई भी व्यक्ति हो उसके खिलाफ कार्यवाही करने में हम हरगिज संकोच नहीं करेंगे। मगर मैं यह जानता हूं, चुनाव की बाबत शिकायतें, चुनाव में धांधली करने की शिकायतें, चुनाव के अन्दर दूसरी प्रकार की शिकायतें केवल आपको हो, ऐसी बात नहीं है। इधर के माननीय सदस्यों को भी है। जहां कांग्रेस हारी है, जहां कांग्रेस हार गयी है, जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है डेपुटेशन के डेपुटेशन आज कई जगहों से मेरे पास आते हैं। मैं उनकी जांच करवाने की कोशिश करता हूं। इसमें अगर किसी का भी इन्वॉल्वमेंट है तो उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप एक बात को देखिए। इलेक्शन कमीशन ने हमारी मशीनरी के ऊपर और आप-हम सब लोगों के ऊपर जो स्ट्रेन और प्रेशर था उसको देखने की कोशिश की होगी। पहले लोक सभा के इलेक्शन

Page No. 126

(श्री हरिदेव जोशी)

उसके बाद इन कन्टीन्यूएशन विधान सभा के इलेक्शन और वह भी एक दिन के अन्दर उसका स्ट्रेन कम नहीं हो सकता था। कई राज्य ऐसे निकले जिन्होंने एक दिन में इलेक्शन करवाने से इन्कार कर दिया। राजस्थान उन राज्यों में से एक है जिसने स्वीकार किया कि हम एक दिन के अन्दर इलेक्शन करवायेंगे। एक दिन के अन्दर इलेक्शन करवाने का परिणाम निकला। अगर एक से ज्यादा के अन्दर, तीन दिन में इलेक्शन हुए होते तो स्ट्रेन और होता....

श्री शोपत सिंह : इसका श्रेय तो वोटर्स को जाना चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : और जो शिकायतें आयी हैं वह और बढ़ गई होतीं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम सारी जो डैमोक्रेटिक मशीनरी है उसको स्ट्रेन्थन करें और यह कोशिश करें कि इस प्रकार की शिकायतें आने वाले इलेक्शन में तो कम से कम न हों।

श्री शोपत सिंह : हमने ही बचवाया। आप तो फर्जी वोट डाल रहे थे।

श्री हरिदेव जोशी : इन्होंने फर्जी वोट डलवाये इसलिए आप चुनकर आ गये।

श्री शोपत सिंह : और भी बुरी बात है आपके लिए।

श्री हरिदव जोशी : पिछली बार तो सही वोट पड़े इसलिए आप हार गए और इस बार फर्जी वोट पड़े हैं इसलिए आप जीत कर आ गये।

श्री शोपत सिंह : हम तो आप और इन दोनों के मुकाबले जीतकर आये हैं। दोनों के मुकाबले जीतकर आया हूं मैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : फर्जी वोट पड़ रहे थे तो आप क्या कर रहे थे?

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों का ध्यान दो एक चीजों के ऊपर दिलाना चाहता हूं। एक है समाज में हरिजनों की स्थिति। चर्चा आयी थी, म्यूनिसिपैलिटि के अन्दर सफाई के बाबत में, म्यूनिसिपैलिटी के अन्दर ठीक काम करने के बाबत में। मैं इससे सहमत हूं कि सफाई का काम और भी पिछड़ना नहीं चाहिये और वह नहीं होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष, यह भी एक स्थिति है आज कि आज भी हरिजन मैला ढोता है, आज भी हरिजन को कई जगहों पर कुओं के ऊपर से पानी नहीं भरने दिया जाता है, आज भी उनके साथ सही व्यवहार नहीं होता है। राज्य सरकार की यह कोशिश होगी कि सिर के ऊपर मैला ढोने की जो प्रथा है उसको जितना जल्दी से जल्दी बन्द किया जा सके वह करवाने के लिए अगर एडिशनल एलोकेशन करने की भी जरूरत पड़ेगी तो किया जायेगा। जयपुर जैसे शहरों के अन्दर....

श्री भंवरलाल शर्मा : बहुत पुरानी बात है। सैंतीस साल हो गए आपको यह कहते कहते।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : घोषणा ही है या कोई कार्यक्रम या योजना है?

एक माननीय सदस्य : मलकानी कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ, वह आयी थी।

श्री हरिदेव जोशी : अगर मेरी ओर से आप बोलना चाहें तो आप बोल लें। मैं बैठ जाऊं ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री नवरंग सिंह : मौका लेना चाहते हैं, मिला नहीं।

श्री हरिदेव जोशी : हां, यही दुर्भाग्य है। कोशिश में लगे रहो, किसी दूसरी तरह से लगे रहो मगर क्या करें, कोशिश कामयाब नहीं होगी।

श्री नवरंग सिंह : माननीय मुख्य मन्त्री जी भी पांच साल से कोशिश कर रहे थे तब यह तजवीज बैठी है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, जयपुर में सफाई की स्थिति के बाबत जयपुर के कुछ माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया। इससे पहले मैं जयपुर के अन्दर एक अभियान पर काम करने के बारे में अधिकारियों की मीटिंग ले चुका था, पीने के पानी की व्यवस्था के बारे में ले चुका था। क्योंकि जयपुर राजस्थान की राजधानी है, जयपुर के अन्दर अगर अव्यवस्था और गन्दगी रहती है तो यह राजधानी गन्दी होती है जो हम सबके लिए एक प्रकार से चिन्ता का विषय बनती है। राज्य सरकार ने पिछले दिनों मशीनों के जरिये सफाई की एक प्रणाली शुरू की है। उसमें अगर कुछ अधिक धन आवंटित करना पड़े तो जयपुर, जोधपुर जैसे बड़े बड़े कस्बों के अन्दर धन आवंटित करके उस कमी को दूर करने की कोशिश की जायगी। हमारा यह प्रयत्न है, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में ट्रैफिक की अव्यवस्था के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में भी कुछ ध्यान आकर्षित किया गया है। मेरी आपसे यह विनती है कि आप थोड़ा सा सहयोग कीजिए। जब हम एक तरफ ट्रैफिक ले जाने की कुछ बात कहते हैं तो माननीय सदस्य डेपुटेशन लेकर के यहां आते हैं कि एक तरफ रेगुलेट करने की कोशिश करते हो, यह ठीक नहीं है। उस असुविधा को हम थोड़े दिनों तक बर्दाश्त कर लें। जैसे राज्य सरकार ने कोशिश की कि बड़े वाहन दिन के अन्दर शहर में नहीं आवें। विरोध कहां से आया? हमारे लोगों में से आया। यह कोशिश हुई कि मिर्जा इस्माइल रोड या इस प्रकार के जो स्थान हैं, जहां पर बड़े व्हीकल्स हैं, वन वे ट्रैफिक किया जाय। विरोध कहां से आया ? क्यों रेगुलेट नहीं हो पाता है ? आज जयपुर शहर और बड़े शहरों के अन्दर साइकल भी चलती है, पांव रिक्शा भी चलते हैं, ऑटो रिक्शा भी चलते हैं, ऊंट गाड़ी भी चलती हैं, भैंसा गाड़ी भी चलती हैं और बड़ी बड़ी बसें, बड़े ट्रक भी चलते हैं। तब फिर मकानों को तोड़ कर सड़कों को चौड़ा तो किया नहीं जा सकता। ट्रैफिक को रेगुलेट करना होगा।

श्री यदुनाथ सिंह : बरामदों को तोड़ा जा सकता है।

श्री हरिदेव जोशी : आज के समाज की जो आवश्यकता है उसकी आवश्यकता की पूर्ति करनी होगी। इस प्रकार की चीजों को तकलीफ उठाकर भी हमको बर्दाश्त करना होगा। संसार के अन्दर अनेक ऐसे शहर हैं जहां पर छोटे से छोटा व्हीकल भी ले जाना मना है। फिर जयपुर शहर के अन्दर आज बड़े ट्रक आवें ही आवें, यह हमारा आग्रह

(श्री हरिदेव जोशी)

क्यों होना चाहिए ? जयपुर में बड़ी बसें आवें ही आवें, यह हमारा आग्रह क्यों होना चाहिए ? जयपुर में ट्रैफिक इस प्रकार से चले, यह हमारा आग्रह क्यों होना चाहिए ? आज पैदल चलने के रास्ते के ऊपर कोई नाजायज कब्जा कर लेता है किसी प्रकार का, चाहे कुम्हार अपने मटके लगा लेता है अथवा कोई खड़ियां लगा लेता है अथवा और कुछ करता है उसको जब उठाने की कोशिश करते हैं तो कौन रोकने की कोशिश करता है, कौन मदद करने की कोशिश करता है ? इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की चीजों के अन्दर सामाजिक अवरोध हैं इन सामाजिक अवरोधों को हटाया जायगा, इसके अन्दर हम सबका मतैक्य होना चाहिये । मैं माननीय सदस्यों से विशेषकर जयपुर शहर और जयपुर शहर के आसपास से आने वाले माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अन्दर आप सहयोग करें । दो-तीन दिन के अन्दर हम यह अभियान शुरू करेंगे, मेरी यह प्रार्थना होगी कि आप उसके अन्दर सहयोग करें । जैसे पहले रुकवाने की आगे होकर कोशिश की थी अब आगे बढ़ने की कोशिश करें, यह मेरी प्रार्थना है ।

श्री यदुनाथ सिंह : बरामदों को खाली करा रहे हो क्या, साहब ? बरामदे खाली नहीं करायेंगे तब तक कुछ नहीं होगा । हर बार हर सरकार चुप्पी लगा जाती है ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आल्टरनेटिव व्यवस्था के बिना हटाने की कोशिश की गई तो हम देख लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : मैंने तो, अध्यक्ष महोदय, बहिन जी का नाम लिया नहीं था, बहिन जी अपने आप ही खड़ी हो गई, मैं क्या करूं ?

श्री शोपतसिंह : ये अपने आप ही खड़ी होती हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : गरीबों की आल्टरनेटिव व्यवस्था करे बगैर उन्हें नहीं हटा सकते है । व्यवस्था करे बगैर उन्हें हटायेंगे तो हम देख लेंगे ।

श्री हरिदेव जोशी : चाहे कोई दूसरी व्यवस्था हो अथवा न हो मगर नाजायज कब्जा तो नाजायज कब्जा है ही, उसको तो उठाना ही पड़ेगा । पैडस्ट्रियन्स के लिये, पैदल चलने वालों के लिये जो स्थान है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य ।

श्री हरिदेव जोशी : इन शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों का धन्यवाद करते हुये यह निवेदन करना चाहता हूं कि विकास में और व्यवस्था में वे भागीदार बनेंगे । वे केवल यह कह कर चलें कि सरकार यह करती है

(श्री हरिदेव जोशी)

यह ठीक है सरकार यह करती है ठीक नहीं है, सरकार यह करती है ठीक नहीं है तो यह राजस्थान हमारा अकेले का नहीं है। यह राजस्थान आप सबका है। चाहे प्राकृतिक विपदा हो, चाहे कोई प्रशासनिक अव्यवस्था हो, उसमें हम सब समान रूप से भागीदार हैं। यह तो एक को-ऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें हम शेअर होल्डर्स हैं, इसमें हम इस बार ग्रेटर शेअर होल्डर्स हैं, पिछली बार आप थे, हम माइनर शेअर होल्डर्स थे। शेअर होल्डर्स की तरह से हमको व्यवहार करना है।

इन शब्दों के साथ माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उनका स्वागत करते हुये, जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करते हुये और जो संशोधन प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय मुख्य सचेतक महोदय।

सदन की कार्यवाही
आय-व्ययक एवं लेखानुदान उपस्थापन के नियत समय में वृद्धि

श्री बुलाकीदास कल्ला (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य के विस्तृत वित्तीय विवरण आय-व्ययक 1985–86 व वर्ष 1985–86 के लिये आंशिक लेखानुदान सम्बन्धी विवरण साढ़े चार बजे की जगह 5 बजे प्रस्तुत किया जावे।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि राजस्थान राज्य के विस्तृत वित्तीय विवरण आय-व्ययक 1985-86 व वर्ष 1985–86 के लिये आंशिक लेखानुदान सम्बन्धी विवरण साढ़े चार बजे की जगह 5 बजे प्रस्तुत किया जाय?

(स्वीकृत)

समय 5 बजे के लिये बढ़ाया गया।

माननीय मोहन प्रकाश।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी जैसा कि जवाब धन्यवाद प्रस्ताव पर दिया। 2–3 चीजों पर उनका विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य। प्रश्न के रूप में।

श्री मोहन प्रकाश : हां, प्रश्न के रूप में ही।

इस प्रस्ताव पर विचार के दौरान जो सबसे शर्मनाक बात कही गई थी, जो रखी भी थी औरत बिक्री वाली बात उसको बाबत अभी तक पिछले दिनों कोई काम ऐसा नहीं हुआ जिसको इंगित करके यह कहा जा सके कि औरत बिक्री को रोकने वाले मामले में हमने यह किया। दूसरी डाकू समस्या है, डाकू उन्मूलन पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश लगातार बहुत ही केन्द्रीय तरीके से कार्य कर रहे हैं लेकिन इसकी बाबत हम क्या करना चाहते हैं, किन

(श्री मोहन प्रकाश)

कदमों को उठाना चाहते हैं, इसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है।

नम्बर दो प्रशासनिक सुधार के बारे में और एफिशियन्सी बढ़ाने के बारे में कही। मानसिंह वाले प्रकरण में भी यह बात हुई थी। माननीय मुख्य मंत्रीजी, आदर के साथ कहना चाहूंगा कि जो लोग शुरू से विवादास्पद रहे हैं, जिन पर मल्हन कमीशन जैसा कमीशन बैठ चुका है वह लोग मुख्य मंत्री सचिवालय में रहेंगे, उनके रहते आप उम्मीद करें कि प्रशासनिक सुधार होगा और एफिशियेन्सी बढ़ेगी तो यह मुझे समझ में नहीं आता है।

एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा धौलपुर के अन्दर थर्मल पावर स्टेशन करीब करीब तय था। पिछले मुख्य मंत्रीजी ने सदन में यह कहा था कि धौलपुर में थर्मल पावर स्टेशन लगेगा.....

एक माननीय सदस्य : राज्य मंत्रीजी ने।

श्री मोहन प्रकाश : हां, राज्य मंत्रीजी ने कहा था।

मैं निवेदन करना चाहूंगा इसके बारे में स्पष्टत: यह बात इसलिए कह रहा हूं मैं, अध्यक्ष महोदय, अभी जो फैक्ट्री राजस्थान में लगने वाली थी, कांच फैक्ट्री तीन दिन पहले श्री राजीव गांधी, प्रधान मंत्रीजी ने पंजाब में जाकर यह घोषणा कर दी कि यह पंजाब में लगेगी। इसी तरीके से जो राजस्थान का पानी का हिस्सा है चाहे वह गंगा जमुना के पानी का हिस्सा हो, चाहे रावी-व्यास के पानी का हिस्सा हो हम अपने हकों को लगातार छोड़ते चले जा रहे हैं। यह भी तय नहीं है कि गंगा जमुना के बेसिन में राजस्थान का हिस्सा आता है या नहीं आता है। मेरे क्षेत्र राजाखेड़ा के बगल से जो हिस्सा है उस पर नहर है, जिसमें साढ़े 22 पर्सेन्ट राजस्थान का हिस्सा है लेकिन हमको एक बून्द पानी नहीं मिलता है....

श्री ललित भाटी : यह क्या भाषण दे रहे हैं, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य बैठ जायं।

श्री मोहन प्रकाश : माननीय मुख्य मंत्रीजी यह पूरे राजस्थान के हिस्से से सम्बन्धित सवाल हैं नम्बर एक थर्मल पावर स्टेशन, नम्बर दो अन्य राज्यों के पानी का जो अपना हिस्सा है, नम्बर 3 जो इस प्रदेश के लिये सबसे अधिक शर्म की बात है, जो राष्ट्र के लिए शर्म की बात होनी चाहिये, बड़ी रेलवे लाइन से राजधानी को न जोड़ना। ये तीन सवाल राजस्थान से सम्बन्धित हैं। और औरत बिक्री और डाकू उन्मूलन इन दोनों ही विषयों पर स्पष्टत: आपको कुछ न कुछ कहना चाहिये ताकि कार्यवाही हो। औरत बिक्री के लिये, अध्यक्ष महोदय, आवे सैकिण्ड का सुझाव है। पिछले 10 साल में औरत बिक्री के जितने मामले सरकार ने पकड़े हैं उन्हीं का स्क्रिनिंग कर लीजिये। जो लोग इसमें शामिल रहे हैं और जिन गांवों में यह घटनायें बार बार हुई हैं उन्हीं पर कार्यवाही करें। अगर आप ऐसी कार्यवाही नहीं कर सकते हैं तो आप इसे केन्द्रीय सरकार को सौंप दें क्योंकि आपके भूतपूर्व मुख्य मंत्री,

(श्री मोहन प्रकाश)

कई राजनेता और कई पुलिस आफिसर्स निश्चित तौर पर औरत बिक्री के मामले में इन्वाल्ड हैं ..

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : कृपा कर इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको याद किया है।

श्री नवरंग सिंह।

श्री नवरंग सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने क्योंकि पावर की भी काफी बात की है, उत्पादन की काफी बात की है, मैं आपके मार्फत माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा और यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में फसल अच्छी हो, इसके लिये आप भी प्रयत्नशील हैं, हम भी प्रयत्नशील हैं लेकिन सबसे बड़ी शिकायत यह है कि राजस्थान की फसल करीब करीब किसान की पक चुकी है, एक चौथाई फसल तो पक चुकी है ऐसे समय में बिजली नहीं मिल रही है, खास कर जहां एग्रीकल्चर कुओं पर बिजली कनेक्शन हैं वहां बिजली मिलती नहीं। 9 घन्टे की आपने घोषणा की लेकिन 5 घण्टे, 6 घण्टे भी मिलती नहीं है। थोड़ी बहुत मिलती है उसमें भी झटके आते हैं, जिसके कारण किसान की काफी मोटरें जल जाती हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, वैसे आपने टार्गेट्स बताये हैं कि 1983-84 में 5655 मिलियन यूनिट आफ बिजली सारे स्रोतों से इकट्ठी करते थे, 15 दिन की बात है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिये माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा, यह अहम् सवाल है राजस्थान के किसानों के लिये जिनकी 1/4 फसल पक चुकी है और 3/4 फसल के लिये केवल 15 दिन के लिये पानी चाहिये। इसलिये और सब जगह की बिजली काट कर किसानों को 18 घण्टे प्रतिदिन बिजली दी जावे।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री नवरंग सिंह : अन्य जगहों की बिजली काट कर किसानों को कम से कम 15 दिन रोजाना 18 घण्टे बिजली दी जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। श्री सम्पत सिंह।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी से बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन में राजा मानसिंह जी की जघन्य हत्या के ऊपर आम तौर पर राय यह बनी थी कि यह बहुत तगड़ी जघन्य हत्या हो गई है। अगर इस पर माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में खेद व्यक्त करने का एक अक्षर आ जाय तो यथार्थ की बात होगी....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री सम्पत सिंह : और इसमें साथ ही साथ बात यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होता है कि इसमें कोई गलती न हो, King can do no rong अगर सरकार यह मान लेगी तो यह यथार्थ की बात होगी। यह अक्षरशः सत्य बात है। मैं डीग का विनम्र बाशिन्दा हूं. भरी दोपहरी में यह जघन्य अपराध हुआ है। सरकार यह मान लेगी तो इसमें क्या खराबी होगी।....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य....

श्री सम्पत सिंह : इसमें इनकी महानता साबित होगी, सारी दुनिया वाह-वाह करेगी।

दूसरा मेरा सवाल जो है वह यह है कि हरिजन जूठन पर जीता है चाहे शहर हो या गांव हो। बहुत बुरा प्रतीत होता है, किसी भी सभ्य प्रजातंत्र के लिये यह बुरी बात है। इस सम्बन्ध में राजनीतिक दर्शन का कहीं न कहीं खोट है। अगर हमारी सरकार और हम विरोध के विनम्र सदस्य मिलकर यह व्यवस्था करें, ऐसा राजनीतिक दर्शन बनाने के अन्दर कामयाब हो जायं तो सबसे बड़े फख्र की बात होगी प्रजातंत्र में।

आखिर में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि हत्या के ऊपर खेद का एक अक्षर आ जाय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सम्पत सिंह : सरकार की बड़ी महानता होगी, राजस्थान की जनता की बड़ी महानता होगी....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सम्पत सिंह : इससे भावनात्मक सम्बन्ध है, संवेदनशील सम्बन्ध है।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जयपुर के विकास के लिये और जयपुर को बढ़िया और सुन्दर बनाने के लिये यह बात बताई कि जो यहां के विधायक हैं वह कुछ काम नहीं करने देते हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, मिस रिप्रेजेण्टेशन न करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब के यह आराम हो जायेगा, पिछली बार जयपुर से पांच विधायक थे जिनमें से डेढ़ तो हम थे क्योंकि जयपुर ग्रामीण आधा तो वहां रहता है और बाकी तीन विधायक आपकी पार्टी के थे। भगवान की कृपा से वह तो अब आपके रास्ते से हट गये, अब वह तो नहीं हैं, अब हम हैं आपके लिये।

श्री शिवराम शर्मा : मैं हूं, मैं एक ही बहुत हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, यदि आपके मन में वास्तव में जयपुर का विकास करने की बात है और उसमें हमारा सहयोग

(श्री भंवर लाल शर्मा)

चाहिये तो आप जितना चाहेंगे उससे दस गुना ज्यादा देंगे, शर्त इतनी ही है कि आप जो भी कार्यक्रम करें वह हमको विश्वास में लेकर करिये। यहाँ की योजनाओं के बारे में डिस्कस करिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मनमाने तरीके से यदि आप काम करेंगे तो आपकी पार्टी के लोग भी आपको सहयोग नहीं देंगे। बाकी हम यह विश्वास दिलाते हैं जयपुर शहर की सफाई का, गन्दगी को साफ करने का भी वायदा किया है, निश्चय भी किया है, आप गलियां साफ कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जयपुर शहर की बहुत सारी गलियाँ आज भी कच्ची हैं, आप जितनी बार सफाई करते हैं वह गन्दी होती चली जाती हैं। पहला मेरा सुझाव है कि यह सारी गलियाँ पक्की करनी चाहिये, एक बात। आप सारा कूड़ा बाजार में ला करके सड़कों यह इकट्ठा करते हैं। मेरा यह निवेदन है इसको इकट्ठा करने के लिए एक स्थान बना दीजिये जहाँ कूड़ा इकट्ठा किया जा सके, एक दिन नहीं भी उठे तो कम से कम दिक्कत नहीं हो। और तीसरी समस्या यह है कि बहुत सारे तहारत यहाँ अभी भी कच्चे हैं, फ्लश नहीं हैं, गटर भी नहीं हैं। पहले अनुदान दे करके तहारत बनवा दिये जाते थे, अब वह अनुदान देकर एक अभियान के रूप में ऐसी कार्यवाही की जाय कि कोई भी जयपुर शहर में ऐसा तहारत नहीं हो जो कच्चा हो तो मैं समझता हूं यह जो हरिजन अपने सिर पर मैला ले जाते हैं इस एक छोटे से काम से जयपुर में तो कम से कम मुक्ति मिल सकेगी। मैं आपको अन्त में विश्वास दिलाता हूं कि आपके मन में जयपुर के लिए यदि कुछ करने का है तो हमको विश्वास में लेकर चलिये, अत्यधिक सहयोग देंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्र शास्त्री।

श्री महेन्द्र शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने नाम पुकार लिया है। कृपया विराजें, मौका दूंगा।

श्री महेन्द्र शास्त्री : जिस स्वीकृति के साथ हमारे विचार विमर्श का उत्तर दिया मैं उसके प्रति क्या आभार व्यक्त करूं लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा। विकास की गति के सम्बन्ध में माननीय नेता महोदय ने जो स्वीकृति दी है, उसमें मेरा यह अनुरोध है कि समय और धन दोनों को हम जितना व्यय करते हैं, इससे हमें क्या उपलब्धि होती है इसका हमें ध्यान रखना चाहिये। इसमें उपलब्धि ही मुख्य होती है। इस कारण से ही हमने यह कहा है कि विकास की गति धीमी है, यह नहीं कहा कि विकास हुआ नहीं है।

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

सुझावों के सम्बन्ध में स्वीकृति तो दी माननीय नेता महोदय ने लेकिन कोई सकारात्मक सुझाव सदन के समक्ष नहीं आये । ऐसी भी कुछ बातें हमने रखी थीं कि जिनको हमने सीधा सम्बोधित करके स्पष्ट कहा था कि

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कह दिया कि दस बजे हाजिर हो ।

श्री महेन्द्र शास्त्री : ये कुछ कठिनाइयां जैसे मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया था लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आया जो कि आना चाहिए, जो कि आवश्यक था क्योंकि हमारे स्थानीय निकाय भी हमारे विकास से पूरी तरह जुड़े हुये हैं । मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि माननीय नेता महोदय का सन्त की तरह दिया हुआ भाषण शासक की तरह से दिए हुए निर्देश के रूप में परिवर्तित हो करके आये तो इस सदन को लाभ होगा और सकारात्मक बात मिलेगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री भामड़ा ।

श्री हरिशंकर भामड़ा (रतनगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं तो सीधे-सीधे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो कुछ कहा उसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण ही कराना चाहूंगा । पहली बात तो उन्होंने कही कि योजनाओं को पूरा करवाने में जनप्रतिनिधियों के जिम्मे सारा काम डालना चाहते हैं । मैं मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं, क्या वह अपने प्रशासनिक अधिकारियों को यह निर्देश देंगे कि जनप्रतिनिधियों की विथ ड्यू रेस्पेक्ट बात सुनी जायगी और उस पर गौर किया जायगा ? इस बारे में क्या वह इस तरह के आदेश जारी करेंगे ?

दूसरी बात आपने यह कही है, कि मैला उठाने की बात 35 सालों से चल रही है । मेरा आपसे प्रश्न भी है और सुझाव भी है कि जिस तरह से जागीरों को समाप्त किया था, रिजम्पशन आफ जागीर किया था और अनेक जागीरदारों को मुआवजा दिया था क्या इसी तरीके पर करेंगे ? क्योंकि जो मैला उठाने वाले हैं उनकी अपनी एक वृत्ति होती है, उनकी आय का साधन है तो जब तक उस आय को आप कम्पेन्सेट नहीं करेंगे तब तक मैला उठाना बन्द होगा नहीं । तो क्या आप इसको जागीर समझकर और उनको ड्यू कम्पेन्सेशन देकर मैला उठाने की प्रथा को तत्काल कानून के द्वारा, जिस तरह से अपने जागीरों को समाप्त किया उसी तरीके से बन्द करेंगे ?

तीसरी बात आपने कही अनधिकृत कब्जे की । जयपुर शहर में जो अनधिकृत कब्जे हो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जयपुर शहर में जो योजनायें नई आवासन बोर्ड की बन रही हैं उसमें भी आपकी योजना के अनुसार काम नहीं होने के कारण अनधिकृत कब्जे हो रहे हैं । उनके लिये भी क्या सरकारी मशीनरी जिम्मेदार नहीं है कि इन लोगों को बसायें ? जहां नई योजनायें बन रही हैं, जो योजनायें बनी हुई हैं, जैसे मालवीया नगर है, दुकानें आपने बना रखी हैं आज तक मालवीया नगर में एक दुकान नीलाम नहीं हुई, एक दुकान नहीं है । परिणाम यह हो रहा है कि लोग खोखे लगाकर उसी तरह से सड़कों पर बैठ रहे हैं जैसे आपके जयपुर में बैठ रहे हैं । तो जब तक

Page No. 135

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

आपकी दूकानें नीलाम होंगी तब तक उनके कब्जे सच्चे हो जायेंगे और फिर उनकी और संख्या हो जायगी। आप कहने के बावजूद भी उनको हटा नहीं पायेंगे, तो अभी समय है क्योंकि एक-एक, दो-दो कब्जे हो रहे हैं मगर आपकी सारी मशीनरी चुप है, जो काम वहां होना चाहिये उसके लिए जागरूक नहीं हैं। काफी लोगों को जरूरत पड़ती है बसने की, लोगों को बसाने का आप प्रोपर अरेन्जमेन्ट नहीं करेंगे, मकान नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे कहीं तो वह लोग बसेंगे। जब एक बार बस जायेंगे और उनकी संख्या बढ़ जायेगी तो आपके सामने यह समस्या आयेगी कि इनको कैसे हटाया जाय। तो आप इस बारे में, जो भी योजना आपने विकास की बनाई है, उसमें आप विशेष तौर से इस पर ध्यान दें कि अनधिकृत कब्जे न हों।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री चन्द्रशेखर।

श्री चन्द्रशेखर : अभी पूर्व में जो जयपुर के माननीय सदस्य बोल रहे थे....

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जो स्टेटमेन्ट दिया, जो जवाब दिया उस पर कोई क्लेरीफिकेशन की बात पूछ सकते हैं।

श्री चन्द्रशेखर : माननीय सदस्य भंवरलालजी ने एक शब्द बोला हरिजन के बारे में ××× तो ऐसा शब्द न बोलें और उसको कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष : श्री लालचन्द।

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर....

श्री अध्यक्ष : कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री लालचन्द डूडी : बिल्कुल ध्यान रखूंगा, जनाब।

उस सारे के अन्दर सिचाई के बारे में जितनी चिन्ता दिखाई है वह चिन्ता होना तो स्वाभाविक है लेकिन उसका जो रास्ता निकालने की बात थी, जिसके लिए वह चिन्ता पैदा हुई वह कारण उसमें दिये। दिसम्बर, 1982 में राजस्थान सरकार ने जो एग्रीमेन्ट किया था और जिस एग्रीमेन्ट के तहत राजस्थान सरकार ने, ही देन मुख्य मन्त्री जी ने 4. 6 मिलियन एकड़ पानी बिना मतलब पंजाब को दे दिया, वह पानी पंजाब को देने की वजह से हमको हमारी राजस्थान केनाल एरिया के अन्दर पानी कतई नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिये। माननीय सदस्य, भाषण नहीं।

श्री लालचन्द डूडी : मैं इसमें थोड़ा सा प्रश्न कर दूं, उस पानी को देने के लिये, जो पानी हमने दिया उस पानी का केवल इस वास्ते कि पंजाब के अन्दर अमृतसर और गुरूदासपुर जिलों, जहां कि पंजाबी समस्या है, ज्यादा वह लोग हैं, उन लोगों को अपीज करने के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है?

––––––––

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री लालचन्द डूडी)

अपरबारी दो आबा नहर जो हैं जिसकी क्षमता है उससे कहीं ज्यादा पानी उससे वहां चलता रहता है वह पानी सारा हमारी राजस्थान केनाल का हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा मुख्य मन्त्रीजी से, क्या उस पानी को राजस्थान, जहां पानी की कमी है, में लेकर पानी की कमी को पूरा करने की कोशिश की जायगी ?

एक दूसरा, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री लालचन्द डूडी : पूर्व सिचाई मन्त्री श्री मदेरणाजी ने हाउस को आश्वासन दिया था कि 600 क्यूसेक पानी, जो कि आनन्दपुर थर्मल प्लांट को शिथिल करने के लिए दिया था, के लिए राजस्थान के नागरिकों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। अभी तक उस 600 क्यूसेक पानी को वापिस लेने के लिये सरकार ने क्या किया है ? इस बारे में माननीय मुख्य मन्त्रीजी बतायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि आपने सातवीं पंचवर्षीय योजना का अलोकेशन का आधार जो रखा है वह सन् 1971 के सेन्सेस को आधार मानकर दिया गया है या सन् 1981 के सेन्सेस को आधार मानकर ? राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह है कि सभी पंचायतों को सड़क से जोड़ने, 1971 की जनगणना के अनुसार एक-एक हजार से अधिक आबादी के सभी गांवों को सड़क से जोड़ने का काम किया जायेगा। सन् 71 सेन्सेस को आधार मानकर राज्य सरकार अगर एलोकेशन करेगी तो काफी नुकसान होगा। तो आपने सन् 1971 का सेन्सेस आधार माना है या आपने प्लान का आधार सन् 81 का सैन्सेस माना है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री शिवचरण सिंह।

श्री शिवचरण सिंह (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो मुख्य मन्त्रीजी से एक ही प्रश्न करना चाहूंगा। फोरेस्ट कन्जरवेशन एक्ट, 1980 है उसको आप स्ट्रिक्टली लागू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं ? नम्बर एक। नम्बर दो प्रश्न, क्योंकि समाजवादी व्यवस्था आपके घोषणा पत्र में है तो क्या माइनिंग सीलिंग भी लागू किया जाना चाहिए ? पिछले दसों साल से आपकी सरकार रही है, जनता पार्टी की सरकार ने तो प्लाट छोटे छोटे बना करके दिये थे पर आपकी सरकार फिर मोनोपोली को रिवाइव करने जा रही है, इसके बारे में क्या उत्तर है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री शोपतसिंह।

श्री शोपतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 20 सूत्री कार्यक्रम है उससे संबंधित मैं तो एक ही....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री शोपतसिंह : माननीय अध्यक्ष

(श्री शोपत सिंह)

महोदय, मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं मुख्य मन्त्रीजी से जो कि 20 सूत्री कार्यक्रम से संबंधित है। गरीब किसान....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री शोपतसिंह : गरीब किसान कौन है ? भूमिहीन किसान को एक तरफ, आप 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत भूमिहीन लोगों को ऊंचा उठाने की बात करते हैं, गरीबों और भूमिहीन लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप राजस्थान में सरकारी जमीन बाजार भाव, दो लाख रुपये प्रति मुरब्बे में बेचने जा रहे हैं, यह दोनों एक साथ कैसे होंगी। क्या आप उस जमीन की बिक्री बाजार भाव से नीलामी बन्द करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री पंकज पंचोली। संक्षेप में, माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें। माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें।

श्री पंकज पंचोली : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं कि नियम 18 के अन्तर्गत गवर्नर एड्रेस पर डिस्कशन होने के बाद मुख्य मंत्री का वक्तव्य हो चुका है अतः उसमें बहस नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया बैठिये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। समय नहीं लें। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, कृपया बैठें। माननीय सदस्य श्री चम्पालाल।

(व्यवधान)

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस चल रही है। अध्यक्षजी, मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आज बाड़मेर जिले के अधिकांश गांवों में पीने का पानी नहीं है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने आज इतने बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पर कोई भी बात नहीं कही है। आज पानी के टैन्कर्स नहीं है। टैन्कर्स जोधपुर और दूसरे स्थानों पर ठीक करने को दिये गये है और थोड़े बहुत टैन्कर हैं उनसे बड़े बड़े गांवों में भी आधी टन्की पानी आता है। कई जगह पर बीच में ही टन्की को बेच दिया। पानी के लिए लाइन पर लाइन लगी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में। समय कम है।

श्री चम्पालाल बांठिया : बैरों में पानी नहीं है इस बात का समुचित उत्तर मुख्य मन्त्री जी ने नहीं दिया। आज लोग पानी को तरस रहे हैं। वहां पर बीमारियां फैल रही हैं उसके बारे में कोई चिन्ता नही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री चम्पालाल बांठिया : अध्यक्ष महोदय, आज भी मेरे पास तार आया है कि लोग मर रहे हैं पर कोई चिन्ता नहीं है माननीय मुख्य मन्त्रीजी को माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर कोई

(श्री चम्पालाल बांठिया)

उत्तर नहीं दिया। कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्य मन्त्री जी से।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठें। माननीय मुख्य मन्त्रीजी।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बैठिये। माननीय सदस्य, समय नहीं है। माननीय सदस्य, मैं अलाउ नहीं करूंगा। माननीय सदस्य, कृपया बैठें। समय नहीं है। समय का अभाव है, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : पलाना थर्मल पावर प्लान का जवाब नहीं आया। पलाना थर्मल प्लान का क्या हुआ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आर्डर आर्डर। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

समय का अभाव है, वैठें, माननीय सदस्य, और भी बिजनेस है।

(व्यवधान)

मुझे मजबूर नहीं करें। आप देखें, समय का अभाव है आगे आपका लेखानुदान आने वाला है। आपने समय निश्चित किया हुआ है, उसकी महत्वता को देखें। उसके समय को बार बार बदला जा रहा है। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

(व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : राजस्थान में काल पड़ा हुआ है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कुछ भी नहीं कहा, कहीं पर फेमिन की बात नहीं कही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय मुख्य मन्त्रीजी, संक्षेप में।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत संक्षेप में कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही माननीय सदस्यों से क्षमा चाही थी। वह इतने दिन तक बोले। इतने समय में यह सम्भव नहीं था कि मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दे देता। एक चीज माननीय सदस्यों को ध्यान में रखने की है, वह यह है कि इस गवर्नमेन्ट का काम शुरू हुए बहुत कम समय हुआ है और बहुत शार्ट नोटिस पर इस सदन को बुलाया गया है इसलिये अगर आप यह सोचते हैं कि वैराइटीज आफ क्वेश्चन आपने किये हैं डिटेल में जाकर उन सभी बातों का रिप्लाई कर सकूं तो यह सम्भव नहीं होगा। मेरी सीमा को ध्यान में रखें।

इसीलिये लेखानुदान पेश किया जा रहा रहा है।

(श्री हरिदेव जोशी)

(व्यवधान)

Please listen पूरा लेखानुदान पेश नहीं किया जा रहा है, वाट ग्रान अकाउन्ट पेश किया जा रहा है इसलिये मैं केवल हां या ना में अपनी बात को समाप्त करूंगा।

किसान को पावर देने की बात है। किसान को पूरी पावर मिले इसके लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं और प्रयत्न किये जायेंगे।

हरिजन झूठ के ऊपर जिन्दा नहीं रहे उनको जो मिल सके उसके लिये कोशिश की जायेगी।

सहकारी समितियों के चुनाव कब होंगे इसके लिये फैसला नहीं किया है। जल्दी ही फैसला करके उसकी घोषणा कर दी जायगी।

अनधिकृत कब्जे नहीं हों इसके लिये कानून में परिवर्तन करने की जरूरत पड़ी तो इसमें परिवर्तन करके उसको सख्ती से लागू किया जायेगा।'

फोरेस्ट कन्जरवेशन

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री हरिदेव जोशी : फोरेस्ट कन्जरवेशन एक्ट, जो कि भारत सरकार का है, की पूरी पालना की जायगी और देखा जायगा कि इसकी पालना हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही हैं तो उसको रोका जायगा। माइन्स की मोनोपोली जैसी कोई चीज नहीं है माइनिंग सेन्ट्रलाइजेशन जैसी चीज सीलिंग नहीं है।

(व्यवधान)

अब रहा सवाल प्लाट को छोटा करने का, वह क्रमिक समय से ही छोटे किये जा सकते हैं। एक दम छोटे नहीं किये जा सकते हैं। जमीन की बिक्री बाजार भाव से हो, होनी भी चाहिये, मैं सिद्धान्तः इससे सहमत हूं।

श्री शोपत सिंह : होने चाहियें। नहीं होने चाहियें।

श्री हरिदेव जोशी : मगर सुनिये तो सही, पूरी बात सुनिये।

बाजार भाव से अगर गवर्नमेन्ट एक्वायर करती है तो जितनी बाजार में कीमत होगी उसकी कीमत चुकाई जानी चाहिये। अगर गवर्नमेन्ट किसी को अलाट करती है रिजर्व प्राइस पर अलाट की जानी चाहिये।

श्री शोपतसिंह : मेरे कहने का मतलब यह था कि नीलामी बन्द की जानी चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी : बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री हरिदेव जोशी : बाड़मेर में पीने के पानी के अभाव की बात कही। राजस्थान के किसी भी हिस्से में अगर अकाल के कारण से अथवा और कोई विशेष कारणों से पीने के पानी की कमी है तो उसको अत्यन्त मुस्तैदी से पूरा किया जायेगा। अगर कमी हो तो उसको भी पूरा किया जायेगा।

(श्री हरिदेव जोशी)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। कृपया बैठें।

श्री मोहनप्रकाश : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे एक भी प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहले ही कह दिया था कि सभी सवालों के जवाब वे नहीं दे सकेंगे। और भी मौके आयेंगे, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

माननीय सदस्यों के जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं वह इस सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि श्री यदुनाथ सिंह सदस्य, विधान सभा द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रस्तुत किया गया संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(ध्वनि मतदान)

श्री यदुनाथ सिंह : हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता। Ayes have it.

अनेक माननीय सदस्य : ना पक्ष जीता। ना पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : मैं दुबारा पढ़ देता हूं। प्रश्न यह है कि श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा, द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रस्तुत किया गया संशोधन स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री यदुनाथ सिंह : हां पक्ष जीता।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने कोई यन्त्र तो लगा नहीं रखा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आर्डर। संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

दूसरा प्रस्ताव

प्रश्न यह है कि श्री नत्थीसिंह सदस्य, विधान सभा द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रस्तुत किया गया संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

अब धन्यवाद प्रस्ताव।

प्रश्न यह है कि श्री सी० पी० जोशी, सदस्य, विधान सभा द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत किया गया धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की कार्यवाही पांच बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 4·50 बजे. म.प. 5·00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 26 की सूची)

(राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर (राजस्थान)

वितरण केन्द्रों की सूची जिनका आन्तरिक निरीक्षण कार्य बकाया है ।

	वितरण केन्द्र का नाम	1981-82 के पूर्व से बकाया है ।	वितरण केन्द्र का नाम जिनका 82-83 से अंकेक्षण कार्य बकाया है ।	वितरण केन्द्र का नाम जिनका अंकेक्षण 83-84 से बकाया है ।
1	2	3	4	5
1.	बीकानेर	80–81	1. उदयपुर	1. बाड़मेर
2.	जोधपुर	80–81	2. जालौर	2. हनुमानगढ़
3.	जयपुर	77–78	3. पाली	3. बांदीकुई
4.	सीकर	80–81	4. बहरोड़	4. बिलाड़ा
5.	बांसवाड़ा	80–81	5. फुलेरा	5. डीडवाना
6.	चूरू	80–81	6. नोहर	6. डीग
7.	झालावाड़	80–81	7. राजसमन्द	7. फतेहपुर

1	2	3	4	5
8.	झुंझुनूं	79–80		8. केकड़ी
9.	गंगानगर	80–81		
10.	सवाई माधोपुर	75–76		
11.	सिरोही	80–81		
12.	नागौर	80–81		
13.	पोकरण	80–81		
14.	टोंक	80–81		
15.	अजमेर	81–82		
16.	बारां	81–82		

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 27 का विवरण)

District-wise Financial Position under IRDP during 1980-81 to 1984-85 (up to Feb. 85)

(Rs. in Lakhs)

S. No.	Name of District	No. of I. R. D. Blocks	Total funds released in 1980-81		Total funds released in 1981-82		Total funds released in 1982-83		Total funds released in 1983-84		Funds released during 1984-85	
			Central Share	State Share	Central Share	State Share	Central Share	State Share	Central Share	Steta Share	Cenral Share	State Share
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Ajmer	8	30.00	17.72	27.00	31.10	33.70	24.19	32.00	38.50	32.00	41.00
2.	Alwar	14	52.00	34.30	43.70	63.02	59.50	56.44	56.00	50.00	56.00	62.00
3.	Banswara	8	20.00	12.00	20.40	25.91	35.00	20.25	32.00	58.00	16.00	82.00
4.	Barmer	8	4.00	—	18.00	25.91	27.20	17.13	32.00	25.00	31.84	36.00
5.	Bikaner	4	12.00	10.00	22.20	25.48	13.60	26.13	16.00	17.00	16.00	10.00
6.	Bhilwara	11	14.25	9.16	26.75	18.13	44.00	40.88	44.00	42.00	33.00	52.00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
7.	Bharatpur	9	51.00	36.00	47.00	51.97	52.70	44.44	36.00	42.00	35.71	48.00
8.	Bundi	4	7.23	3.50	6.00	33.53	16.00	8.13	16.00	15.00	16.00	16.00
9.	Chittorgarh	13	40.00	28.75	43.00	41.37	52.50	40.99	52.00	51.00	39.00	44.00
10.	Churu	7	16.99	11.50	17.85	26.76	30.80	26.75	28.00	31.00	14.00	28.00
11.	Dungarpur	5	18.50	9.00	11.25	16.48	20.00	14.63	20.00	15.00	20.00	15.00
12.	Ganganagar	10	23.42	11.50	22.95	25.27	36.00	30.32	40.00	31.00	20.00	31.00
13.	Jaisalmer	3	2.50	2.34	7.65	11.41	12.00	10.57	12.00	23.00	6.00	12.00
14.	Jaipur	17	47.65	35.00	43.35	66.10	57.80	41.01	68.00	85.50	34.00	90.00
15.	Jhunjhunu	8	9.57	4.00	20.40	29.26	27.20	24.25	32.00	24.00	14.00	28.00
16.	Jalor	7	18.00	9.50	15.75	21.85	34.50	28.29	28.00	30.00	32.00	25.00
17.	Jhalawar	6	24.00	6.00	28.30	39.72	24.00	5.13	24.00	18.00	12.00	12.00
18.	Jodhpur	9	18.04	5.59	19.80	27.00	40.00	22.86	36.00	41 00	36.00	36.00
19.	Kota	12	14.50	2.00	33.00	41.84	44.00	22.38	48.00	50.00	36.00	48.00
20.	Nagaur	11	20.80	12.14	25.75	53.64	42.90	20.82	44.00	49.00	44.00	33.00
21.	Pali	10	18.00	10.00	25.50	29.67	41.00	30.32	40.00	20.00	39.49	30.00
22.	S.Madhopur	11	23.00	18.00	33.50	43.96	41.00	31.87	44.00	33.00	33.00	44.00
23.	Sikar	8	15.00	9.00	20.40	25.44	27.20	24.25	32.00	29.00	32.00	39.00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
24.	Sirohi	5	12.50	6.00	18.75	47.88	23.00	4.62	20.00	22.50	10.00	20.00
25.	Tonk	6	17.80	15.00	18.30	28.55	20.40	15.18	24.00	20.00	24.00	11.00
26.	Udaipur	18	65-00	47.50	59.00	79.79	72.00	57.55	72.00	69.00	72.00	77.00
27.	Dholpur	4						10.72	16.00	14.50	16.00	23.00
	Total :	236	594.95	365.50	675.55	931-04	928.00	700.00	944.00	944.00	770.04	943.00

परिशिष्ट–3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

जिला बाड़मेर में नये राजस्व ग्रामों का गठन

29. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुडा मालानी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्व मन्त्री जी द्वारा बाड़मेर जिले के ग्राम सरली, नोरवड़ा, नगर, दूधू व धोरीमन्ना को विभाजित कर नये राजस्व ग्राम, क्रमशः गंगासरा, जगराम की ढाणी, विश्नोइयों की ढाणी, मुकने का तला व खूमे की बेरी तथा गढ़रा बनाये जाने के प्रस्ताव जिलाधीश, बाड़मेर से मांगे गये हैं ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या ग्रामों के, नये राजस्व ग्रामों के प्रस्ताव जिलाधीश, बाड़मेर से प्राप्त हो गये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इस सम्बन्ध में अभी तक कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(2) प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आवंटित राशि का उपयोग

30. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए विद्युत मण्डल के लिए कितनी-कितनी धन राशि किस-किस सन में प्राप्त की तथा कितना-कितना विद्युतीकरण 28 फरवरी, 1985 तक हुआ ? कृपया जिलावार ग्राम संख्या विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीण विद्युतीकरण नियम पिछले दो साल के ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य से सन्तुष्ट नहीं है और इसी कारण उन्होंने राजस्थान विद्युत मण्डल को पत्र लिखा है ? यदि हाँ, तो किस आशय का ?

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने निगम द्वारा दिया गया धन अन्य कार्यों में खर्च कर लिया इसीलिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने विद्युत मण्डल को दी जाने वाली सहायता में कटौती कर दी ?

(4) उक्त अवधि में कुल मिलाकर प्रतिवर्ष कितने विद्युत कनेक्शन विद्युत कार्यों हेतु दिये गये तथा कितना-कितना लक्ष्य था ? कृपया जिलेवार लक्ष्य एवं वास्तविक उपलब्धि के आंकड़े सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम तथा सहयोगी बैंकों से ग्रा. वि. कार्य हेतु प्राप्त धनराशि तथा व्यय का वर्षवार विवरण तालिका "अ" में दर्शाया गया है। जिलेवार लक्ष्य व उपलब्धि का विवरण तालिका "ब" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ऊर्जा मन्त्री)

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं । प्रश्न के भाग-1 के अन्तर्गत तालिका "अ" में दर्शाये गये आंकड़ों से स्पष्ट है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम तथा सहयोगी बैंकों से प्राप्त धनराशि से योजनाओं में व्यय अधिक है । अतः धन का अन्यत्र उपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि कनेक्शन के वर्षवार लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का जिलेवार विवरण (सूची "ब" में) सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

तालिका-"अ"

छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम तथा सहयोगी बैंकों से प्राप्त ऋण राशि एवं व्यय ।

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	वर्ष	ऋणराशि उपलब्धि	व्यय
1.	80-81	2028.115	3314.57
2.	81-82	1504.044	3964.10
3.	82-83	1464.159	2823.26
4.	83-84	2234.247	2977.25
	योग	7230.565	13079.18
5.	84-85	1608.677 (18 मार्च, 85)	1346.22 (दिसम्बर, 84 तक)
	कुल योग	8839.242	14425.40

तालिका "ब"

छठी पंचवर्षीय योजना में वर्षवार एवं जिलेवार कृषि कुओं का लक्ष्य एवं उपलब्धि की तालिका।

क्र. सं.	जिला	1980–81		1981–82		1982–83		1983–84		1984–85	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	अजमेर	900	1087	1557	1001	500	424	525	585	598	577
2.	नागौर	900	946		1167	150	360	1038	1046	973	892
3.	अलवर		1681		1478	750	536	568	664	1497	1069
4.	भरतपुर	2000	790	2727	359	400	562	430	489	490	420
5.	धौलपुर					300		180		135	50
6.	भीलवाड़ा	1700	1040	2003	1351	700	707	350	545	750	629

Page No. 149

7. चित्तौड़गढ़		2047		1935	1000	971	630	1004	1711	1089
8. बीकानेर		1		5	5	6	—	—	20	—
9. चूरू	100	49	100	12	35	36	20	20	150	9
10. श्री गंगानगर		397		479	200	218	100	275	535	507
11. जयपुर	3600	4214	3329	5255	1300	1586	1389	1662	2409	1804
12. टौंक		400		311	200	222	137	137	585	507
13. झुन्झुनू	1100	1621	1070	1712	200	606	734	788	995	715
14. जोधपुर		447		583	400	106	195	278	827	313
15. जैसलमेर	—	6	—	3	1	1	—	—	5	1
16. बाड़मेर	2500	245	2699	197	100	85	79	107	495	256
17. पाली		1007		1401	175	222	1175	1135	1088	587
18. सिरोही		746		805	400	448	135	179	455	448
19. जालौर	[illegible]	13465	[illegible]	16260	700	869	33593	3700	1195	759
20. कोटा	1500	761	2312	422	200	233	205	272	735	324
21. बून्दी		232		566	300	411	330	413	298	272

22. झालावाड़		566		667	200	230	385	463	556	228
23. सवाई माधोपुर		744		639	584	731	907	805	1145	778
24. सीकर	1700	2132	1114	2239	300	643	863	806	1155	951
25. उदयपुर		1278		876	600	280	105	536	826	504
26. बांसवाड़ा	900	257	722	227	200	221	150	153	140	103
27. डूंगरपुर		57		154	100	100	35	151	205	134
योग	16000 + 4000	24197	17633	25470	10000	11314	11000	12881	19973	14045

नोटः—वर्ष 1980–81 व 81–82 में लक्ष्यों का आवंटन वृत्तवार किया जाता था, जिलेवार आंकड़े नहीं आवंटन किये जाते थे।

+ अतिरिक्त लक्ष्य जिनका वृत्तवारी वर्गीकरण नहीं किया गया।

निवाई में कृषि कनेक्शन के विचाराधीन प्रार्थना-पत्र

32. श्री ग्यारसीलाल (निवाई) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) सहायक अभियन्ता, राज्य विद्युत् मंडल, निवाई के कार्यालय में कृषि कनेक्शन हेतु कब से कौन-कौन से गांवों के किन-किन व्यक्तियों के आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) गत दो वर्षों से विचाराधीन आवेदकों को कनेक्शन नहीं देने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सही है कि विद्युत् कनेक्शन देने में भयंकर अनियमितताएं की गयी हैं ? यदि हां तो कौन अधिकारी दोषी है, और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) सहायक अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, निवाई के कार्यालय में कृषि कनेक्शन हेतु दिनांक 15-3-85 तक विचाराधीन आवेदन पत्रों की ग्रामवार मय आवेदनकर्ता के नाम की सूची सदन के पटल पर दी गई है।

(2) निवाई उपखण्ड में वर्ष 1983-84 में 52 कृषि कनेक्शन दिये गये व वर्ष 1984-85 में (अप्रेल 84 से 15 मार्च, 85 तक) 104 कृषि कनेक्शन दिये जा चुके हैं। सीमित वित्तीय साधनों के कारण अधिक कनेक्शन देना सम्भव नहीं हो सका।

(3) कनेक्शन देने में ऐसी अनियमितता की कोई जानकारी नहीं है।

'सूची अ'

पंचायत समिति निवाई के अन्तर्गत विचाराधीन कृषि आवेदकों की सूची दि. 15-3-85

क्र. सं.	आवेदक का नाम	ग्राम	संबंध भार, हार्स पावर में	आवेदन पत्र का दिनांक
1	2	3	4	5
1	श्री श्योनाथ पुत्र मन्ना	चोरपुरा	5	10.9.84
2	नन्द किशोर पुत्र कल्याण	कुरावदा	5	28.8.84
3	शंकर पुत्र कल्याण	,,	5	10.12.84
4	राजा राम पुत्र सुवालाल	,,	5	21.12.84
5	गज्या गुजर पुत्र चन्द्रा गुजर	,,	5	25.1.85
6	औंकार पुत्र रघुनाथ बोवा	मांवता	5	22.11.82

1	2	3	4	5
7	श्री जगदीश पुत्र रामसुख	मांवता	5	22.11.82
8	नानगा पुत्र पांचू बेरवा	,,	5	22.11.82
9	बक्श्या पुत्र शंकर मीना	,,	5	9.10.84
10	रामफुल पुत्र छोटू गुजर	,,	3	9.10.84
11	रामनारायण पुत्र शंकर मीना	,,	5	9.10.84
12	छीतर पुत्र सुन्दर बैरवा	,,	3	9.10.84
13	सुखपाल पुत्र दुर्गासिंह	,,	3	9.10.84
14	केसरा पुत्र धन्ना बैरवा	,,	5	9.10.84
15	लालू पुत्र गंगाराम बैरवा	,,	5	9.10.84 अजा.
16	बद्री पुत्र श्रीया बैरवा	,,	5	9.10.84
17	पान्नू पुत्र चमना बैरवा	,,	5	9.10.84
18	भंवरलाल पुत्र रामनारायण	वनस्थली	5	22.9.82
19	मोती पुत्र वैदाराम गुजर	,,	5	19.11.82
20	केसरा पुत्र काना गुजर	,,	5	17.12.82
21	राधेश्याम पुत्र भंवरलाल	,,	5	17.12.82
22	रामकिशोर पुत्र रुघनाथ	,,	5	1.3.83
23	नानगराम पुत्र गंगाराम	,,	5	7.11.83
24	नानगराम पुत्र गंगाराम सैन	,,	5	21.8.84
25	केसरा पुत्र काना गुजर	,,	5	15.9.84
26	रेखा पुत्र कान्हा बैरवा	,,	5	11.1.85 अजा
27	चंदा पुत्र ग्यारसी लाल मीना	हिंगोटिया	5	11.1.83 अजजा
28	हनुमान पुत्र रूपा ब्राह्मण	,,	5	23.2.83
29	भूरा पुत्र सांवता मीना	,,	5	22.6.83
30	रामेश्वर प्रसाद पुत्र बजरंग	,,	3	26.4.84
31	मांगीलाल पुत्र श्योराम मीना	,,	5	26.4.84 अजजा
32	श्रवण पुत्र उद्धा मीणा	,,	5	26.4.84 अजजा
33	जगदीश पुत्र जगन्नाथ जाट	,,	5	26.4.84
34	हरीनारायण पुत्र गिरधारी	,,	5	11.9.84
35	सुन्दरा पुत्र गंगाराम कुम्हार	,,	5	25.1.85
36	रंजोता पुत्र गनेश मीणा	चीकाना	5	6.1.81 अजजा
37	तुलसी हरिनारायण पुत्र दल्ला	,,	5	6.1.81
38	श्रीमती प्रेम कुमारी पत्नि हजारी	,,	5	8.1.81
39	जगदीश पुत्र वीरमा मीणा	,,	5	16.10.81 अजजा

1	2	3	4	5	
40	श्री रामपाल पुत्र नाथाना मीणा	चीकाना	5	16.10.81	अजजा
41	रामकुंवार पुत्र नानगराम माली	चीकाना	5	13.1.82	
42	श्योचन्द पुत्र हरनाथ जाट	त्रिलोकपुरा	5	15.10.80	
43	जवाना पुत्र हुक्मा जाट	,,	3	28.1.83	
44	नानगराम पुत्र घासी	,,	3	28.1.83	
45	उमराव सिंह पुत्र मदनसिंह	राहुली	5	23.10.82	
46	किस्तुरचन्द पुत्र गोविन्दराम	,,	5	11.1.83	
47	रोडू पुत्र सुखा माली	,,	5	7.3.83	
48	शम्भुसिंह पुत्र हरिसिंह	,,	3	16.1.84	
49	प्रेमचन्द पुत्र कन्हैयालाल	,,	10	13.12.84	
50	शिवचरण पुत्र श्योपाल	,,	5	10.12.84	
51	सवाईसिंह पुत्र सर्तासिंह	,,	3	8.2.85	
52	जगदीश पुत्र नानगा माली	,,	3	8.2.85	
53	पदमसिंह पुत्र कुन्दनसिंह	,,	5	8.2.85	
54	भुरा पुत्र जवाना मीणा	सिघरा	5	1.3.83	
55	लाला पुत्र वालू मीणा	,,	5	4.3.83	अजजा.
56	घोल्या पुत्र सुखदेव मीणा	,,	5	22.3.83	ज.जा.
57	मूल्या पुत्र श्योबक्स	,,	5	24.3.83	
58	बद्री पुत्र फत्ता	,,	5	24.7.83	
59	गोपाल पुत्र कल्याण मीणा	,,	5	25.3.83	
60	आशा पुत्र गिरधारी	,,	5	25.3.83	
61	हरीसहाय पुत्र जीता मीणा	,,	5	19.4.84	
62	कल्याण पुत्र मांगू मीणा	,,	3	19.4.83	
63	धासी पुत्र चंदा मीणा	,,	3	7.5.83	
64	गिरधारी पुत्र जयराम मीणा	,,	5	7.5.83	
65	पांचू पुत्र गोविन्दा मीणा	,,	3	31.1.84	
66	कल्याण पुत्र रामदेव मीणा	,,	3	1.3.84	
67	माधो पुत्र भूरा मीणा	,,	3	4.3.84	ज.जा
68	भगवती लाल पुत्र जगन्नाथ	,,	3	24.7.84	ज. जा.
69	भूरा पुत्र परसा मीणा	,,	5	5.11.84	ज. जा.
70	गंगाराम पुत्र रामनिवास मीणा	,, लघु. का.	3	29.1.85	ज. जा.
71	रामसहाय पुत्र जगन्नाथ मीणा	,, ,,	3	29.1.85	ज. जा.
72	सोन्या पुत्र नानगा	झांपरी	3	3.12.84	
73	दयाराम पुत्र रंजीता गुजर	,,	5	3.12.84	

ध

Page No. 154

(154)

1	2	3	4	5
74	श्री हरीकिशन पुत्र कालू गुजर	,,	5	5.12.84
75	मोहरपाल पुत्र कालू गुजर	,,	5	7.12.84
76	बजरंगलाल पुत्र घासीलाल	डांगरथल	5	5.10.82
77	रामकरण पुत्र रामचन्द्र	,,	3	5.10.82
78	चंदालाल पुत्र गनेशराम	,,	5	5.10.82
79	लक्ष्मीनारायण पुत्र रोडू खाती	,,	5	5.10.82
80	गंगाराम पुत्र रामजीवन	,,	5	5.10.82
81	हीरा पुत्र फोजू ब्राह्मण	,,	5	5.10.82
82	जग्गा पुत्र छीतर ब्राह्मण	,,	5	5.10.82
83	जग्गा पुत्र छीतर ब्राह्मण	,,	5	5.10.82
84	गंगाराम पुत्र रामजीवन	,,	5	5.10.82
85	भूरा पुत्र गंगाविशन	,,	5	5.11.82
86	गोरधन पुत्र हरनाथ	,,	7·5	9.11.82
87	चंदा पुत्र गणेश	,,	3	9.11.82
88	देवालाल पुत्र नारायण	,,	5	9.11.82
89	मोतीलाल पुत्र घासीलाल	,,	5	9.11.82
90	हरनाथ पुत्र फोजू ब्राह्मण	,,	5	9.11.82
91	रामकरण पुत्र मांगीलाल	,,	5	9.11.82
92	कल्याण पुत्र रघुनाथ	,,	5	9.11.82
93	किशनलाल पुत्र माधू	,,	3	1.3.83
94	जवाना पुत्र रुघनाथ	,,	3	1.3.83
95	बुहाना पुत्र रुघनाथ	,,	3	1.3.83
96	बद्री पुत्र पांचू	,,	3	21.3.83
97	भीमराजसिंह पुत्र शिवराजसिंह	,,	5	21.3.83
98	रामनिवास पुत्र गोगामाली	,,	5	21.3.83
99	सूजा पुत्र पन्ना मीणा	सूनारा	5	13.10.81 अ. जा.
100	किस्तूरचन्द पुत्र सुगनचंद	,,	5	22.6.83
101	चुन्नीलाल पुत्र गणेश मीणा	,,	5	8.9.83
102	रामनाथ पुत्र रामदेव मीणा	,,	5	8.9.83
103	भूरा पुत्र लाला	,,	5	8.9.83
104	रामदेव पुत्र परसा बैरवा	,,	5	11.10.83
105	मांग्या पुत्र सुखा जाट	,,	3	20.12.84
106	श्रवण पुत्र भूरा मीणा	सोगागपुरा	3	20.12.84
107	भेरू पुत्र सोन्या	जगतपुरा	5	31.3.83

Page No. 155

1	2	3	4	5	
108	श्री रोडू पुत्र लक्खा	लोदेडी	5	21.12.83	
109	कल्याण पुत्र रंजीत सिह	,,	5	8.1.85	
110	जगदीश पुत्र जगन्नाथ व्यास	रजवास	5	21.1.82	
111	मांगीलाल पुत्र छोटू लाल	,,	5	2.8.82	
112	रामनिवास पुत्र गणेश	,,	3	14.9.82	
113	छोटूलाल पुत्र जीवणलाल	,,	5	4.10.82	
114	केशवलाल पुत्र कालू राम	,,	5	1.12.82	
115	लक्ष्मीनारायण पुत्र बोज्या	,,	5	1.12.82	
116	बजरंग पुत्र रामनाथ जाट	,,	5	1.4.83	
117	घासी पुत्र प्रताप	,,	3	2.7.83	
118	किशनलाल पुत्र छितर	,,	3	9.5.84	
119	श्रीलाल पुत्र बग्ता	,,	5	21.11.84	
120	ओंकार पुत्र किशन जाट	,,	5	21.11.84	
121	मोती पुत्र श्योकिशन	,,	5	22.1.85	
122	किशनलाल पुत्र भागीरथ	,,	3	6.2.85	
123	कल्याण पुत्र चंद्रा	सुनारी	3	19.11.84	
124	बजरंगा पुत्र जमुनालाल	पलेई	5	16.8.83	
125	बजरंगलाल पुत्र रोडू जाट	,,	3	16.8.83	
126	सुंदरलाल पुत्र गणेश	,,	5	18.8.83	
127	रामजीवण पुत्र माधो जाट	,,	5	26.9.83	
128	गंगदेव पुत्र भूरा जाट	,,	5	26.9.83	
129	बहादुर सिह पुत्र भरथ सिह	,,	3	13.10.83	
130	ईश्वर सिह पुत्र भूर सिह	,,	5	11.10.84	
131	लादूराम पुत्र रामनाथ	,,	5	11.10.84	
132	मांगीलाल पुत्र हरनाथ	,,	5	11.10.84	
133	भोज्या पुत्र बजरंगा	,,	5	15.1.85	
134	भोज्या पुत्र बजरंगा	,,	5	15.1.85	
135	हरवंशा पुत्र शोला बैरवा	,,	3	22.1.85	अजजा
136	जगदीश पुत्र रामजीवण	चैनपुरा	2	10.11.80	
137	कल्याण पुत्र नारायण	,,	5	4.12.80	
138	अब्दुल गफूर पुत्र अब्दुल शकुर	,,	3	26.8.82	
139	श्रीमती केसर पत्नि रामनिवास	,,	3	20.12.82	
140	किशनलाल पुत्र रामपाल शर्मा	,,	3	16.2.83	
141	बजरंगलाल पुत्र श्रीनारायण	,,	3	16.10.83	

1	2	3	4	5	
142	श्री छोटीलाल पुत्र धन्नालाल	,,	3	16·2·83	
143	रामकिशोर पुत्र मूल्या	,,	3	21·3·83	
144	कजोड पुत्र भेरू	,,	3	17·11·84	
145	बालू पुत्र किशना	,,	3	17·11·84	
146	राधाकिशन पुत्र कल्याण	,,	3	21·11·84	
147	मूलचन्द पुत्र धन्नालाल	,,	3	21·11·84	
148	रामसहाय पुत्र धन्नालाल	,,	3	20·11·84	
149	केदार पुत्र बद्रीनारायण	,,	3	4·12·84	
150	रामदेव पुत्र भूरा मीणा	कैरोद	5	26·1·83	
151	प्रकाश पुत्र घासी जाट	,,	5	9·10·84	
152	रघुनाथ पुत्र देवबक्स जाट	,,	5	9·10·84	
153	केसरलाल पुत्र नारायण	,,	5	9·10·84	
154	भवानी शंकर पुत्र श्रीनारायण	,,	5	9·10·84	
155	भंवरीलाल पुत्र मांगीलाल	,,	5	9·10·84	
156	भंवरी लाल पुत्र ग्याना	मावंती	5	21·4·81	
157	लादू पुत्र रोडू	,,	5	29·9·82	
158	श्यामलाल पुत्र गोरू	,,	5	29·9·82	
159	जोरसिंह पुत्र हुकमसिंह	,,	3	4.10.82	
160	मंगला पुत्र नारायण	,,	5	11·10·82	
161	केदार नारायण पुत्र मांगीलाल जाट	,,	5	24·2·83	
162	चंदा पुत्र रामदेवा	,,	5	21·12·83	
163	भूरा पुत्र हरीनारायण	अलीयाबाद	5	19·3·79	
164	हरीनारायण पुत्र रामेश्वर	,,	5	4·3·82	
165	पांचू पुत्र ग्यारसा बैरवा	,,	5	14·10·82	अ.जा.
166	रामनिवास पुत्र माधोलाल	,,	5	14·10·82	
167	रामसहाय पुत्र पांचू	,,	5	14·10·82	
168	केसरलाल पुत्र रामनारायण	,,	5	21·1·83	
169	किशनलाल पुत्र कल्याण गुजर	अणंदपुरा	5	5·11·82	
170	गिरधारी पुत्र रघुनाथ गुजर	अणदपुरा	5	5·11·82	
171	मोती पुत्र कालू	,,	5	29·7·83	
172	कल्याण पुत्र गणेश	,,	5	29·7·83	
173	राधाकिशन पुत्र गंगदेव	,,	5	29·7·83	
174	रामघनदास पुत्र चेला दयालदास	,,	5	29·7·83	
175	कल्याण पुत्र शंकर	,,	5	22·8·83	
176	रामनाथ पुत्र भागूता	रिणदरा	5	5.9.84	

1	2	3	4	5	
177	सोन्या पुत्र भवरया जाट	दामोदर पुरा	5	6·5·83	
178	श्योचंदा पुत्र हरनाथ	,,	3	28·12·84	
179	जुग्गारा पुत्र हुकमा	,,	3	28·12·84	
180	चंदा पुत्र हरनाथ	,,	3	28·12·84	
181	नैनू लाल पुत्र श्रीकिशन	,,	3	28·12·84	
182	वाल्या पुत्र कल्याण जाट	,,	3	19·2·85	
183	नारायण पुत्र जगन्नाथ	वाथडीया	5	17·12·83	
184	केदार पुत्र भवरलाल	,,	5	24·12·83	
185	बजरंगा पुत्र लादू	सूरजपुरा	5	7·1·84	
186	जगदीश पुत्र रामनिवास	,,	5	9·3·84	
187	श्रीकिशन पुत्र बक्तावरा	रामजीपुरा	5	21·3·83	
188	रमेश पुत्र हजारी	,,	5	21·3·83	
189	रामलाल पुत्र गिरधारी	,,	5	15·4·83	
190	लाला पुत्र मगना	,,	5	15·3·84	
191	गिरधरी पुत्र किशनलाल	जयसिंहपुरा	5	24·2·83	
192	भवरलाल पुत्र रामसहाय	,,	3	14·3·83	
193	गोरधन पुत्र छोटू	,,	3	26·9·83	
194	सीताराम पुत्र रामपाल	,,	3	7·8·84	
195	घासीलाल पुत्र नानगा	खण्डदेवत	5	30·12·83	
196	उद्धालाल पुत्र देव्या मीणा	छोटावरथल	5	2·7·83	अजजा
197	ओंकार पुत्र गंगा मीणा	,,	5	2·7·83	,,
198	रामफुल पुत्र जगनाथ मीणा	,,	5	2·7·83	,,
199	भूरा पुत्र चंदा मीणा	,,	5	2·7·83	,,
200	बद्री पुत्र देव्या मीणा	,,	5	2·7·83	,,
201	रामधन पुत्र जगदीश मीणा	,,	5	2·7·83	,,
202	श्रीमती पाची पत्नि बद्रीनारायण	,,	5	27·6·84	,,
203	नानगा पुत्र धन्ना मीणा	,,	5	1·10·84	,,
204	पांचू पुत्र किशना मीणा	,,	5	1·10·84	,,
205	नानगा पुत्र मिश्रीलाल मीणा	,,	5	1·10·84	,,
206	कल्याण पुत्र काल्या मीणा	,,	5	1·10·84	,,
207	छीतर पुत्र किशना	रूपवास	3	18·8·83	
208	इद्र्खां पुत्र रमजान शाह	महाराजपुरा	3	9·12·82	
209	सूज्या पुत्र भूरा गूजर	झालाई	5	28·1·80	
210	सुखदेव पुत्र पुन्या गूजर	,,	5	22·1·80	

1	2	3	4	5
211	मनफुल पुत्र गणेश	झालाई	5	22·1·80
212	सुजीलाल पुत्र भूरा	,,	5	22·1·80
213	किशना पुत्र वालू अहिर	,,	5	22·1·80
214	रामपाल पुत्र भेरू	,,	5	22·2·80
215	राधेश्याम पुत्र जगन्नाथ	,,	5	4·6·83
216	नोशेखां पुत्र उमरखां	,,	5	25·8·83
217	अहमद खान पुत्र मेहमद खान	,,	5	21·12·83
218	रामकरण पुत्र रूपा मीणा	वीजयापुरा	5	7·10·82 अजजा
219	बालू पुत्र जगनाथा	,,	5	15·12·82 अजजा
220	मोतीलाल पुत्र नारायण मीणा	,,	5	24·3·83
221	रामपाल पुत्र रामसुख	,,	5	7·4·83
222	प्रहलाद पुत्र सुखदेव	,,	5	4·5·83
223	प्रहलाद पुत्र सुखदेव	,,	3	15·3·84
224	प्रभुलाल पुत्र सुखदेव मीणा	गुड्डा	3	7·4·83
225	रामअवतार पुत्र रामनिवास	,,	5	6·10·83
226	रामकल्याण पुत्र रामकरण	,,	3	30·11·83
227	श्रवण पुत्र जगनाथ	,,	5	6·1·84
228	बच्चूनाथ पुत्र भवाना नाथ	,,	3	21·8·84
229	गोपाल पुत्र हीरा गुजर ल०का०	,,	5	29·8·84
230	श्योनारायण पुत्र प्रताप गुजर	,,	5	29·8·84
231	श्योनारायण पुत्र प्रताप गुजर	,,	5	29·8·84
232	छोटू पुत्र बद्री	भरथला	5	9·12·80
233	जनसी पुत्र केसरा	,,	5	9·12·80
234	जनसी पुत्र केसरा	,,	5	9·12·80
235	सुवालाल पुत्र कल्याण	,,	5	9·12·80
236	छोटी देवी पत्नि हीरालाल गूजर	,,	5	9·12·80
237	नारायण पुत्र कान्हा राम	,,	5	9·12·80
238	श्रीमती चम्पावती रानी पत्नि ठा० मोहनसिंह	,,	5	4·12·82
239	रामकरण पुत्र मांगीलाल	,,	5	21·1·83
240	देवीसिंह पुत्री भीमसिंह	,,	5	21·1·83
241	हरदेव पुत्र माधो	,,	7·5	31·1·83 हु०जा०
242	भुवाना पुत्र गोरधन मीणा	,,	5	31·1·83 ,,

1	2	3	4	5
243	श्री मीश्रा पुत्र श्रीलाल	मरथला	7.5	31.1.83 अजजा
244	मूल्या पुत्र खांगा मीणा	,,	5	31.1.83
245	श्रवण पुत्र मोहना मीणा	,,	5	31.1.83
246	श्रीमती उछव कुवर पत्नि दिलीपसिंह	,,	5	25.3.83 ल०का०
247	भूरा पुत्र मोतीलाल	,,	3	20.8.83
248	श्रीमती प्रेम कंवर पत्नि वगतावरसिंह	,,	5	17.1.84
249	गोविन्द नारायण पुत्र भूर जी	,,	3	10.10.84
250	वुद्ध सिंह पुत्र दौलतसिंह	,,	5	10.12.84
251	मोहनसिंह पुत्र आनन्दसिंह	,,	5	21.12.84
252	केदार पुत्र जगदीश नारायण	,,	5	28.12.84 ल०का०
253	लादू पुत्र कल्याण जाट	किवाडा	3	20.10.81
254	किशना पुत्र वच्चु	,,	5	3.12.84
255	जगदीश पुत्र हरिनारायण	,,	5	14.12.84
256	किशना पुत्र रामनिवास	,,	5	14.12.84
257	रामपाल पुत्र भूरा जाट	,,	5	19.12.84
258	तेजू पुत्र माधो	ददवास	5	3.12.79
259	सुन्दरा पुत्र भूरा	,,	5	27.12.79
260	माधो पुत्र भूरा	,,	5	22.2.80
261	मोती पुत्र पांचू	,,	5	4.9.81
262	श्रीकिशन पुत्र गोरू	,,	5	4.9.81
263	जनसी पुत्र मन्ना	,,	5	7.9.81
264	हरिनारायण पुत्र गणेश	,,	5	11.9.81
265	जगन्नाथ पुत्र भुआना मीणा	,,	5	11.9.81 अजजा
266	मूल्या पुत्र रामदेवा बैरवा	,,	5	11.9.81 अजा
267	वोदू पुत्र छोटू मीणा	,,	5	18.9.81 अजजा
268	भौंरीलाल पुत्र मदनलाल	,,	5	21.9.81
269	गोपी पुत्र रामनाथ गुजर	,,	5	21.11.81
270	रूपा पुत्र मांगीराम बैरवा	,,	5	21.11.81
271	श्रीमती सांझा पुत्र गंगाराम गुजर	,,	5	21.11.81
272	सुजा पुत्र लच्छू गुजर	,,	5	5.1.82
273	गंगू पुत्र गणेश बैरवा	,,	5	15.1.82 अजा
274	गोपी पुत्र विरधा	,,	3	17.8.82
275	हरिनारायण पुत्र हरदेव	,,	5	17.8.82

1	2	3	4	5
276	श्री मूलसिंह पुत्र माधोसिंह	दतवास	5	20·1·83
277	अब्दुल रजाक पुत्र अजीज खां	,,	3	4·4·84
278	नाथूलाल पुत्र कालू	,,	3	28·12·84
279	रुपनारायण पुत्र श्योनारायण	जगसरा	3	1·2·84
280	जगदीश पुत्र बद्री	,,	5	11·12·84
281	रामलाल पुत्र नानगराम	महाराजपुरा	3	20·11·79
282	रामजीलाल पुत्र नानगराम	,,	3	17·3·82
283	मन्नालाल पुत्र कालू जाट	सीरस	5	27·9·79
284	बद्री पुत्र नानरतन	,,	5	27·9·79
285	बद्रीनाथ पुत्र गंगानाथ	,,	5	27·9·79
286	केसर पुत्र हरनाथा	,,	5	27·9·79
287	कवरलाल पुत्र हरदेव	,,	5	27·9·79
288	ओंकार पुत्र मांगीलाल	,,	5	27·9·79
289	बाबूलाल पुत्र हरलाल	,,	5	7·1·80
290	भूरा पुत्र शंकर	,,	5	7·1·80
291	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्रवणलाल	,,	5	22·8·80
292	कल्याण पुत्र छोटू	,,	5	22·8·80
293	जयनारायण पुत्र कालू	,,	5	22·8·80
294	भूरा पुत्र मोहन जाट	,,	5	28·8·80
295	मानसिंह पुत्र मेहताब सिंह	,,	3	3·10·81
296	लादूलाल पुत्र इसरा	,,	5	12·11·81
297	पांचू पुत्र देवा	,,	5	30·8·83
298	लादूलाल पुत्र ईसरा	,,	5	20·8·83
299	हजारी पुत्र बजरंगा	नला	5	25·3·81
300	छीतर पुत्र प्रताप	,,	5	17·9·81
301	बद्री पुत्र हरनाथ	,,	5	17·9·81
302	माधोदास पुत्र रामदयालदास	,,	5	17·9·81
303	गोपी पुत्र घासी	,,	5	17·9·81
304	दल्ला पुत्र बजरंगा जाट	,,	5	17·9·81
305	परस्या पुत्र गोपी	भगवतपुरा	6	22·11·79
306	लाला पुत्र स्योराम	चुराडा	5	14·12·79
307	कल्याण पुत्र रूपा	,,	5	29·7·80
308	हरनाथ पुत्र लक्ष्मण गुर्जर	,,	5	13·9·84 ल०का०
309	सुमेरसिंह पुत्र भंवरसिंह	ललवाडी	5	14·10·80

1	2	3	4	5
310	श्री नाथू पुत्र पाण्डया	ललवाडा	5	14·10·80
311	देवीसिंह पुत्र कालूसिंह	,,	5	14·10·80
312	गोपाल सिंह पुत्र करणसिंह	,,	5	14·10·80
313	वनेसिंह पुत्र मूरसिंह	,,	5	14·10·80
314	दशरथ सिंह पुत्र हनुमान सिंह	,,	5	14·10·80
315	कल्याणसिंह पुत्र सूर सिंह	,,	5	14·10·80
316	गणपतसिंह पुत्र पेपेसिंह	,,	5	14·10·80
317	गणपतसिंह पुत्र बद्रीसिंह	,,	5	14·10·80
318	श्रीमती भवरी देवी पत्नि सुजान	,,	5	14·10·80
319	मूलसिंह पुत्र कुन्दन सिंह	,,	5	14·9·81
320	गणपतसिंह पुत्र बद्री सिंह	,,	5	8·2·82 ल.का.
321	रामकिशोर पुत्र श्रीदास	,,	5	24·2·83
322	कल्याण पुत्र भागीरथ	,,	5	27·7·83
323	बजरंगलाल पुत्र गंगाराम जाट	सिरोही	5	25·2·81
324	गजानन्द पुत्र मदनलाल	,,	5	29·4·81
325	जीवण पुत्र मूरा जाट	,,	5	27·8·81
326	कल्याण पुत्र धन्ना जाट	,,	5	4·9·81
327	जगनाथ पुत्र भागीरथ जाट	,,	5	4·9·81
328	मांगीलाल पुत्र गंगाराम बैरवा	,,	5	5·9·81
329	लालू पुत्र रामा बैरवा	,,	5	5·9·81
330	विजय नारायण पुत्र कल्याण	,,	5	24·9·81
331	कल्याण पुत्र रघुनाथ जाट	,,	5	23·9·82
332	सत्यनारायण पुत्र बद्रीलाल	,,	5	23·9·82
333	दुर्गालाल पुत्र बद्रीलाल	,,	3	24·9·82
334	रामचन्द्र पुत्र गोपी जाट	,,	5	27·9·82
335	बद्रीलाल पुत्र जमुना लाल	,,	3	10·1·84
336	नाथू लाल पुत्र रामनिवास	,,	5	27·6·84
337	किशन पुत्र गोविन्दा	,,	5	26·11·84
338	बजरंगा पुत्र रामनाथ	बहड़	3	15·11·80
339	किशनलाल पुत्र नारायण गुजर	मंडलिया	5	7·11·80
340	नाथू पुत्र देवा	जागडोला	5	21·4·82 अजा
341	गोरधन पुत्र मूरा मीणा	,,	5	21·4·81
342–अ	सरिया पुत्र भेरू बैरवा	,,	5	22·7·82 अजा
342–ब	घासी पुत्र जमालुद्दीन	,,	3	14·9·84

1	2	3	4	5
343	श्री श्रवण पुत्र छीतर	जामडोली	3	6·8·81 ल.का.
344	राधाकिशन पुत्र गंगाराम	वीडोली	5	10·11·81
345	कैलाश पुत्र रामेश्वर	,,	5	11·1·85
346	विरधा पुत्र बालूराम	देहलोत	5	19·8·81
347	नारायण पुत्र गंगल्या	,,	3	3·10·81
348	नाथूलाल पुत्र छोटूलाल	,,	3	28·1·81
349	पन्नालाल पुत्र विरधाराम	,,	5	13·9·83 ल. का.
350	सिताराम पुत्र लादूलाल	हणुतिया	3	14·9·81
351	भैरू पुत्र रामकल्याण	,,	5	14·9·81
352	कल्याण पुत्र कालू	,,	5	20 1·84
353	रामपाल पुत्र भोलू	,,	5	1·3·84
354	रामचन्द्र पुत्र घासीलाल मीणा	,,	5	7·11·84
355	श्रीमति आनन्दी देवी पत्नि जगदीश शर्मा	संग्रामपुरा	3	24·1·84
356	कवंरपाल पुत्र मामराज	,,	3	24·1·84
357	बजरंग लाल पुत्र श्योदान	,,	3	24·2·84
358	नाथूलाल पुत्र कान्हा	,,	3	27·1·84
359	मूल्या पुत्र कालू बैरवा	टूटोली	5	23·3·82 अजा
360	रामनिवास पुत्र भूरालाल	करेडा	3	7·10·84
361	गोपाल पुत्र हरदेव जाट	नोहटा	3	3·11·84
362	शिवसिंह पुत्र गणपतसिंह	,,	5	10·11·81
363	जगनाथ पुत्र जयकिशन	,,	5	25·1·82
364	रामराय पुत्र कंवरलाल	श्रीगोपालपुरा	5	6·10·83 लघु.का.
365	जगदीश पुत्र मांगीलाल	,,	5	3·12·84
366	लालाराम पुत्र नानगराम	मजीया	3	20·12 82
367	रामसहाय पुत्र नानगराम	,,	3	24·2·83
368	गंगाराम पुत्र कल्याण यादव	,,	3	17·9·84
369	गंगाराम पुत्र कल्याण यादव	,,	3	17·9·84
370	भूरा पुत्र हूंदा	,,	5	29·9·84
371	रामसहाय पुत्र रामनारायण	बाढदामोदरपुरा	3	24·2·84
372	लक्ष्मीनारायण पुत्र हरीनारायण	काचरिया	3	20·7·82 लका
373	रामनारायण पुत्र मंगला	,,	5	30·6 83 अजजा
374	हीरा पुत्र श्रवण मीणा	,,	5	26·7·83 अजजा
375	हुसैन खां पुत्र मोल्याखां	खेडा	3	22·7·82 अजजा

Page No. 163

163

1	2	3	4	5
376	श्री रामकरण पुत्र कालू जाट	खेड़ा	3	22·7·82 लका
377	बिरधीचन्द पुत्र हीराराम	बस्सी	3	7·8·82 लका
378	हीरा पुत्र नारायण	कनेसर	5	10·8·82 अजा
379	लाखाराम पुत्र रमजाता	शीपुरा	5	13·3·84
380	रामनिवास पुत्र हरनाथ गुजर	,,	5	13·3·84
381	ओंकार पुत्र शिवराम गुजर	,,	5	13·3·84
382	रामनाथ पुत्र कालू गुजर	,,	5	13·3·84
383	श्रीबक्स पुत्र बिरधा गुजर	,,	5	13·3·84
384	सुरज्ञान सिंह पुत्र रोडी सिंह	,,	5	13·3·84
385	मंशा पुत्र गणेश	,	5	22·3·84
386	रामनारायण पुत्र रामचन्द्र	रामनगर चतुरी	3	3·11·82
387	केसरलाल पुत्र रंगलाल मीणा	,,	3	5·2·85 अजजा
388	केसरलाल पुत्र रंगलाल मीणा	,,	3	5·2·85 ,,
389	कृपाशंकर पुत्र छीतरमल	जिबला	5	25·8·83
390	अम्बालाल पुत्र गौरीलाल	,,	3	28·12·84
391	गोपीलाल पुत्र धीता	,,	3	28·12·84
392	राधाकिशन पुत्र माधोलाल	,,	3	28·12·84
393	बजरंगा पुत्र गंगाविशन	,,	3	28·12·84
394	धीरा पुत्र श्योनारायण	,,	3	28·12·84
395	जयनारायण पुत्र रामनिवास	,,	3	28·12·84
	आर. एम. पी. स्कीम			
396	राधाकिशन पुत्र धन्ना जाट	नारवाडा	5	22·1·83
397	मदनसिंह पुत्र भीमसिंह	,,	5	1·2·83
398	लक्ष्मणसिंह पुत्र सूरजनभानसिंह	,,	5	1·2·83 ल. का.
399	भंवरसिंह पुत्र मुकनसिंह	,,	5	1·2·83
400	दशरथसिंह पुत्र केसरसिंह	,,	5	1·2·83
401	भंवरसिंह पुत्र देवीसिंह	,,	5	25·2·83 लका
402	प्रभु पुत्र लक्ष्मीनारायण	,,	5	25·2·83
403	राधेश्याम पुत्र रूपा नट	,,	5	25·1·85
404	गेंदा पुत्र नाथुदास	,,	5	25·1·85 लका
405	सेवा पुत्र भूरा बैरवा	नटवाड़ा	5	21·3·83
406	मोटाराम पुत्र चंद्रा बैरवा	,,	5	21·3·83
407	बजरंगा पुत्र श्योरी लाल	,,	3	21·3·83 अजजा
408	धन्नालाल पुत्र भूरा लाल	,,	3	25·3·83

1	2	3	4	5	
409	श्री महन्त गंगा भारती पुत्र चेला धन्ना भारती	नटवाडा	5	21·3·83	
410	अमरलाल पुत्र हरजी लाल	,,	5	21·3·83	
411	बजरंगलाल पुत्र रामरतन	,,	3	12·4·84	
412	रामनारायण पुत्र अमरलाल	,,	5	12·4·84	
413	केसरा पुत्र भैरू	,,	6	12·4·83	
414	रामरतन पुत्र लक्ष्मण जाट	,,	5	12·4·83	
415	कालू खां पुत्र अल्ला बन्दा	,,	3	12·4·84	
416	रामनिवास पुत्र रतना	,,	3	12·4·83	
417	केसरलाल पुत्र भैरू जाट	,,	5	12·4·83	
418	कल्याण पुत्र गोबिन्दा	,,	5	12·4·83	
419	रघुनाथ पुत्र अर्जुन लाल	,,	3	12·4·83	
420	केसरलाल पुत्र गोविन्दराम	,,	3	12·4·83	
421	भूरा पुत्र बजरंगा	,,	3	12·4·83	
422	देवीलाल पुत्र किशना	,,	3	12·4·83	
423	चतुर्भुज पुत्र भूरालाल	,,	3	12·4·83	
424	रेखा पुत्री मांगीलाल बैरवा	,,	5	12·4·83	
425	नाथू पुत्र हरला	,,	3	12·4·83	
426	धन्ना लाल पुत्र भूरा लाल	,,	3	2·12·83	
427	गोपी पुत्र आनन्दा	,,	5	7·3·84	
428	प्रहलाद पुत्र गोपी	,,	5	31·8·84	
429	रामनाथ पुत्र घासी बैरवा	,,	5	16·2·85	अजा
430	सुखा पुत्र लक्ष्मण बैरवा	,,	5	16·2·85	अजा
431	जमनालाल पुत्र कुशाला बैरवा	,,	5	16·2·85	अजा
432	आनन्दीलाल पुत्र कालू अहिर	गोपालपुरा	3	8·9·82	
433	आनन्दी लाल पुत्र कालू अहिर	,,	3	8·9·82	
434	हीरा पुत्र कंवरा	,,	3	8·9·82	
435	रामफूल पुत्र भूरा	,,	3	8.9.82	
436	रामगोपाल पुत्र ओंकार	,,	3	8·9·82	
437	श्रीकिशन पुत्र भूरा	,,	5	25·3·83	
438	रंगलाल पुत्र कालू गुजर	,,	5	21·12·83	
439	रामकुंवार पुत्र छीतरमल	शकतपुरा	5	27·1·84	
440	प्रताप पुत्र पांचू मीणा	,,	5	10·2·84	
441	प्रताप पुत्र पांचू मीणा	,,	5	10·2·84	अजजा
442	नारायण पुत्र शंभूनारायण	,,	3	10·2·84	अजजा
443	चेतरा पुत्र मांगीलाल	,,	5	29·8·84	

1	2	3	4	5
444	श्री बजरंगा पुत्र रामनारायण	शकतपुरा	5	29.8.84
445	जयनारायण पुत्र भोमा	,,	5	4.12.84
446	कान्हीं पुत्र ओंकार	देवपुरा	5	11.1.84
447	रामदेव पुत्र ओंकार	,,	5	11.1.84
448	भूरा पुत्र रतना	,,	5	11.1.84
449	रामलाल पुत्र भूरा	,,	5	11.1.84
450	रामचन्दा पुत्र विरधा	गोरधनपुरा	5	4.2.85
451	मोहरपाल पुत्र कल्याण	,,	5	4.2.85
452	रेवता पुत्र कालू	दौलतपुरा	5	12.10.84
453	श्योचन्दा पुत्र सालगा	,,	5	12.10.84
454	बंदा पुत्र श्योकरण	,,	5	12.10.84
455	सुल्तान पुत्र रामनाथ	,,	5	12.10.84
456	केदार पुत्र चन्द्रा	,,	5	12.10.84
457	रामस्वरूप पुत्र सुंडालाल	,,	5	22.1.85
458	छीतर पुत्र सुखदेव	राधाकिशनपुरा	5	4.12.84
459	रामकरण पुत्र केसरा	,,	5	4.12.84
460	रामनारायण पुत्र भूरा	,,	5	4.12.84
461	अर्जुनलाल पुत्र रामचन्द्र	,,	5	4.12.84
462	तेजमल पुत्र जगन्नाथ शर्मा	गोविन्दपुरा	3	22.1.85
463	तेजमल पुत्र जगन्नाथ शर्मा	,,	3	22.1.85
464	जगदीश पुत्र मांगीलाल	,,	5	22.1.85
465	भूरा पुत्र चंद्रा	,,	5	22.1.85
466	लादू पुत्र कुशाला	,,	5	22.1.85
467	छीतर पुत्र भवानी शंकर	,,	3	22.1.85
468	भूरा पुत्र दूलाजी शर्मा	,,	3	22.1.85
469	नानगा पुत्र रामनाथ	भवरपुरा	5	4.2.85
470	रामचन्द्र पुत्र जगन्नाथ	निवाई	3	20.11.79

1	2	3	4	5
471	श्री कजोड़ पुत्र वादू	निवाई	5	19.1.80
472	जगन्नाथ पुत्र नारायण	,,	3	19.1.80
473	विजयदान सिंह पुत्र रामसिंह	,,	3	19.1.80
474	देवीलाल पुत्र हुकमचन्द	,,	5	19.1.80
475	भूरा पुत्र काना	,,	3	9.2.80
476	देवीलाल पुत्र कजोड़	,,	3	5.6.80
477	जगदीश पुत्र गोविन्द	,,	3	5.6.80
478	गणेश पुत्र ओंकार माली	,,	3	9.6.80
479	बजरंगा पुत्र कल्याण माली	,,	3	9.6.80
480	जगन्नाथ पुत्र भूरा माली	,,	5	11.6.80
481	श्योराम पुत्र श्योदान	,,	3	16.6.80
482	मो० कासिम पुत्र नवाज खां	,,	3	7.7.80
483	बजरंग पुत्र नाथू	,,	3	16.7.80
484	छिगना पुत्र गुलाब	,,	3	18.7.80
485	केदार पुत्र गजानन्द	,,	5	19.7.80
486	पांचू पुत्र हरदेव	,,	3	5.8.80
487	पीरूलाल पुत्र नारायण लाल	,,	5	9.10.80
488	सत्यनारायण पुत्र नारायण माली	,,	5	4.12.80
489	बजरंगा पुत्र कल्याण	,,	3	12.12.80
490	सीताराम नारायण माली	,,	5	30.12.80
491	भूरा पुत्र कल्याण	,,	5	3.2.81
492	जमनालाल पुत्र नारायण माली	,,	3	3.2.81
493	चौथरी मल पुत्र कोटू मल सिंधी	,,	5	16.5.81
494	सूरजमल पुत्र रामनाथ	,,	5	16.5.81
495	तेजाराम पुत्र जयदेव	,,	3	15.9.81
496	जीवन पुत्र मांगीलाल	,,	3	18.9.81
497	भगवाना पुत्र शंकर लाल	,,	5	12.10.81

1	2	3		4	5
498	श्री धन्ना पुत्र देवा माली	निवाई	3	14.10.81	
499	भैरू पुत्र नाथू माली	,,	5	17.10.81	
500	नरेशकुमार पुत्र नेमीचन्द (एस.एमएफ)	,,	5	16.11.81	
501	तुलस्या पुत्र नारायण	,,	5	28.12.82	
502	छीतर पुत्र वक्षी राम	,,	5	30.12.82	
503	गजानन्द दास चेला रघुनाथ दास	,,	5	11.1.83	
504	फूल्या पुत्र धन्ना गूजर	,,	5 ल.का	14.1.83	
505	चुन्नी लाल पुत्र सालगा माली	,,	3	7.2.83	
506	ग्यारसा पुत्र आनन्दा माली	,,	3	10.2.83	
507	रामजीवन पुत्र पूरया	,,	3	16.3.83	
508	नारायण पुत्र गोपी माली	,,	3	23.3.83	
509	गोबिन्दा पुत्र रामकरण माली	,,	3	6.4.83	
510	जगदीश नारायण पुत्र नानगराम	,,	5	12.4.83	
511	ओंकार पुत्र दीपा माली	,,	3	12.4.83	
512	छोटू पुत्र गोपी माली	,,	5	2.5.83	
513	प्रभूलाल पुत्र नाथू	,,	3	3.5.83	
514	केसरा पुत्र वक्तावरा	,,	5	20.5.83	
515	रोडू पुत्र मोना माली	,,	5 ल.का.	20.5.83	
516	मूरा पुत्र ग्यारसा माली	,,	5 ,,	18.6.83	
517	लक्ष्मीनारायण पुत्र केसर माली	,,	5 ,,	28.6.83	
518	केसरा पुत्र सुखा माली	,,	5	8.7.83	
519	रामकरण पुत्र शंकर माली	,,	5 ल.का.	8.7.83	
520	रंगलाल पुत्र रामपाल माली	,,	3	22.7.83	
521	रामसहाय पुत्र गोपाल जाट	,,	3	30.8.83	
522	केसरलाल पुत्र घासी गूजर	निवाई	3	14.9.83	
523	छीतर पुत्र वक्षामाली	,,	5 ल०का०	19.9.83	

1	2	3	4	5
524	गिरधारी पुत्र रोडू माली	निवाई	3	22.9.83
525	छोटू पुत्र हीरा मीणा	,,	5 अजजा	15.6.84
526	रामफूल पुत्र नारायण मीणा	,,	5 अजजा	15.6.84
527	धन्ना पुत्र जुआरा मीणा	,,	5 ,,	15.6.84
528	भींता पुत्र रामफूल मीणा	,,	5 ,,	15.6.84
529	सुखपाल पुत्र भूरा मीणा	,,	5 ,,	15.6.84
530	सुखदेव पुत्र गणेश वैरवा	,,	3 अ.जा.	30.6.84
531	नेनू पुत्र गोरू माली	,,	3	12.10.84
532	हरिचन्द पुत्र कल्याण मीणा	,,	5 अजजा	5.2.85
533	कल्याण पुत्र मन्ना	अगरपुरा	5 अ.जा.	1.3.83
534	काना राम पुत्र भूरा	मुंडिया	5	28.1.84
535	रोडू पुत्र ग्यारसा मीणा	,,	3	5.2.85
536	भवर सिंह पुत्र औनार सिंह	लूआरा	5	17.6.83

इन्जीनियरिंग कॉलेज, कोटा में नवीन विषय

33. **श्री प्रतापसिंह** (छबड़ा)

श्री हरीश शर्मा (खानपुर)

श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य में कितने इन्जीनियरिंग कॉलेज हैं और कहां कहां ? प्रत्येक कॉलेज में किस-किस विषय की तकनीकी शिक्षा दी जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य के किसी भी कॉलेज में टैक्साइल, केमीकल, मेटरलर्जी विषय नहीं पढ़ाये जाते हैं ?

(3) क्या सरकार कोटा इन्जीनियरिंग कालेज में उक्त विषय खोलने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां तो कब से ?

उत्तर

(1) राज्य में 5 इन्जीनियरिंग कालेज है जिनमें निम्नलिखित विषय पढाये जाते हैं :—

1. एम० बी० एम० इंजीनियरिंग कालेज, जोधपुर।

सिविल, मेकेनिकल, इलेक्टीकल, इलेक्ट्रोनिक्स, माईनिंग।

2. मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर।

Page No. 169

169

(शिक्षा मंत्री)

सिविल, मेकेनिकल, इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रोनिक्स, मेटरलर्जी

3. इंजीनियरिंग कालेज, कोटा ।
सिविल, मेकेनिकल, इलेक्ट्रीकल,

4. कृषि इंजीनियरिंग कालेज, उदयपुर ।

कृषि

5. बिड़ला तकनीकी एवं विज्ञान संस्थान पिलानी ।

सिविल, इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रोनिक्स मेकेनिकल, केमीकल कम्प्यूटर साइंस, इन्स्ट्रूमेन्टेशन ।

(2) जी नहीं । राज्य में मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर में मेटरलर्जी का विषय है तथा पिलानी में केमिकल का विषय उपलब्ध है, परन्तु राज्य में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का विषय कहीं उपलब्ध नहीं है ।

(3) जी नहीं । राज्यों में मेटरलर्जी व केमिकल विषय पहले ही उपलब्ध हैं व जनशक्ति की आवश्यकताओं व सीमित वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए टेक्सटाइल का विषय वर्तमान में खोलने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता ।

नगर परिषद्, जयपुर की अव्यवस्था

34. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर परिषद् में प्रशासक कितने वर्षों से कार्य कर रहा है ?

(2) क्या राज्य सरकार जयपुर में नगर परिषद् या नगर निगम के चुनाव कराने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

(3) क्या निर्वाचित नगर परिषद् के अभाव में नगर की दशा सफाई, रोशनी आदि में दिनों दिन बिगड़ रही है ?

(4) जयपुर नगर परिषद् में वर्तमान में कितने कमिश्नर काम कर रहे हैं ? कृपया उनके कार्यों के विभाजन का वितरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जयपुर नगर परिषद में दिनांक 11-12-73 से प्रशासक कार्य कर रहे हैं ।

(2) जी हां । चुनाव दिसम्बर, 1985 तक करा दिये जायेंगे ।

(3) जी नहीं ।

(4) जयपुर नगर परिषद में वर्तमान में 6 आयुक्त कार्यरत हैं । उनका कार्य विभाजन का वितरण सदन की मेज पर रख दिया गया ।

Page No. 170

170

विवरण

नगरपरिषद, जयपुर के आयुक्तों का कार्य विभाजन

1. श्री आनन्दसिंह चौहान, आयुक्त (मुख्यालय)
   सामान्य प्रशासन, लेखा, चुंगी कर, गैरेज एवं फायर संबंधी कार्य

2. श्री शम्भुसिंह, आयुक्त (सतर्कता, मुख्यालय)
   अतिक्रमण, विधि एवं सतर्कता सम्बन्धी कार्य।

3. श्री दिनेश चन्द शर्मा, आयुक्त (हवा महल जोन)

4. श्री हरिशंकर शर्मा, आयुक्त (चांदपोल जोन)

5. श्री बी०पी० शर्मा, आयुक्त (मोती डूंगरी जोन)

6. श्री एम०यू० सिद्दकी, आयुक्त (सिविल लाइन जोन)

जिला कोटा में अपराध

35. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर)

श्री जगन्नाथ (मनोहर थाना)

श्री प्रतापसिंह (छबड़ा)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला कोटा की रामपुरा कोतवाली में सन् 1980 से अब तक कितने मामले धारा 307 में दर्ज किये गये और प्रमुख रूप से बार-बार किसके विरुद्ध दर्ज किये गये हैं ? उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि, कोटा शहर में 1980 से अपराध बहुत बढ़ रहे हैं, तथा पुलिस अपराधियों को पकड़ने में असमर्थ रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या शहर के मनोज टाकीज में रात्रि शो में एक महिला के साथ उसके पति के समक्ष चाकू की नोक पर बलात्कार किया गया ? यदि हां तो अपराधी कौन थे और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई।

उत्तर

(1) ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

( ) जी नहीं।

(3) जी हां। अभियुक्त बाबी, करणीसिंह, मुल्तान, रामप्रसाद, पीरू, जयकिशन, जगदीश को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है तथा एक मात्र शेष अभियुक्त मोहनसिंह की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

(171)

ब्यौरा

जिला कोटा को रामपुरा कोतवाली में सन् 1980 से फरवरी, 1985 तक धारा 307 भा० द० स० में दर्ज मुकदमों का विवरण।

वर्ष	दर्ज मुकदमों की संख्या
1980	14
1981	22
1982	15
1983	19
1984	19
1985	5

इन मुकदमों में एक से अधिक बार जिन व्यक्तियों के नाम दर्ज हुये—

1. अब्दुल वहीद
2. अब्वा
3. पप्पू उर्फ जयसिंह
4. रिजवान
5. लाला उर्फ विश्वप्रिय
6. सुनील
7. शिवराज माली

इन व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमों में चालान किये जा चुके हैं।

Page No. 172

(172)

जिला बाड़मेर के निवासियों को नहर क्षेत्र में भू-आवंटन

36. **श्री गंगाराम चौधरी** (बाड़मेर)—क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या बाड़मेर जिले के मूल निवासियों को जो इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में कृषि भूमि आवंटन के योग्य हो, इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में भू-आवंटन हेतु प्राथमिकता दी जा रही है ?

(2) यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक इस जिले के लोगों को अवसर मिलेगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहरयोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 7 में बाड़मेर जिले के भूमिहीनों को भूमि आवंटन के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित हैं।

(2) प्रश्न के प्रथम भाग में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है।

बीसलपुर परियोजना

37. **श्री नाथूसिंह** (टोडारायसिंह)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जिला टोंक में बीसलपुर सिंचाई परियोजना कब तैयार की गई थी, व परियोजना की आधार शिला कब रखी गई ? कृपया परियोजना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त परियोजना हेतु बनाये जाने वाले बिसलपुर बांध की डूब में आने वाले गांवों को मुआवजा देने हेतु कोई सर्वे करवाया गया था ? यदि हां तो कब ? कृपया सर्वे रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त परियोजना का कुल खर्चा कितना आंका गया है तथा यह परियोजना कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

उत्तर

(1) जिला टोंक में बीसलपुर सिंचाई परियोजना का प्रतिवेदन माह जनवरी, 1982 में तैयार किया गया था इस परियोजना की आधार शिला दिनांक 20 जनवरी, 1985 को रखी गई थी। परियोजना के प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखना संभव नहीं है।

(2) जी नहीं। बीसलपुर बांध की डूब में आने वाले गांवों का सर्वे, मुआवजा देने हेतु अभी तक नहीं करवाया गया है, अतः इस प्रकार की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(3) बीसलपुर परियोजना पर कुल लागत वर्ष 1981 की दरों पर 91·60 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस परियोजना को प्रोजेक्ट प्रतिवेदन के अनुसार 7 वर्ष में पूर्ण कराने का प्रस्ताव है परन्तु वांछित धनराशि उपलब्ध होने पर ही संभव होगा।

बालोतरा में महाविद्यालय खोलना

38. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर में छात्रों हेतु पूरे जिले में मात्र एक ही महाविद्यालय है ? क्या यह छात्र संख्या की दृष्टि से पूरे जिले के लिये पर्याप्त है ?

(2) क्या सरकार इस शैक्षणिक वर्ष में जिले के बालोतरा क्षेत्र में कोई महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि बालोतरा कस्बे में लगभग 20 वर्ष पूर्व महाविद्यालय खोलने का निर्णय तत्कालीन सरकार ने लिया था ? यदि हां, तो अब तक इस उदासीनता का क्या कारण रहा ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान छात्र संख्या की दृष्टि से पूरे जिले के लिए एक ही महाविद्यालय पर्याप्त है।

(2) जी नहीं। बालोतरा में वर्तमान में अन्य महाविद्यालय खोलने का कोई औचित्य नहीं है। बालोतरा के पास निम्न जगहों पर उच्च शिक्षा के अध्ययन की पूर्ण सुविधा है—

1. जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर।

2. लाचू मेमोरियल महाविद्यालय, जोधपुर।

3. ओंकारमल सोमानी कालेज आफ कामर्स, जोधपुर।

4. राजकीय महाविद्यालय, बाडमेर।

(3) जी नहीं।

तहसील चूरू के विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति

39. **श्रीमती हमीदा बेगम** (चूरू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) तहसील चूरू में कितने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं हायर सैकण्डरी स्कूल हैं, तथा इनमें कुल कितने-कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस तहसील की समस्त स्कूलों में स्वीकृत पदों के अनुसार अध्यापक कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? राज्य सरकार रिक्त पदों को कब तक भरने की कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) तहसील चूरू में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 25 प्राथमिक, 36 उच्च-प्राथमिक, 7 माध्यमिक एवं 5 हायर सैकण्डरी विद्यालय हैं। इनमें कुल 17,379 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) तहसील चूरू में अध्यापकों के कुल 667 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 643 पर अध्यापक कार्यरत हैं। केवल 24 पद रिक्त हैं। पद सेवा-निवृति, पदोन्नतियों एवं चयन प्रक्रिया में विलम्ब हो जाने से रिक्त रह जाते हैं। रिक्त पदों को शीघ्र भरने का प्रयास किया जा रहा है।

सूची

विद्यालय का नाम	छात्र संख्या
1. रा बागला उ. मा. वि. चूरू	1112
2 रा. गोयनका उ. मा. वि. चूरू	808
3. राउमावि. दूधवाखोरा	388
4. राउमावि. रत्नगिर	442
5. रामावि, घांघू	268
6. रामावि सोमांसी	150
7. ,, सातड़ा	187
8. ,, जसरासर	188
9. ,, सेजूसर	157
10. ,, नौकरासर	150
11. राउप्रावि. सरदार० चूरू	464
12. ,, खेमका चूरू	169
13. ,, अनि० चूरू	221
14. ,, शारदा चूरू	551
15. ,, खासोली	267
16. ,, लाखाऊ	204
17. ,, सिरल्ला	298
18. ,, जोड़ी	251
19. ,, खण्डवा	226
20. ,, सहनाली छोटी	189
21. ,, घण्टेल	274
22. ,, धीरासर	201
23. ,, बंटिया	255
24. ,, लोहासनाबड़ा	236
25. ,, ढाढरिया भंरजान	113
26. ,, पीथिसर	191

विद्यालय का नाम			छात्र संख्या
27.	,,	इन्द्रपुरा	215
28.	,,	ममासी	222
29.	,,	भीनासर	242
30.	,,	खींवासर	204
31.	,,	श्यामपुरा	675
32.	,,	देपालसर	247
33.	,,	भारिया	242
34.	,,	ढाढर	224
35.	,,	रामपुरिया	157
36.	,,	राणासर	223
37.	,,	ऊटवालिया	95
38.	,,	लालासर	135
39.	,,	अमलखेड़ी	120
40.	,,	जासासर	127
41.	,	सिरसली	114
42.	,,	गोपाल पाठ० चूरू	292
43.	रा॰प्रावि.	नं० 1 चूरू	183
44.	,,	नं० 2 चूरू	156
45.	,,	नं० 3 चूरू	224
46.	,,	नं० 4 चूरू	203
47.	,,	नं० 5 चूरू	198
48.	,,	नं० 6 चूरू	265
49.	,,	नं० 7 चूरू	278
50.	,,	नं० 8 चूरू	279
51.	,,	नं० 9 चूरू	100
52.	,,	नं० 10 चूरू	85
53.	,,	नं० 11 चूरू	214
54.	,,	नं० 12 चूरू	62

विद्यालय का नाम	छात्र संख्या
55. रा. प्रा. वि. नं० 13 चूरू	82
56. ,, नं० 14 चूरू	260
57. ,, नं० 15 चूरू	188
58. ,, नं० 16 चूरू	182
59. ,, नं० 17 चूरू	70
60. ,, भूलियावास चूरू	163
61. ,, नवीन चूरू	195
62. ,, रतननगर	94
63. ,, नं० 3 रतननगर	220
64. ,, मो० खटीकान, चूरू	20
	14635

बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय—

1. राबाउमावि, बागला, चूरू	710
2. राबामावि पुत्री, चूरू	402
3. राबाउप्रावि, रिबीया, चूरू	169
4. राबाउप्रावि, पो० के बागला, चूरू	459
5. राबाउप्रावि, परस चूरू	473
6. राबाउप्रावि. रतननगर	222
7. राबाप्रावि, वार्ड नं० 17 चूरू	50
8. राबाप्रावि, वार्ड नं० 25 चूरू	151
9. राबाप्रावि, नवीन, चूरू	108
योग	2744
	14635
महा योग	17379

जयसमन्द बांध का कमाण्ड क्षेत्र

41. **श्री भैरूलाल मीणा** (सराड़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है, कि जयसमन्द बांध के सिंचाई क्षेत्र को कमाण्ड क्षेत्र में लिया गया है ? क्या कमाण्ड क्षेत्र में आने वाली सारी भूमि पर सिंचाई हो रही है ? यदि हां तो कितनी भूमि पर ?

(2) कमाण्ड क्षेत्र घोषित करने से राजस्व राशि किस कारण बढ़ी या घटी है ?

(3) क्या यह सही है कि कमाण्ड क्षेत्र में ऐसी भी भूमि है जहां पूरी तरह सिंचाई नहीं होती, परन्तु सिंचाई की राशि उतनी ही वसूल की जाती है जितनी भूमि कमाण्ड में आई हो ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार का ऐसे लोगों को राहत प्रदान करने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां। कमाण्ड में आने वाली भूमि पर बांध में प्रति वर्ष पानी के भराव के अनुरूप ही सिंचाई होती है। पिछले 10 वर्षों में वास्तविक सिंचाई निम्नानुसार है :—

वर्ष	सिंचाई
1974-75	28167 एकड़
1975-76	25580 एकड़
1976-77	27736 एकड़
1977-78	29748 एकड़
1978-79	21500 एकड़
1979-80	32715 एकड़
1980-81	27241 एकड़
1981-82	20482 एकड़
1982-83	17571 एकड़
1983-84	21394 एकड़

(2) एवं (3) कमाण्ड क्षेत्र घोषित करने से ही सिंचाई राजस्व में वृद्धि नहीं हो जाती है। जितनी भूमि पर वास्तविक सिंचाई होती है उस पर ही सिंचाई शुल्क की राशि वसूल की जाती है। जब असिंचित भूमि पर सिंचाई शुल्क लिया ही नहीं जाता तो राहत देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था

42. **श्री कृष्ण चंद्र विश्नोई** (संगरिया) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है, कि विधान सभा क्षेत्र संगरिया के ग्रामों में अनुसूचित जाति क्षेत्र के लोगों के मोहल्लों में विद्युत लाइनें नहीं लगी हुई हैं ?

(2) यदि हां, तो क्यों और अब कब तक यह लाइनें डलवा दी जावेंगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं, विधान सभा क्षेत्र संगरिया के विद्युतिकृत ग्रामों में अनुसूचित जाति के 43 मोहल्लों में विद्युत लाइनें डाली जा चुकी हैं।

(2) संबंधित पंचायत से प्रस्ताव आने पर उपलब्ध वित्तीय साधनों के आधार पर

(ऊर्जा मन्त्री)

अधिक से अधिक अनुसूचित जाति के मोहल्लों में विद्युत लाइनें डालने का प्रयास किया जाता है।

समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल व्यवस्था

43. **श्री भैरूंलाल भारद्वाज** (जमवारामगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जमवारामगढ़ चुनाव क्षेत्र के जिन गांवों को पेयजल की गम्भीर समस्या होने के बावजूद राजकीय सर्वे में पेयजल समस्या विहीन घोषित किया गया है, क्या सरकार उसमें संशोधन कर उन गांवों की पेयजल समस्या का समाधान कराने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जो गांव समस्याग्रस्त गांवों की सूची में नहीं है, पर जहां अब यह अनुभव किया जाता है कि वास्तव में पीने के पानी की समस्या हो गई है, उनके लिये जिला परिषद द्वारा प्रस्ताव आने पर विचार किया जाना सम्भव है।

नगरपालिका विश्राम गृह के निर्माण हेतु भू आवंटन

45. **श्री दामोदर दास** (नागौर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 15 जुलाई, 1984 को आयोजित नगर पालिका अध्यक्ष सम्मेलन में तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी ने यह घोषणा की थी, कि नगर पालिका विश्राम गृह के निर्माण हेतु राज्य सरकार राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था को संस्था भवन के निकट ही 2000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित करेगी ?

(2) यदि हां, तो क्या जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 2000 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन आदेश जारी कर दिये गए हैं ?

(3) यदि आवंटन आदेश जारी नहीं किए गए हैं, तो कब तक जारी कर दिए जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) संस्था द्वारा चाहे गये भूखण्ड पर न्यायालय में परिवाद विचाराधीन है। परिवाद पर निर्णय के उपरांत ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 18 की सूचियां)

प्रदेश में अप्रेल 82 से फरवरी, 1985 तक कत्ल, डकैती, व बलात्कार के सम्बन्ध में सूचना

क्र. सं.	नाम जिला	कुल अपराध दर्ज हुए			मुल्जिम गिरफ्तार किये गये			सम्पत्ति लूटी गई व बरामद हुई						व्यक्ति मारे गये		
								कत्ल		डकैती		बलात्कार				
		कत्ल	डकैती	बलात्कार	कत्ल	डकैती	बलात्कार	लूटी गई रु. में	बरामद हुई रु. में	लूटी गई रु. में	बरामद हुई रु. में	लूटी गई रु. में	बरामद हुई रु. में	कत्ल	डकैती	बलात्कार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	जयपुर	230	32	69	519	137	84	16000	14600	781837	587910			213	7	....
2.	जोधपुर	118	120	41	240	26	58	3000	2950	174075	2000	....	....	219	1	....
3.	डूंगरपुर	50	–	4	95	–	4	1670	1470	....	....	....	....	52	....	....
4.	बांसवाड़ा	80	14	47	156	92	64	13890	13590	294450	151992	....	....	93	....	....
5.	धौलपुर	52	21	27	262	144	52	....	....	562625	733650	....	....	53	4	....
6.	बाड़मेर	54	2	26	177	2	27	57570	55000	6300	6000	....	....	54	....	1
7.	जालौर	64	7	13	128	20	10	4800	4800	11700	5850	....	....	66	....	....
8.	सीकर	80	8	25	208	36	31	12500	12500	278465	11750	....	....	83	....	....
9.	सिरोही	52	4	7	125	7	10	253678	253679	26400	26400	....	....	54	....	....
10.	भीलवाड़ा	79	2	36	198	10	70	8300	3985	100300	100000	....	....	81	....	....
11.	टौंक	59	5	22	224	24	15	....	....	4700	....	....	....	60	....	....
12.	बूंदी	64	4	27	188	15	37	36935	32935	94500	9850	....	....	74	....	—
13.	उदयपुर	192	6	37	365	42	38	73486	54486	31975	18180-85	....	....	203	....	....
14.	चित्तौड़गढ़	98	2	37	248	9	69	19240	18040	5200	1500	....	....	97	....	....
15.	झुंझुनूं	78	5	18	107	18	16	....	....	197997	195640	....	....	80	....	....
16.	जैसलमेर	8	1	3	24	–	4	....	....	13000	13000	....	....	8	....	....
17.	झालावाड़	85	13	63	185	22	42	7900	7400	166115	61875	....	....	88	1	....
18.	भरतपुर	146	53	39	407	162	29	....	....	826614	263800	....	....	145	7	....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19.	अजमेर	145	9	32	309	19	50	19100	18600	57552	12700	....	....	145	....	1
20.	अलवर	178	23	40	382	72	27	....	....	560767	351320	....	....	181	....	....
21.	सवाईमाधोपुर	138	42	80	198	58	100	13000	2500	1275610	369320	....	....	122	4	....
22.	चूरू	63	6	36	176	19	52	....	....	1000	500	....	....	28	....	....
23.	पाली	72	6	33	174	18	35	20300	19000	324974	270480	....	....	74	....	....
24.	नागौर	109	15	35	273	47	46	21460	15730	284150	238350	2230	1230	109	1	....
25.	बीकानेर	70	17	36	134	50	37	200000	200000	54630	54630	4200	4200	74	....	....
26.	श्रीगंगानगर	320	10	83	606	100	98	73200	73200	244145	158745	....	....	337	....	....
27.	कोटा	156	39	131	297	109	162	....	....	528773	481300	....	....	104+52	....	....
28.	जी. आर. पी. अजमेर	20	10	4	18	21	8	....	....	120193	5656	....	....	20	..	....
	कुलयोग	2860	476	1051	6623	1279	1275	856029	804465	8861061	4133398-85	6430	5430	2869	25	2

(181)

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 21 का विवरण)

परिशिष्ट 'अ'

जिला जयपुर के पंचायत समितिवार वर्ष 1983–84 के लक्ष्य एवं प्राप्ति

नाम पंचायत समिति	लक्ष्य	प्राप्ति
1. फागी	—	—
2. चाकसू	100	113
3. बांदीकुई	75	75
4. शाहपुरा	100	176
5. जमवारामगढ़	56	78
6. लालसोट	125	48
7. झोटवाड़ा	50	62
8. दौसा	217	107
9. बस्सी	191	42
10. दूदू	80	58
11. वैराठ	180	204
12. जोबनेर	65	147
13. आमेर	90	169
14. सिकराय	—	—
15. गोविन्दगढ़	—	—
16. सांगानेर	—	2
योग	1329	1281
	60 xx	190 xx

xx नान आर. ई. सी. स्कीम के लक्ष्य एवं प्राप्ति का पंचायत समितिवार प्रथकीकरण नहीं किया गया है

कुल योग	1389	1471

जिला जयपुर में पंचायत समितिवार वर्ष 1984–85 के लक्ष्य एवं प्राप्ति, फरवरी, 85 तक ।

नाम पंचायत	लक्ष्य	प्राप्ति
1. गोविन्दगढ़	25	134
2. आमेर	30	191
3. झोटवाड़ा	20	54
4. जमवारामगढ़	20	70
5. सिकराय	20	41
6. फागी	50	56
7. शाहपुरा	100	176
8. बांदीकुई	40	121
9. सांगानेर	30	122
10. दौसा	95	121
11. चाकसू	20	90
12. लालसोट	40	85
13. बैराठ	123	96
14. जोबनेर	150	133
15. दूदू	92	112
16. बस्सी	170	200
कुल :—	1025	1804

परिशिष्ट–6

(अतारांकित-प्रश्न संख्या 25 से सम्बन्धित आदेश की प्रति)

राजस्थान सरकार

कार्यालय सक्षम अधिकारी, नगर संकुलन जोधपुर,

क्रमांक/सिलिग/82–83 जोधपुर 1-3-83

प्रेषित :—

सचिव,

नगर सुधार न्यास,

जोधपुर

विषय :—जोधपुर ग्राम के खसरा नम्बर 513/1, 513/3 और 513/10 की भूमि के सम्बन्ध में

इस कार्यालय के ध्यान में यह तथ्य लाया गया कि उपरोक्त खसरों की भूमि जो भूमि अधिकतम (सीमा एवं विनियमन) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत रिक्त भूमि में आती है, उसे अवैध रूप से न्यास ट्रान्सफर कर रही है।

अत: आप उक्त खसरों से सम्बन्धित रिक्त भूमि के ट्रान्सफर को तुरन्त प्रभाव से रोके जाते हैं तथा यह बतावें कि बिना इस कार्यालय के पूर्वानुमति से ट्रान्सफर की कार्यवाही क्यों की जा रही है।

हस्ताक्षर,
(डी० डी० चारण)
सक्षम अधिकारी
नगर संकुलन, जोधपुर।

क्रमांक/सिलिग/जो/82 दिनांक :

प्रतिलिपि, उप पंजीयक, जोधपुर को इन उक्त खसरों नम्बर के ट्रान्सफर के दस्तावेजों को यदि प्रस्तुत किया जाय तो पंजीयन न करें।

सक्षम अधिकारी

(184)

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 26 का विवरण)

1 अप्रैल 1982 से 28 जनवरी, 1985 तक प्रदेश में बस व ट्रेनों में हुई लूट का ब्यौरा।

बसों में लूट	17
ट्रेनों में लूट	34

इन घटनाओं में घायल व्यक्तियों की संख्या—20

इन घटनाओं में मृत व्यक्तियों की संख्या—शून्य

इन घटनाओं में कुल सम्पत्ति लूटी गयी—360892 रुपये की

इन घटनाओं से सम्बद्ध अभियोगों में गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या जिनके विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया—98

परिशिष्ट–8

परिशिष्ट-'क'

(अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के प्रस्ताव की प्रति एवं सूचियां)

प्रतिलिपि प्रस्ताव सं. 20 न्यास बैठक दिनांक 3-9-83

प्रस्ताव सं. 20 :— स्ट्रीप की दर बाबत—

श्री खालिद गजदर अध्यक्ष स्ट्रीप समिति ने बताया कि न्यास द्वारा स्ट्रीप दर वर्ष 1974 में निर्धारित की गई थी । वर्तमान में भूमि की दर संशोधित कराना आवश्यक है जो भूमि निस्तारण नियम 1974 के प्रावधान के अनुसार है। स्ट्रीप समिति के प्रस्तावों को न्यास के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि स्ट्रीप समिति के प्रस्तावों की पुष्टि की गई ।

——

186

परिशिष्ट ख

OFFICE OF THE URBAN IMPROVEMENT TRUST, JODHPUR.

SCHEDULE "A"

Proposed Rates for Strips of Land for Residential land.

S. No.	AREA	Land Situated on Roads other than market Rds. Rats per Sq. Yd.	Land in Lanes.	Land Fair from
1.	**Zone 1.**			
	Rly Line from Jodhpur to Jaipur & from Jodhpur to Jaisalmer upto Roadways workshop Crossing & along Magra Poongla road upto municipal Limit.			
	(a) Upto Bhadasia.	200/-	150/-	100/-
	(b) Beyond Bhadasia.	125/-	75/-	50/-
2.	**Zone : 2**			
	Rly. Line from Mahamandir to Jaisalmer Road from Mahamandir Rly. Stn. to Nagorigate & along city wall upto Chandpole-gate via Kila Ki Bari, Chandpole gate to Rawati Road upto Municipal Limit.	150/-	100/-	80/-
3.	**Zone : 3.**			
	Rawati Road upto Municipal Limit Chandplole gate to along city wall upto centre road to Govind Talab Sch. Kaylana Rly. Crossing, Kaylana Rd. upto Municipal Limit.	90/-	75/-	50/-

1	2	3	4	5
4.	**Zone** : 4. Siwanchigate, along city wall upto Govind Talab Sch. Centre Rd. Crossing of Rly. Line of Soorsagar Road, Soor-Sagar Road upto Masuria Crossing Chopasani Rd. upto 5th Rd. Crossing & than to Siwanchigate.	150/-	100/-	60/-
5.	**Zone** : 5. Chopasani Road to Masuria Crossing Soorsagar Road upto Kaylana Xing & than Kaylana Road upto Municipal Limit.	150/-	100/-	60/-
6.	**Zone** : 6. Chopasani Road to 5th Road Sardarpura Xing Via Masuria Xing & than Pal Road upto Municipal Limit Via Rawan Ka Chabutara Crossing.	200/-	100/-	50/-
7.	**Zone** : 7. Siwanchigate to Jalorigate along city wall, than to Rly. foot Bridge & along Rly. line upto 1st Under bridge & than Residency Road upto Rawan Ka Chabutra Crossing.	400/-	300/-	200/-
8.	**Zone** : 8. Jalorigate to Mertiagate along city wall via Sojatigate Stadium Cinema Road upto Gora Dha Ki Chatri on Kataheri Rd. Rly. Line upto foot Bridge and to Link Jalorigate.	500/-	250/-	150/-

1	2	3	4	5
9.	Zone : 9.			
	Pal Road from Rawan Ka Chabutra Crossing, Residency Road upto 2nd Under Bridge along Rly. Line to Luni upto municipal Limit.	400/-	200/-	125/-
10.	Zone : 10 :			
	Rly. line to Luni to Municipal Limit Balotra Road Bhagat Ki Kothi & University to MES upto Airforce Crossing near Central Scl. & old Pali Road upto Municipal limit.	100/-	80/-	50/-
11.	Zone : 11 :			
	Rly. line to Jaipur upto over Bridge than Ratanada Road upto U. I. T, Market, Airforce Road upto Municipal Limit.	200/-	125/-	80/-
12.	Zone : 12 :			
	Over bridge along Rly. Line to IInd under Bridge Residency Rd. to link old Military Line, than to Ratanada Road upto over Bridge via UIT Market.	250/-	150/-	100/-
13.	Zone : 13.			
	IInd Under bridge to Xing of MES Road, Road to MES upto Central School Xing & than old Pali Road upto Municipal limit Residency Rd. from IId under bridge upto old Military line & than to Munisipal limit.	150/-	100/-	50/-

1	2	3	4	5
14.	**Zone** : 14.			
	Gora Dahi Ki Chatri to Martigate along city wall upto Nagorigate Road to Mahamandir to Rly. Stn., along Rly. Sine upto Chatri of Gora Dhai.	250/-	150/-	100/-
15.	**Zone** : 15.			
	Siwanchigate Chandpole Road Bakramandi etc.	150/-	100/-	80/-
16.	**Zone** : 16.			
	Overbridge Girdikot New Road Scheme (Notified Area).	1,500/-	1000/-	800/-

Note : (1) The above rates are being proposed for lease hold basis only.

(2) For outright sale (Free hold) rate will be charged after enhencing it by 100% (Hundred).

(3) Where use of land for other than residential purposes like commercial/industrial etc. in case of land other than situated on the various commercial roads in the Schedule 'B'. The rate of Land will be charged double of the above rates.

परिशिष्ट ग

OFFICE OF THE URBAN IMPROVEMENT TRUST, JODHPUR.

SCHEDULE 'B'

Proposed land rate for Strip of
land for Commercial purposes.
Commercial Roads (Bazar Roads)

S. No : SITE AND SITUATION :	Revised Rates Per Sq. to :	
	Free Hold	Lease Hold.
1. Road from South gate of Public Park on Kacheri Road upto Sani-Chharji Ka Temple Via Sojatigate, Ranchodji Temple, M. G. Hospital and Jalorigate.	4,000/-	2,000/-
2. Station Road from Sojatigate to General Post Office.	5,000/-	2,500/-
3. Raj Ranchodji Ka Temple to Rly. Stn.	4,000/-	2,000/-
4. M. G. Hospital to Jalorigate Bari.	4,000/-	2,000/-
5. Road from Sanischarji ka Temple to Masuria Crossing.	4,000/-	2,000/-
6. Sanischarji Ka Temple to Siwanchi gate upto Mahesh School,	3,000/-	1,500/-
7. Siwanch gate to Residency Road Crossing upto Rawan Ka Crossing Via 5th Road Crossing.	3,000/-	1,500/-
8. Road from Jalorigate to WISM upto foot bridge of Rly.	2,000/-	1,000/-
9. Road from Railway Stn. to WISM.	2,000/-	1,000/-
10. B-Road Sardarpura from Jalori-gate to G le Building upto Rottary Children Park.	4,000/-	2,000/-

1	2	3	4
1.	Road from Overbridge (near Coffee house) to Ratanada upto Ratanada Bazar of U.I.T.	3,000/-	1,500/-
2.	Road from Southerngate of Public Park to Mandore Road upto Mahamandir Railway Station.	4,000/-	2,000/-
3.	Road from Mertiagate Junction to Mandore Road.	2,000/-	1000/-
4.	Road from Nagorigate Jn. to Mandore Road.	2,000/-	1,000/-
5.	Road from Rawan Ka Chabutra to Milkman Colony Junction.	3,000/-	1,500/-
6.	Sardarpura C' Road.	4,000/-	2,000/-
7.	B-Road Sardarpura from Rottary Children Park to Residency Sd.	2,000/-	1,000/-
18.	Road from Telecum. Building to B' Road Sardarpura upto Gole Building.	3,000/-	1,500/-
19.	Residency Road from Pal Road Crossing upto Medical College Crossing.	4,000/-	2,000/-
20.	Ratanada Main Market & Subhash Chowk Ratanada including Bhati Cheraya to Nallah.	3,000/-	1,500/-
21.	Paota Crossing to Silara Road.	3,000/-	1,500
22.	Nagorigate Commercial Area including Ramollah.	3,000/-	1,500/-
23.	Mandora Commercial Area.	2,000/-	1,000/-

1	2	3	4
24.	Bomboy Motor to Pal Road Crossing.	4,000/-	2,000/-
25.	Sardarpura D'Road.	3,000/-	1,500/-
26.	Pratap Nagar Commercial area & Soor sagar Road upto UIT colony from Soorsagar Road.	1,000/-	500/-
27.	Shastri Nagar Shoping Centre.	1,500/-	750/-
28.	Road from Riktya Sheruji Crossing to MES Road Crossing near University Campus Pali Road.	1,500/-	750/-
29.	Sardarpura ι'Road.	2,000/-	1,000/-
30.	Masuria Akhliya Crossing to Samsan Road Crossing on Soorsagar Road.	2,000/-	1000/-
31.	U.I.T. Crossing to Ratanada Bazar via Puri Petrol Pump & Loco Area.	2,000/-	1,000/-
32.	Ratanada C' Road.	2,000/-	1,000/-
33.	Road from Mahamandir Rly. Stn. to Maghraj Ji Ka Tank on Mandore Rd.	2,000/-	1,000/-
34.	Chopasani Rd. from Masuria Crossing to R.H.B. Colony.	3,000/-	1,500/-
35.	Baba Ramdeo Section 2 Masuria.	1,500/-	750/-
36.	Commercial Area inside Mahamandir parkota.	3,000/-	1,500/-
37.	Soorsagar, Raj Bagh Royaliti Cheru pass soorsagar chopar via kali Ram Ji ki Baori Rly. Crossing.	1,500/-	750/-

परिशिष्ट घ

कार्यालय नगर सुधार न्यास, जोधपुर

क्र०सं०	स्ट्रीप क्रेता का नाम	लोकेशन	क्षेत्रफल	विक्रय भाव	मूल्य	निर्णय की दिनांक
1.	श्री भंवरलाल पुत्र श्री मेघराज	वच्छराजजी का बाग	280 वर्ग फुट	10/–प्रति वर्ग फुट	2800·00	12-8-81
2.	श्री हरिदेव पुत्र रावतजी	कुमारों का बास, नई सड़क	24·22 वर्ग फुट	25/–प्रति वर्ग फुट	605·50	19-9-81
3.	श्री अम्बादास पुत्र हीरालाल	हनुमानजी की भाकरी, कुमारों का बास	28·12 वर्ग फुट	25/–प्रति वर्ग फुट	703·00	3-12-81
4.	श्री विरेन्द्रकुमार पुत्र जगदीश लाल	रिफ्यूजी सोप, सरदारपुरा	123 वर्ग फुट	20/–प्रति वर्ग फुट	2460·00	19-9-81
5.	श्री मांगीलाल पुत्र नेमीचंद	परवार खाना, अपोजिट बोम्बे मोटर्स, चौपासनीरोड	880 वर्ग फुट	22·50 प्रति व.फु.	19800·00	19-9-81
6.	श्री जगदीश गुप्ता पुत्र रामरतन	रामरतन पेट्रोल पम्प रेजीडेन्सी रोड	800 वर्ग फुट	12·50 प्रति व.फु.	10000·00	19-9-81
7.	श्री खेतसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह	पोलो ग्राउण्ड	400 वर्ग फुट	10 प्रति वर्ग फुट	4000·00	2-11-81
8.	श्री पोकर चंद पुत्र मेघराज	9 रोड, सरदारपुरा वच्छराजजी का बाग	600 वर्ग फुट	10 प्रति वर्ग फुट	6000·00	19-9-81

Page No. 194

क्र०सं०	स्ट्रीप क्रेता का नाम	लोकेशन	क्षेत्रफल	विक्रय भाव	मूल्य	निर्णय की दिनांक
9.	श्री मोहम्मद हनीफ पुत्र अब्दुल रहमान	81 चांदपोल, सिवांची गेट, जोधपुर।	900 वर्ग फुट	6 प्रति वर्ग फुट	5400·00	2-11-81
10.	श्रीमति पुष्पा पत्नि रूपसिंह	दामोदर कालोनी, रामोला नागोरी गेट के बाहर	825 वर्ग फुट	5/–प्रति वर्ग फुट	4125·00	2-11-81
11.	श्री गोविन्द करण पुत्र रूप करण	प्लाट नं० 225, शास्त्री नगर, सेक्टर "जी"	20 वर्ग गज	106/–प्रति व.फु.	2120·00	19-9-81
12.	श्री आनन्दसिंह जसोल	जसोल हाउस, पावटा	858 वर्ग फुट		10676·96	17-12-81
13.	श्रीमती राजेश्वरी पत्नि जी.वी. माथुर	474, 6-ए रोड सरदारपुरा	305 वर्ग फुट	10/प्रति वर्ग फुट	3050·00	2-11-81
14.	श्रीमती शीला पत्नि गणपत लाल	प्लाट नम्बर 11, नागौरी गेट	95 वर्ग गज	50/–प्रति वर्ग गज	4750·00	24-2-82
15.	श्री मोहम्मद युनस	चांदपोल सिवांची गेट	525 वर्ग फुट	3/–प्रति वर्ग फुट	1575·00	13-5-82
16.	श्रीमती चुकिया पत्नि चरण दास	उदय मंदिर, हरिजन बस्ती	44·44 वर्ग गज	118/–प्रति व.ग.	5244·00	24-5-82
17.	श्रीमती मन्दोदरी देवी पत्नि बिहारी लाल	27, रिफ्यूजी कालोनी प्रताप नगर	42 वर्ग गज	100/–प्रति व.ग.	4200·00	10-8-82

क्र०सं०	स्ट्रीप क्रेता का नाम	लोकेशन	क्षेत्रफल	विक्रय भाव	मूल्य	निर्णय की दिनांक
18.	श्रीमती गुलाब कंवर पत्नि सम्पत राज	पावटा "बी" रोड रेल्वे क्रोसिंग	877·50 वर्ग फुट	10/–प्रति वर्ग फुट	8775·00	9-4-82
19.	श्री सोहनसिंह पुत्र बद्रीलाल	विद्याशाला स्कूल, चांदपोल के बाहर	600 वर्ग फुट	5/–प्रति वर्ग फुट	3000·00	12-5-82
20.	मोहम्मद लुकमान पुत्र मोहम्मद हनीफ	उदय मंदिर, घोसियों की गली, जामा मस्जिद के पास	198 वर्ग फुट	10/–प्रति वर्ग फुट	1980·00	29-7-82
21.	मोहम्मद हनीफ पुत्र अब्दुल सतार	प्लाट नम्बर 91, चांदपोल सिवांची गेट	48·89 वर्ग गज	150/–प्रति व. ग.	7333·50	30-7-82
22.	श्री लालसिंह पुत्र हनुमानसिंह	महामंदिर दरवाजा, जोधपुर	286·13 वर्ग फु.	10/–प्रति वर्ग फुट	2861·30	6-3-82
23.	श्री हरिप्रसाद पुत्र रामसुख जोशी	एल.आई.जी.एच. प्रथम चौपासनी रोड	600 वर्ग फुट	10/–प्रति वर्ग फुट	6000·00	11-3-82
24.	श्री सांवलदान पुत्र मंघाराम	संत शिरोमणी नामदेव मंदिर सिंधी कालोनी, जोधपुर	600 वर्ग फुट	10/–प्रति वर्ग फुट	6000·00	1-7-80
25.	श्रीमती दरिया कंवर पत्नि शिवदान	खेजड़ला हाउस, पावटा "सी" रोड	51·67 वर्ग गज	150/–प्रति वर्ग गज	7750·50	25-4-83
26.	श्री नेनसिंह पुत्र हेमसिंह	प्रताप नगर, यू.आई.टी. क्वाटर्स	16 वर्ग गज	60/–प्रति वर्ग गज	960·00	3-5-83

क्र०सं० स्टाँप क्रेता का नाम	लोकेशन	क्षेत्रफल	विक्रय भाव	मूल्य	निर्णय की दिनांक
27. श्री जयसिंह पुत्र रामगोपाल	रघुनाथजी की बावड़ी, चांदपोल के बाहर,	68·80 वर्ग गज	50/–प्रति वर्ग गज	3444·00	3-5-83
28. श्री मंघाराम पुत्र अमरराराम	नाथ सागर का जाव, महामंदिर, जोधपुर	53·84 वर्ग गज	50/–प्रति वर्ग गज	2692·00	27-4-83
29. श्री नाथूराम पुत्र मनीराम	कागा रोड, जोधपुर	784 वर्ग फुट	10/–प्रति वर्ग फुट	7840·00	30-7-84
30. श्री गोविंद राम पुत्र अखाराम	राम बावड़ी का जाव, विद्याशाला के पास, चांदपोल के बाहर	838·40 वर्ग फुट	6/–प्रति वर्ग फुट	5030·40	30-7-84

परिशिष्ट ङ

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
URBAN DEVELOPMENT & HOUSING DEPARTMENT
(GR-.2)

No. F. 3 (179) UDH/83 Jaipur, dated 24th Match, 84.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 74 read with section 43 and 60 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959) and by section 95 read with section 101 of the Jaipur Development Authority Act, 1982), (Rajasthan act 25 of 1982), the State Goverment hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974 and orders with reference to the proviso to sub-section (2) of Section 74 of the said Act, that prévious publication of these rules is dispensed with as the state Government considers that they should, in public interest, be brought into force atonce, namely :—

AMENDMENT

For the existing sub-rule (1) of rule 23 of the Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974, the following shall be subtituted, namely :—

"(1) **Strips of land to be sold at double the reserve price**— Small strips of land which are not fit to be disposed of as plots shall be sold to the owners of the adjoining plots at the rate of double the reserve price. such strips of land shall be disposed of on an out-right sale if the adjoining property is free hold, and leased out if the adjoining property owner has only lease hold rights".

By Order of the Governor,
Sd/-
Dy. Secretary to Government

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 48 की सूची)

(बाड़मेर जिला) 'क'

क्र०सं०	योजना का नाम	स्वीकृत राशि
1.	क्षेत्रीय जलदाय योजना उत्तरणी	267·67 लाख
2.	क्षेत्रीय जलदाय योजना सोमेसरा	110·50 लाख
3.	क्षेत्रीय जलदाय योजना जोगासर खरंटिया	163·00 लाख
4.	क्षेत्रीय जलदाय योजना निमला गरल अंकाली	8·38 लाख
5.	विस्तार जलदाय योजना बुठिया पीरों का पार	0·87 लाख
6.	क्षेत्रीय जलदाय योजना लये का पार मोहम्मद का पार	0·94 लाख
7.	क्षेत्रीय जलदाय योजना इसरोल गोलियार लावाटा	12·23 लाख
8.	पम्प एवं टैंक जलदाय योजना शेष का गांव	11·88 लाख
9.	विस्तार जलदाय योजना नागरडा मेघे का गांव	9·48 लाख
10.	क्षेत्रीय जलदाय योजना सिहानिया बासासर नयापुर	94·40 लाख
11.	क्षेत्रीय जलदाय योजना गिराव उड़ीन	137·30 लाख
12.	क्षेत्रीय जलदाय योजना निर्मला शिव मुंगा, हारवा हारवेवा	42·06 लाख
13.	क्षेत्रीय जलदाय योजना चुली भादरेस	57·39 लाख
14.	क्षेत्रीय जलदाय योजना बुरान का तला सयद मोजली का तला	9·50 लाख
15.	क्षेत्रीय जलदाय योजना इसरोल बाखडाऊ	43·22 लाख
16.	क्षेत्रीय जलदाय योजना बुठिया पदपदिया मेकरवाला	9·01 लाख
17.	विस्तार जलदाय योजना सुराली जालीला	0·66 लाख
18.	विस्तार जलदाय योजना बुठिया चाडवा तखतावाद	6·83 लाख
19.	क्षेत्रीय जलदाय योजना पदटोदी कालेवा	78·15 लाख
20.	क्षेत्रीय जलदाय योजना भटाला टुकिया	11·55 लाख
21.	क्षेत्रीय जलदाय योजना भटाला घाघालावास	30·05 लाख
22.	क्षेत्रीय जलदाय योजना लूणवा भेडाना	12·60 लाख
23.	क्षेत्रीय जलदाय योजना पायला कला पायला खुर्द	12·76 लाख
24.	रिवाइज्ड जलदाय योजना मूठली गोलिया	35·22 लाख

25. क्षेत्रीय जलदाय योजना वारिया चान्द्सेरा 61·38 लाख
26. क्षेत्रीय जलदाय योजना वामसीन सडक 42·06 लाख
27. क्षेत्रीय जलदाय योजना समदड़ी कल्याणपुर 41·81 लाख
28. क्षेत्रीय जलदाय योजना मिठुडा सिणदरी 259·74 लाख
29. ऑगमेन्टेशन जलदाय योजना पाइप्ड धोरीमना 1·98 लाख
30. ऑगमेन्टेशन जलदाय योजना लोहरवा भीमथल 1·98 लाख
31. ऑगमेन्टेशन जलदाय योजना जसोल 2·00 लाख

परिशिष्ट "ख"

क्र०सं०	योजना का नाम	कार्य पूर्ण होने का सम्भावित वर्ष
1.	क्षेत्रीय जलदाय योजना सनपा सोमेसरा	1986-87
2.	क्षेत्रीय जलदाय योजना जोगासर खरटिया	1986-87
3.	क्षेत्रीय जलदाय योजना उण्डू उत्तरणी	1987-88
4.	क्षेत्रीय जलदाय योजना बुरान का तला सयद मोजली का तला	1985-86
5.	क्षेत्रीय जलदाय योजना बुठिया पुदपुदरिया मेकरवाला	1985-86
6.	विस्तार जलयोजना बुढ़िया वाडवा तखतावाद	1985-86
7.	क्षेत्रीय जलदाय योजना पाटोदी कालेवा	1985-86
8.	क्षेत्रीय जलदाय योजना मटाला टुकिया	1985-86
9.	क्षेत्रीय जलदाय योजना मटाला घार्धावास	1985-86
10.	क्षेत्रीय जलदाय योजना लूणावा मेंडाना	1985-86
11.	क्षेत्रीय जलदाय योजना पायला खुर्द	1985-86
12.	रिवाईज्ड जलदाय योजना मूठली गोलया	1985-86
13.	क्षेत्रीय जलदाय योजना वारिया चान्देसरा	1985-86
14.	क्षेत्रीय जलदाय योजना वामसीन खंडप	1985-86
15.	क्षेत्रीय जलदाय योजना समदडी कल्याणपुर	1985-86

परिशिष्ट–10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 49 की प्रति)

SALE DEED

This Sale Deed is made this the day of March, 1983 at New-Delhi, between the Governor of the State of Rajasthan, Jaipur and is hereby being executed on behalf of the Governor by Dy. Secretary to the Government of Rajasthan in Revenue (Colonisation) Department, Jaipur as directed and authorised by the Governor (hereinafter called the Vendor) and the President of India, New Delhi and is hereby executed on behalf of the President by the Secretary in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture, New Delhi as directed and authorised by the President (hereinafter called the Purchaser).

WHEREAS the Vendor made available certain pieces of land at Suratgarh, Sardargarh and Jetsar farms, more particularly described in the first Schedule hereunder written to the Purchaser in or about the years 1956 and 1964 respectively for organising mechanised farms which have been organised and developed by the Purchaser. The said pieces of land are hereinafter called "the said Premises".

AND WHEREAS since 1969 the aforesaid farms at Suratgarh, Sardargarh and Jetsar are being managed by the State Farms Corporation Limited, a Government of India Undertaking, on behalf of the Purchaser.

AND WHEREAS the Vendor and the Purchaser have considered it desirable to make the arrangement of a permanent nature and have decided that the Vendor shall sell and the Purchaser shall buy the said Premises hereinafter described in the first Schedule hereunder writtern for a sum of Rs. 36 crores (Rupees Thirty Six crores only) to be paid in two equal instalments of Rs. 18 crores each, the first instalment to be paid in the financial year 1982-83 and the second instalment in the financial year 1983-84.

AND WHEREAS the Purchasar has requested the Vendor to

execute these presents in favour of the Purchaser which the Vendor has agreed to do.

NOW THIS INDENTURE WITNESSETH that in pursuance of the said Agreement and in consideration of the sum of Rs. 18 crores (Rupees eighteen crores only) paid by the Purchaser to the Vendor on or before the execution of these presents and a futhter sum of Rs. 18 crores (Rupees Eighteen crores only) to be paid later in the manner aforesaid, the Vendor doth hereby grant, sell, assign, release, convey and assure unto the said Purchaser for ever all that the said piece or parcel of land or ground with the messuage hereditaments and premises situated at Suratgarh and Jetsar and more particularly described in the Schedule hereunder written and delineated on the plan thereof hereto annexed and thereon surrounded by a red coloured boundary line (and all which land hereditaments and premises are hereinafter referred to for brevity's sake as "the said Premises") TOGETHER WITH all and singular structures, areas, compounds, sewers, fences, trees, ditches, drains, ways, paths, passages, commons, gullies, wells, waters, water courses, plants, lights, liberties, privileges, easements, p ofits, advantages, rights, members and appurtenances whatso ver to the said premises or any part thereof belonging or in anywise appertaining to or with the same or any part thereof now or at any time heretofore usually held, used, occupied or enjoyed therewith or repu'ed or known as part or member thereof to belong or be appurtenant thereto AND also together with all the deeds, documents, writings, vouchers and other evidence of title relating to the said pieces or parcel of land or ground, hereditaments and premises or any part thereof AND ALL the estate, right, title, interest, use, inheritance, property, possession, benefit, claim and demand whatsoever at law and equ ty of the said Vendor in, to, out of or upon the said premises or any part theeof TO HAVE AND HOLD all and singular the said promises hereby granted, conveyed and assured or expressed so to be with their and every of their rights, members, appurtenances unto and to the use and benefit of the said purchaser for ever subject to the pa ment of all rents and dues other than taxes contemplated under Article 285 of the Constitution now chargeable upon the same or hereafter to become payable to the State Government, local authority or other body in respect thereof.

AND the said vendor doth hereby for himself, his heirs, executors and administrators covenant with the said purchaser that notwithstanding any fact, deed, matter or thing whatsoever by the vendor or by any persons lawfully or equitably claiming by, from, through,, under or in trust for him made, done, committed, omitted or knowingly or willingly suffered to the contrary he the said vendor now hath in himself good, right, full power and absolute authority to grant convey and assure the said premises hereby granted, conveyed or assured or intended so to be unto and to the use of the said purchaser in the manner aforesaid AND that it shall be lawful for the purchaser from time to time and at all times hereafter peacebly and quietly to hold, enter upon, have, occupy, possess and enjoy the said premises hereby granted with their appurtenances and receive the rents, issues and profits thereof and of every part thereof to and for his own use and benefit, without any suit, lawful eviction interruption, claim and demand whatsoever from or by the said vendor from or by any person or pe sons lawfully or equitably claiming or to claim by, from, under or in trust for him or any of them and that free and clear and freely and clearly and absolutely acquitted, exonorated, released and for every discharged or otherwise by the said Vendor well and sufficient saved, defended, kept harmless and indemnified of, from and against all former and other estates, titles, charges and encumberances whatever either already or to hereafter had, made, executed, occasioned or suffered by the said Vendor or by any other person or persons lawfully or equitable claiming or to claim by, from, under or in trust for him or any or them.

AND THIS INDENTURE FURTHER WITNESSETH that the said Vendor and all persons having or lawfully or equitably claiming any estate, right, title or interest at law or in the said premises hereby granted or any part thereof byfrom, under or in trust for him the vendor shall and will from time to time and at all times hereafter at the request and cost of the said Purchaser do and execute or cause to be done and executed all such further and other lawful and reasonable acts, deeds, things, matters, conveyances and assurances in the law whatsoever for the better, further and more perfectly and absolutely granting and assuring the said premises and every part thereof hereby

granted unto and to the use of the said Purchaser in the manner aforesaid as shall or may be reasonably required by the said Purchaser, assigns or his counsel in law and the Vendor doth HEREBY covenant with the Purchaser that he the Vendor has not done, omitted or knowingly or willingly suffered or been party or privy to any act, deed or thing whereby he is prevented from granting and conveying the said premises in the manner aforesaid or whereby the same or any part thereof are. is, can or may be charged, encumbered or prejudicially affected in estate title or otherwise howsoever.

IN WITNESS WHEREOF the Vendor hath hereunto set and subscribed its hand and seal the day and year first hereinabove written.

The First Schedule Above Referred to.

Piece of parcel of land situated at Suratgarh, District Sri Ganganagar in the State of Rajasthan known as Suratgarh and Sardargarh farms having an aggregate area of about 46 533 bighas and 6 biswas equivalent to 11,76,94,986 sq. meters surrounded on the four sides as under :

North Chaks No. 11 SSM, Village Sardargarh, 2SGM, 6SGM Ist, 6 SGM IInd, 7 SGM, 8 SGM, 10 SGM, 25 PBN, 27 PBN, 28 PBN. Village Rampura, 34 STG, 36 STG of Tehsil Suragarh.

South 7SD, Villages Ja kidaswallah, Mohammdbad, Bherupura, 35 PBN, 36 PBN, 37 PBN 38 PBN 41 PBN, Suratgarh Town of Suratgarh Tehsil.

East 2BRP, 4BRP, 5BRP, Villages Manak Theri Rang Manal and 43STG.

West Village Daultabad and 2 GB of Tehsil Anupgarh.

Piece of parcel of land situated at Jetser, district Sri Ganganagar in the State of Rajasthan known as Jetsar farm having an aggregate area of about 25,341 bighas equivalent to 6,40,95,158 Sq. meters subject to the verification of actual area in the possession of Jetsar farm, after

spot inspection and joint verification of revenue record; surrounded on the four sides as under :—

North Sardarpura distributory, Rajasthan Canal Rest House.

South Jorkia minor, Bugia Distributory.

East Jetsar to Srigangar Railway line boundary.

Whst Bijai Nagar to Rai Singh Nagar main Road boundary.

Survey number (S)/Bissa number (S) will be shown in supplementary schedule.

The Second Schedule Above Refereed to :

The State Government is the sovereign owner of the land and hence no title deeds are required to be attached.

SIGNED, SEALED AND DELIVERED BY THE

Within named.

Sd/-

(B. P. Sikder)

Director (Seeds)

Department of Agriculture & Cooperation

For and on behalf of the President of India.

Sd/9.3.93

(C. R. Yadav)

Deputy Secretary to the Government of Rajasthan Revenue Deptt.,

For and on behalf of the Government of Rajasthan.

In the presence of :

Sd/-9.3.83

(S. Guria)

1. Under Secretary,
Ministary of Agrlcultnre
Department of Agriculture.

[redacted]

2. Sd/–9.3.83
(HARBHANS LAL)
COMPANY SECRETARY
STATE FARMS CORP. OF INDIA
LTD. G.P.O. Building Pusha Inst.
Complex, New Delhi–110012.

AMENDMENT TO SALE DEED EXECUTED ON 9.3.1983
BETWEEN THE GOVERNMENT OF INDIA AND THE
GOVERNMENT OF RAJASTHAN.

Page 4—**Line 2 from bottom**

Insert the words "and Survey and Hissa Numbers" between the words "actual area" in the possession of.

Page—**Line 2**

Substitue the word 'Schedule' by the word "Deed".

Sd/–
(B. P.Sikder)
Director (Seeds)
Deptt. of Agri. & Cooperation
For and on behalf of the
President of India.

Sd/–
(G. R. Yadav)
Deputy Secretary to the Government
of Rajasthan For and on behalf of the
Government of Rajasthan.

(231)

परिशिष्ट–11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 52 का विवरण)

जयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में डाली गई शिविर लाइन का विवरण

क्र. सं.	चौकड़ी का नाम	100 एम. एम.	150 एम. एम.	200 एम. एम.	225 एम. एम.	250 एम. एम.	300 एम. एम.	350 एम. एम.	400 एम. एम.	450 एम. एम.	500 एम. एम.	600 एम. एम.	700 एम. एम.	800 एम. एम.	1000 एम. एम.	1100 एम. एम.	एग शेफ सीवर	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1–	तोपखाना देश	880	12866	....	1300	....	283	....	283	243		....	....	....	....	....	....	
2–	मोदीखाना	....	7223	....	2049	....	772	....	772	....		....	....	....	....	....	....	
3–	विश्वेश्वर जी	135	4890	....	2307	....	3555	....	....	727		....	—	....	....	....	....	
4–	घाट	420	14521	....	1580	....	....	....	1003	602		....	....	....	....	....	....	
5–	तोपखाना हजूरी सूरजपोल बाजार	140	8578	....	....	....	....	....	602	1029		....	....	....	....	....	....	
6–	गंगापोल	35	1655	....	1931	....	339	....	301	1104		....	....	....	727	—	....	
7–	रामचन्द्रजी	583	9739	....	1508	....	....	....	765	1325		....	810	....	....	....	....	
8–	सरहद, राजामल का तालाब	80	3500	219	....	....	1405	....	1405	....		1565	....	....	....	....	....	
9–	पुरानी बस्ती	450	10183	....	620	700	1505	....	803	803		....	....	650	....	....	....	
10–	ब्रह्मपुरी	....	2950	....	....	....	—	....	....	....		....	....	720	803	....	....	
11–	लक्ष्मीनारायणपुरी मंडी खुरीकान	....	6296	....	....	1700	600	514	....	270		....	....	....	....	—.	....	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12–	नाहरी का नाका	—	6900	....	600	—	—	—	600	—	—	—	—	—	—	—	—	
13–	बनीपार्क वनस्थली मार्ग बड़ौदिया वस्ती	275	6819	1255	540	4616	602	—	—	—	—	1906	—	—	—	—	—	
14.	सी–स्कीम, भवानी सिंह मार्ग, हॉस्पिटल के सामने	—	16621	532	—	872	4013	—	602	600	802	500	—	800	—	—	—	
15–	आदर्शनगर, मोती डूंगरी रोड खरबूजा मण्डी	—	2360	—	—	200	—	—	—	—	1400	—	—	—	—	—	—	
16–	जौहरीबाजार चौड़ा रास्ता किशनपोल बाजार	—	5	—	—	—	1730	—	—	1825	—	—	—	—	—	—	—	
17–	चांदपोल बाहर कुरेशी कालोनी आदि सर्किट हाउस	—	2780	—	545	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18–	सुभाषचौक से ट्रीटमेंट प्लांट	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	803	635	—	—	
19–	मालवीया नगर (जे. डी. ए.)	—	16683	—	—	2358	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20–	13 मालवीया नगर सेक्टर (आर.एच.बी.) (1 से 13)	—	35992	—	4070	—	1671	—	680	350	—	300	—	—	—	—	—	
21–	[illegible]																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22– ज्योति नगर (आरएचबी)		862	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23– घाट की गुणी (आरएचबी)		1120	—	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24– वनविहार (आरएचबी)		1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25– बापू बाजार नेहरु बाजार इन्दिरा बाजार न्यू कालोनी सरदार पटेल मार्ग वाईस गोदाम		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7150	
कुल योग :—		2198	197538	3182	17025	10506	16845	515	8534	8176	2202	3516	1370	2333	800	635	7150	

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1) [redacted] विधान सभा के प्रथम सत्र का आठवां दिवस (संख्या 8

1] [2

मंगलवार

दिनांक 26-3-1985

विधान सभा की बैठक म. प. 5.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) 1985-86 का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री हरिदेव जोशी, मुख्य मंत्री, राजस्थान राज्य के विस्तृत वित्तीय विवरण (आय व्ययक), 1985-86 का उपस्थापन करेंगे।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए राजस्थान राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख रहा हूं।

(2) वर्ष 1984-85 के बजट अनुमानों में 88.27 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा और पूंजी खाते तथा लोक खाते के लेन-देनों सहित कुल मिलाकर 165.45 करोड़ रुपये का घाटा रहने का अनुमान लगाया गया था। संशोधित अनुमानों के अनुसार अब 96.63 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा रहने की संभावना है और कुल मिलाकर 106.56 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा। हमें आशा है कि भारत सरकार से इस वर्ष में लगभग 87 करोड़ रुपये की और सहायता प्राप्त होगी। अत: इस वर्ष का घाटा 19.56 करोड़ रुपये रहने की संभावना है। इस वर्ष के 1.66 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक अधिशेष को कम करने पर शुद्ध घाटा 17.90 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

(3) वर्ष 1985-86 के बजट अनुमानों में 158.20 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा और कुल मिलाकर 263.33 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित है। इस घाटे की पूर्ति करने के लिए राज्य की वित्तीय स्थिति की विस्तृत समीक्षा करके राज्य सरकार कुछ समय पश्चात् परिवर्तित बजट अनुमान प्रस्तुत करेगी।

(4) योजना आयोग से राज्य की वार्षिक योजना 1985-86 तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना पर अभी विचार-विमर्श नहीं हुआ है। अत: उपलब्ध साधनों को दृष्टिगत रखते हुए हमारी प्राथमिकताओं के अनुरूप एवं जन आकांक्षाओं के अनुकूल परिवर्तित बजट अनुमानों को प्रस्तुत करते

(श्री हरिदेव जोशी)
समय योजना व्यय को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

(5) जैसा कि अपेक्षित है, वर्ष 1985-86 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है और अन्य बजट-पत्रों के साथ-साथ अनुदानों की मांगें भी सम्मानित सदस्यों को दी जा रही हैं, लेकिन फिलहाल हम वित्तीय वर्ष 1985-86 के पहले चार महीनों के लिए ही "लेखानुदान" की मांग कर रहे है।

व्यवस्था का प्रश्न

आय-व्ययक भाषण में राजस्व प्राप्ति, राजस्व घाटा, सरकारी नीति व भारत सरकार से प्राप्त सहायता का उल्लेख व उस पर सामान्य वाद-विवाद

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह तो सारे बजट की प्रक्रिया को बाईपास करने का सिस्टम है। वोट आन अकाउन्ट जब प्रस्तुत किया जाता है इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार अपनी अगली नीतियों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह तो स्वीकार किया है कि हमारा 200 करोड़ रुपये से ऊपर का राजस्व घाटा है। यह भी इन्होंने स्वीकार किया है कि भारत सरकार से 87 करोड़ रुपये की इस बार सहायता मिलेगी। लेकिन वोट आन अकाउन्ट का मतलब यह नहीं है कि आप संक्षेप में केवल यह बता दें कि हमारी राजस्व आय इतनी होने वाली है और राजस्व घाटा इतना होने वाला है। आपको राजस्व घाटा क्यों हो रहा है इसके कारण बताने चाहिए थे। यह कारण आगे आप विचार करें, ऐसी आवश्यकता नहीं है। कारण तो आज आप बता सकते हैं कि राजस्व घाटा क्यों है, किन कारणों से राजस्व घाटा हुआ है। यदि आप सदन में यह कारण बताते तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि भारत सरकार से आपको अतिरिक्त सहायता मिलने में मदद मिलती। आप इस मामले पर बिल्कुल मौन रहें उसका लाभ नहीं मिलेगा, उससे राजस्थान सरकार को उल्टा घाटा और होगा। ऐसी स्थिति में मैं ऐसा समझता हूं, जहां तक मेरा अनुभव है, जब जब भी हाउस में वोट आन अकाउन्ट पेश हुए हैं सरकार की ओर से पूरा बजट भाषण दिया गया है। बजट में यदि परिवर्तन की कोई आवश्यकता हो, आप उसे फाइनल स्टेज पर अगर पास नहीं करायें तो वोट आन अकाउण्ट लेते हैं। आप किस बात का वोट आन अकाउन्ट ले रहे हैं? किस बात का लेखानुदान आपने पेश किया है? जब राजस्थान सरकार का बजट ही तैयार नहीं है तो वोट आन अकाउन्ट किस प्रकार का? वोट आन अकाउन्ट तो उसी हालत में आप ले सकते हैं कि डिमाण्ड टू डिमाण्ड आप सदन के सामने अपनी बात नहीं रख सकें या आप मोटे रूप से टैक्सेशन के प्रपोजल नहीं लेना चाहें कि रिसोर्सेस हम किस प्रकार से मोबीलाइज कर रहे हैं। लेकिन आप तो सारी चीजों को ऐसे बाईपास कर गये जैसे विधान सभा नाम की कोई चीज नहीं हैं, सरकार का कोई उत्तरदायित्व ही नहीं है। आपने एक पेज का स्टेटमेन्ट यहां रख दिया यह वोट आन अकाउन्ट नहीं है, यह विधान सभा के साथ विश्वासघात है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा

(3)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि इस वोट ग्रान ग्रकाउन्ट के प्रश्न पर चर्चा होनी चाहिए। ग्राज तक जितने भी वोट ग्रान ग्रकाउन्ट इस हाउस में पेश हुए हैं उस पर डिबेट हुई है। मैंने ग्राज ही सरकार की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिकमन्डेशन देखी है। उसमें उस पर डिबेट का कोई प्रोविजन नहीं है। एक दिन भी ग्राप उसकी डिबेट नहीं रख रहे हैं, तो वोट ग्रान ग्रकाउन्ट क्या हुग्रा ? ग्रापने एक स्टेटमेंट दे दिया ग्रौर वह वोट ग्रान ग्रकाउन्ट नहीं होगा। ग्राप पहले देख लीजिए, हर इलेक्शन के बाद में वोट ग्रान ग्रकाउन्ट पेश किया जाता है ग्रौर बाकायदा चीफ मिनिस्टर या फाइनेन्स मिनिस्टर की स्पीच होती है उस स्पीच में मोटी बातों का उल्लेख किया जाता है। लेकिन केवल फाइनल टच देने के लिए ग्राप वोट ग्रान ग्रकाउन्ट ले रहे हैं। ग्राज राजस्थान के रिसोर्सेस क्या हैं, राजस्थान के एक्सपेन्डीचर क्या हैं, रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर क्या हैं, यह सब ग्राज की तारीख तक राजस्थान की सरकार को मालूम है, इसमें कोई सन्देह नहीं। 31 मार्च तक बजट की प्रक्रिया पूरी होती है वह किसको मालूम नहीं है। ग्रगर राजस्थान की सरकार को यही मालूम नहीं है तो वोट ग्रान ग्रकाउन्ट किस बात का हुग्रा ? ग्रापने राजस्व घाटा बताया इसका मतलब ग्रापने सबका विश्लेषण किया है। विश्लेषण करने के उपरान्त यदि ग्राप सदन को कोई जानकारी नहीं दे रहे तो क्या यह मान कर चलूं कि राजस्थान सरकार बजट की व्यवस्था से, खर्चे ग्रौर ग्राय से इतनी ग्रनभिज्ञ है कि राज्य सरकार यहां कुछ नहीं कह पा रही है। राजस्थान में परिवर्तन तो केवल इतना सा हुग्रा है कि सरकार बदली है, मुख्य मन्त्री बदले हैं लेकिन प्रक्रिया तो वही है, व्यवस्था तो वही है, प्रशासन भी वही है। तो क्या सरकार बिलकुल ही इस तरह से ग्रनभिज्ञ रही है कि हमें ग्रागे क्या करना है ? ग्रापने पिछली परम्पराग्रों को भी देखा होता तो ग्रापको स्वयं इस बात की जानकारी मिल जाती। पहाड़िया जी बैठे हैं, इन्होंने भी वोट ग्रान ग्रकाउन्ट लिया था ग्रौर वोट ग्रान ग्रकाउन्ट लिया तो एक पेज का भाषण नहीं हुग्रा है, वह एक पेज का भाषण नहीं हुग्रा, पूरा भाषण था बजट का ग्रौर उसके ऊपर पूरी चर्चा हुई है। मैं समझता हूं ग्रापने यह सारी एक ग्रसाधारण प्रकिया ग्रपनाई है, मुझे इस पर घोर ग्रापत्ति है। मैं चाहूंगा, ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राप इस पर व्यवस्था दें।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री हरिशंकर भामड़ा (रतनगढ़) : ग्रध्यक्ष महोदय, वोट ग्रान ग्रकाउन्ट का मतलब यह होता है कि 4 महीने में व्यय जो सरकार करने जा रही है उसकी पूर्व स्वीकृति ले रही है। जब तक वह साल के पूरे ग्रकाउन्ट नहीं रखेगी कि हमारा साल भर का ग्रनुमानित ग्राय व्यय यह है तब तक 4 महीने की व्यय की राशि भी नहीं निकल सकती। इसलिए उनको ग्रकाउन्ट पूरा रखना पड़ेगा। उसमें टैक्सेशन नहीं होंगे या ग्रौर जो बातें जोड़ना चाहते हैं वह नहीं होगी लेकिन यह 4 महीने का खर्चा निकालने के लिए भी पूरे साल भर के खर्चे का ग्रनुमान लगा कर उसके हिसाब से वोट ग्रान ग्रकाउन्ट इस हाउस से पास कराया जायेगा। वह जब तक नहीं होगा तब तक वोट ग्रान ग्रकाउन्ट का कोई मतलब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्री जी ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसी सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं । सन् 85-86 का साल सातवीं योजना का प्रथम साल है। माननीय मुख्य मन्त्री जी के भाषण में जो 4 महिने का खर्चा राज्य सरकार का इस विधानसभा से स्वीकृत चाहा गया है उसमें कहीं कोई जिक्र सातवीं योजना का नहीं है। सातवीं योजना के आकार का कोई जिक्र नहीं है । राष्ट्रीय आमदनी के स्तर पर राजस्थान पहुंचेगा उसमें कितना नियोजन उसको करना पड़ेगा, इसकी कोई चर्चा नहीं । यह राजस्थान सरकार की सातवीं योजना का ड्राफ्ट प्लान मेरे पास है, इसमें कहा गया है कि 25 हजार करोड़ रुपये का नियोजन राजस्थान में हमको करना पड़ेगा । इस विधान सभा से ड्राफ्ट प्लान के मोटे-मोटे आंकड़े छिपाना, विधान सभा को जानकारी नहीं देना, कितना पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट चाहा जायेगा, कितना एडीशनल रिसोर्सेस मोबीलाइजेशन करना पड़ेगा या अर्न हमको कितना करना पड़ेगा, यह महत्वपूर्ण बातें हैं, इस विधान सभा से नहीं छिपाई जानी चाहिए । इन बातों की मूर्त रूप में, मोटे रूप में निश्चित रूप से विधान सभा को जानकारी दी जानी चाहिए । मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह जो कुछ माननीय मन्त्री महोदय ने अभी पढ़ा है, न यह बजट है, न यह बजट की ए. बी. सी. है । निश्चित रूप से यह इस विधान सभा की सारी प्रक्रिया को ही नहीं, इस विधान सभा को बिलिटिल करने का सबसे बड़ा प्रयत्न राज्य सरकार की ओर से किया गया है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मुख्य मन्त्री ने जो वोट आन अकाउण्ट का जो एड्रेस पढ़ा है वह उसको वापस लें । यह राज्य सरकार तैयारी करके विधान सभा में पूरा बजट पेश करे । उस बजट के अन्दर जो कुछ सातवीं योजना का आकार वह चाहते हैं जिसका दिग्दर्शन उन्होंने अपने इस डाकूमेंट में किया है निश्चित रूप से उसके प्रारूप की जानकारी इस विधान सभा को दें ताकि एप्रोप्रियेशन बिल पर भी इन सारी बातों की मोटे तौर पर चर्चा की जा सके । इसी निवेदन के साथ , माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी एड्रेस इन्होंने पढ़ा है इसको वापिस लें और दुबारा सम्पूर्ण बजट भाषण तैयार करके इस विधानसभा के अन्दर पेश करें । इस विधान सभा की प्रक्रिया को बाई पास करने का, इसको बिलिटिल करने का, इसके महत्व को कम करने का कोई प्रयत्न न करें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्री जी ।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने अभी कहा, कहीं कोई मंशा राज्य सरकार की विधान सभा को बाई पास करने की नहीं है । जो लेखानुदान पेश करने के हैं वह पेश कर दिये गये हैं । सबसे बड़ी कठिनाई वार्षिक योजना के बारे में योजना आयोग से चर्चा नहीं होना है । योजना आयोग क्या अनुदान देगा, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया का क्या कन्ट्रीब्यूशन होगा इसके आधार पर ही तो वार्षिक योजना बन सकती है । जब तक वह

(श्री हरिदेव जोशी)

वार्षिक योजना बने तब तक आज के जितने आंकड़े हैं वे एक प्रकार से व्यर्थ हो जायेंगे। इसलिये यह कोई अन-प्रिसिडेन्टेड नहीं है। पार्लियामेंट में जब इस प्रकार से लेखानुदान पेश किये जाते हैं तब भी यही किया जाता है और पिछली बार भी इसी प्रकार से किया गया था। इसलिए ये…………

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : ···· और काफी बहस की गई थी, पूरी कार्यवाही हुई थी। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, बिलकुल ऐसा नहीं हुआ था। पहाड़िया जी ने जब पेश किया था तो पूरा बजट भाषण छपा हुआ था और पूरा बजट भाषण पेश किया था, वितरित किया गया था उसके बाद लेखानुदान पास कराये गये थे। आपने पहली बार ऐसा किया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : मेरी अर्ज सुनें। अध्यक्ष महोदय, जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउन्टस माने लेखानुदान पेश किया जा रहा है वह पूरा पेश किया जा रहा है। उसमें कहीं कोई वो नहीं है। लेखानुदान चार महिने का मांगा जा रहा है और केवल कान्टीन्यूएशन के लिए मांगा जा रहा है इसमें जब तक वार्षिक योजना स्वीकार नहीं हो तब तक किन्हीं भी स्थितियों के अन्दर डिटेल्स आ नहीं सकतीं। हमारा कन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एडीशनल रिसोर्सेस क्या होंगे गवर्नमेंट के, यह तो एक प्रकार से नेगोशियेशन से तय होता है। वह नेगोसियेशन आज हुए नहीं। उनका कन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वह तय नहीं है। हो तब जाकर वार्षिक योजना हमारी क्या होगी, हमारी वार्षिक योजना क्या हो, हमारा वार्षिक बजट क्या हो, यह वार्षिक योजना जब तक स्वीकार न हो तब तक वार्षिक बजट स्वीकार नहीं हो सकता। जब तक यह दोनों चीजें नहीं हो सकतीं तब तक केवल स्टेटमेंट के आधार पर ही चार महिने का इन कन्टीन्यूशन अकाउण्ट ही मांगा गया है, यही इसका सारा तात्पर्य है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे क्षमा करें, मैं आपका समय दुबारा लूंगा।

अध्यक्ष महोदय, संविधान में आर्टिकल 202 से लेकर 206 तक प्रोसीजर इन फाइनेन्शियल मैटर्स के बारे में है, इसमें इस बात की व्यवस्था है कि फाइनेन्शियल अकाउण्टस हाउस में किस प्रकार से रखे जायेंगे और किस प्रकार से उन पर चर्चा होगी। इसका पूरा प्रोसीजर है। मैं समझता हूं, यह प्रोसीजर का तो वायोलेशन है ही। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि लोक सभा में इस प्रकार की स्थिति आती है। मैं उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि लोकसभा में पूरा बजट पेश किया जाता है, बजट की पूरी स्पीच होती है

(व्यवधान)

आप मेरी सुनिये।

अपनी विधान सभा में और लोक सभा में केवल इतना सा अन्तर है कि मार्च के महिने के पहले पूरी डिमान्ड भी पास कर लेते हैं और डिमाण्ड के बाद एप्रोप्रिएशन बिल सरकार की तरफ से रखते हैं वह भी पारित होता है और एक अप्रेल से कन्सोलिडेटेट फण्ड के ऊपर इस बजट के अनुसार चार्ज शुरू हो जाता है उसमें से एक्सपेन्डी-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चर के लिए पैसा निकाला जा सकता है। वोट आन अकाउण्ट का परपज केवल इतना सा है कि सरकार को अधिकार दिया जाये कि एक अप्रेल के बाद में वह कन्सोलिडेटेड फण्ड से पैसा निकाल ले और खर्च करले। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार का अगले वर्ष का एक्सपेण्डीचर क्या होगा, क्या उसकी रेवेन्यू अकाउण्ट पर इनकम होगी, केपिटल अकाउण्ट पर उसकी इनकम क्या होगी, भारत सरकार से उसको प्लान में कितनी सहायता मिलेगी, आऊट आफ प्लान उसको कितनी सहायता मिलेगी, उसके कारण से कभी कभी वोट आन अकाउण्ट नहीं आया आज तक हिन्दुस्थान के इतिहास में। हमें वर्ल्ड बैंक से क्या सहायता मिलने वाली है या दूसरी फारेन एजेन्सीज से हमें क्या सहायता मलने वाली है या अमुक स्थान से हमें क्या सहायता मिलने वाली है, इसके ऊपर कभी भी बजट निर्भर नहीं करता। बजट अपने रिसोर्सेस के ऊपर निर्भर करता है। आपने यह कहा है कि प्लान अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, प्लान के हमने डिस्कशन्स शुरू नहीं किये और हमको भारत सरकार से क्या वित्तीय सहायता मिलेगी उसका कोई आधार निश्चित नहीं हुआ। मैं चेलेन्ज करके कहता हूं आपको और आपकी मशीनरी को कि इस आधार पर वोट आन अकाउण्ट आज तक हिन्दुस्तान के इतिहास में पेश नहीं हुआ। वोट आन अकाउण्ट केवल एक ही आधार पर होता है, गवर्नमेन्ट का एक्सपेन्डीचर और गवर्नमेंट की रेवेन्यू जानकारी सरकार को पूरी होती है और उस जानकारी के बाद में वोट आन अकाउण्ट केवल पालिसी के मैटर्स के ऊपर आता है। आज जैसा मैं मानता हूं कि परेशानी है, चार दिन के अन्दर सरकार बनी है और चार दिन में सरकार अपनी नई नीतियां नहीं बना सकती, मैं सरकार की इस मजबूरी को समझ सकता हूं कि गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेस के गैप को किस प्रकार से पूरा करेगी उस पर अपना पूरा माइन्ड एप्लाई नहीं कर सकी। मैं यह भी समझता हूं कि प्लान में कौन कौन से आइटम्स को प्रायोरिटी के आधार पर लिया जायेगा। इसके ऊपर राज्य सरकार 5-7 दिन के अन्दर किसी प्रकार का निश्चय नहीं कर सकती। लेकिन वह उतना लैटीट्यूड उसमें रखा जाता कि फाइनल बजट जिस समय पेश किया जाये उस समय उसमें उसी प्रकार का संशोधन कर दिया जाये। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि आपने तो एक ऐसी परम्परा की शुरूआत की है जो डेमोक्रेसी के लिये हितकर नहीं, राजस्थान और हिन्दुस्तान की विधान सभाओं के लिये इतनी हानिकारक होगी, यह एक इस प्रकार का आटोक्रेटिक स्टेप होगा जिसकी कोई भी आदमी सराहना नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा कि वोट आन अकाउण्ट, जो प्रोसीजर कान्स्टीट्यूशन में दिया हुआ है, यह वोट आन अकाउण्ट, लेखानुदान जो यहां पेश किया है और मुख्य मन्त्री ने जो भाषण दिया है वह उसके बिलकुल विपरीत है। हम कान्स्टीट्यूशन का ही वायलेशन नहीं कर रहे हैं, हम परम्पराओं को भी तोड़ रहे हैं। संसद में और संसद के बाहर अन्य राज्य विधान सभाओं में इस सम्बन्ध में जो परम्परायें स्थापित हुई है

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उन परम्पराओं को भी हम तोड़ रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मुख्य मन्त्री जी का भाषण मैंने ध्यान पूर्वक सुना है, वे कह रहे थे कि परम्पराओं के आधार पर हमें चलना चाहिए। मुख्य मन्त्री जी, कम से कम 10 मिनट पहले आपने भाषण दिया है उसी भाषण को उद्धृत करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि यह परम्परायें तोड़ने का श्रीगणेश राजस्थान के मुख्य मन्त्री यह सदन के नेता की तरफ से नहीं होना चाहिये। मैं कहूंगा कि आपने वोट आन अकाउण्ट दिया इसमें कोई पालिसी का डिसक्लोजर नहीं है। कई बार यह भी परेशानी होती है कि बजट स्पीच रख दी उसमें कोई संशोधन इसलिए नहीं होता कि वह सरकार का पालिसी स्टेटमेंट है। उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता। उसमें टैक्सेज के प्रपोजल कई प्रकार के संशोधन हो सकते हैं, जिस समय सदस्य मांग करें कि टैक्स के ढ़ांचे में इस प्रकार का परिवर्तन किया जाये उस समय तो समझ में आता है। लेकिन यहां टैक्स का ही प्रपोजल नहीं है। राजस्थान को आप चार महिने तक बिलकुल अन्धेरे में रखना चाहते हैं, राजस्थान की जनता को आप अन्धेरे में रखना चाहते हैं। भारत सरकार के सामने आप राजस्थान की सही तस्वीर नहीं रखना चाहते हैं। आपके सामने ओवरड्राफ्ट की क्या पोजीशन है आपके भाषण में उसका उल्लेख नहीं है। अकल में आपको एडवांस प्लान असिस्टेंस कितनी मिली उसका उल्लेख नहीं है। छठी पंचवर्षीय योजना में 2025 करोड़ रुपये का जो आकार निर्धारित हुआ था उसमें आपका कितना खर्चा हुआ, इसका इसमें किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है। सोशल सर्विसेज के ऊपर आप कितना खर्च करना चाहते हैं, उसका भी नहीं है। इरिगेशन और पावर पर आप कितना खर्च करना चाहते हैं, आपके भाषण में उसका भी कोई उल्लेख नहीं है। तो यह बजट किस बात का है? किस बात का बजट रखना चाहते हैं? केवल खानापूर्ति के लिए आप बजट रख रहे हैं। मैं समझता हूं, यह खानापूर्ति के लिए बजट रखेंगे, इसके परिणाम राजस्थान के हित में बुरे होंगे। विधान सभा में तो आप परम्परायें तोड़ेंगे लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि जैसा आपने कन्स्ट्रक्टिव सहयोग हमसे मांगा है, यदि यही प्रपोजल्स यहां रखे जाते तो हम प्लान की साइज बढ़ाने की मांग की बात करते, इरिगेशन और पावर के सैक्टर में जो पैसा कम मिल रहा है उस पैसे को किस प्रकार से भारत सरकार से ज्यादा लिया जाये इस सम्बन्ध में हम चर्चा करते, सोशल सर्विसेज में जो कटौती आपको करनी पड़ रही है वह कटौती न होकर उसमें वृद्धि हो इस संबंध में हम कुछ चर्चा करते, प्लान की साइज के मामले में हम चर्चा करते। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस संबंध में आपने कोई चर्चा करने का कोई मौका नहीं दिया। इसके कारण से राजस्थान को तो घाटा होगा ही, निश्चित रूप से घाटा होगा और दुर्भाग्य से इस घाटे की पूर्ति करने के लिये आपके पास टैक्स लगाने के सिवाय कोई साधन नहीं रहेगा। भारत सरकार ने टैक्स लगा दिया, जनता उससे पीड़ित है, रेल का भाड़ा बढ़ा दिया उससे पीड़ित है,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा दी उससे पीड़ित है लोहे की कीमत और कोयले की कीमत बढ़ा दीं उससे पीड़ित हैं और भारत सरकार ने फिर टैक्स लगाकर खाने पीने की सारी चीजों की कीमत बढ़ा दी उससे पीड़ित है और फिर भी बजट में घाटा रखा जाय, जिस घाटे की पूर्ति करने के लिये राजस्थान की सरकार को ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाना पड़े, इसके सिवाय कोई भी चारा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो बजट भाषण दिया है, आप अगर मुझे 10 मिनिट का समय दें तो 1952 से लेकर आज तक जो भी वोट आन अकाउण्ट पर स्पीचेज हुई हैं, मैं कलैक्ट करके सदन की मेज पर रखने को तैयार हूं जिससे इस बात का अनुमान लग जायेगा कि जो मैं कह रहा हूं उसकी पुष्टि कितनी सही निकलती है और जो मुख्य मन्त्री जी कह रहे हैं कि आज तक इस प्रकार की परम्परायें रही हैं वह कितनी असत्य साबित होती हैं। यह एक विशेष मसला है, अध्यक्ष महोदय, और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस मसले के ऊपर इस आसन का भी टैस्ट होगा कि आसन विधान सभा में इस प्रकार की स्थिति जो आज पैदा हुई है उसमें किस प्रकार से इस विधान सभा का गाइडेन्स करता है। इन्हीं शब्दों के साथ जो मुख्य मन्त्री जी ने कहा है, उसका मैं विरोध करता हूं। यह बात बिलकुल सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री पंकज पंचोली।

श्री पंकज पंचोली (बैगू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने जो एतराज पेश किया है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं आसन के माध्यम से कि आर्टिकल 206 में वोट आन अकाउण्ट के बारे में प्रोसीजर निर्धारित किया हुआ है और इस सदन के रूल्स आफ प्रोसीजर के रूल नम्बर 150 में साफ तौर से प्रावधान किया गया है कि किस प्रकार यह पेश होगा, फिर कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है भाषण की या अन्य किसी डिटेल विवरण की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सब पढ़ा हुआ है, आप नये आये हैं।

श्री पंकज पंचोली : मैं पढ़ कर सुना रहा हूं आर्टिकल 206.

(व्यवधान)

"Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter ...."

"This Chapter" का मतलब, श्रीमन् इसमें ऐसा है, प्रोसीजर एण्ड फाइनेन्शियल मैटर्स के बारे में चैप्टर है यह।

"Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, the Legislative. Assembly of a State shall have power :

(a) to make any grant in advance in respect of estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in Article 203,.........."

(श्री पंकज पंचोली)

और इसमें 150 में लिखा है, श्रीमन्.................

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री पंकज पंचोली : एक मिनिट और लूंगा। रूल 150 में लिखा है :—

"A motion for Vote-on-account shall state the total some required............"

और डिटेल्स कुछ नहीं चाहिए श्रीमन्।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आगे पढ़िये।

श्री पंकज पंचोली : मैं पढ़ रहा हूं, आप तसल्ली रखिये। तसल्ली रखिये।

"A motion for vote-on-account shall state the total sum required and the various amounts needed for each department or item of expenditure which compose that sum shall be stated in a schedule appended to the motion."

मेरा निवेदन यह है, श्रीमन्, कि जो कुछ मुख्य मन्त्री जी ने रखा है वह काफी है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, Let him say.

(व्यवधान)

श्री पंकज पंचोली : वोट आन अकाउन्ट के लिए जो कुछ मैटर रखा गया है इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह शायद एप्रोप्रियेशन बिल के बारे में बता रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के नेता ने जो आपत्ति उठाई है, उसके सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान और विरोधी दल के माननीय नेता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सन् 1952 से लगाकर आज दिन तक इस राजस्थान विधान सभा के इतिहास में ऐसा सवाल नहीं आया होगा कि छठी पंचवर्षीय योजना 31 मार्च को समाप्त होने जा रही है और सातवीं पंचवर्षीय योजना जो हमारा आधार है, जिसके आधार पर हम अगले पांच साल में राजस्थान का दिशा निर्देश करना चाहते हैं, उसके लिए प्लानिंग कमीशन की कन्सैन्ट होना आवश्यक है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप अपनी बात बोलिये ना।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य आप व्यवधान न डालें। आप बोलना चाहें तो आप बोल लीजियेगा।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि भैरोंसिह जी शेखावत सदन के सामने एक नजीर पेश करें कि सन् 1952 से लगाकर आज दिन तक आठों विधान सभा में ऐसा कौनसा इतिहास बना जब पंचवर्षीय योजना खतम होने वाली थी।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं बताऊंगा आपको।

श्री सी. पी. जोशी : वह जनता पार्टी के समय में रोलिग प्लान बन चुका था। माननीय भैरोंसिह जी शेखावत, मेरी भी याददास्त ठीक है, मेरी उम्र कम हो सकती है, जनता पार्टी का शासन आ चुका था, जनता पार्टी ने रोलिग प्लान लागू कर दिया था ऐसी स्थिति आज तक नहीं बनी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज दिन तक किसी भी विधान सभा की प्रक्रिया में इस तरह की स्थिति नहीं बनी कि 31 मार्च को छठी पंच वर्षीय योजना समाप्त होने वाली है और 1 अप्रेल से सातवीं पंच वर्षीय योजना प्रारम्भ होने वाली हो। इसलिये परम्पराओं के निर्वहन का सवाल नहीं है। यह ऐतिहासिक स्थिति है। हम सातवीं पंचवर्षीय योजना के आधार पर, जो हमें मेन्डेट मिला है उस मेन्डेट के आधार पर राजस्थान का निर्माण करना चाहते हैं इसलिये जब तक हम प्लानिंग कमीशन की कान्फ्रेन्स नहीं लें तब तक सदन को और राजस्थान की जनता को कुछ नहीं कह सकते। इसलिये माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जिस तरह का यह प्रस्ताव रखा है वह विधिवत् है, कानून सम्मत है, उसको किया जाय।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: मैं भी दो मिनिट कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष माननीय श्री कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला : (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, संसद में और विधान सभाओं में यह परम्परा रही है कि चुनाव के बाद जो बजट सत्र होता है, उसमें वोट आन अकाउन्ट प्रस्तुत किया जाता है। कई बार एक महीने का और कई बार एक महीने से अधिक चार महीने तक का वोट आन अकाउन्ट प्रस्तुत किया जाता हैं। अभी जो वोट आन अकाउन्ट प्रस्तुत किया गया है उसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है वह नियमों में है। आगे भी पहाड़ियाजी का जिक्र करके जो बताया गया उसमें भी एक बार यहां इसी सदन में वक्तव्य के माध्यम से वोट आन अकाउन्ट के बारे में प्रस्ताव रखा गया था। बजट पूरा प्रस्तुत किया गया है। जो बात प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने यहां रखी है वह बहुत तोड़ मरोड़कर रखी है जैसे बजट रखा नहीं गया हो, और केवल मात्र चार महीने का अकाउन्ट पास कराने के लिये बजट रखा गया हो, ऐसी बात नहीं है। पूरे वर्ष का बजट रखा गया है। लेकिन लेखानुदान हम चार महीने का पास कराने के बारे में प्रस्ताव ला रहे हैं। यह बात बिलकुल सही है कि जब सातवी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

होने वाली है और यह एक तरीके से एनुअल प्लान का भी अन्तिम चरण है, ऐसी सूरत में यह जरूरी है कि प्लानिंग कमीशन से विचार विमर्श करने के बाद और केन्द्रीय सरकार से कितने अनुदान राज्य सरकार को मिलेंगे, इन सारी बातों के तय होने के बाद ही सम्पूर्ण रूप से बजट के बारे में विस्तृत जानकारी सदन को दी जा सकती है। इसलिये माननीय नेता महोदय ने जो भी लेखानुदान के बारे में स्टेटमेंट दिया है वह बिलकुल न्याय संगत है, विधि सम्मत है और मैं चाहूंगा कि इसके बारे में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री नत्थीसिंह।

(व्यवधान)

मैंने नाम पुकार लिया है उनका।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में दो बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभी जो मुख्य सचेतक बोल रहे थे। आज की जो कार्य सूची है उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण आय व्ययक यह सदन के सामने आप प्रस्तुत करेंगे। बजट का जो प्रोसीजर है :

"The Annual Financial Statement or the statement of the Estimated Receipts and Expenditure of the State in respect of each financial year (hereinafter refferred to as" the Budget) shall be presented to the House on such day as the Governor may direct."

इसके बाद व्यवस्था यह भी है हमारे नियमों में :

"Presentation of Budget in parts—

Nothing hereinbefore contained shall be deemed to prevent the presentation of the Budget to the House in two or more parts and when such presentation takes place, each part shall be dealt with in accordance with these rules as if it were the Budget"

अभी माननीय सदस्य जो आये हैं वह बोले हैं, उन्होंने वोट आन अकाउन्ट का जो मोशन पढ़ा है, उन्होंने मोशन कहा है।

"A motion for vote-on-account shall state the total sum required and the various amounts needed for each department or item of expenditure which compose that sum shall be stated in the schedule to the motion."

और उसमें है....

"Amendments may be moved for the reduction of the whole grant or for the reduction or omission of the items where of the grant is composed."

मेरी अर्ज यह है कि साफ तौर पर सदन में जो आज पेश किया जाना है वह

(श्री नत्थीसिंह)

तो वार्षिक वित्तीय बजट आपके द्वारा पेश किया जाना है। आप उसमें टैक्सेशन के प्रपोजल्स नहीं रख सकते, पूरी नीति नहीं रख सकते तब भी केवल आपने जो छोटा सा पढ़ दिया है वह वार्षिक वित्तीय विवरण की परिभाषा में नहीं आता, किसी भी हालत में बजट भाषण की परिभाषा में नहीं आता। दो पार्ट में आप रख सकते हैं लेकिन आज तो आप कुछ रख ही नहीं रहे हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, यह हमारे अधिकारों का सवाल है, सदन के अधिकारों का सवाल है, इनकी रक्षा आप करें और माननीय वित्त मंत्री महोदय, जो आजकल मुख्य मंत्री भी हैं, को निर्देश दें कि वे फिर आपसे समय मांगें और पुन: इसको पेश करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय महारावल लक्ष्मण सिंह।

श्री लक्ष्मणसिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की आपत्ति से एक हद तक मेरी सहानुभूति है। लेकिन सरकार को यह अधिकार है कि वोल्ड स्टेटमेंट आफ अकाउण्ट सरकार की तरफ से प्रस्तुत हो, सदन के समक्ष प्रस्तुत हो। सरकार की कमियों और विवशताओं के साथ भी मेरी सहानुभूति है। आज की परिस्थिति में सरकार के पास और कोई दूसरा चारा नहीं है सिवाय इसके कि वोट आन अकाउण्ट मांगे। वोट आन अकाउण्ट मांगने में कोई अनियमितता नहीं है। सरकार का यह अधिकार है और उस अधिकार का प्रयोग सरकार कर रही है। इसमें कोई अजीव और अनोखी और नई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैंने....

श्री अध्यक्ष : दो मिनट सुन लीजिये। आप बोल लीजिये।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि माननीय जोशी जी ने जैसा अभी निवेदन किया कि आज इस प्रकार की ऐतिहासिक परिस्थिति है कि छठी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो रही है और सातवीं पंचवर्षीय योजना शुरू हो रही है, उसका पता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बात यह नहीं है। बात यह है, अध्यक्ष महोदय, कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम साल के अन्दर जो 438 करोड़ रुपये की योजना बनाई थी, कल मेरे प्रश्न का जबाव आया है कि सिर्फ 360 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने खर्च किया है इसलिये उसको छिपाने के लिये सरकार पूरा बजट लेकर जनता के सामने नहीं आई—एक बात, अध्यक्ष महोदय :

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस बिन्दु पर कुछ कहना हो तो कहिये। आप आसन को इस बिन्दु पर एनलाइटन कर सकते हैं तो करिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, इसी पर कह रहा हूं।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह जनरल डिबेट नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, जनरल डिबेट नहीं है।

मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि, यह अवसर पहला नहीं है। वोट आन अकाउन्ट बहुत बार लिये गये। पिछली बार भी जब टाइम था, पांचवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो रही थी छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारुप बन रहा था, उस समय भी छठी पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं बनी थी, पहाड़िया जी का भाषण आया था उसके बाद में छठी पंचवर्षीय योजना परिवर्तित हुई थी और परिवर्तित बजट भाषण में उसका पूरा उल्लेख था, पूरा बजट भाषण पढ़ा गया था।

श्री अध्यक्ष : आपने अपनी बात कह दी, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसलिए, महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि पहली बार सरकार इन परम्पराओं को तोड़ रही है।

श्री अध्यक्ष : विधि मन्त्री जी। माननीय विधि मन्त्री जी। मैंने विधि मन्त्री जी को पुकार लिया है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (विधि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जब अपना स्टेटमेन्ट दिया तब स्पष्ट रूप से यह कहा है कि मैं आय-व्यय का विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका मतलब निश्चित है कि उन्होंने आपके सामने आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत किया है। बजट भाषण किसी भी राज्य सरकार का नीति सम्बन्धी भाषण हुआ करता है। वह क्या करना चाहती है, किस प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहती है, वह एक नीति का विस्तृत ब्यौरा है। आज हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम आज नीति सम्बन्धी विस्तृत बात कहने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि जब तक हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना का और वार्षिक योजना का प्रारुप हमारे सामने नहीं आ जाता तब तक हमको किस प्रकार से टैक्सेशन गैप को पूरा करना होगा, किस तरह से हमारे वित्तीय साधन हमको जुटाने होंगे, यह हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें यह धारणा नहीं है कि उसमें आय-व्यय का विवरण नहीं पेश किया है। हमने पेश किया है और हम यह चाहते हैं कि बजट भाषण जब नीतियों का भाषण होता है तो जब हम आपके पूरे बजट सैशन में सामने आयेंगे तो पूरी नीतियों का भाषण रखेंगे, जो भी हमारे प्रस्ताव हैं वह आपके सामने पेश करेंगे। आज का भाषण तो एक लाइन का भी हो सकता है और दो लाइन का भी भाषण हो सकता है। इसलिए इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी। एक मिनट। श्री सुराणा जी संक्षेप में।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं यह निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री मानिक चन्द सुराणा : बहुत संक्षेप में। बजट स्पीच नीतियों का ब्यौरा है, माननीय विधि मन्त्री जी ने अभी कहा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या 4 महीने के लिए राजस्थान में हम प्लान होली डे मना रहे हैं कि प्लान की छुट्टी है, 4 महीने हम प्लान का कोई काम नहीं करेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्थिति नहीं है। स्थिति यह है कि इस राज्य सरकार ने यह ड्राफ्ट प्लान सातवीं पंचवर्षीय योजना का तैयार किया है, अध्यक्ष महोदय, इनमें एनुअल प्लान भी है 85–86 का, लेकिन इस एनुअल प्लान की बातों को, राज्य सरकार के मंतव्यों को राजस्थान से छिपाने का कोई कारण नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने, लगता ऐसा है कि नौकरशाही की सलाह से, एक बहुत संक्षिप्त भाषण पढ़ दिया। यह बहुत ही इलएडवाइज्ड है जो मुख्य मंत्री जी को मिली है। इन चार महीनों में भी राज्य सरकार निश्चित रूप से किसी न किसी नीति का अनुसरण करेगी। भारत सरकार से राज्य सरकार चाहती है कि राजस्थान नहर को केन्द्रीय योजना बना लिया जाय, मुख्य मंत्री जी ने कल यह कहा कि अकाल से लड़ने के लिए रेगिस्तान के रोकने की योजना को भी केन्द्रीय योजना बना लिया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसमें बताया है कि 1500 करोड़ रुपया हम डेजर्ट को रोकने के लिए खर्च करना चाहते हैं। लेकिन नीतिगत वक्तव्य 4 महीने के लिए भी न देना, मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह बुद्धि-संगत भी नहीं है, यह नीतिसंगत भी नहीं है। राजस्थान की जनता को आज जो सातवीं योजना लागू करना चाहते हैं उसके मंतव्यों को बताना चाहिए था। यदि भारत सरकार हमारे उस मंतव्य से सहमत नहीं होती तो यह विधान सभा मुख्य मंत्री जी का एकमत से समर्थन करती कि भारत सरकार अधिक से अधिक धनराशि राजस्थान के रेगिस्तान से लड़ने के लिए, राजस्थान को केन्द्रीय योजना बनाने के लिए दे। लेकिन ये सारे मंतव्य बजट स्पीच में ही आ सकते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कोई देरी नहीं हुयी है, आज ऐसा समय नहीं है कि 31 मार्च जा रहा है। यह ज्यादा अच्छा होगा राज्य सरकार के लिए कि वह अपना नीतिगत भाषण, जो भी 4 महीने के लिये उनकी नीति है और जो उनका मंतव्य है सातवीं योजना का, उसको सम्पूर्ण रूप से बजट स्पीच के द्वारा वोट ओन एकाउन्ट के साथ में संलग्न करें। इस स्पीच को विदड्रा करें और नया भाषण, नयी नीतियों का निर्देशन कर के निश्चित रूप से इस विधान सभा के सामने पेश करें, मैं यही कहना चाहता हूं

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसा इम्प्रेशन दिया गया इस सदन को कि जैसे वार्षिक वित्तीय विवरण तो रखा ही नहीं गया है।

(व्यवधान)

जो आपने कहा उससे तो यही आभास निकलता था....

(श्री हरिदेव जोशी)

श्री भैरोंसिह शेखावत : सबको जानकारी है।

श्री हरिदेव जोशी : और जैसे कोई स्टेटमेन्ट आफ अकाउन्ट पेश नहीं किया गया अथवा यह नहीं है। मैंने अपने भाषण की शुरूआत में ही, सबसे पहले स्टेटमेन्ट के शुरूआत में कहा कि मैं वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिए राजस्थान राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा के पटल पर रख रहा हूं। उसके मायने यह है। मगर यह बहुत साफ है कि जो स्टेटमेन्ट आफ अकाउन्ट आपके सामने रखा गया है वह गोइंग वर्क्स का ही है। परेशानी क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। वह यह है कि न तो एनुअल प्लान मंजूर हुआ है, न सातवीं पंचवर्षीय योजना मंजूर हुई है। नीति क्या निर्धारित करें? जो नीति निर्धारित होनी चाहिए थी इस राज्य के लिए और जो राज्य के एम्बीशन्स हैं उसको भारत सरकार के समक्ष रखने का जो अवसर आयेगा वह तो एनुअल प्लान को स्वीकार करने अथवा पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का होगा। उसमें राज्य सरकार की अमुक प्रकार की जो योजनाएं हैं वे जब तक स्वीकार नहीं कर ली जायं तब तक यहां पर एक काल्पनिक चीज को विधान सभा के समक्ष रखने का तो कोई अर्थ नहीं होता था। इसलिए फैक्ट्स तो सामने रख दिये गये हैं, भाषण दे दिया गया है, स्टेटमेंट दे दिया गया है। अब रह जाता है सवाल कि स्टेटमेन्ट छोटा था या बड़ा था। सारे फैक्ट्स इसमें रख दिये गये हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि उपयुक्त अवसर पालिसी के बाबत में तभी होगा जब हमें मालूम होवे। हमें यह तो मालूम है नहीं कि सामाजिक कार्यों के अन्दर हमें पैसा कितना मिलेगा, हमें ओन गोइंग वर्क्स के लिये पैसा कितना मिलेगा। जब तक यह वार्षिक योजना स्वीकार न हो तब तक वार्षिक बजट किस रूप में रखा जाय? इसलिए इसको इस रूप में पेश किया गया।

श्री लक्ष्मण सिंह : Don't put the cart before the horse.

It is putting the cart before the horse.

श्री हरिदेव जोशी : यह बिलकुल सही है।

श्री लक्ष्मण सिंह : आप जब तक सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट का मंतव्य नहीं जानते तो आप कैसे आ सकते हैं। जब औपचारिक रूप से बजट आवे तो उसको आप फाड़ दीजिए, आलोचना करिये, जी चाहे जो करिये, अविश्वास का प्रस्ताव लाइये, सब कुछ करिये लेकिन आज सरकार बोल्ड स्टेटमेन्ट आफ अकाउण्ट जो मांग रही है वह नियमों के अनुकूल है और सरकार की विवशता है।

श्री हरिदेव जोशी : इसलिए विरोधी पक्ष के ...

श्री भैरोंसिह शेखावत : जी हां। आप बांसवाड़ा के नहीं हुए, वह डूंगरपुर वाले मदद कर रहे हैं। लेकिन सब बिना समझे कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता महोदय।

माननीय सदस्यगण, अभी सदन में मुख्य मंत्री जी के द्वारा वर्ष 1985–86 के

(श्री अध्यक्ष)

लिए वित्तीय आय व्यय विवरण प्रस्तुत किया गया उस सम्बन्ध में भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय श्री भैरोंसिंहजी के द्वारा ..

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : प्रतिपक्ष के नेता।

श्री अध्यक्ष : नियमानुसार घोषित करने पर। माननीय सदस्यगण, आपत्ति उठायी गयी कि जो विवरण यहां पर प्रस्तुत किया गया है वह बजट भाषण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसमें राज्य सरकार की नीति सम्बन्धी जो बात आनी चाहिए वह इसमें नहीं दी गयी। अन्य माननीय सदस्यों ने भी इस सम्बन्ध में आपत्ति उठायी और सदन की परम्परा की ओर ध्यान दिलाया गया। सत्ता पक्ष की ओर से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और विधिमन्त्री जी ने इसका स्पष्टीकरण दिया। जहां तक मैं मानता हूं लेखानुदान, जो 4 महीने का वोट आन अकाउन्ट मांगा गया है उसका पूरा विवरण सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है। इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की गयी है, कोई बात छिपायी नहीं गयी है। जैसा अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि जो परिस्थितियां हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अनुमान उन्हें अभी नहीं मिल पाये, समय भी इतना नहीं मिल पाया कि जिससे वे राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में आगे क्या नीति निर्धारित करना चाहते हैं उस बारे में कुछ कह सकें और यही कारण रहा है कि वह वोट आन अकाउण्ट चार महीने का ले करके सदन में आए हैं और उस पर उन्होंने अपना एक संक्षेप में विवरण, भाषण के रूप में प्रस्तुत किया है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान, जो यहां पर हवाला दिया गया सन् 1980 का, जब माननीय पहाड़ियाजी मुख्य मंत्री थे उसका कि उस वक्त भी पूरा भाषण दिया गया था। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि यह बात सही नहीं है। उस वक्त भी केवल इतना ही भाषण दिया गया था, जो मैं आप चाहें तो अभी आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य, इतना सा भाषण दिया है जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता हूं। मैं समझता हूं कि वह भाषण, जो अभी भाषण दिया गया है उससे भी छोटा भाषण था और वह है

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण।

'मैं प्रस्ताव करता हूं कि लेखानुदान द्वितीय की सूची के स्तम्भ द्वितीय लेखानुदान की आवश्यक राशि के अन्तर्गत दिखाई गई राशियों से अनधिक जो कुल मिलाकर 1,78,72,04,000 (एक सौ अठहत्तर करोड़ बहत्तर लाख चार हजार रुपये) मात्र होगी, अलग अलग रकमें लेखे में मांग संख्या 1 से 49 के प्रति 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सम्बन्धित सेवायें और प्रयोजन के सम्बन्ध में प्रविष्ट व्यय के प्रति या व्यय करने के लिए राज्यपाल को अनुदित कर दी जावे''

(29 जुलाई, 1980)

इतना सा भाषण है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नहीं है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यह तो केवल वोट आन अकाउण्ट के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा है, स्पीच अलग है। वोट आन अकाउण्ट के लिए उन्होंने डिमांड की है, स्पीच अलग है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं जो आपसे निवेदन कर रहा था .....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, उन्हीं से स्पष्टीकरण ले लिया जावे।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह पूरी किताब है, यह बजट भाषण दिया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण कितना लम्बा हो, कितना भाषण दिया जावे यह बात अलग से है। भाषण में आवश्यक नहीं है........

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, भाषण में यह आवश्यक मैं नहीं मानता कि भाषण हमेशा कोई 30, 35, 40 पेज का हो। 2 पेज, 3 पेज और 4 पेज का भी भाषण हो सकता है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें।

तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जब लेखानुदान आपके सामने पूरे हैं, केवल मुख्य मन्त्री के भाषण पर जो वित्त मन्त्री की हैसियत से अभी आपने दिया उसी पर एक आपत्ति है कि भाषण आपने विस्तार में नहीं दिया, मैं समझता हूं कि यह आपत्ति उचित प्रतीत नहीं होती।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मद वार राशि की सूचना नहीं है इसमें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसलिए मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जो लेखानुदान के लिए वित्तीय विवरण यहां प्रस्तुत किया गया है। उसे लेखानुदान के लिए, आंशिक लेखानुदान के लिए, वोट आन अकाउण्ट के लिए पर्याप्त माना जाना चाहिए। वोट आन अकाउण्ट पर आम तौर पर न केवल विधान सभाओं में वरन् पार्लियामेंट में भी यह प्रैक्टिस रही है कि वोट आन अकाउण्ट पर कोई चर्चा नहीं होती और वह वोट आन अकाउण्ट वैसे ही पास कर लिया जाता है। यह शकधर की जो प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेंट है उसके पेज नम्बर 609 पर साफ दिया है :

"Vote on account is a formal business and as such there is normally no discussion in the House thereon, the idea being simply that government functions should not come to a stand still because of the absence of the vote of the House authorising the expenditure.

तो वह क्लियर है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो आपत्ति उठाई गई है, यह आपत्ति मैं समझता हूं कि उचित आपत्ति नहीं है और

Page No. 226

(18)

(श्री अध्यक्ष)
इस आपत्ति को उठाने को मैं समभता हूं कि माननीय सदस्य ....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है उसमें तो मुझे आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है और मैं उसको चुनौती भी नहीं देना चाहता। लेकिन आपकी व्यवस्था में वोट आन अकाउण्ट और बजट स्पीच इन दोनों को आपने मिक्स-अप कर दिया। पालियामेंट में वोट आन अकाउण्ट पेश किया जाता है वह केवल उस समय किया जाता है जब पूरी बजट स्पीच हो जाये और बजट स्पीच होने के बाद .. ..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा यह निवेदन करना है कि पालियामेंट में जिस प्रकार की व्यवस्था है उस व्यवस्था में बजट पूरा पेश किया जाता है और चूंकि 31 मार्च तक बजट पास नहीं कराया जा सकता है इसलिए वोट आन अकाउण्ट हर साल लिया जाता है। वहां चुनाव का, और बिना चुनाव का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं मानता हूं आपकी बात को लेकिन उसमें यह है कि अपने भी जब बजट स्पीच होगी, बजट पेश होगा तो बजट भाषण तो होगा ही उस पर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बजट भाषण नहीं हुआ, यही तो कमी है।

श्री अध्यक्ष : बजट भाषण तो होगा ही, बजट कैसे पेश होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यही तो निवेदन कर रहा हूं कि पालियामेंट की व्यवस्था का आपने एक उदाहरण दिया...

श्री अध्यक्ष : डिस्कशन्स के लिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: डिस्कशन्स वोट आन अकाउण्ट पर यहां भी नहीं होता और कभी नहीं हुआ। मैं कभी वोट आन अकाउण्ट के मोशन पर डिस्कशन की डिमाण्ड करने वाला नहीं हूं। वोट आन अकाउण्ट तो पालियामेंट में उसी हालत में लिया जाता है कि वहां डिमाण्डस धीरे-धीरे चलती है। पूरा डेढ़ महिना लगता है वोट आन अकाउण्ट को। अब उस स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, बात यह चलती है कि 31 तारीख तक बजट पास नहीं हो सकता इसलिए बजट पर चर्चा होती रहे और जब तक बजट फाइनल रूप से विधान सभा द्वारा या लोक सभा द्वारा पारित नहीं हो, उस समय तक राज्य सरकार को कंसोलिडेटेड फण्ड से खर्च करने का अधिकार दे दिया जावे, यह वोट आन अकाउण्ट केवल इस परपज के लिए होता है। अब वोट अकाउण्ट पर और वोट आन अकाउण्ट के मोशन पर यहां कोई डिबेट हो, इस प्रकार की तो मांग मैं समभता हूं कि सदन के किसी माननीय सदस्य ने नहीं की।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसमें आपको सारे डिटेल्स जो चार महिने के हैं, हर डिपार्टमेंट के डिटेल्स दिए हुए हैं, फिर बात कौनसी छिपी रह जाती है। केवल

(श्री अध्यक्ष)

भाषण में ही तो नहीं बताया यही तो बात छिपी हुई है। बाकी डिटेल सारे दिए हुए हैं। केवल भाषण में ही उनका उल्लेख नहीं किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप रूल्स के आधार पर ही करना चाहें तो ये रूल आपके सामने भी पड़े हैं, मेरे सामने भी पड़े हैं। मुख्य मन्त्री जी को केवल बजट स्पीच देने का अधिकार है, वोट आन अकाउण्ट का इन रूल्स में कोई अधिकार नहीं है। आप बता दीजिए, आपके मुख्य सचेतक बैठे हैं, आप भी बैठे हैं और आपका सेक्रेटेरिएट भी बैठा है।

श्री अध्यक्ष : वोट आन अकाउण्ट 149............

(विराम)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वोट आन अकाउण्ट के मामले में, केवल वोट आन अकाउण्ट रखा जाय इस सम्बन्ध का आपका कोई अधिकार नहीं है। आप बता दीजिए।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय ने रूलिंग दे दी है उसके बाद में अगर कोई वो हैं ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रूलिंग दे दी है हम मान रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : बस तो और क्या होगा। रूलिंग से ही चलेगा हाउस तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रूलिंग से चलेगा, बिल्कुल सही है लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय इतने उदार हैं कि रूलिंग परिवर्तन भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं इसमें परिवर्तन करने वाला नहीं हूं, माननीय सदस्य गण, चर्चा समाप्त की जाती है।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से एक सैकिंड।

स्टेटमेंट आफ अकाउन्ट दो लाइन का पर्याप्त है। सरकार अगर यहां आती है तो सरकार को यह अधिकार है दो लाइन के स्टेटमेंट आफ अकाउन्ट को प्रस्तुत करने का। विपक्ष का अधिकार है उसके ऊपर आलोचना करने का। लेकिन सरकार, वित्त मन्त्री या मुख्य मन्त्री महोदय के द्वारा यह स्टेटमेंट आफ अकाउण्ट जो सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है वह अनियमित नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है, उचित है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय मुख्य मन्त्री जी।

श्री मानिक चन्द सुराणा : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मानिकचन्द सुराणा : व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर!

आर्डर।

श्री बुलाकीदास कल्ला : रखा ही नहीं है, व्यवस्था का प्रश्न किस बात का ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी विपक्ष के नेता ने जो बात कही कि वोट आन अकाउन्ट पर चर्चा नहीं होगी, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अभी इस बात का सवाल नहीं है। अभी तो प्रस्तुत हुआ है। आज के समय तो यह बिन्दू उठा लिया था, इस पर चर्चा हुई है। माननीय सदस्य अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, वक्त पर जब आप कहेंगे ....

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप पाइन्ट आफ आर्डर डिस्पोज आफ करेंगे या बगैर सुने ही डिस्पोज आफ कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : आपने पाइन्ट आफ आर्डर बता दिया ना, माननीय सदस्य। आपने पाइन्ट आफ आर्डर बता दिया।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आर्डर, आर्डर प्लीज।

आपका पाइन्ट आफ आर्डर, जहां तक मैं समझ पाया यही है कि वोट आन अकाउन्ट पर डिस्कशन होना चाहिए,' बिना डिस्कशन के वोट आन अकाउन्ट पास हो, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। यही आपका पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं आपका ध्यान रूल 140 की धारा 3 की तरफ दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : इसके लिए मैं, माननीय सदस्य, यही निवेदन कर रहा हूं ....

श्री मानिकचन्द सुराना : कि इस पर डिस्कशन होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि ....

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, इतनी क्या जल्दी है ? आप सुनेंगे भी नहीं और उसको बिना सुने डिस्पोज आफ कर दिया।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया स्थान ग्रहण करें। मेरी बात पर कोई आपत्ति हो तो फिर कहें।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस वक्त तो केवल इसका उपःस्थापन किया है। उपःस्थापन के समय आम तौर पर कोई चर्चा नहीं होती। केवल यह चर्चा उठी है कि यह उपःस्थापन ठीक प्रकार से नहीं हुआ इस पाइन्ट, जिसको मैंने अलाऊ किया, पर मैंने व्यवस्था दी है। आगे जब वोट आन अकाउण्ट आये आपके सामने उस वक्त आप जो बिन्दू उठाने हैं वह उठा सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, आप एक मिनिट बात तो सुनिये। इतनी भी जल्दी नहीं है कि कोई ट्रेन हम सब लोगों की छूट रही है। मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि आपने शकधर का जिक्र किया। आपने पार्लियामेंट्री-प्रेक्टिसेज में शकधर का जिक्र करके कहा कि इस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैं यह निवेदन कर रहा हूं ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री मानिकचन्द सुराना : मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि वोट आन अकाउण्ट का पूरा प्रोसीजर 150 में दिया हुआ है । उस पूरे प्रोसीजर में डिस्कशन की पूरी छूट है । जनरल डिस्कशन की छूट है । इस वोट आन अकाउण्ट पर भी चर्चा निश्चित रूप से की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : जिस वक्त पास होगा, जिस वक्त पास करने की स्थिति आएगी, आपका एतराज होगा मैं सुनूंगा । आर्डर प्लीज । अभी कोई स्थिति नहीं है । अभी मान लीजिये, माननीय भैरोंसिहजी यह बिन्दू नहीं उठाते तो इस पर चर्चा होती ही नहीं अभी ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

शासकीय वक्तव्य

बीकानेर के पुलिस अधिक्षक श्री रोहिताश्व कुमार द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी की पत्नी के साथ तथाकथित दुर्व्यवहार ।

माननीय सदस्यों को जैसा कि ज्ञात है कि सवेरे सदन में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सदन की राय से यह बात कही थी कि इसके पश्चात् एक स्टेटमेंट उनको देना है । मैं माननीय मुख्य मन्त्री से आग्रह करूंगा कि वे अपना स्टेटमेंट प्रस्तुत करें ।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के पुलिस प्राधिकारियों को यह सूचना मिलने पर कि बीकानेर के पुलिस अधीक्षक ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की पत्नी से दिनांक 23-3-1985 को दुर्व्यवहार किया है, दोनों अधिकारियों को जयपुर आकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिस पर दोनों ही अधिकारी कल दिनांक 25-3-85 को जयपुर आये और उच्च अधिकारियों द्वारा दोनों को सुना गया । श्री रोहिताश कुमार पुलिस अधीक्षक, बीकानेर के विरुद्ध विभागीय जांच करने का निर्णय किया गया है वह तत्काल ही महानिरीक्षक पुलिस के स्तर के अधिकारी को सुपुर्द कर दी गई है और वह शीघ्रातिशीघ्र जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे । चूंकि पुलिस अधीक्षक, बीकानेर के विरुद्ध कार्यवाही के आदेश कर दिये गये हैं अत: उनका वहां रहना उचित नहीं मानते हुए उनके स्थानान्तरण के आदेश भी जारी किये जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं बीकानेर से कल ही आया हूं·······

श्री अध्यक्ष : आपको मौका दूंगा । माननीय यदुनाथ सिंह ।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख है और खेद है कि इतनी बड़ी घटना हो जाय, पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी की पत्नी के साथ ऐसी कुचेष्टा की जाय । आपने मुख्य मन्त्री जी कहा था कि मैं संवेदनशील राज दूंगा, संवेदनशील व्यवहार होगा मेरे राज का । लेकिन यह संवेदनशील व्यवहार की श्रेणी में नहीं आता । अध्यक्ष महोदय, आपने कहा स्टेटमेंट में कि उसके विरुद्ध विभागीय कार्य-

(श्री यदुनाथ सिंह)

वाही की जा रही है। दूसरा कहा कि उसका स्थानांतरण कर दिया गया है, किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, अब यह प्राइमाफेसी केस दिखाई दे रहा है पहली जांच से तो उसके विरुद्ध क्यों नहीं बलात्कार की चेष्टा का मुकदमा दर्ज करती सरकार। सरकार की जिम्मेदारी है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे अधिकारी का पिछला चरित्र ज्यादा बखान करने की आवश्यकता नहीं समझता। जहां जहां यह अधिकारी रहा इस तरह के कारनामों के लिए मशहूर रहा। ऐसा पुलिस अधिकारी इस पुलिस विभाग के ऊपर एक कलंक है, राज्य सरकार के ऊपर एक कलंक है। ऐसा अधिकारी राज्य सरकार के सामने आये, सस्पेण्ड कोई सजा नहीं है, ऐसे अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाय। उसको गिरफ्तार किया जाय, प्रोसीक्यूशन किया जाय और उसको किसी सूरत में राजस्थान पुलिस में नहीं रखा जाय। अध्यक्ष महोदय, भरतपुर यह रहा, जहां जहां रहा इस तरह के कारनामों के लिए मशहूर रहा। आपने सीधी-सादी लाइनों का बयान पढ़ दिया, उच्च अधिकारियों ने उनको सुना। क्यों नहीं उस समय मुकदमा दर्ज कराया ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिनका स्थगन प्रस्ताव है पहले उनको इजाजत दूंगा।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां पर राज्य स्तरीय अधिकारी पुलिस में रिवोल्ट करने वाले हैं। उसके खिलाफ अगर कठोर कार्यवाहीं नहीं की गई तो पुलिस में बहुत बड़ा विद्रोह होने की संभावना है। मेरे पास कल दिन भर टेलीफोन आये, मैंने रात को माननीय डी. जी. साहब से बात करने की कोशिश की कि आया यह क्या काण्ड है लेकिन डी. जी. साहब पूरे 46 मिनट तक बाथरूम से निकले नहीं। इतना मेरे पास समय नहीं था। जब रात को 1.40 बजे कहीं किसी पुलिस अधिकारी से संपर्क नहीं हो पाया तो मैं यहां पर स्थगन प्रस्ताव रखने आया। अध्यक्ष महोदय, यह इतने से दण्ड से काम चलने वाला नहीं है। मुख्य मंत्रीजी आप कितने संवेदनशील हैं इन अधिकारी के लिए और इस अबला के लिये ? उसका नाम आज घसीट लिया गया, अखबारों में छप गया, उसकी क्या इज्जत रहेगी ? उसको क्या देखा जाएगा ? तो यह सजा कि आपने उसके खिलाफ विभागीय जांच कर लेंगे, क्यों ? दूसरा आदमी करता तो क्या उसके खिलाफ विभागीय जांच करते या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते ? मेरा सीधा प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उस अधिकारी को तुरन्त गिरफ्तार किया जाय, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाय और केन्द्र सरकार से राज्य सरकार कहे कि ऐसे अधिकारी को हम आई. पी. एस. सेवा में रखने को कतई तैयार नहीं हैं ? ऐसे अधिकारी को पुलिस सेवा से अलग किया जाय तभी पुलिस की जो बदनामी हो रही है और जो इस तरह के काण्ड हो रहे हैं उनसे पुलिस की छवि सुधरने की उम्मीद है। मुख्य मंत्रीजी, आपके मुंह से जो बात निकलती है वह दिखाई भी देनी चाहिए कि संवेदनशील हैं आप ऐसे मामले में। यह भी आपकी परीक्षा की घड़ी आज सामने आ गई।

श्री अध्यक्ष : कुमारी पुष्पा जैन।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय,

(श्री देवीसिंह भाटी)

मैंने नियम 295 के अन्तर्गत नोटिस दिया है।

सुश्री अध्यक्ष : वह मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैं आपको मौका दूंगा, बैठिए।

श्री पुष्पा जैन (पाली) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मुख्य मंत्रीजी इस बात का अफसोस है कि आज सुबह आपने अज्ञानता प्रकट की कि आपको इस केस के मुतल्लिक ज्ञान नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। जबकि यह सैशन फ्लोर पर है ऐसी सूरत में 23 तारीख को एक छोटे–मोटे आदमी ने नहीं, एक जिले के एस. पी. ने अपने मातहत अफसर की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, उससे बदतमीजी की, इतना बड़ा सनसना देने वाला केस हुआ जिसमें आपने दोनों अधिकारियों को जयपुर बुलाया, जिसमें एडीशनल एस.पी.ने लिखित में रिपोर्ट दी जिससे काग्नीजेबल आफेन्स बनता था बावजूद इसके आपने इस सदन में यह कहा कि आपको इस केस के मुतल्लिक उस समय मालूम पड़ा जब श्री यदुनाथ सिंह जी ने और मैंने आपको स्थगन प्रस्ताव के जरिये सूचना दी। इससे बड़ी शर्म की बात इस सदन के लिए और राजस्थान की जनता के लिए कुछ हो नहीं सकती। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से जानकारी लेना चाहूंगी, एस. पी. की जगह कोई साधारण आदमी होता और इस तरह की बेहूदी हरकत किसी महिला के साथ कर दी जाती तो क्या उसको बुलाकर आप उसकी ताजपोशी करते ? आफिस में क्यों नहीं उसकी वर्दी उतरवा कर उसके तमगे वापस लेकर कार्यवाही की गई ? क्यों नहीं उसके खिलाफ केस दर्ज करके इन्वेस्टीगेशन किया गया ? क्या जरूरत थी उसे यहां बुलाने की और ताजपोशी करने की ? मुख्य मंत्रीजी जिस प्रकार की मेरी जानकारी है, मुझे मालूम है, आपने एक बार इस अफसर का तबादला किया। मालूम नहीं किस प्रभाव में आकर आपने उस तबादले को कैंसिल कर दिया। यह आपका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन यह आपका व्यक्तिगत मामला नहीं है कि किसी मुल्जिम को आप सुरक्षा दें। बजाय इसके कि जिसकी बीवी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है उनके बयान लिए जाते, जो लोग आपके यहां पर आये थे, मौजूदा लोग, उनके बयान लिए जाते, तफ्तीश की जाती, उसके, खिलाफ केस दर्ज किया जाता। आपने उस बीवी के पति को यहां बुला लिया जानकारी लेने के लिए। मुल्जिम को यहां बुला लिया जानकारी लेने के लिए। मैं जानना चाहती हूं, अगर इस तरह से अधिकारियों को आप सुरक्षा देंगे तो राज्य के मामूली इंसानों का क्या हश्र होगा ? क्या होगा इस राज्य का ? इससे दूसरे लोगों को बढ़ावा मिलेगा, जुर्म करने का। क्या आप लाइसेंस देना चाहते हैं जुर्म करने के। मैं याद दिलाना चाहती हूं, मुख्य मंत्री जी, 1980 के बाद राजस्थान में जो जुर्म, ज्यादतियां हुई हैं उसका कारण यह है कि सरकार ने हर मौके पर पुलिस को बचाया है। मैं याद दिलाना चाहती हूं, कोटपूतली का वह केस और घना अभयारण्य का केस। मैं याद दिलाना चाहती हूं, डीग का केस। अगर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अब तक कार्यवाही करते तो आज जुर्रत नहीं होती पुलिस अधिकारी की कि एक मातहत अधिकारी की पत्नी के साथ उसके घर में घुस कर इस

(24)

(सुश्री पुष्पा जैन)

तरह का दुर्व्यवहार करे। इस सदन को मांग करनी चाहिए, मुख्य मंत्रीजी, आपसे मांग करती हूं इस सदन के माध्यम से कि उस पुलिस अधिकारी का सस्पेंशन तो बहुत मामूली सजा है, आफिशियल इन्क्वायरी के बाद टर्मिनेट कर दिया जाय। कोई जरूरत नहीं ऐसे रक्षक लोगों की जो अपने घर में भक्षक हो गये। जो मातहत पुलिस अधिकारी की पत्नी के भक्षक बन गये वह आज मामूली औरतों की क्या रक्षा करेंगे ? उनसे क्या उम्मीद करते हैं ? किसलिए जिले में रखा हुआ है ? × × × ऐसे भक्षक लोग हमारी रक्षा करना चाहते हैं तो मैं समझती हूं कि इस राज्य को कोई जरूरत नहीं, पुलिस की कोई जरूरत नहीं, अधिकारियों की कोई जरूरत नहीं। ऐसे मुख्य मंत्री और ऐसी सरकार की कोई जरूरत नहीं जो इस राज्य की जनता की रक्षा नहीं कर सके। क्या जरूरत है फिर ? मैं मांग करती हूं, अगर आपमें जरा भी विवेक है, अगर आपमें वास्तव में राजस्थान की जनता के प्रति बोध है, अगर आप यहां की महिलाओं के हिमायती हैं तो इस पुलिस अधिकारी के खिलाफ ऐसी सख्त कार्यवाही कीजिए कि भविष्य में पुलिस अधिकारी तो क्या किसी मामूली व्यक्ति की भी जुर्रत नहीं हो फिर वह किसी औरत की तरफ आंख उठा कर देखे।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी, संक्षेप में।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो इनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ूंगा जिससे पूरे सदन को पता लगे और राज्य सरकार को पता लगे कि बीकानेर में इन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारी की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया है। यह पहली घटना नहीं है इससे पहले भी इन्होंने चित्तौड़गढ़ में एक मजिस्ट्रेट की पत्नी के साथ इसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया था। उस वक्त लोगों ने ऐसा प्रताड़ित किया कि इसने पैर पकड़ कर माफी मांगी। यही नहीं, भरतपुर में एक टीचर के साथ इसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया। अध्यक्ष महोदय, इस पर भी मुख्य मंत्रीजी यह कहते हैं कि हम इसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही करेंगे। क्या आवश्यकता है विभागीय कार्यवाही की। जब यहां मुसतगीस स्वयं आयी हुई है उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया और राज्य सरकार को सूचित कर दिया तो क्यों नहीं इसके खिलाफ मुकदमा किया जाता 376 का ? अध्यक्ष महोदय, यह एस. पी. बीकानेर में जब आया है तब से इस प्रकार की कई वारदातें कर चुका है। बीकानेर की एक वकील, जो बार रूम में रहती थी, इसने ढोला मारू में बुलवाया। मिस अरोड़ा के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और बाद में माफी मांगी, इसका मैं गवाह हूं। लोगों ने आकर इस प्रकार की मुझे सूचना दी। अगर इस प्रकार की घटना, वारदात करते हैं, अगर आप ऐसे एस. पी. से ··

(व्यवधान)

आप लोगों के भी मां-बहिनें हैं, आप भी सोचो इस बात को।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। माननीय भाटी जी। आर्डर प्लीज।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर में यह एस. पी. कई वारदातें कर चुका है। बीकानेर में, उस अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता, जो महिला अधिकारी नियुक्त थी उसके साथ इन्होंने छेड़खानी की तो उसी वक्त उस महिला, जो वीर थी, ने थप्पड़ मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। यह ऐसी कई वारदातें कर चुका है। पहले तो सीना तानते हैं, आंखें दिखाते हैं और उसके बाद में पैर पकड़ते हैं, यह हमेशा इनकी पॉलिसी रही है। आप बीकानेर में किसी भी साधारण नागरिक से पूछ लें, मैं यह कहता हूं कि आज यह जो पूर्व के मंत्री बैठे हैं श्री बी०डी० कल्ला जी, उनके खिलाफ इन्होंने जगह-जगह ऐसी गन्दी बातें कही हैं, गालियां निकाली हैं, इसका मैं गवाह हूं। मेरे सामने ऐसी गन्दी बातें कही गयी हैं। यह किसी के साथ भी सद्व्यवहार नहीं करते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : यह किसी के साथ सद्-व्यवहार नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा अधिकारी आज के दिन दण्डित नहीं किया जाता है तो आम जनता कतई आशा नहीं रखेगी कि पुलिस हमारी सुरक्षा करेगी। औरतों की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करते हैं उसके बारे में राज्य सरकार कभी चिन्तित होगी ? राज्य सरकार मामूली बात कह कर इसको टालना चाहती है। क्या ट्रान्सफर कोई सजा है ? क्या होता है ट्रान्सफर से ? इनके खिलाफ 376 का केस रजिस्टर करें। इनको टर्मिनेट किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, बीकानेर से तो ट्रान्सफर हो गया, अगर यह कहीं कोटा चले गये, उदयपुर चले गये तो फिर ऐसी वारदातें होंगी। अध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रकार के आदमी को राज्य सेवा में रखा जाता है तो कैसे आम आदमी को यह महसूस होगा कि हमारी सुनवाई सरकार करके सही सुरक्षा कर पायेगी। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री को यह कहना चाहता हूं कि ऐसे निकम्मे, भ्रष्ट अधिकारी को अगर राज्य सेवा में रखा जाता है तो राजस्थान का कोई भी नागरिक आपके बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, यह नहीं कहेगा कि सही आदमी हैं वह यही कहेगा कि यह जो मुख्य मंत्री के पद पर आते हैं, राज्य के अधिकारियों को प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं और आम जनता की परवाह कतई नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इनको तुरन्त सस्पेण्ड किया जाये। इनके खिलाफ केस रजिस्टर होना चाहिए, नियमानुसार केस रजिस्टर होना चाहिए। नहीं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसके पूर्व भी ऐसे अधिकारियों ने जो हरकतें की हैं उनके साथ जनता ने क्या व्यवहार किया है, आप तो उनको सस्पेण्ड बाद में करेंगे, जनता × × × वहीं जिन्दा खत्म कर देगी, यह मैं आपको कह दूं।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह। संक्षेप में, माननीय सदस्य।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : मैं सबसे पहले तो आभारी हूँ कि उन्होंने इस पर आज स्टेटमेन्ट दिया ...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य। फैक्ट को दोहरायें नहीं, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : बिल्कुल नयी बात कहूँगा एकदम।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी अपने स्टेटमेन्ट में यह घोषणा की कि हम विभागीय जांच कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह पूछना चाहूँगा, जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि वे पहले से ऐसे मामलों में लिप्त हैं। वे केवल छेड़छाड़ तक ही सीमित नहीं हैं, तीन तरह के अपराधों में वे लिप्त हैं, छेड़छाड़ में वे लिप्त रहे, चीटिंग में वे लिप्त हुए, अन नेचुरल आफेन्स में वे लिप्त रहे। जब वे प्रोवेशन पीरियड में थे, अध्यक्ष महोदय, उस समय उनका प्रोबेशन पीरियड बढ़ाया गया, इन्टेग्रेटी का सर्टिफीकेट जो दिया जाता है वह उनका रोक लिया गया। उसके बाद जब वे सी. ओ. बन कर करणपुर गये तब करणपुर में उन्होंने इस तरह की छेड़छाड़ की। उन्होंने वहां चीटिंग की, एक पुस्तक छपायी। उन्होंने हरिजन छात्रावास बनवाने के लिए पैसा हड़प लिया और उस पैसे को खा गये। वहां पर एक महिला को लेकर जीप से जा रहे थे उसका एक्सीडेंट हुआ और उसमें पता लगा कि यह व्यक्ति क्या क्या कर रहा है। उसके बाद वहाँ से ट्रान्सफर किया गया। वहां से ट्रान्सफर होकर अजमेर गये, अजमेर में इसी तरह की वारदातें की वहाँ से टौंक गये, टौंक के अन्दर महिलाओं ने उस व्यक्ति के खिलाफ एक जुलूस निकाला और उन महिलाओं ने कहा कि हमारी इज्जत खतरे में है इसलिए इस व्यक्ति को यहां से हटाया जाय। इसलिए फिर उसका तबादला हुआ। उसके बाद जैसलमेर गया, जैसलमेर में इस तरह की हरकतें की और वहां से चित्तौड़गढ़ भेजा गया। माननीय सदस्य कह रहे थे कि एस. डी. एम. की पत्नी के साथ छेड़छाड़ की। उनके खिलाफ प्राइवेट इस्तगासा दाखिल हुआ जो आज तक चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि उसके बाद 1977 में माननीय हरिदेवजी जिस समय चीफ मिनिस्टर थे उनसे टिकट मांगा था पार्लियामेंट का इस व्यक्ति ने। उस व्यक्ति की पिछली हिस्ट्री यह है। इतना ही नहीं, जब वे भरतपुर में गये तो वहां पर उसने सी. एम. एच. ओ. को बुलाया।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : संक्षेप में ही कह रहा हूं। सी. एम. एच. ओ. जौहरी को बुलाया। उनको कहा, अध्यक्ष महोदय, नाम नहीं लूंगा, सौरी। लेकिन वहां के सी.एम.एच. ओ को बुला करके कहा कि मेरे पास रोज नर्स भेजो नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे पुलिस अधिकारी का आपने केवल तबादला किया, यह तबादले की कहानी मैंने आपको बतायी कि किस तरह से कहां कहां पर गये, कहां--कहां इन्होंने क्या--क्या घटनायें की हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, यही कहना चाहूंगा माननीय मुख्य मन्त्रीजी को आपके माध्यम से कि तबादला कोई इलाज नहीं है, विभागीय जांच कोई इलाज नहीं है। विभाग में कुछ लोग आई. पी. एस. आफिसर हैं और

(श्री नाथूसिंह)

वे ग्राई.पी.एस. ग्राफिसर उनको बचायेंगे। मुख्य मन्त्रीजी इस मामले को गम्भीरता को समझें। मैं निवेदन कर रहा हूं, शायद ग्रापकी जानकारी में हो या नहीं हो, ग्राप मुख्य मन्त्री हैं राजस्थान के, लेकिन मेरी जानकारी में कल ग्रार. पी. एस. ग्राफिसर्स एसोसियेशन की मीटिंग हो रही है। ग्रौर उस मीटिंग में कहीं कोई भड़क नहीं जाये। मैं कहना चाहता हूं, ग्रध्यक्ष महोदय, छोटे मोटे कॉस्टेबल होते ग्रौर ऐसी गलतियां कर लेते तो क्या उसके बारे में मामला दर्ज करके उसके खिलाफ चालान पेश नहीं करते ? ग्राडिनरी ग्रादमी ऐसा काण्ड करता तो क्या उसका मामला दर्ज कर चालान पेश नहीं करते ? He may be so high but the law is above all. माननीय मुख्य मन्त्रीजी, यह ध्यान में रखिये वह कितना ही बड़ा व्यक्ति होगा, कानून उससे बड़ा है।

श्री ग्रध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री नाथूसिंह : उस कानून के ग्रनुसार, ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी को उनके खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए, तुरन्त उनको सस्पेण्ड करना चाहिए मामला दर्ज करायें ग्रौर प्रोसीक्यूट कीजिए, उनको गिरफ्तार कीजिये, उनके खिलाफ चालान पेश कीजिये वरना जब तक ग्राप चालान पेश नहीं करेंगे तब तक विभागीय जांच में कुछ नहीं होना जाना। ग्राप इस बात को जानते हैं कि ग्राज ग्राई. ए. एस. ग्रौर ग्राई. पी. एस. ग्राफिसर्स की ग्रलग-ग्रलग लॉबीज बनी हुई हैं। वे लोग समाज से ग्रपने ग्रापको ग्रलग समझते हैं ग्रौर ग्रगर एक व्यक्ति पर कोई ग्रापत्ति ग्राती है तो XXX उस व्यक्ति को बचाने में लग जाती है। ग्रध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह महिला विभागीय जांच करायेगी ? क्या ग्राई. जी. के सामने जाकर, डी. ग्राई. जी. के सामने जाकर एक ग्रार. पी. एस. की पत्नी या एक ग्राई. पी. एस. की पत्नी शिकायत करेगी, यह कहेगी कि उसने मुझे छेड़ा है। मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मन्त्रीजी, ग्राप बहुत ग्रच्छे ग्रनुभवी व्यक्ति हैं ग्रौर हम ग्राशा कर रहे हैं........

श्री ग्रध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री नाथूसिंह : इसी के ग्राधार पर ग्रापको इस कुर्सी पर बैठाया गया है। सारे लोग ग्रापसे ग्राशा कर रहे हैं कि न्याय करेंगे, जनता के साथ। मैं पूछना चाहता हूं, ग्राप ग्रपने दिल पर हाथ रख कर कह दें कि विभागीय जांच इस मामले की सही हो पायेगी। ग्रध्यक्ष महोदय, वह एस. पी. मुख्य मन्त्री पर दबाव डालेगा, ग्राई. जी., डी.ग्राई.जी. जो विभागीय जांच करेंगे उन पर दबाव डालेगा। वह शिड्यूल्ड कास्ट्स के एम. एल. ए. की मीटिंग करायेगा, वह शिड्यूल्ड कास्ट्स के ग्राफिसर्स की मीटिंग करायेगा........

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : ग्रौर बचाने के लिए, ग्रध्यक्ष महोयय, बचाने के लिए...........

XXX शब्द माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित किया गया।

एक माननीय सदस्य : सदन के अन्दर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। मैं सबको मौका दूंगा।

श्री नाथूसिंह : वह इस तरह के काण्ड करता रहेगा इसलिए, माननीय मुख्य मन्त्री जी, उसका चालान करवा कर केस दर्ज करवायें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक(सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस हाउस को याद दिलाना चाहती हूँ कि लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व इस तरह का बलात्कार काण्ड बीकानेर में हुआ था और माननीय सदस्य ने वह इश्यू उठाया था, उन्होंने एक तख्ती गले में लटकायी थी उस पर यह लिखा था कि मुख्य मन्त्री शिवचरण की पुत्री के साथ बलात्कार।

जो पूरी स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है, हर लड़की, हर बेटी उसकी बेटी होती है। मगर माननीय सदस्यों की भावना ऐसी भड़की थी कि फिर हाउस में दो दिन तक बवन्डर रहा। यह लेडी भी तो किसी की बीवी, बेटी, बहिन और सम्भवत: किसी की मां भी होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी सिर्फ विभागीय कार्यवाही की बात करते हैं और वह भी हेवीचुअल अफेण्डर के खिलाफ, एक मेनीयक के विरुद्ध जिसकी सारी घटनायें मेनीयक बताती हैं। एक मेनीयक को नार्मल व्यक्ति तो नहीं कहा जा सकता है। होना तो यह चाहिए कि उसको नौकरी से निकाल बाहर करने। उसको गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी विभागीय कार्यवाही की बात कर रहे हैं, अगर यह डायरेक्शन आपका है तो रेप को तो आप पुलिस के कण्डेक्ट रूल्स में क्वालिफिकेशन ऐड करा दीजिए ताकि फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी और जनता उनको चौराहेपर×××भुगतेगीमैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि-:

The minimum this criminal should get is termination from the service and behind the bar,

श्री अध्यक्ष : श्री शोपत सिंह।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सूचना देना चाहता हूँ। कल जिस अफसर की पत्नी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की गयी है उसको यहां जयपुर में बड़े आफिसर डराने और धमकाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वह रिपोर्ट वापस ले लें। वह आदमी मुख्य मन्त्री सचिवालय का है।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : जब यह घटना अखबारों में पढ़ी और सुबह मुख्य मन्त्री ने कहा कि मैं शाम को वक्तव्य दूंगा........

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(29)

श्री शोपत सिंह : तो हम सोच रहे थे कि हमारे मुख्य मन्त्री आज जो स्टेटमेंट शाम को देने जा रहे हैं उसमें यह जरूर कहेंगे कि हमने उस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। मैं यह सोच रहा था, अन्दाजा लगा रहा था। क्योंकि हमारे मुख्य मन्त्रीजी बड़ी गम्भीर मुद्रा में बैठे हुए थे। इसलिए मैं ऐसा अनुभव कर रहा था कि उनको बहुत दुख हुआ हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा लम्बी चौड़ी बात तो मेरे साथियों ने कह दी है मैं उस पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता हूं कि उन्होंने पीछे क्या किया, क्या नहीं किया, वह सवाल छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिये। मगर जो अब किया है उससे आपको हंसी आ रही है। प्रसन्नता हो रही है........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहें।

श्री शोपत सिंह : यह हमारे लिए खतरनाक बात है कि इस तरह गम्भीर मामले में जन-प्रतिनिधियों की यह हालत हो, उसको भी गम्भीरता से न लें। कोई गैरत नाम की चीज मर गयी है, ऐसा लगता है। आखिरकार किसलिए बैठे हैं आप ? आपको भेजा किसलिए है ? आखिरकार बैठे क्यों हैं ?

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा है। बड़े अन्दाज से खड़े हुए हमारे मुख्य मन्त्रीजी उनके पास स्टेटमेंट भी नहीं था, दो लाईन का स्टेटमेंट भी नहीं था, अधिकारी कक्ष से लाये और पढ़ना शुरू कर दिया।

(व्यवधान)

मैं देख रहा था, कोई अन्धा नहीं था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं।

श्री शोपत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्रीजी से अपील करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके उन ईमानदार आदमियों को बचाइये। आपको इस मुल्जिम को, मैं मुल्जिम ही कहूंगा उसको एस. पी. नहीं कहूंगा, वह मुल्जिम है, गिरफ्तार करना चाहिए था उसको गिरफ्तार नहीं किया उसके नतीजे स्टेट के अन्दर होंगे। जो ईमानदार हैं उनको भुगतना पड़ेगा, वह नतीजे ठीक नहीं होंगे मैं जानता हूं कि यह सारी बातें हम इस हाउस के बाहर चले जायेंगे और भूल जायेंगे। आप समझते हैं इसके दूरगामी परिणाम नहीं होंगे ? पुलिस और प्रशासन में जो ईमानदार आदमी हैं उनके लिये शर्मनाक बात होगी। जो ईमानदार हैं उनके खिलाफ होगी। कोई बहुत लम्बी चौड़ी बात नहीं, आप जेलों में रहे हैं, आजादी की लड़ाई में थे। तो इसलिये थे क्या कि आपके शासन में यह होता रहे

(श्री शोपत सिंह)

और आप कुर्सी बचाने के लिये बैठे रहें ? कौन सी आफत आ रही थी, गिरफ्तार करने में कौन सी अड़चन आ रही थी ? आपने उनको टालकर करने का इरादा बना लिया है। आप लोग क्या तमाशा बना रहे हैं ? आप किस तरह की हरकत कर रहे हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि कानून से ऊपर भी एक कानून है, जिन लोगों ने आपको, हमको चुनकर भेजा है वे माफ नहीं करेंगे। आपको यह सारा भुगतना होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको यह मालूम है कि उनका कुछ नहीं होने वाला है। रोहिताश का कुछ होने वाला नहीं है। न वह लड़की जायेगी, न आपके ए. एस. पी. की ताकत है कि आपके सारे एडमिनिस्ट्रेशन की, आपकी बदनामी करे। आपका रेकार्ड नहीं बनेगा। अदालत में तो यह तब जायेगा जब रेकार्ड में होगा। रिकार्ड में नहीं होगा तो अदालत में नहीं जायेगा। रिकार्ड नहीं जायेगा तो करेंगे क्या ? आपने बहाना बनाया, अभी राजा मानसिंह के काण्ड में आपने कहा कि हमारी महारानी साहिबा ने दरख्वास्त दे दी कि इसकी जाँच सी. बी. आई. से करवायी जाय, हमारे हाथ बंध गये। अब तो आपके हाथ खुले हुए हैं, अब आप क्या कर रहे हो ? उस समय तो आपके हाथ बंध गये थे तो अब तो खुले हुए हैं, अब कुछ दिखाओ। गिरफ्तार कर लो।

श्री अध्यक्ष : श्री माणिकचन्द सुराणा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : मैंने इनका नाम पुकारा है। आप बैठें।

श्री माणिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने की बात कही है, यह इस बात को साबित करता है कि राजस्थान की सरकार प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि जो शिकायत एडिशनल एस. पी. ने की है वह प्रथम दृष्टया सही है। अगर सही नहीं है तो विभागीय जांच की आवश्यकता क्या है इससे यह स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया सरकार संतुष्ट है। तो अध्यक्ष महोदय, अब तो बहुत बड़ा काग्नीजेबल आफेन्स है यह। उसकी रिपोर्ट है। काग्नीजेबल आफेन्स की रिपोर्ट आई. जी. के पास है डी. आई. जी. के पास है। मुख्य मन्त्री के पास है। तो कौन सी कार्यवाही करनी पड़ेगी इस एफ.आई.आर. को दर्ज करवाने के लिये ? मैं मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आर्टिकल 14 में यह है .

"The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India,"

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि राज्य सरकार के कर्मचारी हैं आपको एडिशनल एस. पी. है इसलिए आपकी मंशा है कि आप एफ. आई. आर. दर्ज नहीं करें। कोई दूसरा साधारण मुल्जिम नागरिक होता तो आप एफ. आई. आर. दर्ज कर लेते ?

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री माणिकचन्द सुराणा : मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा में जब इतनी बड़ी चर्चा हुयी है इस विधान सभा की भी कुछ शान तो रखें। तत्काल रिपोर्ट दर्ज करिए उसको तत्काल सस्पेण्ड करिये। आउटरेजिंग दी मोडेस्टी आफ वूमेन का प्रश्न है, महिलाओं की इज्जत पर जो हाथ डाल रहे हैं, चाहे वह उच्च अधिकारी हो या और कोई हो, उसका सवाल नहीं है। जो भी महिलाओं की इज्जत पर हाथ डाले, इस विधान सभा की 15 सदस्या हैं, 9 उधर बैठी हैं और 6 इधर बैठी हैं : चाहे कोई सदस्या बोल रही हो या नहीं बोल रही हो, सभी यह चाहेंगी मन से कि उसको तत्काल सस्पेण्ड किया जाये। इसके खिलाफ आउट रेजिंग दी मोडेस्टी आफ ए वूमन का केस रजिस्टर किया जाय। 376 का ही नहीं आई. पी. सी. अब अमेण्ड हो चुका है, सरकारी अधिकारी यदि इस तरह का व्यवहार करते हैं उनके किये और अधिक बड़ी सजा का प्रावधान है भारतीय दण्ड संहिता में हो। इसलिये यह बहस का मुद्दा नहीं है। तत्काल रिपोर्ट दर्ज करें, तत्काल उसको सस्पेण्ड करें और ऐसे अधिकारी को राज्य की सेवा से हमेशा के लिये मुक्त करें, उनको डिसमिस करें तभी इस राज की शान रहेगी सरकार की शोभा बढ़ेगी, तभी मुख्य मन्त्री का ग्रिप सारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर और ब्यूरोक्रेसी पर मजबूत होगा।

श्री अध्यक्ष : मुख्यमन्त्री जी।

आप बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

एक माननीय सदस्य : जितने माननीय सदस्य बैठे हैं उनकी अपनी मां-बहिन, बेटियों के साथ अगर यह दुर्व्यवहार होता तो क्या करते ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, यह जरूरी नहीं है कि हर विषय पर आप बोलें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं हर विषय पर नहीं बोलती हूं परन्तु मैं इस विषय पर बोलना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बातें न करें।

श्री देवीसिंह भाटी : सुमेरपुर से आने वाली माननीय सदस्या बोलेंगी ? कल महिलाओं की बहुत पैरवी कर रही थीं आज उनके मुंह पर ताले लगे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : आप एक मिनट में बात समाप्त करें। एक मिनट से ज्यादा नहीं लेंगी आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक मिनट से ज्यादा नहीं कहूंगी। तीन बातें कहना चाहूंगी। इस राज्य में कोई कानून है या जंगल का राज है ? जो अभियुक्त है, अपराधी हैं उसको संरक्षण सरकार देती है तो कैसे काम चलेगा ? मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि तत्काल उसको सस्पेण्ड करें,

Page No. 240

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

राज्य सेवा से उसको हमेशा के लिए हटाया जाय, हमेशा हमेशा के लिये उसको हटा दिया जाय जिससे कि आगे किसी सरकारी कर्मचारी को इस तरह का प्रोत्साहन नहीं मिले ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय........

श्री अध्यक्ष : आप तो सीनियर सदस्य हैं । अब काफी सदस्य बोल चुके हैं ।

कृपया बैठें । माननीय सदस्य, कृपया बैठें ।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही नहीं है कि कोई किसी को प्रोटेक्ट करना चाहता है । यहां तक कि सीनियर पुलिस आफिसर्स ने भी कभी इस प्रकार की भावना नहीं बतलायी । बल्कि जैसे ही सूचना मिली इसको एसरटेन करने के लिए दोनों व्यक्तियों, दोनों पार्टीज को यहां बुलाया गया । जैसे ही यह मालूम हुआ, यह पुलिस आफिसर्स यहां आ गये हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मुझे सदन में ही मालूम हुआ कि दोनों आ गये हैं और सदन से बाहर निकल करके मैंने यह चाहा कि उनसे मालूम कर लिया जाय । मालूम कर लिया गया । सबसे पहला सवाल तो यह था कि जो विक्टिम है वह दरअसल में इसको सही कहता है या नहीं कहता है अथवा वह किस हद तक जाने को तैयार है । इसलिए........

श्री शोपत सिंह : उसको सस्पेण्ड करो एडिशनल एस. पी. को सस्पेण्ड करो ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आर्डर प्लीज ।

श्री हरिदेव जोशी : इसलिए टेलीफोनिक मेसेज के आधार पर नहीं बल्कि उनको व्यक्तिगत आने के लिए कहा गया । व्यक्तिगत यहां पर आये । उच्चाधिकारियों के सामने अपनी बात कहने को दोनों को कहा गया है । उसी के आधार पर किसी छोटे अधिकारी को नहीं आई. जी. लेवल के आफिसर को बीकानेर जाना है । जा करके जैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसी प्रकार से प्राइमाफेसी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर मैंने जो सोचा था वह यह था कि वे यह कह दें, दोनों पक्ष को बो करके, ताकि चालान किया जाय, सस्पेण्ड किया जाय या अधिक एक्शन लिया जाय । नेचरल जस्टिस भी यह डिमांड करता है........

श्री यदुनाथ सिंह : आपको इन्फॉर्मेशन मिल गयी थी........

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं केस के डिटेल्स में यहां जाऊं यह ठीक नहीं होगा, केस बिगड़ेगा । मैं नहीं कहना चाहता ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप बिगाड़ने पर तुले हुए हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री शोपत सिंह : You want to save-

श्री हरिदेव जोशी : I do not wish to save anybody

श्री भंवरलाल शर्मा : You are saying.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने जो सोचा था वह तो यह था कि आई. जी. लेवल का एक आफिसर तुरन्त बीकानेर चला जाय। शायद रवाना भी हो गया होगा। जा करके अपने सामने इन सारी चीजों को, जिनके बयानात लिवाना जरूरी है, जो फार्मेलिटीज करनी जरूरी हैं उनको कर लिया जाय और एक्शन ले लिया जाय। मगर....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। सुनिये।

श्री हरिदेव जोशी : इसीलिये कि वे वहां पर इस चीज को प्रभावित न कर सकें, उनका वहां से तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर भी इसी इन्टेशन से किया गया कि वे इसको प्रभावित नहीं कर सकें। दोनों पक्ष को इस प्रकार की स्थिति नहीं बनने देनी चाहिये थी कि ऐसी स्थिति आवे। जो चीज बनी है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। जो मैंने और चीजें सुनीं इससे तो मुझे अधिक दुख हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेरी मन्शा थी वह यह थी कि आई. जी. लेवल का अधिकारी जा करके जो चीजें कही गयी हैं एक पार्टी की ओर से अथवा विक्टिम की ओर से, उसको वेरिफाई कर लें और उसके बाद में एक्शन लिया जाय....

श्री यदुनाथ सिंह : मुकदमा दर्ज कर लीजिये....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : मगर यदि इसी आधार पर एफ. आई. आर. दर्ज करवानी सम्भव है तो मुझे कोई एतराज नहीं है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

सुश्री पुष्पा जैन : मुख्य मन्त्री जी यह एडिशनल एस. पी. की जो आयी है कागनीजेबल बनती है या नहीं ?....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मैंने छंगाणी जी को पुकारा है।

श्री हरिदेव जोशी : विदाउट इन्वेस्टीगेशन अगर इसमें कहीं कोई प्रोसीड होने की सम्भावना हो तो मुझे कहीं एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आर्डर प्लीज।

श्री शोपत सिंह : सवाल एतराज का नहीं....

श्री अध्यक्ष आर्डर प्लीज।

श्री मोहन छंगाणी (फलोदी) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि मुख्य मन्त्री रोहिताश कुमार को शील्ड करना नहीं चाहते। यह मैं मानता हूं। पर इसके बावजूद रोहिताश कुमार ने जो काम किया है, कुकृत्य किया है उसके लिये फौरन मुकदमा

(34)

(श्री मोहन छंगाणी)

पहले दर्ज करना चाहिये। इसके लिये मुख्य मन्त्री जी पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। यह विभागीय कार्यवाही का कौनसा सवाल आया ?

श्री हरिदेव जोशी : अगर मुझे रोक नहीं है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तुरंत तत्काल यहां अथवा बीकानेर में जहां भी एफ. आई. आर. दर्ज करवायी जा सकती है उसको दर्ज करवा दिया जायगा। मैं कानूनदां नहीं हूं मगर मैं यह कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, चर्चा समाप्त हुई। चर्चा समाप्त हुई।

सदन की कार्यवाही दिनांक 27 मार्च, 85 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गयी।

(तदनन्तर सदन की बैठक सायं 8.05 बजे बुधवार, दिनांक 27 मार्च, 1985 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

————